SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 के लिए

उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड सरकार

प्रतिवेदन संख्या 1 - 2025

(राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
वर्ष 2023-24 के लिए

उत्तराखण्ड सरकार

प्रतिवेदन संख्या 1 - 2025

विषय-सूची			
क्र.सं.	**विषय**	**प्रस्तर**	**पृष्ठ सं.**
1.	प्राक्कथन		vii
2.	कार्यकारी सारांश		ix
अध्याय-1: विहंगावलोकन			
3.	राज्य की रूपरेखा	1.1	1
4.	उत्तराखण्ड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1.1	1
5.	सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्रीय योगदान	1.1.2	4
6.	राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण	1.2	6
7.	सरकारी लेखों की संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन	1.3	7
8.	वित्त का सार	1.3.1	10
9.	सरकार की परिसंपत्तियों और देयताओं का सार	1.3.2	11
10.	राजकोषीय शेष: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि	1.4	12
11.	प्रमुख राजकोषीय मापदंडों पर एफ आर बी एम लक्ष्य व उनके सापेक्ष उपलब्धियाँ	1.4.1	13
12.	मध्यम अवधि की राजकोषीय योजना	1.4.2	16
13.	घाटे/अधिशेष की प्रवृत्तियाँ	1.4.3	17
14.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार उधार लेने के संबंध में राज्य सरकार का प्रदर्शन	1.4.4	19
15.	लेखापरीक्षा परीक्षण के बाद घाटे तथा कुल ऋण	1.5	20
16.	लेखापरीक्षा के उपरांत - घाटा	1.5.1	20
17.	लेखापरीक्षा के उपरांत - कुल लोक ऋण	1.5.2	21
18.	निष्कर्ष	1.6	23
19.	संस्तुति	1.7	24
अध्याय-2: राज्य के वित्त			
20.	2022-23 के सापेक्ष 2023-24 के दौरान प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में हुए मुख्य परिवर्तन	2.1	25
21.	निधियों के स्रोत एवं उपयोग	2.2	26
22.	राज्य के संसाधन	2.3	27
23.	राज्य की प्राप्तियाँ	2.3.1	27

क्र.सं.	विषय	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
24.	राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ	2.3.2	28
25.	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ और वृद्धि	2.3.2.1	28
26.	राज्य के स्वयं के संसाधन	2.3.3	30
27.	स्वयं का कर राजस्व	2.3.3.1	31
28.	राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस जी एस टी)	2.3.3.2	32
29.	राजस्व के बकाए एवं निर्धारण के बकाए का विश्लेषण	2.3.3.3	33
30.	करेत्तर राजस्व	2.3.3.4	36
31.	केन्द्रीय अंतरण	2.3.4	36
32.	केन्द्रीय कर अंतरण	2.3.4.1	37
33.	भारत सरकार से सहायता अनुदान	2.3.4.2	39
34.	एकल नोडल एजेंसी	2.3.4.3	39
35.	पंद्रहवें वित्त आयोग का अनुदान	2.3.4.4	40
36.	राजस्व व्यय के रूप मैं दर्ज राजस्व की वापसी	2.3.4.5	41
37.	पूंजीगत प्राप्तियाँ	2.4	41
38.	संसाधनों को जुटाने में राज्य का प्रदर्शन	2.5	42
39.	संसाधनों का उपयोग	2.6	43
40.	राजस्व व्यय	2.6.1	46
41.	राजस्व व्यय में मुख्य बदलाव	2.6.1.1	47
42.	प्रतिबद्ध व्यय	2.6.2	48
43.	अन्य प्रतिबद्ध व्यय	2.6.2.1	51
44.	वेतन एवं मजदूरी	2.6.2.2	52
45.	ब्याज भुगतान	2.6.2.3	53
46.	पेंशन	2.6.2.4	53
47.	सब्सिडी	2.6.2.5	55
48.	अंतर्निहित सब्सिडी	2.6.2.6	56
49.	अनम्य व्यय	2.6.2.7	56
50.	राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2.6.2.8	56
51.	पूंजीगत व्यय	2.6.3	58
52.	पूंजीगत व्यय में बड़े परिवर्तन	2.6.3.1	59
53.	पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता	2.6.3.2	60

क्र.सं.	विषय	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
54.	व्यय की प्राथमिकताएँ	2.7	65
55.	लोक लेखा	2.8	67
56.	लोक लेखा में निवल बकाया	2.8.1	67
57.	आरक्षित निधियाँ	2.8.2	69
58.	निष्क्रिय आरक्षित निधियाँ	2.8.2.1	69
59.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	2.8.2.2	70
60.	राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एस डी एम एफ)	2.8.2.3	71
61.	प्रतिभूति मोचन निधि	2.8.2.4	72
62.	राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि	2.8.2.5	73
63.	आरक्षित निधियों एवं ब्याज युक्त जमाओं के सापेक्ष ब्याज देयताओं का निर्वहन न करना	2.8.3	73
64.	ऋण प्रबंधन	2.9	74
65.	समग्र दायित्व की प्रवृत्ति	2.9.1	74
66.	ऋण संरचनाः घटक	2.9.2	75
67.	वर्ष 2023-24 के अंत में बकाया समग्र देयताओं का विवरण	2.9.3	76
68.	घटक-वार ऋण की प्रवृत्तियाँ	2.9.4	77
69.	लिए गये आंतरिक ऋण के सापेक्ष पुनर्भुगतान	2.9.5	77
70.	ऋण रूपरेखाः परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान	2.9.6	79
71.	ऋण स्थिरता विश्लेषण	2.9.7	81
72.	उधार ली गई निधियों का उपयोग	2.9.8	86
73.	प्रतिभूति की स्थिति - आकस्मिक देयताएं	2.10	87
74.	नकद बकाये का प्रबन्धन	2.11	89
75.	नकद बकाये का निवेश	2.11.1	90
76.	निष्कर्ष	2.12	92
77.	संस्तुतियाँ	2.13	93
अध्याय-3: बजटीय प्रबंधन			
78.	बजट प्रक्रिया	3.1	95
79.	बजट तैयारी प्रक्रिया	3.2	96
80.	जेंडर बजटिंग	3.2.1	99
81.	अनुसूचित जाति (एस सी) और अनुसूचित जनजाति (एस टी) बजट	3.2.1(क)	100

क्र.सं.	विषय	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
82.	आउटकम बजट	3.2.1(ख)	101
83.	वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक वितरणों और बचतों का सारांश	3.2.2	101
84.	भारित एवं मतदेय वितरण	3.2.3	102
85.	बजटीय सटीकता	3.2.4	102
86.	विनियोग लेखे	3.3	104
87.	बजटीय एवं लेखाप्रणाली प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणी	3.3.1	104
88.	विधि प्राधिकार के साथ व्यय करना	3.3.1.1	104
89.	पूंजीगत व्यय का राजस्व व्यय में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण एवं विलोमत	3.3.2	104
90.	अनावश्यक अथवा अत्यधिक अनुपूरक अनुदान	3.3.3	106
91.	किए गए पुनर्विनियोग, जिनमें पूर्व वैधानिक प्राधिकार की आवश्यकता है	3.4	110
92.	अनावश्यक/अत्यधिक पुनर्विनियोग	3.4.1	110
93.	अव्ययित राशि और समर्पित विनियोजन और/अथवा वृहद बचत/ समर्पण	3.5	112
94.	अनुदान/विनियोग जिसमें बजट उपयोग 50 *प्रतिशत* से कम हुआ	3.5.1	115
95.	₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के समर्पण का विवरण	3.5.2	116
96.	उपयोग की प्रतिशतता के आधार पर समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या का वितरण	3.5.3	118
97.	वित्तीय वर्ष 2023-24 की समाप्ति के पूर्व बचत एवं समर्पण का विवरण	3.5.4	118
98.	बजट आवंटन और उसका उपयोग	3.5.5	119
99.	अधिक व्यय और उसका नियमितीकरण	3.6	120
100.	2023-24 से संबन्धित अधिक व्यय	3.6.1	120
101.	प्राधिकार से अधिक मुख्य शीर्ष वार वितरण का विवरण	3.6.2	120
102.	कुछ अनुदानों में निरंतर आधिक्य	3.6.3	121
103.	विगत वित्तीय वर्षों के आधिक्य व्यय का नियमितीकरण	3.6.4	122

क्र.सं.	विषय	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
104.	पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए सहायता अनुदान	3.7	125
105.	बजट अनुमान और अपेक्षा एवं वास्तविकता के बीच अंतराल	3.8	126
106.	अनुपूरक बजट और अवसर लागत	3.9	130
107.	पुनर्विनियोग के संबंध में वित्तीय शक्ति का पालन	3.10	131
108.	बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएँ और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनका वास्तविक वित्त पोषण	3.11	131
109.	व्यय की तीव्रता	3.12	133
110.	चयनित अनुदानों की समीक्षा	3.13	136
111.	चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम	3.13.1	136
112.	केंद्र एवं राज्य योजनाओं पर व्यय	3.14	148
113.	निष्कर्ष	3.15	149
114.	संस्तुतियाँ	3.16	150
अध्याय-4: लेखों की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य			
115.	लेखों की पूर्णता से संबन्धित प्रकरण	4.1	151
116.	ब्याज सहित आरक्षित निधियों व जमाराशियों के प्रति ब्याज अदायगी की स्थिति एवं प्रभाव	4.1.1	151
117.	राज्य में क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित की जाने वाली निधियाँ	4.1.2	152
118.	स्थानीय निधियों का जमा	4.1.3	153
119.	पारदर्शिता से संबन्धित प्रकरण	4.2	154
120.	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब	4.2.1	154
121.	सार आकस्मिक बिल	4.2.2	157
122.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी के नामित बैंक खातों तथा कार्यदायी संस्थाओं को हस्तांतरित निधियाँ	4.2.3	158
123.	व्यक्तिगत जमा लेखे/व्यक्तिगत लेजर खाता	4.2.4	159
124.	लघु शीर्ष 800 का उपयोग	4.2.5	160
125.	माप संबंधी प्रकरण	4.3	164
126.	प्रमुख उचन्त एवं प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत शेष	4.3.1	164
127.	विभागीय आंकड़ों का मिलान न करना	4.3.2	169
128.	नकद शेष राशि का मिलान	4.3.3	171

क्र.सं.	विषय	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
129.	प्रकटीकरण से संबन्धित प्रकरण	4.4	171
130.	लेखांकन मानकों का अनुपालन	4.4.1	171
131.	स्वायत्त निकायों के लेखों/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को जमा करना	4.4.2	173
132.	निकायों और प्राधिकरणों को दिये गए अनुदानों/ऋणों का विवरण प्रस्तुत नहीं करना	4.4.3	174
133.	समयबद्धता और लेखों की गुणवत्ता	4.4.4	175
134.	अन्य प्रकरण	4.5	175
135.	दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि	4.5.1	175
136.	राज्य के वित्त की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई	4.5.2	175
137.	निष्कर्ष	4.6	175
138.	संस्तुतियाँ	4.7	176

परिशिष्ट		
परिशिष्ट-1.1	राज्य की रूपरेखा	179
परिशिष्ट-1.2	31 मार्च 2024 तक उत्तराखण्ड सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति	181
परिशिष्ट-2.1	राज्य सरकार के वित्त पर समय श्रृंखला आंकड़े	183
परिशिष्ट-3.1	बजट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों की शब्दावली	187
परिशिष्ट-4.1	शब्दावली	189

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन, संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के **अध्याय-1** में राज्य की रूपरेखा और लेखापरीक्षा से पूर्व तथा पश्चात राज्य की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन है।

इस प्रतिवेदन के **अध्याय-2** एवं **3** में 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखों एवं विनियोग लेखों की जांच से उत्पन्न मामलों पर लेखापरीक्षा प्रस्तर सम्मिलित हैं।

लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय प्रतिवेदन से संबन्धित **अध्याय-4** राज्य सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशनों के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति प्रस्तुत करता है।

प्रतिवेदन में विभिन्न विभागों में की गई निष्पादन लेखापरीक्षा व लेन-देनों की लेखापरीक्षा, सांविधिक निगमों, परिषदों एवं सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा के निष्कर्षों एवं राजस्व प्राप्तियों पर प्रस्तरों को अलग से प्रस्तुत किया गया है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2023-24 के राज्य वित्त पर है। यह वित्त, बजट प्रबंधन और लेखों की गुणवत्ता, वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धतियों और राज्य वित्त से संबंधित अन्य मामलों का अवलोकन प्रदान करता है। यह कार्यकारी सारांश इस प्रतिवेदन की विषय वस्तु पर प्रकाश डालता है और महत्वपूर्ण आंकड़ों और पहलुओं के स्नैपशॉट के माध्यम से राजकोषीय स्थिरता, बजट के प्रयोजन के सापेक्ष प्रदर्शन, राजस्व और व्यय अनुमान, भिन्नताओं के कारणों और इसके प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) (वर्तमान मूल्यों पर) वर्ष 2019-20 में ₹ 2,39,263 करोड़ से वर्ष 2023-24 में ₹ 3,46,206 करोड़ तक 8.85 *प्रतिशत* की औसत वृद्धि दर से बढ़ा। राज्य का बजट परिव्यय 13.23 *प्रतिशत* की औसत वृद्धि दर से बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹ 51,198 करोड़ से वर्ष 2023-24 में ₹ 88,728 करोड़ हो गया।

वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में स रा घ उ में 13.97 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियों में 3.12 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई और स रा घ उ पर राजस्व प्राप्तियों का *प्रतिशत* वर्ष 2022-23 में 16.16 *प्रतिशत* से घटकर वर्ष 2023-24 में 14.62 *प्रतिशत* हो गया। इस अवधि के दौरान कर राजस्व में 14.99 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई और राज्य के अपने कर राजस्व में 12.53 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। उत्तराखंड राज्य का कुल व्यय (राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम) वर्ष 2022-23 में ₹ 52,061 करोड़ से, 12.14 *प्रतिशत* की वृद्धि के साथ बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 58,380 करोड़ हो गया। इसमें से राजस्व व्यय में वर्ष 2022-23 से 8.00 *प्रतिशत* की वृद्धि देखी गई। राजस्व अधिशेष ₹ 5,310 करोड़ से घटकर ₹ 3,341 करोड़ हो गया, जो वर्ष 2022-23 की तुलना में 37.08 *प्रतिशत* की कमी दर्ज करता है, जबकि राजकोषीय घाटा वर्ष 2022-23 में ₹ 2,949 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 162.77 *प्रतिशत* की वृद्धि के साथ ₹ 7,749 करोड़ हो गया।

प्राप्तियों की तुलना में व्यय

प्राप्तियों और व्यय के बीच निरंतर असंतुलन बढ़ते राजकोषीय दबाव का संकेत देता है। राज्य के पास प्राप्तियों के विभिन्न स्रोत हैं जैसे राज्य का अपना कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, करों में राज्यों के अंश का हस्तांतरण, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान

तथा हस्तांतरण और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ। राज्य सरकार के व्यय में राजस्व खाते पर व्यय के साथ-साथ पूंजीगत व्यय (परिसंपत्तियों का निर्माण, ऋण और अग्रिम, निवेश, आदि) शामिल हैं।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक, राजस्व प्राप्तियां 10.52 *प्रतिशत* की औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ ₹ 30,723 करोड़ से बढ़कर ₹ 50,615 करोड़ हो गईं। इस अवधि के दौरान पूंजीगत प्राप्तियां भी ₹ 6,167 करोड़ से बढ़कर ₹ 9,928 करोड़ हो गईं। राजस्व प्राप्तियों में सहायता अनुदान का अंश 2019-20 में 27.04 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 28.30 *प्रतिशत* हो गया, जो भारत सरकार से सहायता पर बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है। राज्य सरकार को वर्ष 2023-24 के दौरान केंद्रीय पुरोनिर्धारित योजनाओं (सी एस एस) के लिए सहायक अनुधान के रूप में ₹ 5,675.90 करोड़ प्राप्त हुआ।

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्व के भुगतान के लिए किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य के बुनियादी ढांचे और सेवा नेटवर्क में कोई वृद्धि नहीं होती है। वर्ष 2019-20 और 2023-24 के बीच, राजस्व व्यय ₹ 32,859 करोड़ (स रा घ उ का 13.73 *प्रतिशत*) से बढ़कर ₹ 47,274 करोड़ (स रा घ उ का 13.65 का *प्रतिशत*) हो गया। इस अवधि के दौरान यह लगातार कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण अंश (81 से 86 *प्रतिशत*) रहा, जो 8.07 *प्रतिशत* की औसत वार्षिक दर से बढ़ रहा था।

व्यय विश्लेषण

राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच के अंतर के परिणामस्वरूप राजस्व घाटा होता है। वर्ष 2019-20 में राज्य का राजस्व घाटा ₹ 2,136 करोड़ (स रा घ उ का 0.89 *प्रतिशत*) था, जो चालू वर्ष में ₹ 3,341 करोड़ (स रा घ उ का 0.97 *प्रतिशत*) के राजस्व अधिशेष में बदल गया था।

राज्य सरकार ने पूंजीगत खाते पर ₹ 10,982 करोड़ खर्च किए। यह वर्ष 2023-24 में कुल व्यय का 18.81 *प्रतिशत* था।

राज्य के कुल व्यय और कुल गैर-ऋण प्राप्ति के बीच के अंतर के परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटा होता है। राज्य का राजकोषीय घाटा वर्ष 2022-23 में ₹ 2,949 करोड़ (स रा घ उ का 0.97 *प्रतिशत*) से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 7,749 करोड़ (स रा घ उ का 2.24 *प्रतिशत*) हो गया।

राजस्व व्यय के अंतर्गत, प्रतिबद्ध व्यय की मात्रा सबसे बड़ा हिस्सा है। प्रतिबद्ध व्यय का पहला प्रभार संसाधनों पर होता है और इसमें ब्याज का भुगतान, वेतन व मजदूरी पर व्यय और पेंशन शामिल होते हैं। ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन पर प्रतिबद्ध व्यय

वर्ष 2019-20 (66.12 *प्रतिशत*) और 2023-24 (57.39 *प्रतिशत*) के दौरान राजस्व व्यय का 57 से 66 *प्रतिशत* था। प्रतिबद्ध व्यय 4.89 *प्रतिशत* की औसत दर से बढ़ा, यानी वर्ष 2019-20 में ₹ 21,725 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 27,130 करोड़ {वर्ष 2022-23 (₹ 25,800 करोड़) से 5.16 *प्रतिशत* की वृद्धि}।

प्रतिबद्ध व्यय के अतिरिक्त, अनम्य व्यय वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान राजस्व व्यय के 6.10 *प्रतिशत* से बढ़कर 7.93 *प्रतिशत* हो गया, जो बढ़ती प्रवृत्ति का संकेत देता है। अनम्य व्यय वर्ष 2022-23 में ₹ 2,549 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 3,750 करोड़ हो गया, जो 47.12 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज करता है। वर्ष 2019-20 (₹ 2,004 करोड़) से 2023-24 (₹ 3,750 करोड़) की अवधि के दौरान अनम्य व्यय की औसत वृद्धि 17.57 *प्रतिशत* थी।

कुल मिलाकर, वर्ष 2023-24 में प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय ₹ 30,880 करोड़ था जो राजस्व व्यय का 65 *प्रतिशत* था। प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय की बढ़ती प्रवृत्ति सरकार के लिए अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और पूंजीगत निर्माण के लिए कम लचीलेपन की स्थिति पैदा करती है।

गैर-प्रतिबद्ध व्यय में सब्सिडी

गैर-प्रतिबद्ध व्यय के भीतर, सब्सिडी की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो वर्ष 2019-20 में ₹ 35 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 428 करोड़ हो गई है, अर्थात वर्ष 2019-20 में कुल राजस्व व्यय के 0.11 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 0.91 *प्रतिशत* हो गई है। खाद्य भंडारण और भंडारण के अंतर्गत खाद्य सब्सिडी (₹ 104 करोड़) चालू वर्ष के दौरान कुल सब्सिडी का 24.30 *प्रतिशत* है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने अंतर्निहित सब्सिडी पर भी ₹ 76.54 करोड़ व्यय किए।

प्रत्याभूतियों के कारण आकस्मिक देनदारियाँ

वर्ष 2023-24 में, सरकार ने ₹ 167 करोड़ के ऋण के सापेक्ष प्रत्याभूतियां प्रदान की। वर्ष के दौरान कोई प्रत्याभूति मांगी नहीं गई थी। राज्य सरकार को गारंटी कमीशन के रूप में ₹ 0.23 करोड़ प्राप्त हुए।

राजकोषीय स्थिरता

राजकोषीय स्थिरता की जांच घाटे, ऋण और देनदारियों के स्तर, बजट से बाहर ऋण, प्रत्याभूति, सब्सिडी आदि जैसे वृहत राजकोषीय मानकों के संदर्भ में की जाती है। जहाँ तक राजस्व और व्यय के असंतुलन का संबंध है, महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय है, जिसमें वेतन एवं मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज तथा अन्य

अनम्य व्यय जो कि केंद्रीय पुरोनिर्धारित योजनाओं के लिए प्रतिबद्धता, आरक्षित निधियों में हस्तांतरण, स्थानीय निकायों को हस्तांतरण आदि से उत्पन्न होते हैं आदि शामिल हैं।

एफ आर बी एम की आवश्यकताएँ और राजकोषीय मानकों का अनुपालन

एफ आर बी एम अधिनियम/नियमावली कुछ सीमाएं निर्धारित करती हैं जिनके भीतर, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) के *प्रतिशत* के रूप में ऋण होना चाहिए और इसी तरह बकाया प्रत्याभूति को उस विशेष वर्ष के स रा घ उ के एक *प्रतिशत* के भीतर सीमित किया जाता है और किसी भी वर्ष के दौरान दी गई नई प्रत्याभूति उस वर्ष के स रा घ उ के 0.30 *प्रतिशत* से अधिक नहीं होनी चाहिए।

एफ़ आर बी एम अधिनियम के अनुसार राजस्व घाटा शून्य होना चाहिए। इस लक्ष्य के सापेक्ष राज्य सरकार को वर्ष 2023-24 में, ₹ 3,341 करोड़ का राजस्व अधिशेष प्राप्त हुआ, जो स रा घ उ का 0.97 *प्रतिशत* था; राजकोषीय घाटा स रा घ उ के 3.00 *प्रतिशत* की सीमा के सापेक्ष 2.24 *प्रतिशत* था; एफ आर बी एम अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित स रा घ उ के 33.10 *प्रतिशत* की सीमा के सापेक्ष ऋण 23.18 *प्रतिशत* (वर्ष 2021-22 तक भारत सरकार से प्राप्त जी एस टी मुआवजे के बदले बैक-टु-बैक ऋण ₹ 5,649 करोड़ की राशि को छोड़कर) था। इसी तरह, 31 मार्च 2024 तक कुल बकाया प्रत्याभूतियां 119 करोड़ थी जो उस वर्ष के लिए स रा घ उ का 0.03 *प्रतिशत* थी और इस प्रकार एफ आर बी एम सीमा के भीतर थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान दी गई प्रत्याभूतियां स रा घ उ के 0.30 *प्रतिशत* के लक्ष्य की तुलना में 0.05 *प्रतिशत* थी।

ऋण स्थिरीकरण विश्लेषण के अनुसार, स रा घ उ से कुल देनदारियों के अनुपात के द्वारा मापा गया राज्य का ऋण बोझ, वर्ष 2020-21 तक बढ़ती प्रवृत्ति दिखाने के बाद सुधारने लगा, तथा अवधि (2019-2024) के अन्तिम तीन वर्षों में लगातार गिरावट देखी गई है जो कि ऋण स्थिरता को दर्शाता है। ऋण-स रा घ उ अनुपात वर्ष 2018-19 में 25.20 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 27.58 *प्रतिशत* और पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 में 31.66 *प्रतिशत* हो गया। महामारी के प्रभाव के कारण वर्ष 2020-21 में 4.08 *प्रतिशत* की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज करने के बाद, जब नाममात्र की वृद्धि 5.70 *प्रतिशत* तक घटी, तो महामारी के बाद के वर्ष (2021-22) में यह घटकर 26.72 *प्रतिशत* हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.94 *प्रतिशत* का महत्वपूर्ण

सुधार दर्ज करता है। गिरावट की प्रवृत्ति के बाद, समग्र देनदारियों-स रा घ उ अनुपात वर्ष 2022-23 में 23.98 *प्रतिशत* और वर्ष 2023-24 में 23.18 *प्रतिशत* तक पहुंच गया। वर्ष 2021-22 के बाद से समग्र देनदारियों-स रा घ उ अनुपात द्वारा मापे गए राज्य के ऋण बोझ में लगातार गिरावट से संकेत मिलता है कि यह स्थिर होने लगा है।

डोमर मानदंड के अनुसार, उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति के बावजूद, महामारी वर्ष (2020-21) को छोड़कर वर्ष 2019-24 के दौरान वास्तविक ब्याज दर अनुकूल रही जिस कारण वास्तविक विकास में 12.10 *प्रतिशत* का महत्वपूर्ण संकुचन दिखा। नाममात्र वृद्धि और प्रभावी ब्याज दर दोनों पर बड़े पैमाने पर मुद्रास्फीति का प्रभाव रहा। पाँच साल की कम वास्तविक ब्याज दर के बावजूद, जब सी पी आई मुद्रास्फीति प्रभावी नाममात्र ब्याज दर के स्तर तक लगभग तेज हो गई, तो वर्ष 2020-21 में जी आई डी प्रतिकूल हो गई। इसके बाद, सी पी आई मुद्रास्फीति में ढील द्वारा समर्थित लगातार आर्थिक विकास ने जी आई डी को अगले तीन वर्षों तक अनुकूल रहने में मदद की। औसतन, वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान सी पी आई मुद्रास्फीति आर बी आई द्वारा निर्धारित 2-6 *प्रतिशत* की स्वीकार्य सीमा से ऊपर रही।

सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों का एक बड़ा हिस्सा ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए उपयोग किया जा रहा था, जो वर्ष 2019-24 के अवधि के दौरान 30 *प्रतिशत* से 81 *प्रतिशत* के बीच था।

बजट प्रदर्शन

कुल व्यय परिणाम

बजटीय उद्देश्य और बजट क्रियान्वयन के संदर्भ में बजट प्रदर्शन की जांच इस बात का आकलन करने के लिए की जाती है कि कुल व्यय परिणाम किस हद तक अतिरिक्त और बचत दोनों के संदर्भ में मूल रूप से स्वीकृत राशि को दर्शाता है। राजस्व खंड में, बजट अनुमानों (बी ई) के सापेक्ष वास्तविक प्राप्तियों में (-)10.38 *प्रतिशत* का विचलन था। यह 20 अनुदानों में ± 25 *प्रतिशत* तक, नौ अनुदानों में ± 25 *प्रतिशत* और ± 50 *प्रतिशत* और दो अनुदानों में ± 50 *प्रतिशत* और ± 100 *प्रतिशत* के बीच विचलन के कारण था। पूंजी खंड में, बी ई की तुलना में परिणाम में विचलन (+)39.24 *प्रतिशत* था। यह एक अनुदान में शून्य *प्रतिशत* के बराबर, 15 अनुदानों में ± 25 *प्रतिशत* तक, छह अनुदानों में ± 25 *प्रतिशत* से ± 50 *प्रतिशत* के बीच, सात अनुदानों में ± 50 *प्रतिशत* से ± 100 *प्रतिशत* के बीच और दो अनुदानों में 100 *प्रतिशत* और उससे अधिक के

बराबर विचलन के कारण था। पूँजीगत खंड के दो अनुदानों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

व्यय संरचना परिणाम

बजट प्रदर्शन यह भी देखता है कि निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के बीच पुनः आवंटन ने व्यय संरचना में भिन्नता में किस हद तक योगदान दिया है। यह उपाय अंतिम बजट और वास्तविक व्यय के बीच अंतर की सीमा को दर्शाता है। राजस्व खंड में, संशोधित अनुमानों (स अ) की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 8.36 *प्रतिशत* था। यह 25 अनुदानों में ± 25 *प्रतिशत* तक, पाँच अनुदानों में ± 25 *प्रतिशत* से ± 50 *प्रतिशत* और एक अनुदान में ± 50 *प्रतिशत* से ± 100 *प्रतिशत* के बीच विचलन के कारण था। पूंजी खंड में, स अ की तुलना में परिणाम में विचलन (+) 30.54 *प्रतिशत* था। यह 18 अनुदानों में ±25 *प्रतिशत* तक, पाँच अनुदानों में ±25 *प्रतिशत* और ± 50 *प्रतिशत* के बीच, चार अनुदानों में ± 50 *प्रतिशत* से ± 100 *प्रतिशत* के बीच और दो अनुदानों में 100 *प्रतिशत* और उससे अधिक के बराबर विचलन के कारण था। तथापि, पूँजीगत खंड में दो अनुदानों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

यह देखा गया कि वर्ष 2023-24 के दौरान 24 मामलों में (प्रत्येक मामले में ₹ दस करोड़ से अधिक) ₹ 4,183.84 करोड़ के पूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए, क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं पहुंचा।

समग्र बजट विश्वसनीयता आकलन इंगित करता है कि हालांकि वास्तविक व्यय और मूल बजट के बीच विचलन 5.43 *प्रतिशत* से अधिक और वास्तविक व्यय और अंतिम बजट के बीच 4.78 *प्रतिशत* से अधिक था, लेकिन विभिन्न अनुदानों में 25 *प्रतिशत* और उससे भी अधिक विचलन थे। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि कई मामलों में ऐसे पूरक अनुदान थे जहां व्यय मूल अनुदान तक भी नहीं था। एक विश्वसनीय बजट पद्धति के द्वारा इस तरह के विचलन से निपटा जाना चाहिए।

लेखाओं की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग

लेखाओं की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग में ऐसी मदें, लेन-देन और घटनाएँ शामिल हैं जो अनुपालन में अंतराल, नियमितता की कमजोरियों और उन लेखांकन अभिलेखों या समायोजन अभिलेखों की प्राप्ति में देरी से संबंधित मुद्दों से संबंधित हैं जो वास्तविक व्यय का प्रमाण देते हैं। यह लेखों और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित मुद्दों पर भी प्रकाश

डालता है जैसे कि सरकारी लेखों के बाहर धन जमा करना, देनदारियों का गैर या अल्प-निर्वहन और लेन-देन और डेटा अंतराल का गलत वर्गीकरण।

अनुदानों/विनियोजनों से अधिक राशि को नियमित करना

राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 (1) (ब) के अनुसार अनुदानों/ विनियोजनों से आधिक्य को राज्य विधानमंडल द्वारा नियमित कराना होता है। यह देखा गया कि वर्ष 2023-24 में एक अनुदान के अंतर्गत ₹ 7,302.10 करोड़ का अधिक व्यय था जिसे नियमित करने की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2005-06 से 2022-23 से संबंधित ₹ 48,654.69 करोड़ के अधिक संवितरण को अभी तक नियमित नहीं किया गया था।

मिलान

उत्तराखंड बजट मैनुअल 2012 के प्रस्तर 109 के अनुसार, सभी नियंत्रण अधिकारियों को प्रत्येक माह महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में अभिलिखित आंकड़ों के साथ सरकार की प्राप्तियों और व्यय का मिलान करना अपेक्षित है।

राज्य सरकार ने कुल व्यय के 13.00 *प्रतिशत* और प्राप्तियों के 4.94 *प्रतिशत* का मिलान नहीं किया था।

लेखों में गलत वर्गीकरण

यह देखा गया कि राजस्व खण्ड के अंतर्गत ₹ 62.66 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया था। यह व्यय पूंजीगत खण्ड के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था, क्योंकि यह व्यय वृहद निर्माण और भूमि खरीद से संबंधित था। इसके अतिरिक्त पूंजीगत खंड के अंतर्गत ₹ 605.82 करोड़ का व्यय किया गया था। इस व्यय को राजस्व खंड के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था, क्योंकि यह व्यय सहायता अनुदान से संबंधित था।

भारत सरकार के लेखा मानकों का अनुपालन

भारत सरकार के लेखा मानकों (आई जी ए एस) की आवश्यकताओं के विपरीत, राज्य सरकार ने आंशिक रूप से आई जी ए एस-1: सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां; आई जी ए एस-2: सहायता अनुदान का लेखांकन और वर्गीकरण; और आई जी ए एस-3: सरकार द्वारा दिया गया ऋण और अग्रिम, का आंशिक रूप से अनुपालन किया गया।

एकल नोडल एजेंसी को धनराशि

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 1 (13) पी एफ एम एस/एफ सी डी/2020 दिनांक 23 मार्च 2021 के माध्यम से केंद्रीय पुरोनिर्धारित योजना (सी एस एस) के

अंतर्गत धनराशि जारी करने और एस एन ए के माध्यम से जारी धनराशि के उपयोग की निगरानी के लिए प्रक्रिया अधिसूचित की गई थी। प्रत्येक सी एस एस के लिए, एस एन ए राज्य सरकार द्वारा सरकारी लेन-देन करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में अपने बैंक खाते के साथ स्थापित किया जाता है। प्रक्रिया के अनुसार, राज्य सरकार अपने लेखों में प्राप्त केंद्रीय अंश को, संगत राज्यांश के साथ संबंधित एस एन ए के खाते में स्थानांतरित करती है।

पी एफ एम एस पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार को वर्ष के दौरान केंद्रीय अंश के रूप में ₹ 4,509.85 करोड़ अपने राजकोष खाते में प्राप्त हुए, जिसके सापेक्ष राज्य सरकार ने केंद्रांश के रूप में ₹ 4,907.20 करोड़, राज्यांश के रूप में ₹ 1,400.43 करोड़ और अवर्गीकृत राशि एवं टॉप-अप के रूप में ₹ 258.57 करोड़ एस एन ए को हस्तांतरित किया। ₹ 6,566.20 करोड़ का कुल हस्तांतरण पूर्ण रूप से प्रमाणित किए गए आकस्मिक बिलों के माध्यम से किया गया था। महालेखाकार कार्यालय को एस एन ए से वास्तविक व्यय के विस्तृत वाउचर और सहायक दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए थे। पी एफ एम एस पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2024 तक एस एन ए के बैंक खातों में ₹ 2,773.16 करोड़ बिना खर्च किए पड़े हैं।

सशर्त अनुदानों के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र

एक निर्धारित समय अवधि के भीतर सशर्त अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू सी) जमा करने की आवश्यकता के बावजूद, 31 मार्च 2024 तक ₹ 1,395.68 करोड़ के 210 बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे।

उपयोगिता प्रमाणपत्र न होने की स्थिति में, यह पता नहीं लगाया जा सका कि क्या प्राप्तकर्ताओं ने अनुदान का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया था जिसके लिए ये स्वीकृत किए गए थे। उपयोगिता प्रमाणपत्र का लंबित होना, निधियों के दुर्विनियोजन के जोखिम की संभावना से युक्त था।

सार आकस्मिक (ए सी) बिलों के सापेक्ष विस्तृत आकस्मिक (डी सी) बिल

इसी प्रकार, सार आकस्मिक (ए सी) बिलों के माध्यम से आहरित अग्रिम धन के सापेक्ष विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डी सी सी) बिल जमा करने की आवश्यकता के बावजूद, 31 मार्च 2024 तक ₹ 17.92 करोड़ के 164 ए सी बिल के सापेक्ष डी सी सी

बिल जमा कराये जाने हेतु लंबित थे, जिनमें से ₹ 7.05 करोड़ की राशि के 27 ए सी बिल वर्ष 2021-22 और 2022-23 की अवधि से संबंधित हैं।

आहरित किये गये अग्रिम जो लेखाबद्ध नहीं किए गए हों अपव्यय/दुर्विनियोजन/दुष्कृत्य की संभावना को बढ़ाते हैं इसलिए, डी सी सी बिल जमा हों यह ही सुनिश्चित करने के लिए कड़े अनुवीक्षण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, डी सी सी बिलों की प्राप्त न होने की सीमा तक, वित्त लेखों में दिखाए गए व्यय को सही या अंतिम रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

विदध्यमान नियमों और संहितात्मक प्रावधानों का अनुपालन का उद्येश्य लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग में नियंत्रण और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। गैर-अनुपालन और विचलन, लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। सशर्त अनुदान के सापेक्ष यू सी को समय पर जमा न करने; ए सी बिलों के सापेक्ष डी सी सी बिल जमा न करने; आई जी ए एस-1, 2 और 3 का पालन न करने; और एस एन ए से व्यय के विवरण की आपूर्ति न करने से लेखों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

***

अध्याय-1

विहंगावलोकन

अध्याय-1

विहंगावलोकन

1.1 राज्य की रूपरेखा

उत्तराखण्ड 53,483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें से 46,035 वर्ग किलोमीटर पर्वतीय तथा 7,448 वर्ग किलोमीटर मैदानी क्षेत्र है। राज्य में 38,117 वर्ग किलोमीटर (71 *प्रतिशत)* वन क्षेत्र है। राज्य को 13 जिलों में संगठित किया गया है, जिसे 95 ब्लॉक, 110 उप-मंडलों और 15,745 बसे हुए गांवों में विभाजित किया गया है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तराखण्ड की जनसंख्या 1.01 करोड़ है, जिससे यह भारत का 20वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बन गया है। राज्य का जनसंख्या घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. है, जो कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी के राष्ट्रीय औसत से कम था।

सामाजिक संकेतक जैसे साक्षरता दर और जन्म के समय नवजात शिशु मृत्यु दर दर्शाते हैं कि राज्य में वर्ष 2023-24 में साक्षरता दर (78.80 *प्रतिशत*) तथा नवजात शिशु मृत्युदर (24 प्रति 1,000 जीवित जन्म) अखिल भारतीय औसत (73.00 *प्रतिशत* एवं 28 प्रति 1,000 जीवित जन्म) से बेहतर थी। राज्य में गरीबी रेखा (बी पी एल) से नीचे जनसंख्या 11.26 *प्रतिशत* थी, यह भी अखिल भारतीय औसत (21.92 *प्रतिशत*) से काफी कम थी ***(परिशिष्ट-1.1)***।

1.1.1 उत्तराखण्ड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) एक निर्धारित समयावधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। स रा घ उ में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि यह एक समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है। अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए स रा घ उ में क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तनभी महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधियों को सामान्यतः प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों से संबद्ध होते हैं।

राज्य में पिछले दशक में उल्लेखनीय आर्थिक विकास हुआ है और वर्ष 2014-15 से वर्ष 2023-24 की अवधि के लिए वर्तमान मूल्यों पर इसके स रा घ उ और प्रति व्यक्ति स रा घ उ की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सी ए जी आर) क्रमशः 8.85 *प्रतिशत* और

7.61 *प्रतिशत* रही। तथापि, यह अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (10.06 *प्रतिशत*) और अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (8.89 *प्रतिशत*) के सी ए जी आर से नीचे थी ***(परिशिष्ट-1.1)***।

देश के स घ उ के सापेक्ष उत्तराखण्ड राज्य के स रा घ उ की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियों को **तालिका-1.1** में दर्शाया गया है।

तालिका-1.1: प्रचलित दरों पर स घ उ तथा स रा घ उ में वृद्धि की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
भारत					
स घ उ (2011-12 श्रृंखला)	2,01,03,593	1,98,54,096	2,35,97,399	2,69,49,646$	2,95,35,667#
सकल मूल्य वर्धन (स म व)	1,83,81,117	1,82,10,997	2,16,35,584	2,46,59,041	2,67,62,147
वर्तमान मूल्यों पर पिछले वर्ष की तुलना में स घ उ की वृद्धि दर*(प्रतिशत)*	6.37	-1.24	18.85	14.21	9.60
वर्तमान मूल्यों पर पिछले वर्ष की तुलना में स म व की वृद्धि दर*(प्रतिशत)*	7.02	-0.93	18.81	13.97	8.53
प्रति व्यक्ति स घ उ (₹ में)	1,49,915	1,46,480	1,72,422	1,94,879	2,11,725
उत्तराखण्ड					
स रा घ उ (2011-12 श्रृंखला)	2,39,263	2,25,617	2,67,143♥	3,03,781♠	3,46,206♣
स रा म व	2,23,452	2,12,183	2,51,960	2,86,799	3,27,114
वर्तमान मूल्यों पर पिछले वर्ष की तुलना में स रा घ उ की वृद्धि दर *(प्रतिशत)*	3.88	-5.70	18.41	13.71	13.97
वर्तमान मूल्यों पर पिछले वर्ष की तुलना में स रा म व की वृद्धि दर *(प्रतिशत)*	4.73	-5.04	18.75	13.83	14.06
प्रति व्यक्ति स रा घ उ (₹ में)	2,13,304	1,98,851	2,32,947	2,62,174	2,95,751

स्रोतः सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों से युक्त एस एफ ए आर संकलन।

$ पहला संशोधित अनुमान, # अनंतिम अनुमान ♥ अनंतिम अनुमान, ♠ त्वरित अनुमान ♣ अग्रिम अनुमान

वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान, वर्तमान मूल्यों पर स रा घ उ में 44.70 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान वर्तमान मूल्यों पर राष्ट्रीय

स घ उ में 46.92 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, वर्तमान मूल्यों पर स रा घ उ 13.97 *प्रतिशत* की वृद्धि दर से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 3,03,781 करोड़ से वर्ष 2023-24 में ₹ 3,46,206 करोड़ हो गया था जबकि वर्तमान मूल्यों पर (सकल घरेलू उत्पाद) 9.60 *प्रतिशत* की वृद्धि दर से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 2,69,49,646 करोड़ से वर्ष 2023-24 में ₹ 2,95,35,667 करोड़ हो गया था। वर्ष 2023-24 के लिए राज्य की प्रति व्यक्ति स रा घ उ ₹ 2,95,751 थी जबकि देश की प्रति व्यक्ति स घ उ ₹ 2,11,725 थी। हालाँकि, वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति स रा घ उ में वृद्धि (38.65 *प्रतिशत*), इसी अवधि के दौरान देश की प्रति व्यक्ति स घ उ में वृद्धि (41.23 *प्रतिशत*) से कम थी। वर्ष 2019-20, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान भारत और उत्तराखण्ड दोनों के लिए प्रति व्यक्ति आंकलन (स घ उ और स रा घ उ) लगातार बढ़ रहा है, जो कि औसत आय स्तरों में सुधार का संकेत देते है। हालाँकि, वर्ष 2020-21 के दौरान इसमें गिरावट आई, ऐसा देश में कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण हो सकता है।

सकल मूल्य वर्धन (स म व) का उपयोग भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे आई एम एफ और विश्व बैंक द्वारा आर्थिक विश्लेषण के लिए किया जा रहा है क्योंकि स म व को स घ उ की तुलना में आर्थिक विकास का बेहतर संकेतक माना जाता है, क्योंकि यह करों और सब्सिडी के प्रभाव को अनदेखा करता है। जबकि स घ उ की गणना निजी खपत व्यय, सरकारी खपत व्यय और सकल स्थिर पूंजी निर्माण या निवेश व्यय सहित अर्थव्यवस्था में किए गए विभिन्न व्ययों के कुल योग के रूप में की जा सकती है, और की भी जाती है, जो अर्थव्यवस्था में मांग की स्थिति को अनिवार्य रूप से दर्शाती है। दोनों आंकलनों में शुद्ध करों के उपचार में अंतर है, जिसके परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में करों का समावेश वास्तविक उत्पादन स्थिति से भिन्न हो सकता है। नीति निर्माता के दृष्टिकोण से, बेहतर विश्लेषण और नीतिगत हस्तक्षेप के लिए स म व और सकल राज्य मूल्य वर्धन (स रा म व) आंकड़ो की तुलना करना महत्वपूर्ण है।

भारत का स म व और उत्तराखण्ड का स रा म व दिए गए वर्षों में वृद्धि के उतार-चढ़ाव वाले रुझान को दर्शाता है। वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान भारत की स म व वृद्धि दर (-)0.93 *प्रतिशत* से 18.81 *प्रतिशत* के बीच थी, जबकि उत्तराखण्ड की स रा म व वृद्धि दर (-)5.04 *प्रतिशत* से 18.75 *प्रतिशत* के बीच थी।

दोनों, स म व और स रा म व की वृद्धि दर में भिन्नता है, जिसमें कुछ वर्षों में अन्य वर्षों की तुलना में उच्च वृद्धि का अनुभव किया गया है। वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि में स म व (2021-22: 18.81 *प्रतिशत,* 2022-23: 13.97 *प्रतिशत* और 2023-24: 8.53 *प्रतिशत*) और स रा म व (2021-22: 18.75 *प्रतिशत,* 2022-23: 13.83 *प्रतिशत* और 2023-24: 14.06 *प्रतिशत*) दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो संभवतः इन वर्षों के दौरान आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि का संकेत देते हैं। वर्ष 2020-21 में स म व और स रा म व दोनों में नकारात्मक वृद्धि दर थी, जिसके लिए कोविड-19 महामारी या अन्य स्थानीय कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 की अवधि के लिए स रा घ उ और स रा म व के प्रवृति नीचे **चार्ट-1.1** में दर्शाई गई है:

चार्ट-1.1: स रा घ उ और स रा म व की वृद्धि दर (2019-20 से 2023-24)

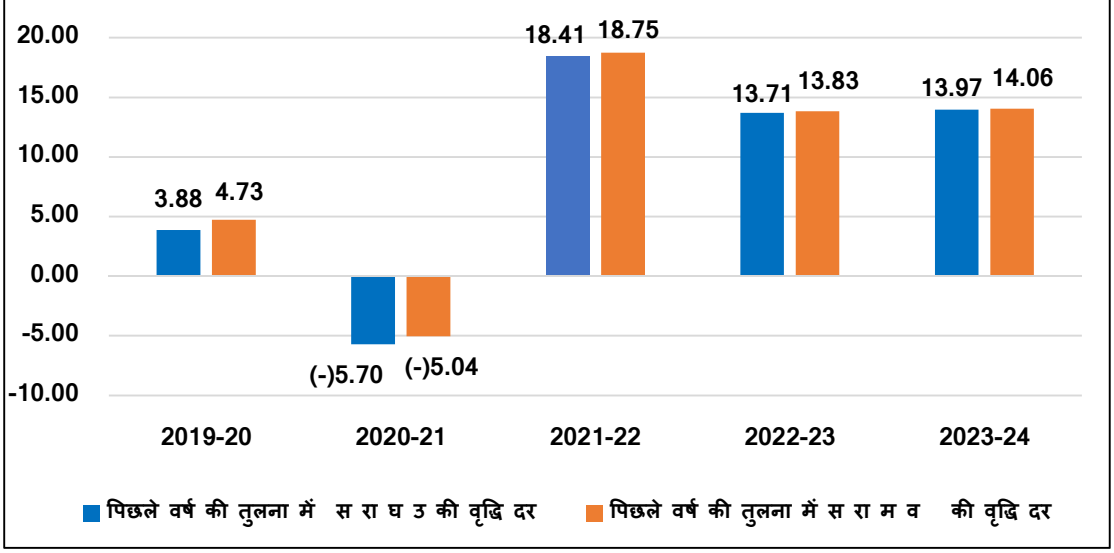

स्रोतः सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों से युक्त एस एफ ए आर संकलन।

1.1.2 सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्रीय योगदान

चार्ट-1.2 दर्शाता है कि वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक पाँच साल की अवधि के दौरान, स रा म व में उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के संबंधित अंश में वृद्धि तथा कृषि क्षेत्र में कमी हुई है। कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 2019-20 में 10.47 *प्रतिशत* से घटकर वर्ष 2023-24 में 8.96 *प्रतिशत* हो गई। उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2019-20 में 47.32 *प्रतिशत* से 2023-24 में 47.86 *प्रतिशत* की मामूली वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी भी वर्ष 2019-20 में 42.22 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 43.17 *प्रतिशत* हो गई।

चार्ट-1.2: सकल राज्य मूल्य वर्धन (2019-20 से 2023-24) में क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन

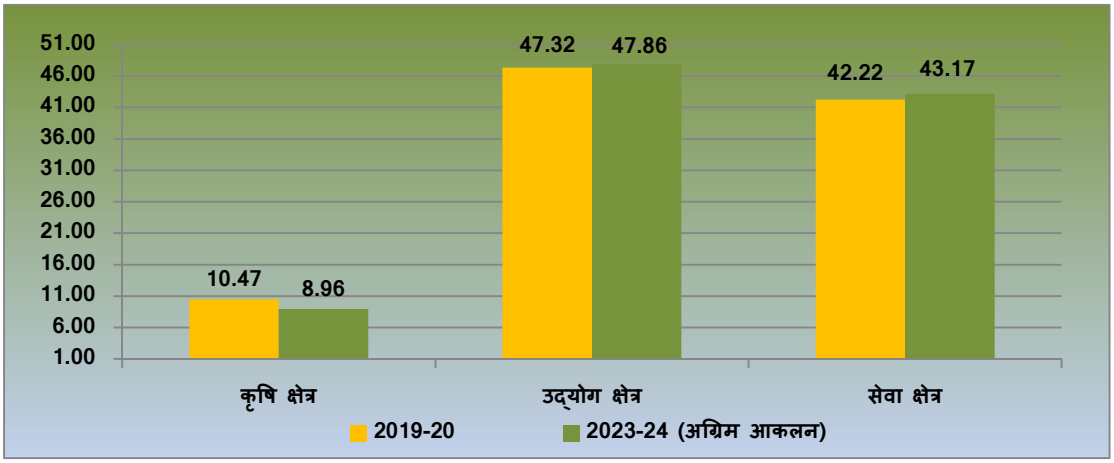

स्रोतः सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों से युक्त एस एफ ए आर संकलन।

चार्ट-1.3 दर्शाता है कि वर्ष 2023-24 के दौरान, सेवा क्षेत्रों की विकास दर में कमी देखी गई, जबकि कृषि और उद्योग क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में विकास दर में वृद्धि देखी गई। कृषि क्षेत्र ने फसल उपक्षेत्र में बढ़ती वृद्धि दर दिखाई जबकि इसने अन्य उपक्षेत्रों अर्थात वानिकी और लॉगिंग तथा मत्स्यिकी और जलीय कृषि में कमी देखी गयी और पशुधन उप-क्षेत्र में मामूली गिरावट देखी गयी। उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण, निर्माण तथा बिजली, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपक्षेत्रों में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि देखी गई। सेवा क्षेत्र में, चार उप-क्षेत्रों अर्थात् (i) परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं, (ii) व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्तरां (iii) लोक प्रशासन और (iv) अचल संपत्ति तथा वित्तीय सेवाओं में विगत वर्ष की तुलना में तीव्र गिरावट देखी गई। यद्यपि, सेवा-क्षेत्र के अंतर्गत उप-क्षेत्र अन्य सेवाओं में विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रवृति देखी गई।

चार्ट-1.3: सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्रीय वृद्धि

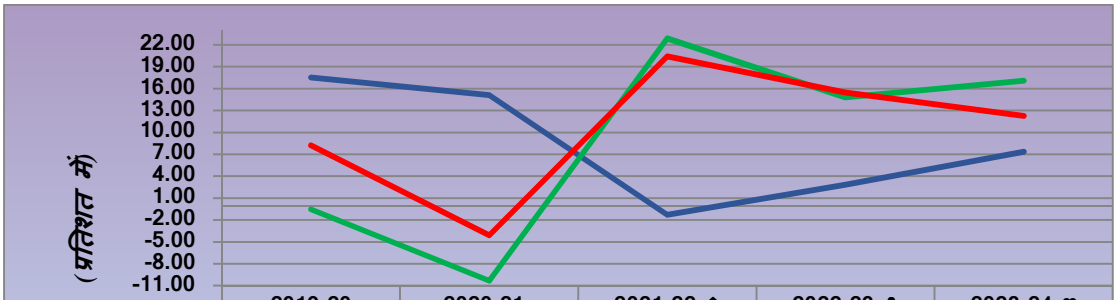

	2019-20	2020-21	2021-22 ♠	2022-23 ♣	2023-24 ♥
कृषि	17.54	15.09	-1.31	2.81	7.35
उद्योग	-0.53	-10.34	22.86	14.80	17.10
सेवा	8.22	-4.10	20.40	15.48	12.28

आँकड़ों के स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, उत्तराखण्ड।

♠-अनंतिम अनुमान, ♣-त्वरित अनुमान, ♥-अग्रिम अनुमान

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के प्रावधानों के अनुसार, राज्य के लेखों से संबंधित, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि म ले प) के प्रतिवेदनों को राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसे उनके द्वारा राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाया जाता है। 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उत्तराखण्ड के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अंतर्गत उत्तराखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य करने वाले ~~ऐसे~~ लेखों को रखने के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रदान किए गए वाउचर, चालान और प्रारंभिक एवं सहायक लेखों और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से प्रति वर्ष राज्य के वित्त लेखों और विनियोग लेखों को तैयार करता है। इन लेखों की लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाती है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के वित्त लेखे और विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन के लिए मुख्य आँकड़े निर्मित करते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट, आँकड़ों के एक महत्वपूर्ण स्रोत है-राजकोषीय मापदंडों और अनुमानों की तुलना में आवंटित प्राथमिकताओं का आकलन करने के साथ-साथ इसके कार्यान्वयन की प्रभावकारिता और संबंधित नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन का मूल्याँकन करने के लिए;
- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड के कार्यालय द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय अधिकारियों और कोषागारों (लेखांकन के साथ-साथ प्रबंधन सूचना प्रणाली) के साथ अन्य आँकड़े;
- स रा घ उ के आँकड़े और अन्य राज्य से संबंधित सांख्यिकी; और
- वर्ष 2019-24 के दौरान भारत के नि म ले प के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का यथोचित उपयोग भी इस विश्लेषण/टिप्पणी को तैयार करने के लिए किया गया है।
- यथा आवश्यक, राज्य सरकार से भी सूचना प्राप्त की गई।

यह विश्लेषण, पंद्रहवें वित्त आयोग (एफ एफ सी) की सिफारिशों, उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (यू एफ आर बी एम) अधिनियम 2023, भारत सरकार की सर्वोत्तम प्रथाओं और दिशा-निर्देशों के संदर्भ में किया गया है। सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन के साथ सितम्बर 2024 में एक प्रवेश गोष्ठी का

आयोजन किया गया था, जिस में लेखापरीक्षा दृष्टिकोण को समझाया गया। प्रारूप प्रतिवेदन जनवरी 2025 में टिप्पणियों के लिए राज्य सरकार को प्रेषित किया गया और फरवरी 2025 में बहिर्गमन गोष्ठी की गयी जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। सरकार के उत्तर इस प्रतिवेदन में उचित स्थानों पर शामिल किए गए हैं।

1.3 सरकारी लेखों की संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन के **अध्याय-2** में दिए गए राज्य सरकार के वित्त के विश्लेषण का अध्ययन करने के लिए सरकारी लेखों की संरचना को समझना आवश्यक है। राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा जाता है:

1. राज्य की समेकित निधि {भारत के संविधान का अनुच्छेद 266 (1)}

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा जुटाए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बॉण्ड, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम और राज्य सरकार द्वारा दिये गए ऋणों के पुनर्भुगतान से प्राप्त सभी धनराशि शामिल हैं। इस निधि से विधि के अनुसार तथा उद्देश्यों के लिए और भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त रीति के अतिरिक्त कोई भी धनराशि विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियाँ (उदाहरण के लिए, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण का पुनर्भुगतान आदि), राज्य की समेकित निधि (भारित व्यय) पर भारित होती हैं और विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। अन्य सभी व्यय पर (दत्तमत व्यय) विधायिका द्वारा मतदान किया जाता है।

2. राज्य की आकस्मिकता निधि {भारत के संविधान का अनुच्छेद 267 (2)}

यह निधि एक अग्रदाय प्रकृति की होती है जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा कानून के अंतर्गत स्थापित किया गया है तथा इसे ऐसे अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने हेतु अग्रिम प्रदान करने के लिए राज्यपाल के अधीन रखा जाता है, जिस पर राज्य विधानमंडल की स्वीकृति लंबित हो। इस निधि की प्रतिपूर्ति राज्य की समेकित निधि से संबंधित क्रियाशील मुख्य शीर्ष से व्यय को नामें करते हुए की जाती है।

3. राज्य के लोक लेखा { भारत के संविधान का अनुच्छेद 266 (2)}

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार द्वारा या सरकार की ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन, जहाँ सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, को लोक लेखे में जमा किया जाता है। लोक लेखे के अंतर्गत देनदारियाँ जैसे लघु बचत और भविष्य निधि, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधियाँ (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), प्रेषण और उचंतशीर्ष (दोनों ही अंतिम लेखांकन होने तक अस्थायी शीर्ष हैं) शामिल हैं। सरकार के पास उपलब्ध निवल नकद शेष राशि भी लोक लेखा के अंतर्गत शामिल की गयी है। लोक लेखा विधानमंडल के मत के अधीन नहीं है।

बजट दस्तावेज़

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है (अनुच्छेद 202)। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' मुख्य बजट दस्तावेज का गठन करता है। इसके अतिरिक्त, बजट में राजस्व लेखों के व्यय को अन्य व्यय से अलग करना आवश्यक होता है।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व (स्वयं का कर राजस्व और केंद्रीय करों/शुल्कों का हिस्सा), गैर-कर राजस्व और भारत सरकार से अनुदान शामिल हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन नहीं होता है। यह सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज और विभिन्न सेवाओं के लिए किए गए व्ययों, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदानों से संबंधित है (यद्यपि कुछ अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए हो सकते हैं)।

पूँजीगत प्राप्तियों में सम्मिलित हैं:

- **लोक ऋण प्राप्तियाँ:** बाजार ऋण, बॉण्ड, वित्तीय संस्थानों से ऋण, अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत शुद्ध लेन-देन, केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम आदि;
- **गैर-ऋण प्राप्तियाँ:** विनिवेश से आय, ऋण और अग्रिमों की वसूली;

पूँजीगत व्यय में भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण, शेयरों में निवेश तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सा क्षे उ) और अन्य पक्षों को सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम पर होने वाला व्यय शामिल है।

वर्तमान में, हमारे पास सरकार में एक लेखांकन वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यात्मक और आर्थिक दोनों है।

	लेन-देन की विशेषता	वर्गीकरण
महालेखानियंत्रक की मुख्य और लघु शीर्ष की सूची में मानकीकृत	कार्य-शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि/विभाग	अनुदान के अंतर्गत मुख्य शीर्ष (4 अंक)
	उप-कार्य	उप मुख्य शीर्ष (2 अंक)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3-अंक)
राज्यों के लिए छूट	योजना	उपशीर्ष (2-अंक)
	उप योजना	विस्तृत शीर्ष (2 अंक)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	वस्तु शीर्ष-वेतन, लघु कार्य आदि (2-अंक)

कार्यात्मक वर्गीकरण हमें विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम और व्यय के उद्देश्य की जानकारी देता है। आर्थिक वर्गीकरण इन भुगतानों को राजस्व, पूँजी, ऋण, आदि के रूप में व्यवस्थित करने में मदद करता है। आर्थिक वर्गीकरण 4-अंकीय मुख्य शीर्षों के

पहले अंक में सन्निहित संख्या से तर्क द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, 0 और 1 राजस्व प्राप्तियों के लिए, 2 और 3 राजस्व व्यय, आदि के लिए है। आर्थिक वर्गीकरण एक अंतर्निहित परिभाषा और कुछ वस्तु शीर्षों के वितरण के द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, सामान्यतः "वेतन" वस्तु शीर्ष राजस्व व्यय है, "निर्माण" वस्तु शीर्ष पूँजीगत व्यय है। वस्तु शीर्ष बजट दस्तावेजों में विनियोग की प्राथमिक इकाई है।

सरकारी लेखों की संरचना

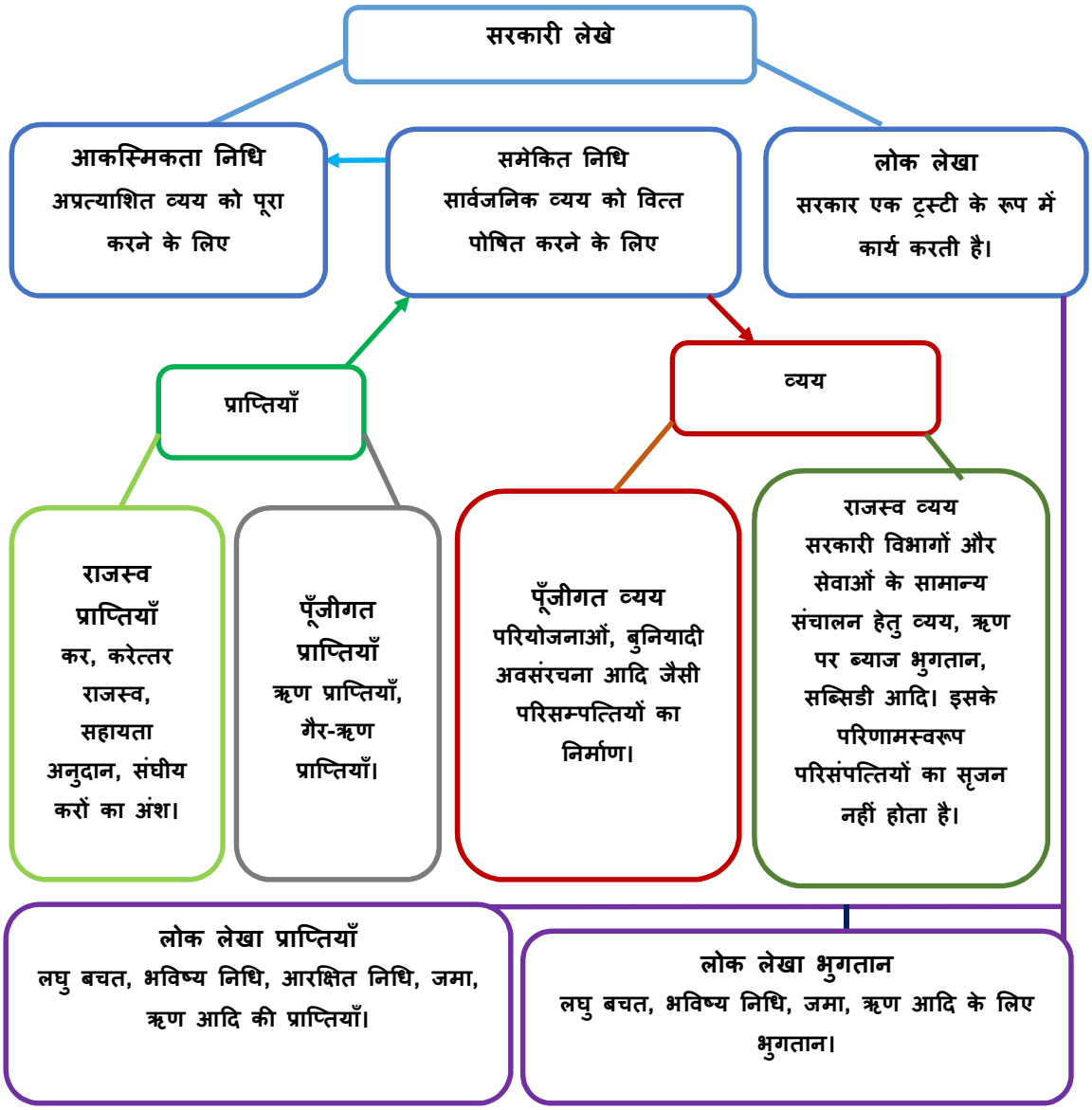

सार्वजनिक ऋण और सार्वजनिक देयता

इस प्रतिवेदन में सार्वजनिक ऋण में बाजार उधार, संस्थागत ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एन एस एस एफ) को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए

ऋण आदि को शामिल किया गया हैं। इस प्रयोजन हेतु मुख्य शीर्ष-6003 और 6004 सार्वजनिक ऋण को लिया गया है।

इसके अतिरिक्त, लोक लेखे के अंतर्गत 'लघु बचत, भविष्य निधि, आदि', 'आरक्षित निधियां' और 'जमा और अग्रिम' से संबंधित ऐसे लेन-देन ऐसे होते हैं जिसमें सरकार पर प्राप्त धनराशि को चुकाने का दायित्व होता है अथवा भुगतान की गई राशियों की वसूली का दावा किया जाता है। लोक लेखा के अंतर्गत 'प्रेषण' और 'उचंत' से संबन्धित लेन-देन में केवल समायोजन शीर्ष शामिल होते हैं, जैसे की कोषागारों और मुद्रा तिजोरियों के बीच नकदी का प्रेषण और विभिन्न लेखा मंडलों के बीच अंतरण जैसे लेन-देन।

इस प्रतिवेदन में सार्वजनिक देयता के अंतर्गत 'लघु बचत, भविष्य निधि,आदि.', 'आरक्षित निधि' और 'जमा एवं अग्रिम' से संबंधित प्रमुख शीर्षों 8001 से 8554 के अंतर्गत लेन-देनों के साथ-साथ प्रमुख शीर्षों 6003 और 6004 के अंतर्गत लेन-देनों को शामिल किया गया है।

बजटीय प्रक्रियाएँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अंतर्गत राज्य का राज्यपाल, वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 203 के अंतर्गत, यह विवरण अनुदान/विनियोगों की मांग के रूप में राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किया जाता है और इनके अनुमोदन के बाद संचित निधि में से अपेक्षित धन का विनियोग उपलब्ध कराने के लिए विधानमण्डल द्वारा अनुच्छेद 204 के अंतर्गत विनियोग विधेयक पारित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राज्य बजट नियमावली में बजट निर्माण प्रक्रिया का ब्यौरा और राज्य सरकार को अपने बजटीय अनुमान तैयार करने और उसकी व्यय गतिविधियों का अनुवीक्षण करने के दिशानिर्देश दिये गये हैं। बजट की लेखापरीक्षा जाँच और राज्य सरकार के अन्य बजटीय पहलुओं के कार्यान्वयन के परिणाम इस प्रतिवेदन के **अध्याय-3** में वर्णित हैं।

1.3.1 वित्त का सार

तालिका-1.2 वर्ष 2022-23 के वास्तविक आंकड़ों तथा वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक आंकड़ों की तुलना के वित्तीय परिणामों का विवरण प्रदान करती है।

तालिका-1.2: बजट के सापेक्ष वास्तविक आंकड़ों की तुलना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	2022-23 (वास्तविक आंकड़े)	2023-24 (बजट अनुमान)	2023-24 (वास्तविक आंकड़े)	ब अ से वास्तविक आंकड़ों की *प्रतिशतता*	स रा घ उ से वास्तविक आंकड़ों की *प्रतिशतता*
1.	कर राजस्व	27,719	31,403	31,873	*101.50*	*9.21*
(i)	करेत्तर राजस्व	17,102	19,983	19,245	*96.31*	*5.56*
(ii)	केंद्रीय करों/ शुल्क का अंश	10,617	11,420	12,628	*110.58*	*3.65*
2.	करेत्तर राजस्व	4,367	4,762	4,418	*92.78*	*1.28*
3.	सहायता अनुदान और योगदान	16,997	20,893	14,324	*68.56*	*4.14*
4.	**राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)**	**49,083**	**57,058**	**50,615**	***88.71***	***14.62***
5.	ऋण और अग्रिमों की वसूली	17	75	16	*21.33*	*0.00*
6.	अन्य प्राप्तियाँ	12	0	0	*0.00*	*0.00*
7.	उधार और अन्य देनदारियाँ(क)	2,949	9,047	7749	*85.65*	*2.24*
8.	**पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)**	**2,978**	**9,122**	**7,765**	***85.12***	***2.24***
9.	**कुल प्राप्तियाँ (4+8)**	**52,061**	**66,180**	**58,380**	***88.21***	***16.86***
10.	**राजस्व व्यय**	**43,773**	**52,748**	**47,274**	***89.62***	***13.65***
11.	ब्याज भुगतान	5,104	6,161	5,192	*84.27*	*1.50*
12.	**पूँजीगत व्यय**	**8,288**	**13,432**	**11,106**	***82.68***	***3.21***
13.	पूँजीगत परिव्यय	8,194	13,134	10,982	*83.62*	*3.17*
14.	ऋण और अग्रिम	94	298	124	*41.61*	*0.04*
15.	**कुल व्यय (10+12)**	**52,061**	**66,180**	**58,380**	***88.21***	***16.86***
16.	**राजस्व घाटा / आधिक्य (-/+) (4-10)**	**5,310**	**4,310**	**3,341**	***77.52***	***0.97***
17.	**राजकोषीय घाटा {15-(4+5+6)}**	**2,949**	**9,047**	**7,749**	***85.65***	***2.24***
18.	**प्राथमिक घाटा/आधिक्य (-/+)(17-11)**	**2,155**	**2,886**	**(-) 2,557**	***88.60***	***(-) 0.74***

स्रोत: वित्त लेखे।

(क) उधार और अन्य देनदारियाँ: निवल लोक ऋण (प्राप्तियाँ-वितरण) + आकस्मिकता निधि का निवल + लोक लेखा का निवल (प्राप्तियाँ-वितरण) + आरंभिक रोकड़ शेष तथा निवल रोकड़ शेष।

वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य की राजस्व प्राप्तियां, हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में तीन *प्रतिशत* बढ़ीं परंतु बजट अनुमानों से 11 *प्रतिशत* कम रहीं। चालू वर्ष के दौरान राजस्व व्यय (₹ 47,274 करोड़), की तुलना में राजस्व प्राप्तियां (₹ 50,615 करोड़) अधिक थीं, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3,341 करोड़ का राजस्व अधिशेष हुआ।

1.3.2 सरकार की परिसंपत्तियों और देयताओं का सार

सरकारी लेखे सरकार के वित्तीय दायित्वों और किए गए व्यय से सृजित परिसंपत्तियों को परिलक्षित करते हैं। ***परिशिष्ट-1.2*** में 31 मार्च 2024 तक ऐसी देनदारियों और परिसंपत्तियों का सार दिया गया है, जो पिछले वर्ष की इसी स्थिति की तुलना में है। दायित्वों में मुख्य रूप से आंतरिक उधार, भारत सरकार से ऋण और अग्रिम, लोक लेखों और आरक्षित निधियों से प्राप्तियाँ शामिल हैं, और परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम और नकद शेष

शामिल हैं। राज्य की परिसंपत्तियों और दायित्वों की सारांशित स्थिति **तालिका-1.3** में दी गई है:

तालिका-1.3: परिसंपत्तियों और दायित्वों की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

दायित्वों					परिसंपत्तियाँ				
		2022-23	2023-24	*प्रतिशत में बदलाव*			2022-23	2023-24	*प्रतिशत में बदलाव*
समेकित निधि									
अ	आंतरिक ऋण	53,558.43	57,378.79	*7.13*	**अ**	सकल पूँजी परिव्यय	80,053.48	91,035.28	*13.72*
ब	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम*	8,600.36	10,581.95	*23.04*	**ब**	ऋण एवं अग्रिम	2,454.61	2,562.89	*4.41*
आकस्मिकता निधि		321.50	191.19	*-40.53*					
लोक लेखा									
अ	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	9,453.58	9,671.23	*2.30*	अग्रिम		0.42	0.42	*0.00*
ब	जमा	3,880.65	4,463.33	*15.02*	नकद शेष (चिन्हित निधि में निवेश सहित)		2,318.65	1,804.76	-22.16
स	आरक्षित निधि	4,824.64	5,738.12	*18.93*					
द	उचंत और विविध	208.80	60.95	*-70.81*	***योग***		***84,827.16***	***95,403.35***	***12.47***
य	प्रेषण	88.23	85.74	*-2.82*	व्यय पर प्राप्ति की संचयी अधिकता		-3,890.97	-7,232.05	*-85.87*
योग		***80,936.19***	***88,171.30***	***8.94***	***योग***		***80,936.19***	***88,171.30***	***8.94***

स्रोत: वित्त लेखे।

इसमें, वित्त वर्ष 2021-22 तक भारत सरकार से प्राप्त जी एस टी मुआवजे की कमी के बदले में ₹ 5649 करोड़ का बैक-टू-बैक ऋण शामिल हैं।

1.4 राजकोषीय शेष: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि

जब सरकार राजस्व संग्रह से अधिक खर्च करती है, तो उसे घाटा होता है। सरकारी घाटे को मापने हेतु विभिन्न मापक हैं।

घाटे का वितपोषण उधार लेकर किया जाता है जो कि सरकारी ऋण को बढ़ाता है। घाटे और ऋण की अवधारणाओं का गहरा संबंध है। घाटे को एक प्रवाह के रूप में माना जा सकता है जो ऋण के भार में वृद्धि करता है। यदि सरकार हर वर्ष कर्ज लेती रहेगी तो इससे कर्ज बढ़ेगा और सरकार को ब्याज के रूप में ज्यादा से ज्यादा भुगतान करना होगा। ये ब्याज भुगतान भी स्वयं ऋण को बढ़ाते हैं।

ऋण लेकर सरकार भावी पीढ़ी पर कम खपत का बोझ स्थानांतरित करती है। इसका कारण यह है कि यह वर्तमान में रह रहे लोगों को बॉण्ड जारी करके उधार लेती है लेकिन करों में वृद्धि या व्यय को कम करके कुछ वर्षों बाद बॉण्ड का भुगतान करने का निर्णय ले सकती है। साथ ही सरकार द्वारा लोगों से उधार लेने से निजी क्षेत्र को उपलब्ध बचत भी कम हो जाती है। इससे पूँजीगत निर्माण और वृद्धि इस हद तक कम हो जाती है कि ऋण भावी पीढ़ी पर 'बोझ' के रूप में कार्य करता है।

हालाँकि, अगर सरकारी घाटा उत्पादन बढ़ाने के अपने लक्ष्य में सफल होता है, तो अधिक आय होगी और इसलिए अधिक बचत होगी। इस मामले में, सरकार और उद्योग दोनों ही ज्यादा ऋण ले सकते हैं। साथ ही, यदि सरकार बुनियादी ढाँचे में निवेश करती है, तो आने वाली पीढ़ियां बेहतर हो सकती हैं, बशर्ते ऐसे निवेशों पर रिटर्न ब्याज दर से अधिक हो। उत्पादन में वृद्धि से वास्तविक ऋण का भुगतान किया जा सकता है। इस स्थिति में ऋण को बोझ नहीं माना जाना चाहिए। ऋण में वृद्धि को समग्र रूप से अर्थव्यवस्था (राज्य के स घ उ) की वृद्धि से आंका जाना चाहिए।

करों में वृद्धि या खर्च में कमी से सरकारी घाटे को कम किया जा सकता है। हालाँकि, अधिक बल सरकारी खर्च में कमी की ओर रहता है। इसे कार्यक्रमों की बेहतर योजना और बेहतर प्रशासन के माध्यम से सरकारी गतिविधियों को और अधिक कुशल बनाकर हासिल किया जा सकता है।

1.4.1 प्रमुख राजकोषीय मापदंडों पर एफ आर बी एम लक्ष्य व उनके सापेक्ष उपलब्धियाँ

राजकोषीय प्रबंधन में विवेकशीलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 (एफ आर बी एम) पारित किया था, जो कि वर्ष 2011, 2016, 2020 एवं 2023 में संशोधित किया गया। इसे राजस्व घाटे को समाप्त करके, राजकोषीय घाटे और समग्र/बकाया ऋण को स्वीकार्य स्तर तक कम करके, बेहतर ऋण प्रबंधन स्थापित करके तथा मध्यावधि ढाँचे की पारदर्शिता में सुधार करके किया जाना था। इस संदर्भ में, एफ आर बी एम अधिनियम में घाटे के उपायों और ऋण स्तर के संबंध में राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले मात्रात्मक लक्ष्यों का प्रावधान है।

भारत सरकार एफ आर बी एम अधिनियम के अनुसार, केंद्र सरकार ने ऋण की अपनी परिभाषा का विस्तार किया। एफ आर बी एम अधिनियम में 2018 में किए गए संशोधन के अनुसार ऋण में अब लोक ऋण (आंतरिक और बाहरी ऋण), लोक लेखे पर कुल बकाया देनदारियां और केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी भी निकाय कॉर्पोरेट या अन्य इकाई की ऐसी वित्तीय देनदारियां शामिल हैं, जिन्हें सरकार को चुकाना है या उस तिथि के अंत में वार्षिक वित्तीय विवरण (वा वि वि) के नकद शेष राशि से कम करके दिखाना है।

उत्तराखण्ड एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 के अनुसार कुल बकाया ऋण/ देनदारियों में केवल राज्य की संचित निधि और राज्य के लोक लेखे की देनदारियां शामिल हैं।

वर्ष 2011 में एफ आर बी एम अधिनियम में संशोधन के अनुसार, राज्य सरकार को वर्ष 2013-14 तक राजकोषीय घाटे को प्राक्कलित स रा घ उ के तीन *प्रतिशत* तक कम करना और उसके बाद इसी स्तर को बनाए रखना था। वर्ष 2016 में संशोधित एफ आर बी एम अधिनियम में राजस्व घाटे हेतु किसी लक्ष्य का उल्लेख नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, अधिनियम में यह भी परिकल्पना की गयी थी कि राज्य सरकार कुल बकाया ऋण को स रा घ उ के 25 *प्रतिशत* तक सीमित करेगी।

जुलाई 2020 में एफ आर बी एम अधिनियम में हुए संशोधन में पंद्रहवें वित्त आयोग (एफ एफ सी) की सिफारिशों, जो वर्ष 2020-21 के लिए राज्य को अनुशंसित राजकोषीय घाटे की सीमा से संबन्धित थी, को समाहित किया गया। अधिनियम के अनुसार, राज्य का राजकोषीय घाटा स रा घ उ के तीन *प्रतिशत* की वार्षिक सीमा की स्थिरता प्रदान करेगा। राज्य को वर्ष 2020-21 के लिए स रा घ उ की 0.50 *प्रतिशत* की अतिरिक्त सीमा मिल सकती है।

एफ एफ सी की सिफारिशों और भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार ने एफ एफ सी द्वारा दिए गए राजकोषीय घाटे के सांकेतिक मार्ग का पालन करने के लिए अप्रैल 2023 में अपने एफ आर बी एम अधिनियम में संशोधन किया। एफ आर बी एम अधिनियम में, एफ एफ सी की अवधि सीमा वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान राज्य के लिए अनुशंसित राजकोषीय घाटे की सीमा से संबंधित सिफारिशें शामिल थीं। एफ आर बी एम अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों के निरंतर अनुपालन के साथ स रा घ उ के *प्रतिशत* के रूप में राज्य का राजकोषीय घाटा कम हो जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए स रा घ उ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) के *प्रतिशत* के रूप में राज्य का राजकोषीय घाटा क्रमशः 4.00, 3.50 और 3.00 *प्रतिशत* से अधिक नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, एफ आर बी एम (संशोधन) अधिनियम, 2023 में प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) के *प्रतिशत* के रूप में कुल देनदारियां क्रमशः 32.60, 33.30 और 33.10 *प्रतिशत* से अधिक नहीं होंगी।

एफ आर बी एम (संशोधन) अधिनियम 2023 में परिकल्पित प्रमुख राजकोषीय मापदंडों से संबंधित लक्ष्य और वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक पाँच वर्ष की अवधि के दौरान उनकी उपलब्धि **तालिका-1.4** में दी गई है।

तालिका-1.4: एफ आर बी एम अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

राजकोषीय मापदंड[1]		उपलब्धि *(₹करोड़ में)*				
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+) *(₹ करोड़ में)*	लक्ष्य	0	0	0	0	0
	उपलब्धि	(-) 2,136	(+) 1,114	(+) 4,128	(+) 5,310	(+) 3,341
		✗	✓	✓	✓	✓
राजकोषीय घाटा(-)/अधिशेष (+) *(स रा घ उ की प्रतिशतता के रूप में)*	लक्ष्य	3.00	*3.50*	*4.00*	*3.50*	*3.00*
	उपलब्धि	(-) 7,657 *(-3.20)*	*(-) 5,439 (-2.41)*	*(-) 3,736 (-1.40)*	*(-) 2,949 (-0.97)*	*(-)7,749 (-2.24)*
		✗	✓	✓	✓	✓
कुल बकाया ऋण का स रा घ उ से अनुपात *(प्रतिशत में)*	लक्ष्य	*25*	*25*	*32.60*	*33.30*	*33.10*
	उपलब्धि	*27.58*	*31.66**	*26.72**	*23.98**	*23.18**
		✗	✗	✓	✓	✓

स्रोत: वित्त लेखे और एफ आर बी एम अधिनियम & पंद्रहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन।

****इसमें भारत सरकार से प्राप्त जी एस टी मुआवजे की कमी के बदले में वर्ष 2021-22 तक प्राप्त ₹ 5,649 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋण को शामिल नहीं किया गया है, जिसे भारत सरकार के स्पष्टीकरण[2] के अनुसार किसी भी मानदंड के लिए राज्य का ऋण नहीं माना जाना था।***

राज्य वर्ष 2019-20 में राजस्व अधिशेष के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया था लेकिन वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान सफल रहा था। इसी प्रकार वर्ष 2019-20 के दौरान राजकोषीय घाटे का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका, परंतु वर्ष 2020-21 से वर्ष 2023-24 में यह लक्ष्य प्राप्त करने में राज्य सफल रहा था।

वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 की अवधि के दौरान राज्य का बकाया ऋण स रा घ उ के 25 *प्रतिशत* के एफ आर बी एम लक्ष्य से ऊपर रहा, यानी यह एफ आर बी एम अधिनियम में निर्धारित मानदंडों से क्रमशः 2.58 *प्रतिशत* और 6.66 *प्रतिशत* अधिक था। हालांकि, वर्ष 2021-22, वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 के दौरान स रा घ उ के *प्रतिशत* के रूप में बकाया ऋण एफ आर बी एम लक्ष्य 32.60 *प्रतिशत* और 33.30 *प्रतिशत* और 33.10 *प्रतिशत* से क्रमशः 5.88 *प्रतिशत* और 9.32 *प्रतिशत* और 9.92 *प्रतिशत* कम था।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान सरकार ने तथ्यों व आंकड़ों को स्वीकार कर लिया।

---

1 प्रतिवेदन का प्रस्तर 1.5, राजस्व और पूंजी के बीच गलत वर्गीकरण, उपकर के गैर-हस्तांतरण और आरक्षित निधि में कम योगदान आदि पर विचार करने के बाद आर डी, एफ डी और बकाया देनदारियों मे लेखापरीक्षा के बाद के कारकों को दर्शाता है।

2 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग का पत्र क्रमांक एफ 40 (1) पी एफ - एस / 2021-22 दिनांक 10 दिसंबर 2021।

1.4.2 मध्यम अवधि की राजकोषीय योजना

एफ आर बी एम अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को वार्षिक बजट के साथ-साथ पंचवर्षीय राजकोषीय योजना राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करनी होती है। मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण (एम टी एफ पी एस) निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के लिए पाँच वर्ष का रोलिंग लक्ष्य निर्धारित करती है।

तालिका-1.5 राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत एम टी एफ पी एस में वर्ष 2023-24 के लिए किए गए अनुमानों तथा वास्तविक आंकड़ों के मध्य अंतर को प्रदर्शित करता है।

तालिका-1.5: वर्ष 2023-24 के लिए एम टी एफ पी में अनुमान की तुलना में वास्तविक आंकड़े

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजकोषीय चर	एम टी एफ पी एस के अनुसार अनुमान	वास्तविक (2023-24)	भिन्नता *(प्रतिशत में)*
1.	स्वयं कर राजस्व	19,620	19,245	*-1.91*
2.	करेत्तर राजस्व	4,175	4,418	*5.82*
3.	केंद्रीय करों का अंश	12,348	12,628	*2.27*
4.	भारत सरकार से अनुदान	18,483	14,324	*-22.50*
5.	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	54,626	50,615	*-7.34*
6.	राजस्व व्यय	51,585	47,274	*-8.36*
7.	राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+) (5-6)	3,041	3,341	*9.87*
8.	राजकोषीय घाटा (-)/अधिशेष (+)	-7,459	-7,749	*-3.89*
9.	स रा घ उ के *प्रतिशत* के रूप में राजकोषीय घाटा	*2.15*	*2.24*	*0.09*
10.	ऋण- स रा घ उ अनुपात *(प्रतिशत)*	*24.91*	*23.18**	*-1.73*
11.	चालू कीमतों पर स रा घ उ की वृद्धि दर(*प्रतिशत*)	*13.97*	*13.97*	*0.00*

स्रोत: वित्त लेखे और उत्तराखण्ड के बजट दस्तावेज 2023-24।

****इसमें जी एस टी मुआवजे की कमी के बदले, वर्ष 2020-21 से 2021-22 के मध्य भारत सरकार से प्राप्त ₹ 5,649 करोड़ के बैक-टू-बैक ऋण को सम्मिलित नहीं किया गया है।***

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, राज्य ने वर्ष 2023-24 के दौरान एम टी एफ पी एस में ₹ 3,041 करोड़ का राजस्व अधिशेष का अनुमान लगाया था, जिसके सापेक्ष राज्य को ₹ 3,341 करोड़ का अधिशेष प्राप्त हुआ, जो कि अनुमान से 9.87 *प्रतिशत* अधिक था। इसी प्रकार, एम टी एफ पी एस में अनुमानित राजकोषीय घाटे का लक्ष्य ₹ 7,459 करोड़ था जिसके सापेक्ष ₹ 7,749 करोड़ का राजकोषीय घाटा हुआ, यह एम टी एफ पी एस में निर्धारित लक्ष्यों से 3.89 *प्रतिशत* अधिक था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023-24 के दौरान स रा घ उ के *प्रतिशत* के रूप में राजकोषीय घाटा

भी एम टी एफ पी एस में निर्धारित लक्ष्यों से 0.09 *प्रतिशत* अधिक था। ऋण-स रा घ उ अनुपात से संबंधित अनुमान भी पूरा कर लिया गया था, क्योंकि वर्ष का अंत, ऋण से स रा घ उ अनुपात में कमी के साथ हुआ था और यह एम टी एफ पी एस में अनुमानित लक्ष्यों से 1.73 *प्रतिशत* कम था।

1.4.3 घाटे/ अधिशेष की प्रवृत्तियाँ

राज्य प्रमुख वित्तीय मापदंडों के संबंध में वर्ष 2023-24 के दौरान एफ एफ सी द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम था। वर्ष 2023-24 के दौरान इसका राजकोषीय घाटा ₹ 7,749 करोड़ था, जो स रा घ उ का 2.24 *प्रतिशत* है। वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 2,155 करोड़ का प्राथमिक अधिशेष[3] चालू वर्ष के दौरान ₹ 2,557 करोड़ के प्राथमिक घाटे में बदल गया, और वर्ष 2022-23 में ₹ 5,310 करोड़ का राजस्व अधिशेष वर्ष 2023-24 के दौरान घटकर ₹ 3,341 करोड़ रह गया। वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक पांच साल की अवधि में इन अधिशेष/घाटे की प्रवृत्ति को **चार्ट-1.4** में दर्शाया गया है और स रा घ उ के सापेक्ष घाटे की प्रवृत्ति **चार्ट-1.5** में दी गई है। राजकोषीय देनदारियों का घटक और प्रवृत्ति तथा स रा घ उ में इसका *प्रतिशत* भी **चार्ट-1.6** में दिया गया है।

चार्ट-1.4: घाटे के मापदंडों की प्रवृत्तियाँ

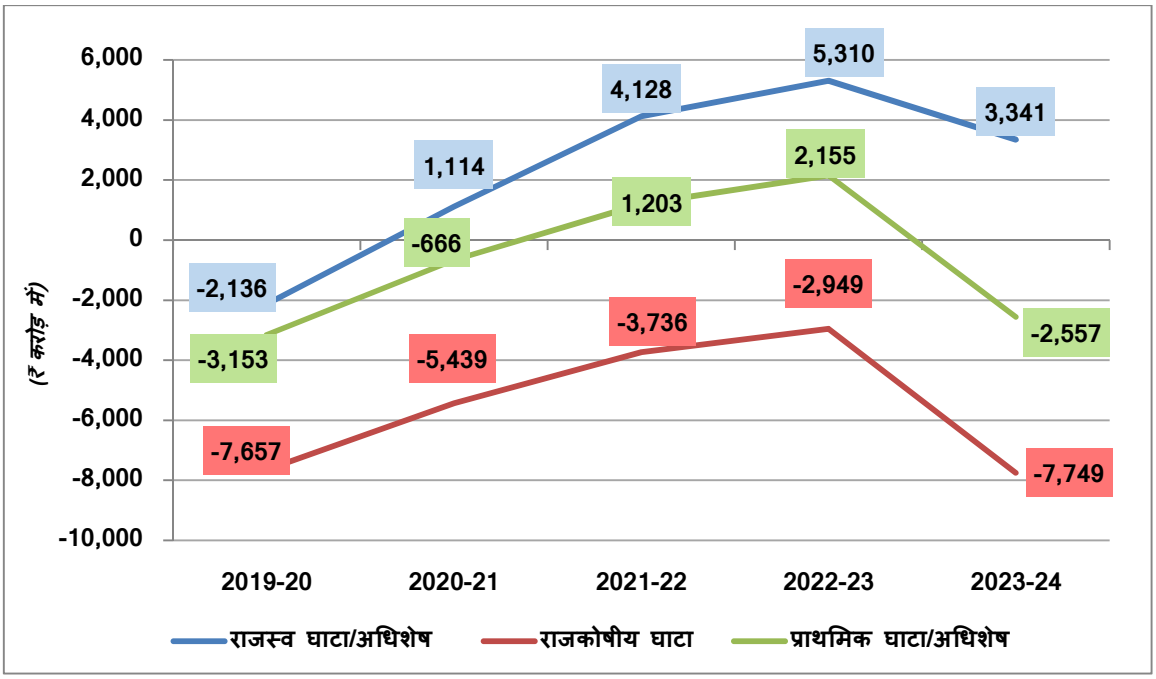

स्रोत: वित्त लेखे।

[3] **प्राथमिक अधिशेष** सरकारी राजस्व और सरकारी व्यय के बीच का अंतर है, जिसमें ऋण पर ब्याज भुगतान शामिल नहीं है।

चार्ट-1.5: स रा घ उ के सापेक्ष घाटे की प्रवृत्तियाँ

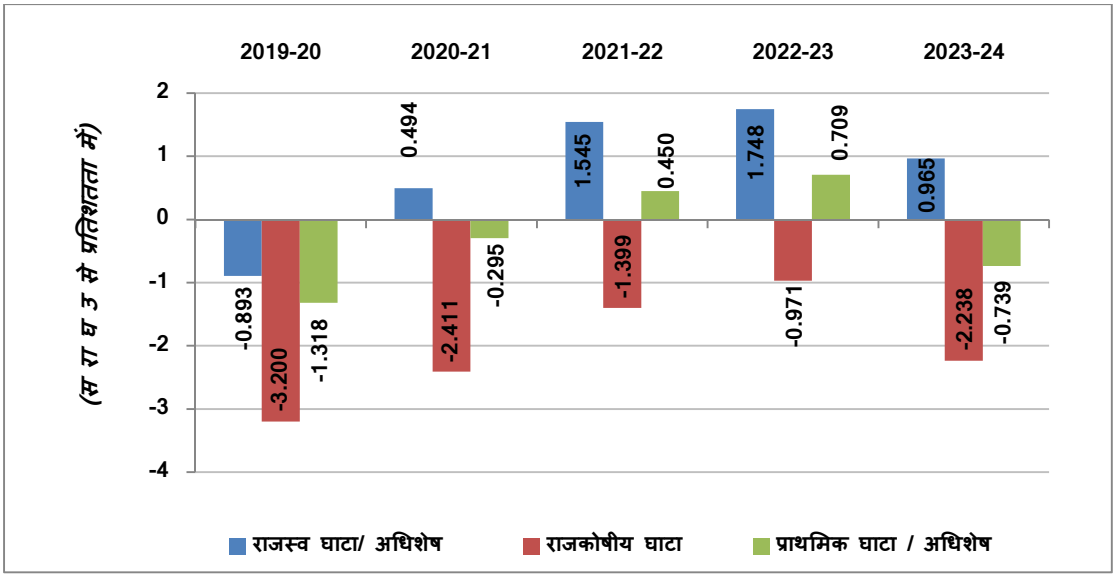

स्रोत: वित्त लेखे।

चार्ट-1.6: राजकोषीय देनदारियों और स रा घ उ की प्रवृत्तियाँ

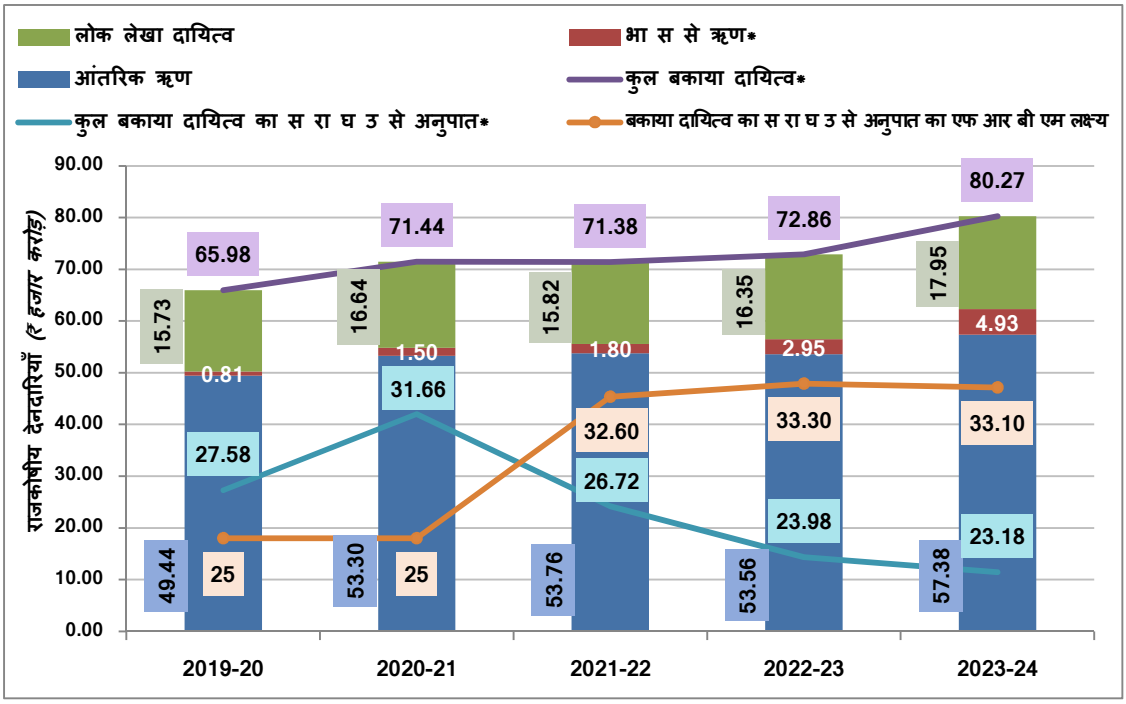

स्रोत: वित्त लेखे।

**इसमें भारत सरकार से प्राप्त जी एस टी मुआवजे की कमी के बदले वर्ष 2021-22 तक ₹ 5,649 करोड़ के बैक-टू-बैक ऋण शामिल नहीं हैं।*

जैसा कि ऊपर दिए गए ग्राफ से देखा जा सकता है, पिछले पांच वर्षों के दौरान कुल बकाया देनदारियां 21.65 *प्रतिशत* (जी एस टी मुआवजे के बदले भारत सरकार से प्राप्त बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर) बढ़ीं और वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 की अवधि के दौरान एफ आर बी एम लक्ष्य से ऊपर थीं। हालाँकि, यह वर्ष 2021-22 से वर्ष

2023-24 के दौरान एफ आर बी एम लक्ष्य 32.60 *प्रतिशत*, 33.30 *प्रतिशत* और 33.10 *प्रतिशत* से नीचे थी।

1.4.4 भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार उधार लेने के संबंध में राज्य सरकार का प्रदर्शन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (3) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि कोई राज्य, भारत सरकार (भा स) की सहमति के बिना कोई ऋण नहीं ले सकता है यदि ऋण का कोई भी हिस्सा, जो भारत सरकार द्वारा राज्य को दिया गया है, अब भी बकाया है।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखण्ड राज्य सरकार की शुद्ध उधार सीमा ₹ 9,871.00 करोड़ निर्धारित की (मार्च 2023) और राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी स्रोतों से उसकी वृद्धिशील उधारी इस सीमा के भीतर बनी रहे।

ऊर्जा क्षेत्र में कुछ निष्पादन मानदंडों के आधार पर राज्य को स रा घ उ के 3.00 *प्रतिशत* की उपर्युक्त सीमा से 0.50 *प्रतिशत*[4] की अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी जानी थी।

उक्त शुद्ध उधार सीमा (एन बी सी) में उधार के सभी स्रोत शामिल हैं , जिसमें खुले बाजार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से निगोसिएशन के जरिए लिए गए ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि ऋण, ई ए पी ऋण सहित केंद्र सरकार के ऋण, लघु बचत के अन्तर्गत लोक लेखे हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाली अन्य देनदारियां, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमा आदि शामिल हैं, जैसा कि राज्य के वित्त लेखों के विवरण 6 में दर्शाया गया है।

वित्त लेखों के विवरण 6 (उधार और अन्य देनदारियों का विवरण) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार की वृद्धिशील उधार और अन्य देनदारियां ₹ 7,406 करोड़ (संशोधित स रा घ उ का 2.14 *प्रतिशत*) थीं जो स रा घ उ के 3.00 *प्रतिशत* (₹ 3,46,206 करोड़) की उधार सीमा के भीतर रही।

---

[4] राज्य सरकार ने जी एस डी पी के 0.50 *प्रतिशत* की इस अतिरिक्त उधार सीमा का लाभ नहीं उठाया, क्योंकि (मई 2023) में भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अन्तर्गत मांगी गई सहमति का घटकवार विवरण भारत सरकार को अग्रेषित करते समय राज्य सरकार ने जी एस डी पी के 0.50 *प्रतिशत* की इस अतिरिक्त उधारी का उल्लेख नहीं किया।

1.5 लेखापरीक्षा परीक्षण के बाद घाटे तथा कुल ऋण

एफ आर बी एम अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को राजकोषीय संकेतकों जैसे घाटा, ऋण तथा गारंटी की सीमा आदि के लिए निर्धारित लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। विभिन्न परिस्थितियों में राज्य के लिए गणना किया गया राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा प्रभावित होता है।

1.5.1 लेखापरीक्षा के उपरांत - घाटा

राज्य के वित्त की बेहतर तस्वीर पेश करने के लिए, राज्य कभी-कभी राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं और बजट से बाहर राजकोषीय संचालन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, स्पष्ट देनदारियों का स्थगन, आकस्मिकता निधि की गैर-प्रतिपूर्ति, उपकर / रॉयल्टी को समेकित निधि में जमा नहीं करना, नई पेंशन योजना में कम योगदान, रिडेम्पशन फंड आदि का भी राजस्व और राजकोषीय घाटे के आंकड़ों पर असर पड़ता है। वास्तविक घाटे के आंकड़ों पर पहुंचने के लिए, राजस्व व्यय/पूंजी परिव्यय के गलत वर्गीकरण और/या ऐसे किसी भी गलत वर्गीकरण के प्रभाव को शामिल करने की आवश्यकता है और ऐसी अनियमितताओं के प्रभाव को उलटने की जरूरत है। लेखापरीक्षा में परीक्षण के बाद घाटे का विश्लेषण **तालिका-1.6** में दिया गया है।

तालिका-1.6: वर्ष 2023-24 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा जांच के बाद राजस्व और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव [न्यूनदर्शित (+)/ अतिदर्शित (-)]	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव [न्यूनदर्शित(+)/ अतिदर्शित (-)]	प्रस्तर संदर्भ
गारंटी कमीशन शुल्क का लोक लेखे में हस्तांतरण न करना	(-) 0.23	(+) 0.23	2.8.2.4
राजस्व व पूंजीगत व्यय के मध्य गलत वर्गिकरण	(-) 543.16	--	2.6.3.2 (iii)
आरक्षित निधि और जमा तथा अग्रिमों के विरूद्ध ब्याज देनदारियों का अतिरिक्त भुगतान करना	(-) 5.43	(+) 5.43	4.1
नई पेंशन योजना में कम योगदान	(-) 25.36	(+) 25.36	2.6.2.4
केन्द्रीय सड़क एवं अवस्थापना निधि का लेखांकन न किया जाना	(-) 109.70	(-) 153.56	4.3.1 (ग)

विवरण	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव [न्यूनदर्शित (+)/ अतिदर्शित (-)]	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव [न्यूनदर्शित(+)/ अतिदर्शित (-)]	प्रस्तर संदर्भ
हरित ऊर्जा उपकर का हरित ऊर्जा निधि में हस्तांतरण न किया जाना	(-) 80.00	(+) 80.00	एन टी एफ ए का प्रस्तर 5(ब)(vii)
2023-24 के दौरान आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति न होना	(-) 228.33	(+) 308.81	एन टी एफ ए का प्रस्तर 4
पूंजीगत व्यय/निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता राशि की अनुचित बुकिंग	(-) 76.25	(-) 76.25	एन टी एफ ए का प्रस्तर 5(ब)(xi)
योग	***(-) 1,068.46***	***(+) 190.02***	

स्रोत: वित्त लेखे और लेखापरीक्षा विश्लेषण।

उपर्युक्त सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, राजस्व अधिशेष ₹ 3,341 करोड़ से घटकर ₹ 2,273 करोड़ रह जाएगा और राजकोषीय घाटा ₹ 7,749 करोड़ (पैरा 1.4.1 देखें) से बढ़कर ₹ 7,939 करोड़ (स रा घ उ का 2.29 *प्रतिशत*) हो जाएगा, जो फिर भी एफ़ आर बी एम अधिनियम 2005 (2023 में संशोधित) में 3.00 *प्रतिशत* के निर्धारित लक्ष्य के अंदर ही रहेगा।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने सहमति व्यक्त की और उचित कार्रवाई करने की बात कही। केंद्रीय सड़क निधि, हरित ऊर्जा उपकर के संबंध में सरकार ने कहा कि भविष्य में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आरक्षित निधियों और जमा एवं अग्रिमों के प्रति ब्याज देनदारियों का भुगतान न करने और नई पेंशन योजना के प्रति कम योगदान के संबंध में, सरकार ने सहमति व्यक्त की तथा आंकड़ों के सत्यापन के बाद अनुपालन के लिए नोट किया।

1.5.2 लेखापरीक्षा के उपरांत - कुल लोक ऋण

व्यापक परिभाषा में सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण में निम्न ऋण सम्मिलित हैं:

- सरकार से ऋण (केंद्रीय, सामाजिक सुरक्षा निधियाँ, और अतिरिक्त बजटीय निधियां सहित);
- वित्तीय सार्वजनिक उद्यम से ऋण (केंद्रीय बैंक सहित) और गैर-वित्तीय सार्वजनिक उद्यमों से ऋण;
- सरकार के दीर्घकालिक दायित्व, जैसे सामाजिक सुरक्षा निधि की अप्रदत्त देनदारियाँ (जब उन्हें स्पष्ट रूप से सामान्य सरकारी ऋण के हिस्से के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है);

- आकस्मिक देनदारियों की ज्ञात और प्रत्याशित मान्यता (जैसे, वित्तीय संस्थानों के चल रहे पुनर्गठन से या सार्वजनिक-निजी भागीदारी से जहाँ माँग या अन्य प्रतिभूतियाँ शुरू हो चुकी हैं या होने वाली हैं।

ऋण स्थिरता का आकलन करने के लिए, आदर्श रूप से, व्यापक लोक ऋण कवरेज महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, सकल ऋण एक उपयुक्त अवधारणा है क्योंकि यह ऋण सेवा दायित्वों के वित्तपोषण के बोझ को मापता है जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है। चल वित्तीय परिसंपत्तियों की उपलब्धता ऋण स्थिरता के जोखिमों को कम करती है, लेकिन समाप्त नहीं कर सकती है (जैसे कि मुद्रा या परिपक्वता में भिन्नता और सामान्य सरकारी संचालन के लिए परिसंपत्तियों के कुछ न्यूनतम स्तर की आवश्यकता होती है)।

जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, राज्य सरकार की ओर से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विशेष प्रयोजन वाहन (वि प्र वा) आदि द्वारा उधार लेने जैसे ऑफ-बजट राजकोषीय प्रचालन का कोई मामला नहीं था, जहां मूलधन और/या ब्याज का भुगतान राज्य के बजट से किया जाना है।

उत्तराखण्ड एफ आर बी एम अधिनियम के अनुसार, कुल बकाया ऋण/देनदारियों का तात्पर्य केवल राज्य की समेकित निधि और लोक लेखे के अन्तर्गत देनदारियां हैं। बकाया ऋण/देनदारियों को विभिन्न घटकों में विभाजित किया जा सकता है जैसा की **तालिका-1.7** में दिया गया है।

तालिका-1.7: 31 मार्च 2024 तक बकाया ऋण/देनदारियों के घटक

वित्त लेखा के अनुसार उधार और अन्य देनदारियाँ	धनराशि *(₹ करोड़ में)*	
	लेखापरीक्षा - पूर्व	लेखापरीक्षा-पश्च
आंतरिक ऋण (अ)	**57,378.79**	**57,378.79**
ब्याज युक्त बाजार ऋण	48,710.00	48,710.00
ब्याज मुक्त बाजार ऋण	0.02	0.02
क्षतिपूर्ति और अन्य बांड	0.77	0.77
अन्य संस्थाओं आदि से ऋण	4,136.31	4,136.31
केंद्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियां	4,531.69	4,531.69
केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम (ब)	**10,581.95**	**4,932.92**
आयोजनेत्तर ऋण	1.37	1.37
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	326.00	326.00
अन्य	10,254.58	4,605.55[5]

[5] वित्त वर्ष 2021-22 तक जी एस टी मुआवजे की कमी के बदले बैक-टू-बैक ऋण (₹ 5,649.03 करोड़) के संचय के कारण ₹ 5,649.03 करोड़ का अंतर है।

वित्त लेखा के अनुसार उधार और अन्य देनदारियाँ	धनराशि *(₹ करोड़ में)*	
	लेखापरीक्षा - पूर्व	लेखापरीक्षा-पश्च
लोक लेखा पर देनदारियां (स)	**17,954.06**	**17,954.06**
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	9,671.23	9,671.23
जमा	4,463.33	4,463.33
आरक्षित निधियाँ	3,819.50	3,819.50
योग (अ+ब+स)	***85,914.80***	***80,265.77***

स्रोत: वित्त लेखे

वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में कुल उधार और देनदारियों में मुख्य रूप से आंतरिक ऋण (67 *प्रतिशत*), भारत सरकार से ऋण और अग्रिम (12 *प्रतिशत*) और लोक लेखे के अन्तर्गत देनदारियां (21 *प्रतिशत*) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023-24 के अंत में, राज्य की कुल देनदारियां स रा घ उ का 24.82 *प्रतिशत* थीं जो एम टी एफ पी विवरण के अन्तर्गत 24.91 *प्रतिशत* के मानक मूल्यांकन के भीतर और वर्ष 2023-24 के लिए राज्य एफ आर बी एम अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित 33.10 *प्रतिशत* के मानदंडों के भीतर थीं।

जैसा कि उपर्युक्त **तालिका-1.7** से देखा जा सकता है, वर्ष 2023-24 के दौरान कुल उधार और देनदारियां ₹ 5,649 करोड़ (स रा घ उ का 1.63 *प्रतिशत*) से अधिक बताई गई थीं। यह जी एस टी मुआवजे के बदले में भारत सरकार से (2020-21 और 2021-22 के दौरान) प्राप्त ₹ 5,649 करोड़ के बैक-टू-बैक ऋण को शामिल करने के कारण था, जिसे राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाना था क्योंकि इसका पुनर्भुगतान भारत सरकार द्वारा जी एस टी मुआवजा निधि में उपकर के संग्रह से किया जाना था और इसलिए, पुनर्भुगतान राज्य के संसाधनों से वहन नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बैक-टू-बैक ऋण का गैर-लेखांकन भी कुल उधार और देनदारियों को ₹ 5,649 करोड़ की सीमा तक बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता है। इसे घटाने पर ऋण - स रा घ उ अनुपात घटकर स रा घ उ का 23.18 *प्रतिशत* हो जाएगा।

1.6 निष्कर्ष

- राज्य को वर्ष 2019-20 में ₹ 2,136 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ था जो वर्ष 2020-21 में सुधार कर ₹ 1,114 करोड़ के राजस्व अधिशेष में परिवर्तित हो गया। आगे राजस्व अधिशेष में वर्ष 2020-21 और 2022-23 में क्रमश: ₹ 4,128 करोड़ व ₹ 5,310 करोड़ तक सुधार हुआ। चालू वर्ष के दौरान राज्य को ₹ 3,341 करोड़ (स रा घ उ का 0.97 *प्रतिशत*) का राजस्व अधिशेष प्राप्त हुआ। एन पी एस में कम योगदान, केंद्रीय सड़क निधि का लेखांकन न करना, हरित ऊर्जा उपकर को

हरित ऊर्जा निधि में स्थानांतरित न करना, आकस्मिकता निधि की वसूली न करना, लोक लेखे में प्रत्याभूति के कम हस्तांतरण/हस्तांतरण न किए जाने, एस ए एस सी आई के अनुचित प्रयोग के कारण राजस्व अधिशेष ₹ 1,068 करोड़ (31.97 *प्रतिशत*) से अधिक बताया गया।

- चालू वर्ष के दौरान ₹ 7,749 करोड़ (स रा घ उ का 2.24 *प्रतिशत*) का राजकोषीय घाटा, वर्ष 2023-24 के लिए एफ आर बी एम अधिनियम में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स रा घ उ के 3.0 *प्रतिशत* के मानक लक्ष्य के भीतर था। वर्ष के दौरान, राजस्व अधिशेष में कमी के कारण राजकोषीय घाटा बढ़ा। एन पी एस में कम योगदान, हरित ऊर्जा उपकर को हरित ऊर्जा निधि में हस्तांतरित न करने, आकस्मिकता निधि की वसूली न करने, लोक लेखे में प्रत्याभूति के कम हस्तांतरण/हस्तांतरण न किए जाने, एस ए एस सी आई के अनुचित प्रयोग के कारण के कारण राजकोषीय घाटा ₹ 190 करोड़ (2.45 *प्रतिशत*) कम बताया गया। यदि ₹ 190 करोड़ के कमी को जोड़ा जाये तो, राजकोषीय घाटा ₹ 7,749 करोड़ से बढ़कर ₹ 7,939 करोड़ (स रा घ उ का 2.29 *प्रतिशत*) हो जाता, जो तब भी एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 (2023 में संशोधित) में 3.00 *प्रतिशत* के अनिवार्य लक्ष्य के भीतर होगा।

1.7 संस्तुति

- ***राज्य सरकार राजस्व व्यय/पूंजीगत परिव्यय के गलत वर्गीकरण से बचने के लिए उचित कदम उठा सकती है, प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सड़क निधि का उचित लेखांकन शुरू कर सकती है, आरक्षित निधि में अनिवार्य अंशदान कर सकती है, और उपकर को अपने नामित निधि में स्थानांतरित कर सकती है ताकि सही वित्तीय स्थिति दर्शाई जा सके।***

अध्याय-2

राज्य के वित्त

अध्याय-2

राज्य के वित्त

यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है और गत वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यह अध्याय 2019-20 से 2023-24 तक पंच-वर्षीय अवधि के दौरान, राज्य के वित्त लेखों के आधार पर राज्य की ऋण स्थिरता और प्रमुख लोक लेखा के लेन-देनों की समग्र प्रवृत्तियों पर चर्चा करता है।

2.1 2022-23 के सापेक्ष 2023-24 के दौरान प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में हुए मुख्य परिवर्तन

तालिका-2.1 वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में गत वर्ष की तुलना में हुए मुख्य परिवर्तनो के संबंध में एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत करती है। इन सभी संकेतकों को अनुवर्ती प्रस्तरों में विश्लेषित किया गया है।

तालिका-2.1: 2022-23 की तुलना में 2023-24 के दौरान प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियों में 3.12 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई	➢ राज्य की स्वयं कर प्राप्तियों में 12.53 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। ➢ स्वयं की करेत्तर प्राप्तियों में 1.17 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। ➢ केंद्रीय करों एवं शुल्कों के राज्य के अंशदान में 18.94 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। ➢ भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में 15.73 *प्रतिशत* की कमी हुई।
राजस्व व्यय में 8.00 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई	➢ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 4.09 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। ➢ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 8.25 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। ➢ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 11.93 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। ➢ सहायता अनुदान पर व्यय में 25.28 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।
पूंजीगत प्राप्तियों में 96.01 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई	➢ गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 44.83 *प्रतिशत* की कमी हुई। ➢ ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 96.82 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।
पूंजीगत व्यय में 34.02 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई	➢ सामान्य सेवाओ पर पूंजीगत व्यय में 46.77 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। ➢ सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 73.67 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। ➢ आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 12.09 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।
ऋणों एवं अग्रिमों में 40.26 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई	➢ ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण में 31.91 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। ➢ ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली में 5.88 *प्रतिशत* की कमी हुई।
लोक ऋण	➢ लोक ऋण प्राप्तियों में 96.82 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। ➢ लोक ऋणों के पुनर्भुगतान में 0.76 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।
लोक लेखा	➢ लोक लेखा प्राप्तियों में 11.06 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। ➢ लोक लेखा संवितरणों में 9.12 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।
नकद शेष	➢ नकद शेष में 22.16 *प्रतिशत* की कमी हुई।

2.2 निधियों के स्रोत एवं उपयोग

तालिका-2.2 वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य की निधियों के स्रोतों एवं उपयोग के घटकों की तुलना 2022-23 के आँकड़ों से करती है जबकि संसाधनों के संघटकों की वृद्धि **तालिका-2.2 (क)** में दी गयी है। **चार्ट-2.1** एवं **2.2** वर्ष 2023-24 के दौरान प्रतिशतता के रूप में "प्राप्ति कहाँ से आयी" तथा "कहाँ व्यय हुआ" का विवरण प्रदान करते हैं।

तालिका-2.2: 2022-23 और 2023-24 के दौरान निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2022-23	2023-24	वृद्धि/कमी (*प्रतिशत में*)
स्रोत	प्रारम्भिक नकद शेष	3,837.19	2,318.65	*(-)39.57*
	राजस्व प्राप्तियाँ	49,082.70	50,615.01	*3.12*
	विविध पूंजीगत प्राप्ति	11.83	0.00	*(-)100.00*
	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	17.30	15.82	*-8.55*
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	956.30	5,801.96	*506.71*
	लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	384.04	1,563.48	*307.11*
	आकस्मिकता निधि (निवल)	90.16	-130.31	*(-)244.53*
	योग	***54,379.52***	***60,184.61***	***10.68***
उपयोग	राजस्व व्यय	43,772.73	47,273.96	*8.00*
	पूंजीगत व्यय	8,194.51	10,981.80	*34.01*
	ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	93.63	124.09	*32.53*
	आर बी आई के साथ अंतिम नकद शेष	2,318.65	1,804.76	*(-)22.16*
	योग	***54,379.52***	***60,184.61***	***10.68***

स्रोत: वित्त लेखे।

चार्ट-2.1: संसाधनों का संघटन *(प्रतिशत में)*

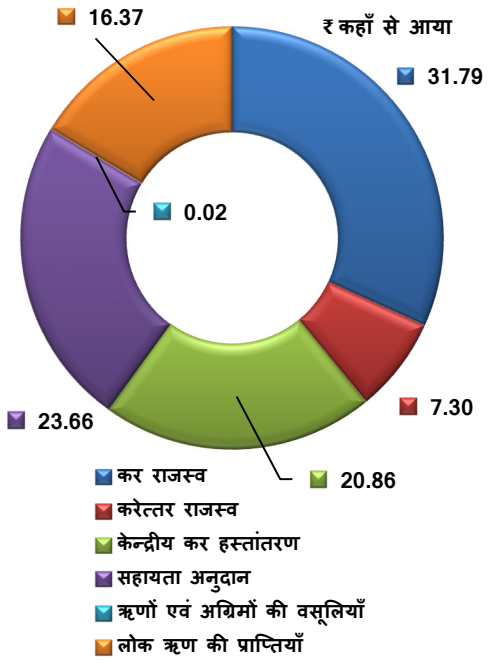

चार्ट-2.2: संसाधनों का उपयोग *(प्रतिशत में)*

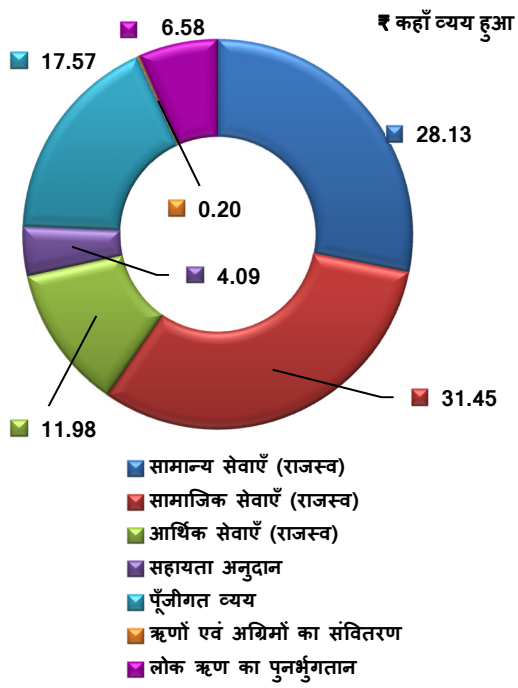

स्रोत: वित्त लेखे।

तालिका-2.2 (क): संसाधनों के संघटन की वृद्धि दर

(₹ करोड़ में)

घटक	2022-23	2023-24	वृद्धि दर (*प्रतिशत में*)
कर राजस्व	17,102	19,245	*12.53*
करेत्तर राजस्व	4,367	4,418	*1.17*
केंद्रीय कर हस्तांतरण	10,617	12,628	*18.94*
सहायता अनुदान	16,997	14,324	*(-)15.73*
विविध पूंजीगत राजस्व	12	00	*(-)100.00*
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	17	16	*(-)5.88*
लोक ऋण प्राप्तियाँ	5,036	9,912	*96.82*

स्रोत: वित्त लेखे।

2.3 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों को नीचे वर्णित किया गया है:

1. राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघीय करों और शुल्कों में राज्य का अंशदान एवं भारत सरकार (भा स) से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित हैं।

2. पूंजीगत प्राप्तियों (ऋण और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ) में विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ जैसे कि विनिवेश से आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/व्यावसायिक बैंकों से ऋण) और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।

राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियाँ दोनों ही राज्य की समेकित निधि के भाग हैं।

3. निवल लोक लेखा प्राप्तियां: कुछ लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमाओं, उचंत, प्रेषणों, आदि से संबन्धित प्राप्तियाँ और संवितरण शामिल हैं, जो की समेकित निधि का भाग नहीं होते हैं।

इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और यह राज्य विधानमण्डल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। यहाँ सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। निधियों के संवितरण के पश्चात शेष धनराशि सरकार के उपयोग हेतु उपलब्ध रहती है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियाँ

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य की प्राप्तियों का संघटन **चार्ट-2.3** में दिया गया है।

चार्ट 2.3: 2023-24 के दौरान राज्य में प्राप्तियों का संघटन

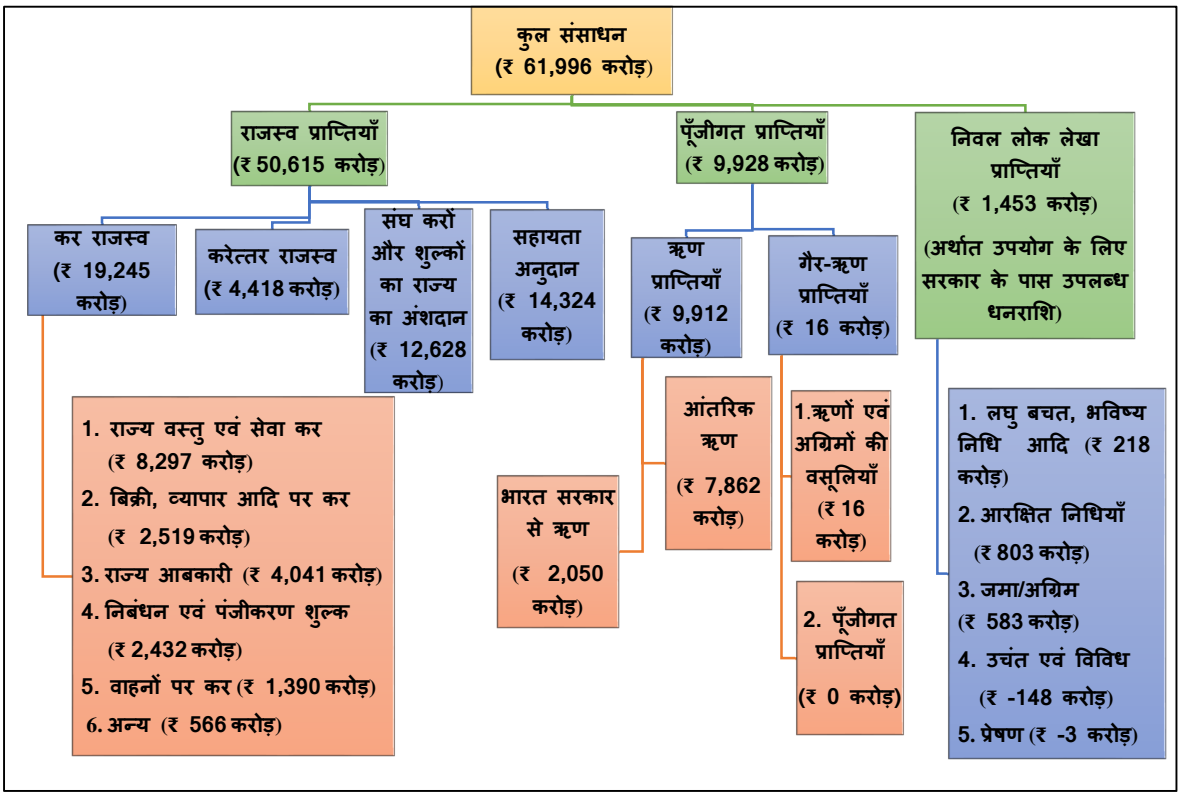

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार के कुल संसाधनों ₹ 61,996 करोड़ में से, राजस्व प्राप्तियां (₹ 50,615 करोड़) 81.64 *प्रतिशत*, पूंजीगत प्राप्तियां (₹ 9,928 करोड़) 16.02 *प्रतिशत* और निवल लोक लेखा प्राप्तियां (₹ 1,453 करोड़) 2.34 *प्रतिशत* थीं।

2.3.2 राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ और वृद्धि

तालिका-2.3 पाँच वर्ष की अवधि 2019-24 के दौरान, स रा घ उ से संबन्धित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ एवं वृद्धि के साथ-साथ राजस्व उत्प्लावकता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, स रा घ उ के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ और राजस्व प्राप्तियों का संघटन क्रमशः **चार्ट-2.4** एवं **2.5** में दिया गया है।

तालिका-2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

मापदंड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व प्राप्तियाँ (रा प्रा) *(₹ करोड़ में)*	30,723	38,205	43,057	49,083	50,615
बजट अनुमान (ब अ) *(₹ करोड़ में)*	38,995	42,439	44,151	51,474	57,057
रा प्रा की वृद्धि दर *(प्रतिशत)*	*(-)1.58*	*24.35*	*12.70*	*14.00*	*3.12*
राज्य का स्वयं का राजस्व *(₹ करोड़ में)*	15,512	16,109	16,932	21,469	23,663
(i) स्वयं का कर राजस्व *(₹ करोड़ में)*	11,513	11,938	14,176	17,102	19,245
(ii) करेत्तर राजस्व *(₹ करोड़ में)*	3,999	4,171	2,756	4,367	4,418
भारत सरकार से सहायता अनुदान	8,309	15,527	16219	16,997	14,324
संघ करों और शुल्कों में राज्य का अंशदान *(₹ करोड़ में)*	6,902	6,569	9,906	10,617	12,628

मापदंड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
स्वयं के राजस्व की वृद्धि दर *(प्रतिशत)*	*0.09*	*3.85*	*5.11*	*26.80*	*10.22*
जी आई ए की वृद्धि दर *(प्रतिशत में)*	*7.81*	*86.87*	*4.46*	*4.80*	*(-)15.73*
सकल राज्य घरेलू उत्पाद *(₹ करोड़ में)*	**2,39,263**	**2,25,617**	**2,67,143**	**3,03,781**	**3,46,206**
स रा घ उ की वृद्धि दर *(प्रतिशत)*	*3.88*	*(-)5.70*	*18.41*	*13.71*	*13.97*
रा प्रा /ब अ *(प्रतिशत)*	*78.87*	*90.02*	*97.52*	*95.35*	*88.71*
रा प्रा /स रा घ उ *(प्रतिशत)*	*12.84*	*16.93*	*16.12*	*16.16*	*14.62*
उत्प्लावकता अनुपात[1]					
स रा घ उ के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	लागू नहीं	लागू नहीं	0.69	1.02	0.22
स रा घ उ के संदर्भ में राज्य के स्वयं के राजस्व की उत्प्लावकता	0.02	लागू नहीं[2]	0.28	1.95	0.73

स्रोत: वित्त लेखे, स रा घ उ के आँकड़े आर्थिक प्रभाग, नि. एवं महा ले प के रा वि ले प्र संकलन से प्राप्त किए गए हैं।

चार्ट-2.4: स रा घ उ की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

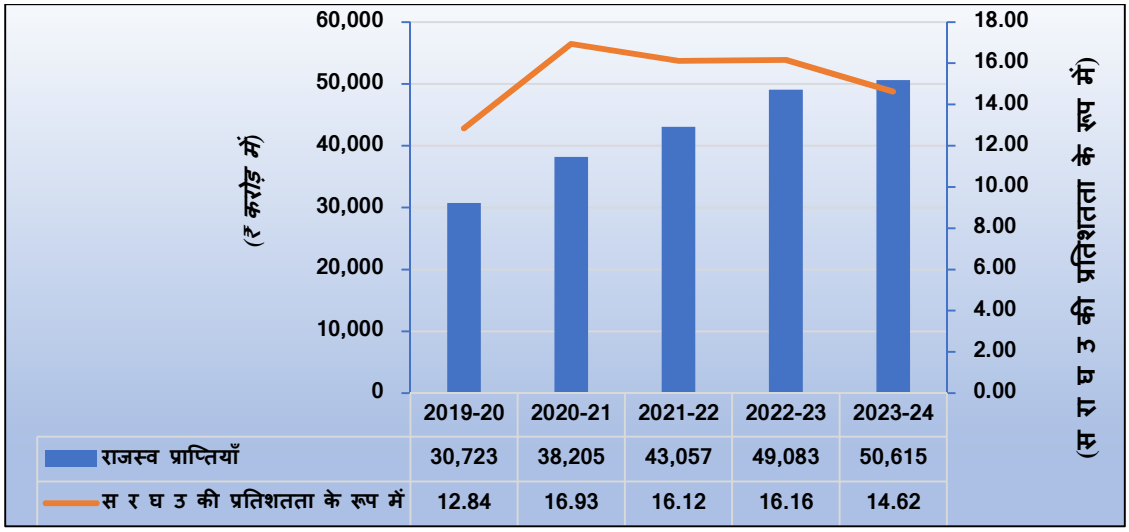

चार्ट-2.5: राजस्व प्राप्तियों के संघटकों की प्रवृत्तियाँ

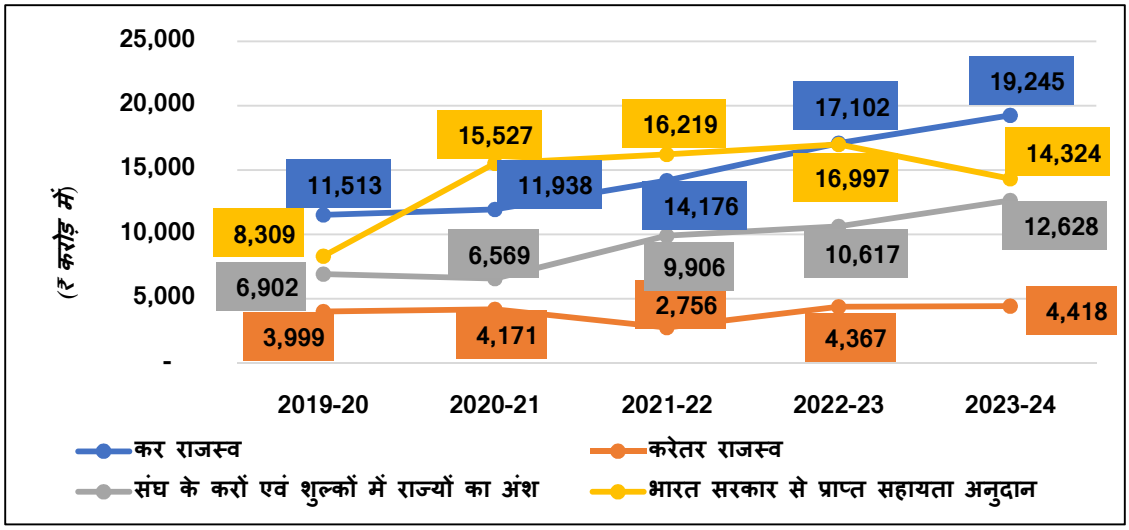

---

1 उत्प्लावकता आधारभूत परिवर्ती आँकड़ों में किए गए परिवर्तन के संबंध में राजकोषीय परिवर्ती आँकड़ों की जवाबदेही के स्तर को इंगित करता है।

2 लागू नही नकारात्मक वृद्धि के कारण नकारात्मक आंकड़ों को दर्शाता है।

- राजस्व प्राप्तियां 10.52 *प्रतिशत* की औसत वार्षिक वृद्धि से 2019-20 में 64.75 *प्रतिशत* बढ़कर ₹ 30,723 करोड़ से 2023-24 में ₹ 50,615 करोड़ हो गयीं। 2023-24 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियाँ में ₹ 1,532 करोड़ (3.12 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई, यह वृद्धि संघ के करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश (₹ 2,011 करोड़), स्वयं के कर राजस्व (₹ 2,143 करोड़) तथा राज्य के करेत्तर राजस्व (₹ 51 करोड़) में वृद्धि एवं सहायता अनुदान (₹2,673 करोड़) में कमी के कारण हुई। बजट अनुमान की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्तियां 2019-20 में 78.87 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 88.71 *प्रतिशत* हो गई। हालांकि, विगत वर्ष 2022-23 की तुलना में 2023-24 के दौरान इसमें आंशिक रूप से 6.64 *प्रतिशत* की कमी आई।
- दूसरी तरफ, 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान भारत सरकार से सहायता अनुदान में 72.39 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। हालाँकि, 2022-23 की तुलना में इसमें ₹ 2,673 करोड़ (15.73 *प्रतिशत*) की कमी आई।
- 2023-24 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का लगभग 46.75 *प्रतिशत* राज्य के अपने संसाधनों से आया, जबकि केंद्रीय कर हस्तांतरण और सहायता अनुदान ने मिलकर 53.25 *प्रतिशत* का अंशदान दिया। इस प्रकार, उत्तराखण्ड की राजकोषीय स्थिति काफी हद तक केंद्रीय कर हस्तांतरण तथा सहायता अनुदान पर निर्भर है।
- चालू वर्ष के दौरान, राजस्व प्राप्तियों में 3.12 *प्रतिशत* (₹ 1,532 करोड़) की वृद्धि हुई। दूसरी तरफ, राजस्व व्यय में 8.00 *प्रतिशत* (₹ 3,501 करोड़) की वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान राजस्व अधिशेष में कमी आई। 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान राज्य के स रा घ उ के सापेक्ष राजस्व उत्प्लावकता में व्यापक उतार-चढ़ाव था। स रा घ उ के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता 2019-20 एवं 2020-21 में ऋणात्मक थी, जो 2021-22 में धनात्मक हो गयी और 2023-24 तक धनात्मक रही, जबकि स रा घ उ के संदर्भ में राज्य के स्वयं की राजस्व उत्प्लावकता अनुपात 2019-20 में 0.02 *प्रतिशत* से बढ़कर 2023-24 में 0.73 *प्रतिशत* हो गया।
- स्थायी राजकोषीय स्थिरता और विकास के लिए राजस्व स्रोतों में विविधता लाना तथा स्थानीय कर आधार को मजबूत करना आवश्यक है।

2.3.3 राज्य के स्वयं के संसाधन

केन्द्रीय करों में राज्य का अंशदान, वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर निर्धारित किया जाता है; सहायता अनुदान में राज्य का अंशदान, एकत्र किए गए केंद्रीय करों की मात्रा एवं योजनाओं के लिए प्रत्याशित केन्द्रीय सहायता आदि द्वारा निर्धारित किया जाता

है। अतिरिक्त संसाधन जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन उसके स्वयं के संसाधनों जिनमें स्वयं के कर एवं करेत्तर राजस्व सम्मिलित हैं, के आधार पर किया जाता है।

वर्ष 2019-24 के दौरान, कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व के संबंध में सकल संग्रहण एवं इनके सापेक्ष राज्य के स रा घ उ में अंशदान ***परिशिष्ट-2.1*** में प्रदर्शित है।

2.3.3.1 स्वयं का कर राजस्व

राज्य के स्वयं के कर राजस्व में राज्य जी एस टी, राज्य आबकारी, वाहनों पर कर, निबंधन शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क, भू-राजस्व तथा माल एवं यात्रियों पर कर इत्यादि शामिल हैं। राज्य की पंच-वर्षीय अवधि 2019-24 के दौरान स्वयं के कर राजस्व एवं स रा घ उ में इसके *प्रतिशतता* के आँकड़े नीचे **चार्ट-2.6** में दिये गये हैं।

चार्ट-2.6: वर्ष 2019-24 के दौरान स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

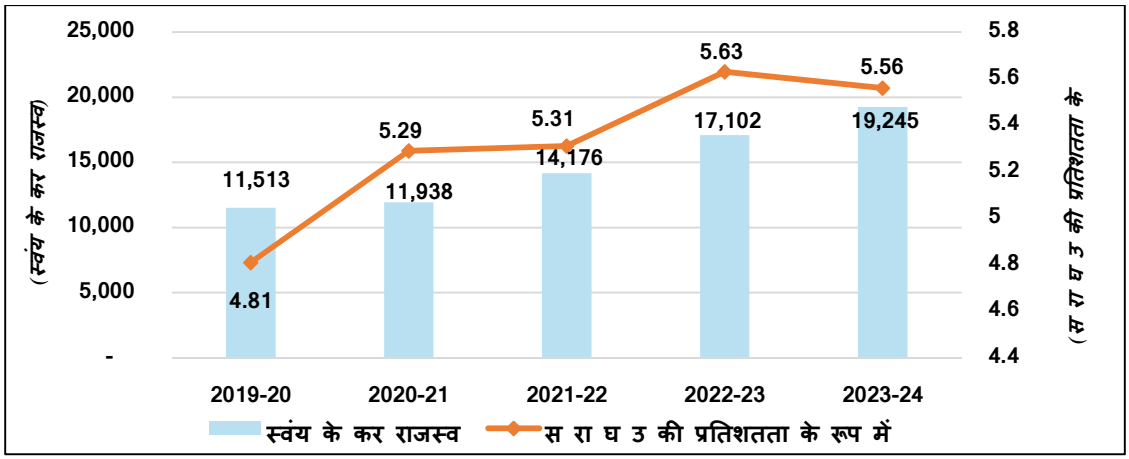

वर्ष 2019-24 के दौरान संग्रहित किए गए स्वयं के कर राजस्व का घटक-वार विवरण **तालिका-2.4** में है।

तालिका-2.4: वर्ष 2019-24 के दौरान घटक-वार स्वयं का कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	प्रवृतियाँ
1.विक्रय, व्यापार इत्यादि पर कर	1,811	1,858	2,302	2,555	2,519	
2.राज्य वस्तु एवं सेवा कर	4,931	5,053	5,973	7,341	8,297	
3.राज्य आबकारी	2,727	2,966	3,258	3,526	4,041	
4.वाहनों पर कर	908	741	889	1,211	1,390	
5.निबंधन एवं पंजीकरण शुल्क	1,072	1,107	1,488	1,987	2,432	
6.भू -राजस्व	24	17	40	65	14	
7.अन्य कर	40	196	226	417	552	
योग	***11,513***	***11,938***	***14,176***	***17,102***	***19,245***	
राज्य के स्वयं के राजस्व में स्वयं के कर राजस्व की प्रतिशतता	*74.22*	*74.11*	*83.72*	*79.66*	*81.33*	
कुल राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर राजस्व की प्रतिशतता	*37.47*	*31.25*	*32.92*	*34.84*	*38.02*	

स्रोत: वित्त लेखे।

राज्य के स्वयं के कर राजस्व में, 10.01 *प्रतिशत* औसत वार्षिक दर के साथ, 2019-20 में ₹ 11,513 करोड़ से 2023-24 में ₹ 19,245 करोड़ तक ₹ 7,732 करोड़ की वृद्धि हुई। चालू वर्ष के दौरान, कर राजस्व में मुख्य अंशदाता राज्य वस्तु एवं सेवा कर (43.11 *प्रतिशत*), राज्य आबकारी (21.00 *प्रतिशत*), बिक्री, व्यापार आदि पर कर (13.09 *प्रतिशत*) और निबंधन एवं पंजीकरण शुल्क (12.64 *प्रतिशत*) थे। गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान स्वयं के कर राजस्व में ₹ 2,143 करोड़ की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः राज्य वस्तु एवं सेवा कर (₹ 956 करोड़), राज्य आबकारी (₹ 515 करोड़), निबंधन एवं पंजीकरण शुल्क (₹ 445 करोड़) और वाहनों पर कर (₹ 179 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई। विगत पाँच वर्षों (2019-20 से 2023-24) के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर राजस्व की प्रतिशतता भी 37.47 से बढ़कर 38.02 *प्रतिशत* हो गई।

2.3.3.2 राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस जी एस टी)

2005 में मूल्य वर्धित कर (वैट) लागू होने के 12 वर्ष पश्चात, केंद्र सरकार ने 01 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर (जी एस टी) लागू किया। उत्तराखण्ड वस्तु एवं सेवा कर (जी एस टी) अधिनियम, 2017 राज्य विधानसभा द्वारा मई 2017 में पारित हुआ और 01 जुलाई 2017 से लागू हुआ।

चार्ट-2.7: वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान एस जी एस टी के अंतर्गत तुलनात्मक प्राप्तियाँ

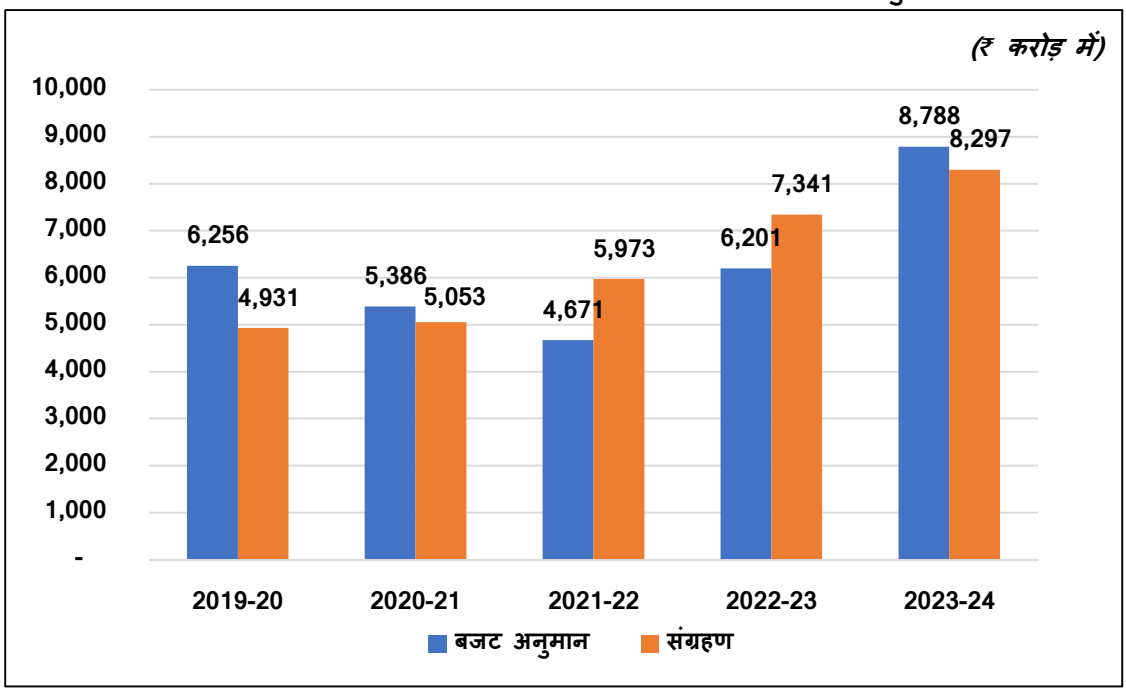

जैसा कि उपर्युक्त चार्ट से स्पष्ट है कि एस जी एस टी के संग्रहण में 11.86 *प्रतिशत* की औसत वार्षिक वृद्धि दर पर ₹ 3,366 करोड़ (68.26 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई और यह

वर्ष 2019-20 में ₹ 4,931 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 8,297 करोड़[3] हो गया। विगत वर्ष 2022-23 की तुलना में चालू वर्ष के दौरान इसमें ₹ 956 करोड़ (13.02 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।

2.3.3.3 राजस्व के बकाए एवं निर्धारण के बकाए का विश्लेषण

राजस्व का बकाया सरकार को देय राजस्व की विलंबित वसूली का सूचक है। इसी प्रकार, निर्धारण का बकाया संभावित राजस्व को दर्शाता है जो निर्धारण में विलंब के कारण अवरुद्ध रहता है। दोनों ही, राज्य को संभावित राजस्व प्राप्तियों से वंचित करते है और अंततः राजस्व घाटे को प्रभावित करते हैं।

राजस्व का बकाया

31 मार्च 2024 को विभिन्न राजस्व शीर्षो के अंतर्गत राजस्व बकाया ₹ 9,515.46 करोड़ था, जिसमें से ₹ 3,713.26 करोड़ (39.02 *प्रतिशत*) विगत पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित था, जैसा कि **तालिका-2.5** में नीचे दिखाया गया है।

तालिका-2.5: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष[4]	31 मार्च तक बकाया कुल धनराशि *(₹ करोड़ में)*					31 मार्च तक पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित धनराशि *(₹ करोड़ में)*				
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
वाणिज्यिक कर/मूल्य वर्धित कर	10,205.69	11,821.59	11,457.98	8,061.87	7,669.96	3,227.82	3,968.17	4,495.01	3,592.19	3,577.00
वाणिज्यिक कर/ वस्तु एवं सेवा कर	उ न	उ न	उ न	उ न	1,570.71	उ न	उ न	उ न	उ न	0.00
राज्य आबकारी	67.51	उ न	160.47	उ न	उ न	67.29	उ न	114.16	उ न	उ न
पुलिस (अन्य सेवायें)	उ न	उ न	उ न	उ न	1.73	उ न	उ न	उ न	उ न	0.12
जल प्रभार	उ न	उ न	उ न	उ न	273.07	उ न	उ न	उ न	उ न	136.14
योग	**10,273.20**	**11,821.59**	**11,618.45**	**8,061.87**	**9,515.47**	**3,295.11**	**3,968.17**	**4,609.17**	**3,592.19**	**3,713.26**

स्रोत: वाणिज्यिक कर, राज्य आबकारी, पुलिस विभाग एवं जल संस्थान उत्तराखण्ड सरकार। उ न: उपलब्ध नहीं।

कुल राजस्व बकाया वर्ष 2019-20 में ₹ 10,273.20 करोड़ से घटकर 2023-24 में ₹ 9,515.47 करोड़ हो गयी है, जबकि 2019-24 के दौरान इसमें उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गई। यद्यपि चालू वर्ष में इसमें गत वर्ष की तुलना में ₹ 1,453.60 करोड़ (18.03 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई है। पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया राजस्व की

---

[3] वर्ष 2023-24 के दौरान आरबीआई के आंकड़ों और राज्य जीएसटी के वित्त लेखों में दर्ज आंकड़ों के बीच कोई अंतर नहीं था।

[4] वाणिज्यिक कर, राज्य आबकारी, पुलिस एवं जल संस्थान विभाग द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर।

धनराशि में भी उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गयी है और 2019-20 की तुलना में इसमें ₹ 418.15 करोड़ की वृद्धि हुई है तथा चालू वर्ष 2023-24 में इसमें विगत वर्ष की तुलना में ₹ 121.07 करोड़ (3.37 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई है। अतः राज्य सरकार को राजस्व की वसूली के लिए अपने प्रयास बढ़ाने होंगे।

इस संबंध में, सरकार ने बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान कहा कि मामला पहले से ही विचाराधीन है और राजस्व की शीघ्र वसूली के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने आगे सूचित किया कि राजस्व के बकाया की निगरानी के लिए एक वेब एप्लिकेशन विकसित किया जा रहा है।

निर्धारण में बकाया

राज्य कर विभाग द्वारा सूचित, वर्ष के प्रारम्भ में लंबित प्रकरण, निर्धारण हेतु लम्बित प्रकरण, वर्ष के दौरान निपटाए गए प्रकरण और वर्ष के अंत में अंतिम रूप दिये जाने हेतु लंबित प्रकरणों से संबन्धित पूर्ण विवरण **तालिका-2.6** में दिया गया है।

तालिका-2.6: निर्धारण में बकाया

राजस्व शीर्ष	वर्ष	प्रारम्भिक शेष (मामलों की संख्या)	वर्ष के दौरान निर्धारण के लिए लम्बित नये मामले	कुल बकाया निर्धारण	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अंत में शेष	निपटान की *प्रतिशतता*
मूल्य वर्धित कर	2019-20	60,504	1,28,105	1,88,609	73,885	1,14,724	*39*
	2020-21	1,14,724	33,426	1,48,150	79,304	68,846	*54*
	2021-22	68,846	11,825	80,671	79,781	890	*99*
	2022-23	890	9,106	9,996	8,677	1,319	*87*
	2023-24	1,319	2,289	3,608	2,449	1,159	*68*
वस्तु एवं सेवा कर	2019-20	लागू नहीं					
	2020-21						
	2021-22	0	4,175	4,175	3,564	611	*85*
	2022-23	611	12,457	13,068	5,524	7,544	*42*
	2023-24	7,544	21,751	29,295	22,950	6,345	*78*

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, मूल्य वर्धित कर और वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत निपटान हेतु शेष मामले 2019-24 के दौरान काफी कम हो गए हैं। मूल्य वर्धित कर के अन्तर्गत निपटान की प्रतिशतता विगत वर्ष की तुलना में 87 *प्रतिशत* से घटकर 68 *प्रतिशत* हो गई, जबकि वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत विगत वर्ष में 42 *प्रतिशत* से बढ़कर 78 *प्रतिशत* हो गई।

विभाग द्वारा पता लगाए गए कर चोरी, वापसी आदि के प्रकरण

कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर चोरी के प्रकरणों, अंतिम रूप दिये गए प्रकरणों और अतिरिक्त करों की माँग किए गए प्रकरण राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण

के प्रयत्नों के महत्वपूर्ण सूचक हैं। कर वापसी के प्रकरणों का त्वरित निपटान, विभाग के प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण सूचक है। वापसी प्रकरणों का अधिक मात्रा में लंबित रहना लाल फीताशाही, निहित स्वार्थ, और रिश्वत खोरी के प्रचलन आदि का सूचक है। राज्य कर विभाग द्वारा पता लगाए गए कर चोरी के प्रकरणों का विवरण **तालिका-2.7** में दिया गया है।

तालिका-2.7: कर चोरी का पता लगना

राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2023 तक लंबित मामले	2023-24 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	उन मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/जाँच पूरी हुई और जुर्माना आदि के साथ अतिरिक्त माँग की गई		31 मार्च 2024 तक अंतिम रूप देने के लिए लंबित मामलों की संख्या
				मामलों की संख्या	माँग की गई धनराशि (₹ करोड़ में)	
मूल्य वर्धित कर	0	18	18	9	4.64	9
वस्तु एवं सेवा कर	141	33	174	153	160.06	21
जल प्रभार	01	01	02	-	-	02

स्रोत: वाणिज्यिक कर एवं जल संस्थान विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।

कर वापसी के प्रकरण

राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत कर वापसी के प्रकरणों का विवरण **तालिका-2.8** में दिया है।

तालिका-2.8: 31 मार्च 2024 तक कर वापसी के प्रकरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	विवरण	जी एस टी		वाणिज्यिक कर/ मूल्य वर्धित कर	
		मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया के प्रकरण	81	13.39	530	7.41
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	1,382	1,278.92	643	29.46
3.	वर्ष के दौरान की गई कर वापसी	1,267	1,183.13	676	28.49
4.	वर्ष के दौरान अस्वीकार कर वापसी	97	44.26	40	3.43
5.	वर्ष के अंत में अदत्त शेष	99	64.92	457	4.95

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है जी एस टी के अंतर्गत 1,382 प्रकरण प्राप्त हुए और ₹ 1,183.13 करोड़ कर वापसी के रूप में भुगतान करने के पश्चात 1,364 प्रकरणों (वर्ष के दौरान खारिज 97 प्रकरणों सहित) का निपटारा किया गया जबकि, वाणिज्यिक कर/ मूल्य वर्धित कर के अंतर्गत 643 प्रकरण प्राप्त हुए और ₹ 28.49 करोड़ का कर वापसी के रूप में भुगतान करने के पश्चात 716 प्रकरणों का निपटारा (वर्ष के दौरान खारिज 40 प्रकरणों सहित) किया गया।

2.3.3.4 करेत्तर राजस्व

करेत्तर राजस्व में ब्याज की प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ, खनन प्राप्तियाँ, विभागीय प्राप्तियाँ आदि शामिल हैं। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान एकत्रित करेत्तर राजस्व का घटक-वार विवरण **तालिका-2.9** में दिया गया है।

तालिका-2.9: 2019-20 से 2023-24 के दौरान घटक-वार करेत्तर राजस्व

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	प्रवृतियाँ
अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	396.75	506.41	575.01	472.13	645.84	
वानिकी एवं वन्य जीव	410.16	512.27	511.55	474.93	551.53	
व्याज प्राप्तियाँ	47.81	98.52	403.55	759.04	125.77	
शिक्षा खेल कला एवं संस्कृति	198.83	259.59	268.57	227.19	246.90	
शहरी विकास	35.57	15.08	190.98	30.99	7.27	
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	183.84	168.75	177.85	188.50	207.16	
विद्युत	0.30	70.35	111.23	72.46	205.64	
पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत लाभ के लिए योगदान एवं वसूली	2,492.90	2,109.78	61.57	1,711.37	1,662.02	
लाभांश एवं लाभ	14.08	41.02	35.05	25.07	25.20	
अन्य	218.57	388.80	420.60	404.87	740.75	
योग	***3,998.81***	***4,170.57***	***2,755.96***	***4,366.55***	***4,418.08***	
राज्य के स्वयं के राजस्व से करेत्तर राजस्व की प्रतिशतता	*25.78*	*25.89*	*16.28*	*20.34*	*18.67*	
कुल राजस्व प्राप्तियों से करेत्तर राजस्व की प्रतिशतता	*13.02*	*10.92*	*6.40*	*8.90*	*8.73*	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

पाँच वर्ष की अवधि 2019-20 से 2023-24 के दौरान, करेत्तर राजस्व, राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 06 से 13 *प्रतिशत* तक रहा।

2.3.4 केन्द्रीय अंतरण

केन्द्रीय अंतरण मुख्य रूप से (i) संघ करों और शुल्कों की निवल आय में अंश और (ii) सहायता अनुदान से गठित होता है। चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप केन्द्र प्रायोजित योजना और केन्द्र प्रायोजित योजनागत योजना के लिए अनुदान अब राज्य बजट के माध्यम से दिए जा रहे हैं। केन्द्रीय अन्तरण वित्त आयोग की सिफारिशों पर निर्भर हैं। विगत 10 वर्षों में केंद्रीय अन्तरण की प्रवृत्ति नीचे दिए गए **चार्ट-2.8** में दी गई है।

चार्ट-2.8: विगत दस वर्षों में केन्द्रीय अंतरण की प्रवृत्ति

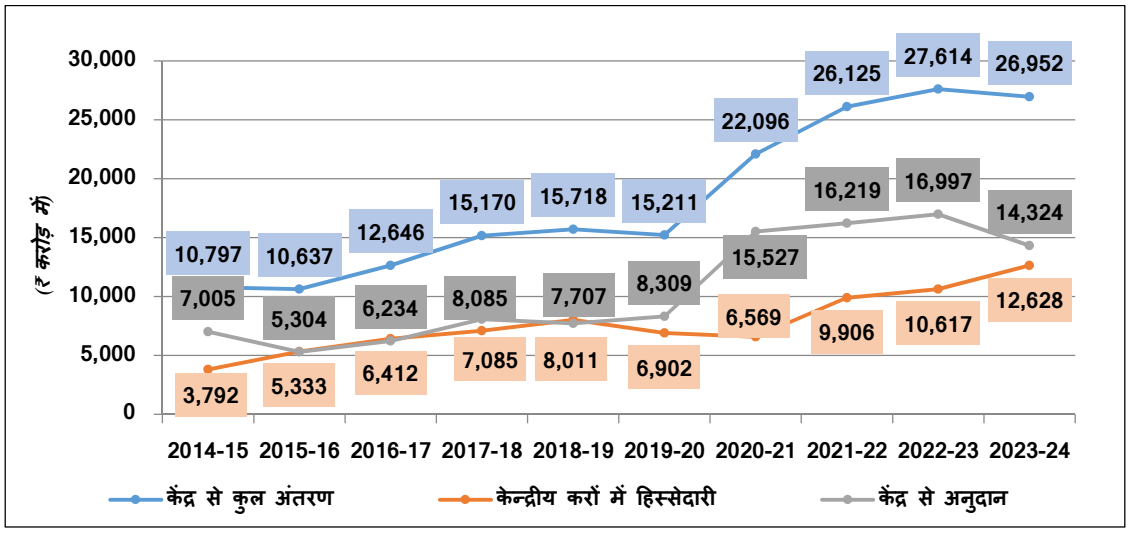

2.3.4.1 केन्द्रीय कर अंतरण

चौदहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि वर्ष 2015-16 से केंद्रीय करों में राज्यांशों में 42 *प्रतिशत* तक की वृद्धि की जाए। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय करों की निवल आय में (सेवा कर के अतिरिक्त) उत्तराखण्ड का अंश 1.052 *प्रतिशत* निर्धारित किया गया था। हालांकि, पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अंश बढ़ाकर वर्ष 2020-21 के लिए 1.104 *प्रतिशत* तथा वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के लिए 1.118 *प्रतिशत* कर दिया गया था। वित्त आयोग के अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक हस्तांतरण को **तालिका-2.10** में दिया है।

तालिका-2.10: केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य का अंशदान : वित्त आयोग के अनुमानों की तुलना में वास्तविक हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वित्त आयोग के अनुमान	वित्त आयोग के प्रतिवेदन में अनुमान	वास्तविक कर हस्तांतरण	अन्तर
1.	2.	3.	4.	5. (4-3)
2013-14	सेवा कर को छोड़कर सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 1.120 *प्रतिशत* और साझा करने योग्य सेवा कर की निवल आय का 1.138 *प्रतिशत* (तेरहवें वित्त आयोग की अनुसंशा के अनुसार)	3,727.00	3,573.38	(-) 153.62
2014-15		4,396.00	3,792.30	(-) 603.70
2015-16	सेवा कर को छोड़कर सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 1.052 *प्रतिशत* और साझा करने योग्य सेवा कर की निवल आय का 1.068 *प्रतिशत* (चौदहवें वित्त आयोग की अनुसंशा के अनुसार)	6,112.00	5,333.19	(-) 778.81
2016-17		7,053.00	6,411.55	(-) 641.45
2017-18		8,150.00	7,084.91	(-) 1,065.09
2018-19		9,429.00	8,011.59	(-) 1,417.41
2019-20		10,921.00	6,901.54	(-) 4,019.46

वर्ष	वित्त आयोग के अनुमान	वित्त आयोग के प्रतिवेदन में अनुमान	वास्तविक कर हस्तांतरण	अन्तर
1.	2.	3.	4.	5. (4-3)
2020-21	सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 1.104 *प्रतिशत* (पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुसंशाओं के अनुसार)	9,441.00	6,568.72	(-) 2,872.28
2021-22	सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 1.118 *प्रतिशत* (पंद्रहवें वित्त आयोग की 2021-26 के प्रतिवेदन की अनुसंशाओं के अनुसार)	7,363.05	9,906.25	2,543.20
2022-23		8,190.78	10,617.01	2,426.23
2023-24		9,216.62[5]	12,627.75	3,411.13

स्रोत: XV वित्त आयोग एवं वित्त लेखे।

राज्य को वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान केन्द्रीय कर अन्तरण का विवरण **तालिका-2.11** में दिया गया है।

तालिका-2.11: केन्द्रीय कर अंतरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
निगम कर	2,353.14	1,981.20	2,985.75	3,559.58	3,790.28
सीमा शुल्क	437.46	349.64	676.32	417.39	442.54
आय कर	1,843.85	2,031.05	2,938.64	3,474.95	4,377.28
वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	4.37	4.69	9.47	17.47	15.48
सेवा कर	0.00	28.21	127.78	16.62	2.34
संपदा कर	0.10	0.00	0.62	0.00	0.00
संघ उत्पाद शुल्क	304.15	220.89	337.81	130.97	167.46
आय एवं व्यय पर अन्य कर	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
सी जी एस टी	1,958.47	1953.04	2,829.84	3,000.03	3,832.37
कुल केन्द्रीय करों का अंतरण	***6,901.54***	***6,568.72***	***9,906.25***	***10,617.01***	***12,627.75***
गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि (+)/कमी (-) की प्रतिशतता	*(-)13.86*	*(-)4.82*	*50.81*	*7.17*	*18.94*
राजस्व प्राप्ति से केन्द्रीय कर अंतरण की प्रतिशतता	*22.46*	*17.19*	*23.01*	*21.63*	*24.95*

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

पाँच वर्ष की अवधि (2019-20 से 2023-24) के दौरान, केन्द्रीय करों के अंतरण में 2019-20 में ₹ 6,902 करोड़ से वर्ष 2023-24 में ₹ 12,628 करोड़ तक 82.97 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। विगत वर्ष के सापेक्ष चालू वर्ष के दौरान इसमें ₹ 2,011 करोड़ (18.94 *प्रतिशत*) की वृद्धि मुख्यतः निगम कर (₹ 231 करोड़), आय कर (₹ 902 करोड़) और सी जी एस टी (₹ 832 करोड़) अधिक प्राप्त होने के कारण हुई है। वर्ष के दौरान केन्द्रीय कर अंतरण राजस्व प्राप्तियों का 24.95 *प्रतिशत* था। आगे, जैसा कि **तालिका-2.10** में वर्णित है, राज्य ने वर्ष 2013-14 से 2020-21 की अवधि के दौरान

[5] राज्यों को कर हस्तांतरण ₹ 8,24,385*1.118% = ₹ 9,216.62 करोड़।

वित्त आयोगों के प्रतिवेदनों (XIII, XIV एवं XV) में अनुमानों के अनुसार केंद्रीय करों एवं शुल्कों का अपना अंश प्राप्त नहीं किया था। हालांकि, वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान, केंद्रीय करों में अंश, पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमान से क्रमश: ₹ 2,543 करोड़, ₹ 2,426 करोड़ एवं ₹ 3,411 करोड़ बढ़ गया था।

2.3.4.2 भारत सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान राज्य सरकार को भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान (जी आई ए) **तालिका-2.12** में दर्शाया गया है।

तालिका-2.12: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1 केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान	4,477	6,166	5,219	5,969	5,676
2 वित्त आयोग अनुदान	975	6,865	9,424	8,501	8,050
3 राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान	2,857	2,496	1,576	2,527	598
कुल (1+2+3)	***8,309***	***15,527***	***16,219***	***16,997***	***14,324***
गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	*8*	*87*	*4*	*5*	*-16*
राजस्व प्राप्ति से जी आई ए की प्रतिशतता	*27*	*41*	*38*	*35*	*28*

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

2019-20 से 2023-24 तक भारत सरकार से सहायता अनुदान में ₹ 6,015 करोड़ (72.39 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। यद्यपि, गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान इसमें ₹ 2,673 करोड़ (15.73 *प्रतिशत*) की कमी हुई। वर्ष 2023-24 के दौरान सहायता अनुदान राजस्व प्राप्तियों का 28 *प्रतिशत* था। 2023-24 के दौरान, राज्य को वित्त आयोग अनुदान (₹ 8,050 करोड़) प्रदान किया गया जिसमें राजस्व घाटा अनुदान (₹ 6,223 करोड़), स्थानीय निकायों के लिए अनुदान (₹ 696 करोड़), राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस डी आर एफ) (₹ 826 करोड़) और राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (₹ 305 करोड़) शामिल हैं। यह वर्ष के दौरान कुल अनुदान का 56.20 *प्रतिशत* था। राज्य को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए दिया गया अनुदान (₹ 5,676 करोड़) वर्ष के दौरान कुल अनुदान का 39.63 *प्रतिशत* था। वर्ष के दौरान, राज्य द्वारा प्राप्त अन्य अनुदान मुख्य रूप से जी एस टी के कार्यान्वयन के कारण राजस्व के नुकसान की क्षतिपूर्ति (₹ 477 करोड़) के सम्बन्ध में थे।

2.3.4.3 एकल नोडल एजेंसी

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 1(13) पी एफ एम एस / एफ सी डी/2020 दिनांक 23 मार्च 2021 के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजना (सी एस एस) के अन्तर्गत

धनराशि जारी करने और एस एन ए के माध्यम से जारी धनराशि के उपयोग की निगरानी के लिए प्रक्रिया अधिसूचित की थी। प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना के लिए, एस एन ए की स्थापना राज्य सरकार द्वारा सरकारी कार्य संचालित करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में स्वयं के खाते के साथ की जाती है। प्रक्रिया के अनुसार, राज्य सरकार को अपने खातों में प्राप्त केंद्रीय अंश को संबंधित राज्य के अंश के साथ संबंधित एस एन ए खाते में स्थानांतरित करना है।

वर्ष 2023-24 के लिए पी एफ़ एम एस पोर्टल के प्रतिवेदन का परीक्षण करने पर लेखापरीक्षा द्वारा निम्न पाया गया:

(i) 2023-24 के दौरान भारत सरकार से केंद्रीय हिस्से के रूप में प्राप्त ₹ 4,509.85 करोड़ के विरुद्ध, राज्य सरकार ने ₹ 4,907.20 करोड़ का केंद्रीय हिस्सा, ₹ 1,400.43 करोड़ का राज्य हिस्सा और ₹ 258.57 करोड़ अवर्गीकृत राशि और टॉप-अप के रूप में एस एन ए के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया।

(ii) बत्तीस केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्य ने अपने आनुपातिक राज्य के अंशदान से ₹ 667.17 करोड़ अधिक धनराशि जारी की, जबकि 18 केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्य ने अपने आनुपातिक राज्य हिस्से से ₹ 12.17 करोड़ कम धनराशि जारी की।

(iii) वर्ष 2023-24 के दौरान 134 राज्य से जुड़ी योजनाओं के अंतर्गत **एकल नोडल एजेंसी** के बैंक खातों में ₹ 2,773.16 करोड़ की अप्रयुक्त राशि उपलब्ध थी।

महालेखाकार (ले एवं हक) कार्यालय को वास्तविक व्यय के विस्तृत वाउचर एवं सहायक दस्तावेज एस एन ए से प्राप्त नहीं हुए थे।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, राज्य सरकार ने अवगत कराया कि राज्य द्वारा एसएनए स्पर्श विकसित किया जा रहा था, जिसके माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल से महालेखाकार को अंतिम उपयोग के ई-वाउचर उपलब्ध कराए जाएंगे।

2.3.4.4 पंद्रहवें वित्त आयोग का अनुदान

जैसा कि पूर्व प्रस्तर में इंगित किया गया है पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान राज्यों को स्थानीय निकाय तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि हेतु प्रदान किया गया था। वर्ष 2023-24 के दौरान भारत सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य को प्रदान किए गए अनुदानों का विवरण **तालिका-2.13** में दिया गया है।

तालिका-2.13: पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुसंशा के अनुसार भारत सरकार द्वारा अवमुक्त किया गया सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

अंतरण	2023-24 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा	2023-24 के दौरान भा स से वास्तविक अवमुक्त
1. स्थानीय निकाय	**674**	**696**
(अ) पी आर आई को अनुदान	445	472
(ब) यू एल बी को अनुदान	229	224
2. राजस्व घाटा अनुदान	**6,223**	**6,223**
3. आपदा प्रतिक्रिया निधि (केंद्र का अंशदान)	**1,033**	**1,131**
4. स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	**158**	**0.00**
कुल योग	***8,088***	***8,050***

स्रोत: पंद्रहवें वित्त आयोग एवं वित्त लेखे।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य को शहरी स्थानीय निकायों में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों से कम अनुदान प्राप्त हुआ। हालांकि, राजस्व घाटा अनुदान में राज्य को वित्त आयोग का पूरा हिस्सा प्राप्त हुआ। राज्य को स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ₹ 158 करोड़ का अनुदान प्राप्त नहीं हुआ, जैसा कि 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी।

2.3.4.5 राजस्व व्यय के रूप में दर्ज राजस्व की वापसी

मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची के प्रस्तर 2.2 के अनुसार, 'ए. कर राजस्व' के अन्तर्गत वास्तविक राजस्व आंकड़ों का पता लगाने के लिए 'राजस्व की वापसी' को राजस्व प्राप्तियों में कमी के रूप में लिया जाएगा। वर्ष के दौरान ₹ 15.98 करोड़ की वापसी को राजस्व प्राप्ति शीर्षों के स्थान पर संबंधित राजस्व व्यय मुख्य शीर्षों (2040, 2853 और 3055) के अंतर्गत दर्ज किया गया।

राजस्व वापसी के इस अनुचित लेखांकन के परिणामस्वरूप राजस्व प्राप्तियों के साथ-साथ राजस्व व्यय को भी उस सीमा तक अधिक दिखाया गया।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की और कहा कि भविष्य में सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।

2.4 पूंजीगत प्राप्तियाँ

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ जैसे कि विनिवेश से आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ, आंतरिक स्रोतों से कर्ज की प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/व्यापारिक बैंकों से उधारियाँ) एवं भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं। **तालिका-2.14** में निवल पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि एवं संघटन की प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है।

तालिका-2.14: निवल पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि और संरचना की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य के पूंजीगत प्राप्तियों के स्रोत	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1. पूंजीगत प्राप्तियाँ (कुल)	**6,167**	**9,810**	**7,490**	**5,065**	**9,928**
1.1 विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	**0.00**	**0.20**	**0.00**	**12.00**	**0.00**
1.2 ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	**19**	**23**	**17**	**17**	**16**
1.3 लोक ऋण प्राप्तियाँ	**6,148**	**9,787**	**7,473**	**5,036**	**9,912**
आंतरिक ऋण	6,078	6,728	3,787	3,817	7,862
वृद्धि दर	(-) 15.23	10.69	(-) 43.71	0.79	*105.97*
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	70	3,059	3,686	1,219	2,050
वृद्धि दर	(-) 33.33	4,270.00	20.50	(-) 66.93	*68.17*
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	(-) 15.49	59.19	(-) 23.64	(-)32.61	96.82
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	(-) 29.63	22.11	(-) 26.72	70.59	(-) 44.83
स रा घ उ की वृद्धि दर	3.88	(-)5.70	18.41	13.71	13.97
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर *(प्रतिशत)*	*(-) 15.54*	*59.08*	*(-) 23.65*	*(-)32.38*	96.01
कुल प्राप्तियों से पूंजीगत प्राप्तियों की प्रतिशतता	***16.72***	***20.43***	***14.82***	***9.35***	***16.40***

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

पूंजीगत प्राप्तियाँ 2019-20 में ₹ 6,167 करोड़ से ₹ 3,761 करोड़ (60.99 *प्रतिशत)* बढ़कर 2023-24 में ₹ 9,928 करोड़ हो गई। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान ₹ 4,863 करोड़ (96.01 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण लोक ऋण प्राप्तियों (₹ 4,876 करोड़) में वृद्धि है।

लोक ऋणों की प्राप्तियां भविष्य के पुनर्भुगतान दायित्वों का निर्माण करती हैं और ये बाजार, वित्तीय संस्थाओं एवं भारत सरकार से प्राप्त किए जाते हैं। पंच-वर्षीय अवधि 2019-24 के दौरान, लिए गए लोक ऋणों की प्राप्तियों ₹ 38,356 करोड़ में से ₹ 16,314 करोड़ (42.53 *प्रतिशत)* का उपयोग लोक ऋणों के पुनर्भुगतान में किया गया तथा शेष 57.47 *प्रतिशत* का उपयोग अन्य उद्देश्यों पर किया गया।

2.5 संसाधनों को जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

संसाधन जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आकलन उसके स्वयं के संसाधनों, जिसमें स्वयं के कर एवं करेत्तर स्रोत सम्मिलित हैं, के संदर्भ में किया जाता है। 2023-24 के दौरान राज्य के अपने संसाधनों के संबंध में पन्द्रहवें वित्त आयोग के अनुमान, बजट अनुमान एवं मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरण (एम टी एफ पी एस) के अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक आंकड़ों को **तालिका-2.15** में दिया गया है।

तालिका-2.15: राज्य के स्वयं के संसाधन : अनुमान के सापेक्ष वास्तविक

(₹ करोड़ में)

राज्य के स्वयं के संसाधन	पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमान	बजट आकलन	एम टी एफ पी एस अनुमान	वास्तविक	वास्तविक से प्रतिशतता भिन्नता		
					पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमान	बजट आकलन	एम टी एफ पी एस अनुमान
स्वयं के कर राजस्व	15,346	19,983	19,620	19,245	*25.41*	*-3.69*	*-1.91*
करेत्तर राजस्व	4,362	4,762	4,175	4,418	*1.28*	*-7.22*	*5.82*

स्रोत: पंद्रहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन, बजट प्रलेख एवं वित्त लेखे।

जैसा कि तालिका- 2.15 से स्पष्ट है, वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य का स्वयं का कर राजस्व पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमान के सापेक्ष ₹ 3,899 करोड़ अधिक रहा, जबकि यह बजट अनुमानों और एम टी एफ़ पी एस के सापेक्ष क्रमश: ₹ 738 करोड़ एवं ₹ 375 करोड़ कम रहा। इस प्रकार, राज्य बजट और एम टी एफ़ पी एस में अनुमानित कर राजस्व के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हुआ था।

वर्ष 2023-24 के दौरान करेत्तर राजस्व (एन टी आर) पंद्रहवें वित्त आयोग एवं एम टी एफ़ पी एस के अनुमानों की तुलना में क्रमश: ₹ 56 करोड़ और ₹ 243 करोड़ अधिक था। हालांकि यह बजट अनुमानों के सापेक्ष ₹ 344 करोड़ कम था।

2.6 संसाधनों का उपयोग

राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान ढांचे के अंतर्गत राज्य सरकार को व्यय करने का उत्तरदायित्व प्रदान किया जाता है, जबकि साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि राज्य का सतत् राजकोषीय सुधार और समेकन प्रक्रिया पूंजीगत अवसरंचना और सामाजिक क्षेत्र की विकास की दिशा में उन्मुख व्यय की कीमत पर न हो।

राजस्व व्यय: वह सभी व्यय जो रख-रखाव, मरम्मत, संधारण एवं कार्यदायी व्यय जो परिसम्पत्ति को क्रियाशील बनाए रखने के लिए आवश्यक हों और दूसरे सभी व्यय जो किसी संगठन को दैनिक रूप से कार्य करने में आवश्यक हों, जिनमें स्थापना एवं प्रशासकीय व्यय सम्मिलित हैं, राजस्व व्यय में वर्गीकृत होते हैं।

पूंजीगत व्यय: वह सभी व्यय जो किसी परियोजना के प्रथम निर्माण पर और साथ ही साथ कार्य के मध्यवर्ती रख-रखाव पर होने वाले व्यय जिसे सेवा के लिए खोलागू नहीं गया हो और वह व्यय भी जो कार्य के परिवर्धन एवं सुधार के लिए हों तथा जिन्हें नियमों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा सकता हो, पूंजीगत व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

ऋण एवं अग्रिम: सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) और अन्य पक्षों को ऋण एवं अग्रिम।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान कुल व्यय, इसका संघटन और स रा घ उ में इसका अंश **तालिका-2.16** में दर्शाया गया है।

तालिका-2.16: कुल व्यय और इसका संघटन

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल व्यय	**38,399**	**43,667**	**46,810**	**52,061**	**58,380**
राजस्व व्यय	32,859	37,091	38,929	43,773	47,274
पूंजीगत व्यय	5,414	6,538	7,534	8,194	10,982
ऋण एवं अग्रिम	126	38	347	94	124
स रा घ उ से प्रतिशतता के रूप में					
कुल व्यय/स रा घ उ	*16.05*	*19.35*	*17.52*	*17.14*	*16.86*
राजस्व व्यय/स रा घ उ	*13.73*	*16.44*	*14.57*	*14.41*	*13.65*
पूंजीगत व्यय/स रा घ उ	*2.26*	*2.90*	*2.82*	*2.70*	*3.17*
ऋण एवं अग्रिम/स रा घ उ	*0.05*	*0.02*	*0.13*	*0.03*	*0.04*

स्रोत: वित्त लेखे।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य का कुल व्यय वर्ष 2019-20 में ₹ 38,399 करोड़ से 52 *प्रतिशत* बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 58,380 करोड़ हो गया। चालू वर्ष के दौरान यह गत वर्ष की तुलना में 12.14 *प्रतिशत* बढ़ा। स रा घ उ की प्रतिशतता के रूप में, कुल व्यय में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गई और यह वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान 16 *प्रतिशत* से 19 *प्रतिशत* के बीच रहा।

चार्ट-2.9 कुल व्यय में घटकों के अंश की प्रवृत्ति को दर्शाता है जबकि **चार्ट-2.10** वर्ष 2023-24 के दौरान समेकित निधि से कुल संवितरण के संघटन को दर्शाता है।

चार्ट-2.9: कुल व्यय: इनके घटकों के अंश की प्रवृत्तियाँ *(प्रतिशत में)*

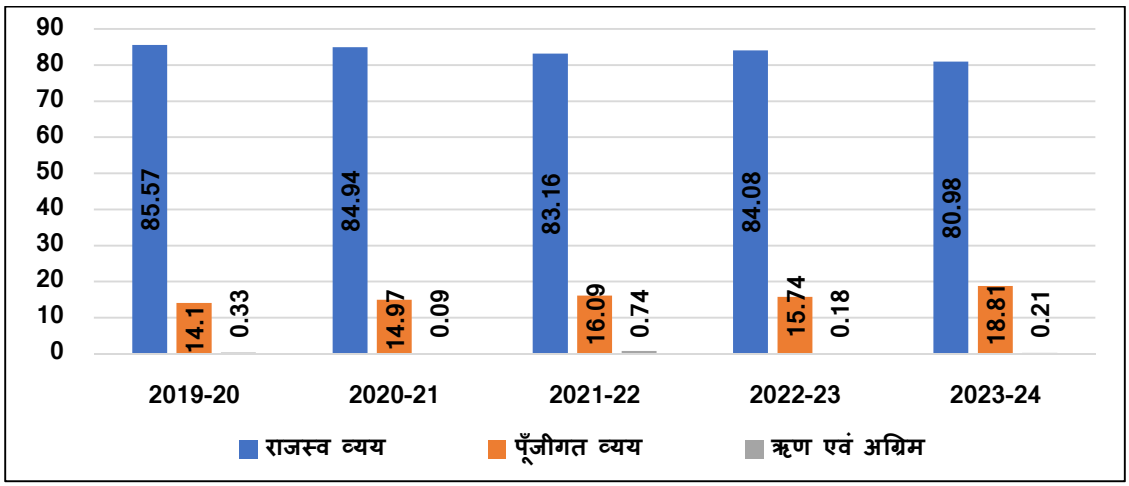

चार्ट-2.10: 2023-24 के दौरान समेकित निधि से कुल संवितरण का संघटन

(प्रतिशत में)

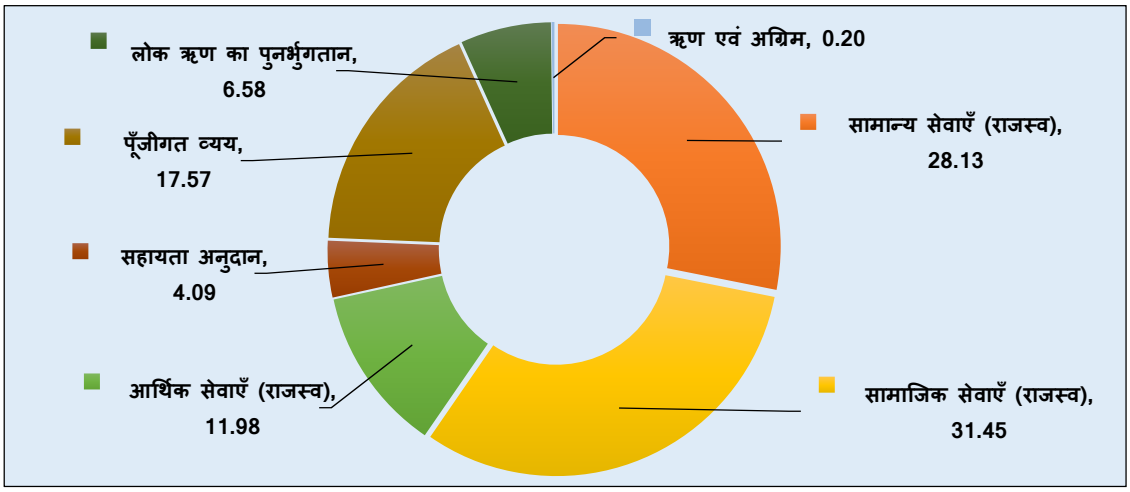

गतिविधियों के अनुसार, ब्याज के भुगतान सहित सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं तथा अन्य पर हुआ व्यय कुल व्यय में शामिल है। वर्ष 2023-24 के दौरान कुल व्यय ₹ 58,380 करोड़ (***परिशिष्ट-2.1*** से संदर्भित) में इन घटकों का संबन्धित अंश **तालिका-2.17** में दर्शाया गया है।

तालिका-2.17: व्यय के विभिन्न क्षेत्रों का संबंधित अंश

(प्रतिशत में)

मापदंड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सामान्य सेवाएँ	37.00	35.68	35.79	35.53	34.15
सामाजिक सेवाएँ	36.99	38.24	38.10	38.74	39.65
आर्थिक सेवाएँ	21.54	21.65	22.82	21.81	21.81
अन्य (स्थानीय निकायों को अनुदान तथा सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम)	4.47	4.43	3.29	3.92	4.38

चार्ट-2.11, 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए कुल व्यय में क्षेत्रवार घटकों की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

चार्ट-2.11: कुल व्यय: गतिविधि के अनुसार व्यय

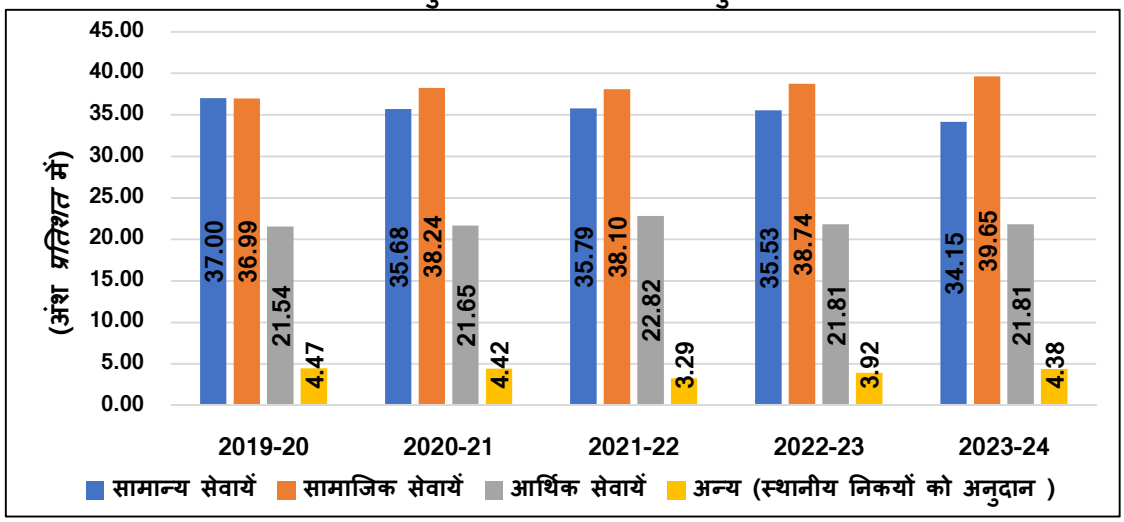

व्यय के उपर्युक्त घटकों से संबन्धित अंश इंगित करते हैं कि वर्ष 2023-24 के दौरान गत वर्ष की तुलना में सामान्य सेवाओं के अंश में आंशिक कमी हुई थी। हालाँकि, सामाजिक सेवाओं तथा अन्य से संबन्धित अंशों में चालू वर्ष के दौरान वृद्धि हुई।

2.6.1 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने तथा पिछले दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाता है। इस प्रकार, यह राज्य के बुनियादी ढाँचे और सेवा नेटवर्क में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी में अंशदान नहीं देता है।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान, राजस्व व्यय**,** कुल व्यय का औसतन 84 *प्रतिशत* (81 *प्रतिशत* से 86 *प्रतिशत* के मध्य) रहा। पाँच वर्ष की अवधि 2019-20 से 2023-24 के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि दर ने उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया है। समग्र राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर, कुल व्यय से इसके अनुपात तथा स रा घ उ और राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष उत्प्लावकता **तालिका-2.18** में दर्शायी गई हैं। राजस्व व्यय की प्रवृत्ति और स रा घ उ से इसकी प्रतिशतता **चार्ट-2.12** में दर्शायी गई है, जबकि **चार्ट-2.13** में 2023-24 से संबन्धित राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण दर्शाया गया है।

तालिका-2.18: राजस्व व्यय - आधार मापदंड

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल व्यय	**38,399**	**43,667**	**46,810**	**52,061**	**58,380**
राजस्व व्यय	**32,859**	**37,091**	**38,929**	**43,773**	**47,274**
राजस्व व्यय की वृद्धि दर *(प्रतिशत)*	2.06	12.88	4.96	12.44	8.00
राजस्व व्यय कुल व्यय से प्रतिशतता के रुप में	*85.57*	*84.94*	*83.16*	*84.08*	*80.98*
राजस्व व्यय / स रा घ उ *(प्रतिशत)*	*13.73*	*16.44*	*14.57*	*14.41*	*13.65*
राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता के रूप में	*106.95*	*97.09*	*90.41*	*89.18*	*93.40*
राजस्व व्यय की उत्प्लावकता[6] के साथ					
स रा घ उ (अनुपात)	0.53	(-)2.26	0.27	0.91	0.57
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	(-)1.30	0.53	0.39	0.89	2.56

स्रोत: वित्त लेखे।

[6] उत्प्लावकता, आधार चर में दिए गए परिवर्तन के संबंध में राजकोषीय चर की प्रतिक्रिया की मात्रा को इंगित करता है।

चार्ट-2.12: वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान राजस्व व्यय की प्रवृत्ति

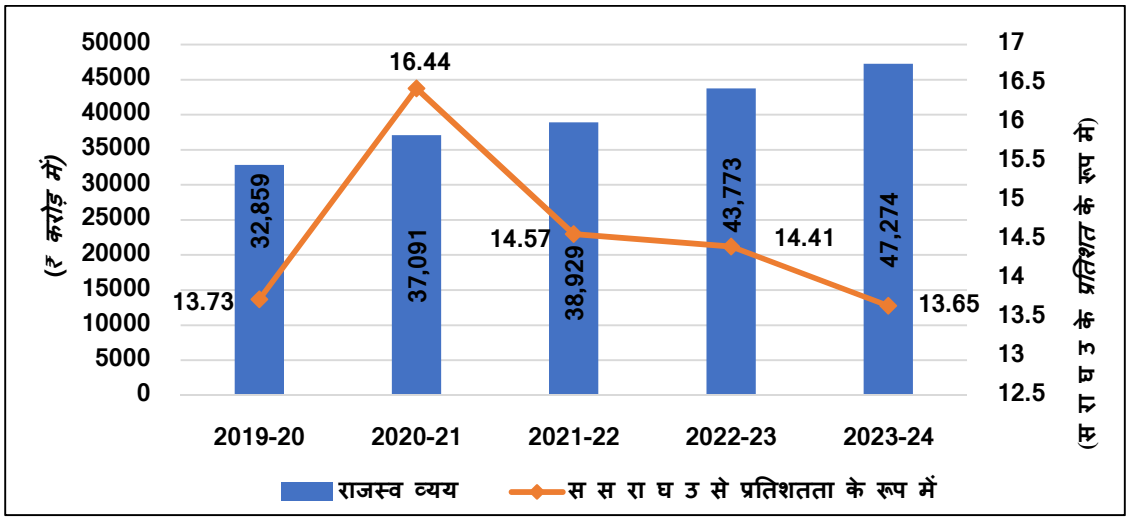

चार्ट-2.13: वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण

(प्रतिशत में)

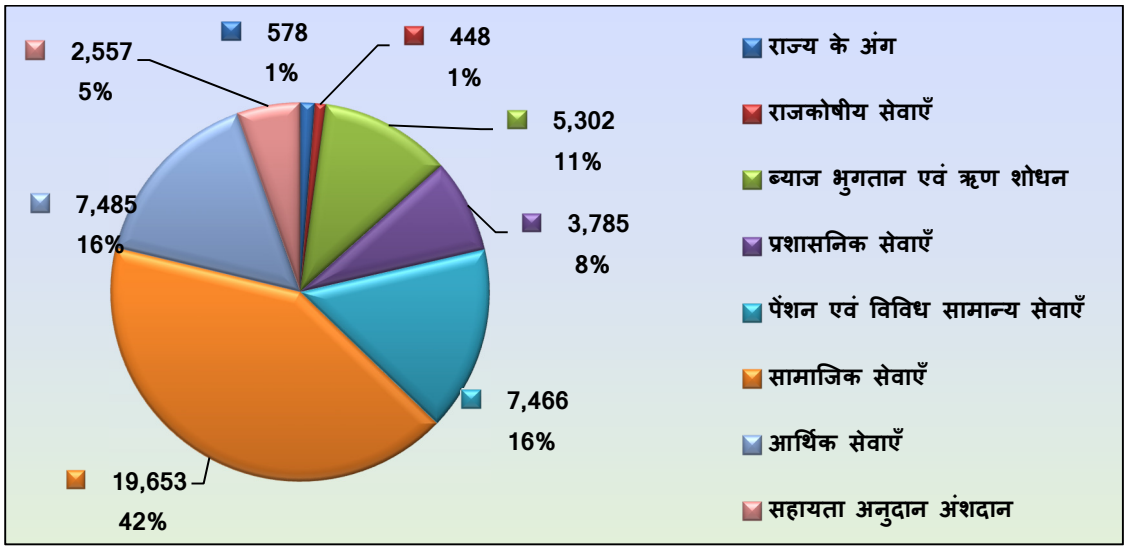

वर्ष 2023-24 के दौरान, गत वर्ष की तुलना में अपेक्षा स रा घ उ से राजस्व व्यय की प्रतिशतता कम थी। गत वर्ष की अपेक्षा इसमें ₹ 3,501 करोड़ (8.00 *प्रतिशत)* की उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी देखी गई। राजस्व व्यय, मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरण (एम टी एफ पी एस) में दिये गए आकलन (₹ 51,585 करोड़) के सापेक्ष ₹ 4,311 करोड़ कम था।

2.6.1.1 राजस्व व्यय में मुख्य बदलाव

तालिका-2.19, गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय से संबन्धित विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण विचलन (₹ 30 करोड़ और 30 *प्रतिशत* से अधिक) का विवरण दर्शाती है। धनात्मक विचलन के साथ कुछ मुख्य शीर्ष (i) लोक सेवा आयोग (ii) कोषागार और लेखा प्रशासन, (iii) खेल और युवा सेवाएं,

(iv) जलापूर्ति और स्वच्छता, (v) शहरी विकास, (vi) सूचना और प्रचार, (vii) श्रम, रोजगार और कौशल विकास, (viii) प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, (ix) मत्स्य पालन, (x) ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, (xi) अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम और (xii) सड़कें और पुल जबकि ग्रामीण रोजगार के अन्तर्गत राजस्व व्यय में ऋणात्मक विचलन देखा गया।

आगे, जांच के दौरान पाया गया कि वेतन, कार्यालय व्यय, मानदेय, मजदूरी, विज्ञापन और प्रचार इत्यादि जैसे नियमित प्रकृति के लेन-देन के लिए आकस्मिकता निधि से ₹ 111.30 करोड़ का राजस्व व्यय किया गया जो कि उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम 2001 के प्रावधानों के विरूद्ध था। यह राज्य सरकार द्वारा खराब बजटिंग को दर्शाता है क्योंकि बजट की तैयारी के प्रारम्भिक चरण में स्थापना व्यय की नियमित प्रकृति का पूर्वानुमान और बजट प्रावधान नहीं किया गया था।

तालिका-2.19: 2022-23 की तुलना में 2023-24 के दौरान राजस्व व्यय में महत्वपूर्ण विचलन

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष		व्यय		विचलन (प्रतिशतता)	
		2022-23	2023-24	धनराशि में	*प्रतिशत में*
2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1,581.44	2,109.40	527.96	*33.38*
3054	सड़क और पुल	419.11	886.56	467.45	*111.53*
2245	प्राकृतिक आपदाओ हेतु सहायता	1,049.96	1,369.55	319.59	*30.44*
2215	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	608.75	812.74	203.99	*33.51*
2217	शहरी विकास	302.77	417.67	114.90	*37.95*
2220	सूचना एवं प्रसार	167.85	260.17	92.32	*55.00*
2230	श्रम, रोजगार और कौशल विकास	178.68	264.75	86.07	*48.17*
2501	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	59.51	117.41	57.90	*97.29*
2051	लोक सेवा आयोग	59.97	103.63	43.66	*72.80*
2204	खेल और युवा सेवाए	100.63	142.63	42.00	*41.74*
2054	राजकोष और लेखा प्रशासन	89.92	130.42	40.50	*45.04*
2405	मत्स्यपालन	21.38	52.92	31.54	*147.52*
2505	ग्रामीण रोजगार	530.41	215.75	-314.66	*-59.32*

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

2.6.2 प्रतिबद्ध व्यय

राज्य सरकार के राजस्व लेखे में प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, ब्याज भुगतान एवं पेंशन सम्मिलित हैं। यह सरकारी संसाधनों पर पहला प्रभार है। प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति, विभिन्न क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए सरकार को कम विकल्प देती है। राज्य का एफ आर बी एम अधिनियम निर्धारित करता है कि राजस्व अधिशेष

होना चाहिए, इसको प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि राजस्व व्यय का एक बड़ा अंश वेतन एवं मजदूरी, ब्याज भुगतान एवं पेंशन जैसी प्रतिबद्ध मदों में चला जाता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, अनम्य व्यय की कुछ मदें हैं जिन्हें आम तौर पर काटा या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है या जो पूंजीगत व्यय आदि जैसे परिवर्तनीय लेन-देन के विपरीत वार्षिक आधार पर सांविधिक रूप से आवश्यक है। निम्नलिखित मदों को अनम्य व्यय के रूप में माना जा सकता है:

(i) स्थानीय निकायों को हस्तांतरण - वेतन और भत्ते के लिए स्थानीय निकायों को सांविधिक हस्तांतरण (पूंजीगत व्यय के लिए हस्तांतरण/अंतरण)।

(ii) आरक्षित निधि में अंशदान की सांविधिक आवश्यकताएं - समेकित सिंकिंग फंड (सी एस एफ), प्रतिभूति मोचन निधि (जी आर एफ), राज्य आपदा न्यूनीकरण/ प्रतिक्रिया निधि (एस डी एम एफ / एस डी आर एफ), आदि में अंशदान।

(iii) आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति - वर्ष के भीतर प्रतिपूर्ति की गई धनराशि।

(iv) उपकर को आरक्षित निधि/अन्य निकाय में स्थानांतरित करना, जो सांविधिक रूप से आवश्यक है।

(v) प्राप्त केंद्रीय निधि के सापेक्ष सी एस एस का अंशदान - राज्य अंशदान की राशि एस एन ए को हस्तांतरित किया जाना/ राज्य द्वारा व्यय किया जाना।

(vi) ब्याज युक्त निधियों की शेष राशि पर ब्याज का भुगतान जैसे कि उन्हें निवेश किया जा सकता था और सार्वजनिक ऋण पर ब्याज का भुगतान भारित व्यय के रूप में- ब्याज भुगतान।

प्रतिबद्ध व्यय में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति के कारण सरकार के पास विकास क्षेत्र के लिए कम लचीलापन रह जाता है। प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय और उसके घटकों का रुझान विश्लेषण **तालिका-2.20** में दर्शाया गया है और राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का अंश **चार्ट-2.14** में दिखाया गया है।

तालिका-2.20, 2019-20 से 2023-24 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय के घटकों में प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करती है। कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध और गैर-प्रतिबद्ध व्यय का अंश **चार्ट-2.14** के माध्यम से दर्शाया गया है।

तालिका-2.20: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
प्रतिबद्ध व्यय के घटक					
वेतन एवं मजदूरी	11,714	11,755	12,417	13,515	14,341
ब्याज भुगतान	4,504	4,773	4,939	5,104	5,192
पेंशन पर व्यय	5,507	6,168	6,364	7,181	7,597
योग	***21,725***	***22,696***	***23,720***	***25,800***	***27,130***
राजस्व प्राप्तियों (रा प्रा) की प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	*38.13*	*30.77*	*28.84*	*27.53*	*28.33*
ब्याज भुगतान	*14.66*	*12.49*	*11.47*	*10.40*	*10.26*
पेंशन पर व्यय	*17.92*	*16.14*	*14.78*	*14.63*	*15.01*
योग	***70.71***	***59.41***	***55.09***	***52.56***	***53.60***
राजस्व व्यय (रा व्य) की प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	*35.65*	*31.69*	*31.90*	*30.88*	*30.34*
ब्याज भुगतान	*13.71*	*12.87*	*12.69*	*11.66*	*10.98*
पेंशन पर व्यय	*16.76*	*16.63*	*16.35*	*16.41*	*16.07*
योग	***66.12***	***61.19***	***60.93***	***58.94***	***57.39***
गैर-प्रतिबद्ध रा व्य	11,134	14,395	15,209	17,973	20,144
रा व्य में गैर-प्रतिबद्ध व्यय का *प्रतिशत*	*33.88*	*38.81*	*39.07*	*41.06*	*42.61*
कु व्य में गैर-प्रतिबद्ध व्यय का *प्रतिशत*	*29.00*	*32.97*	*32.49*	*34.52*	*34.50*
सब्सिडी	35	139	145	289	428
गैर-प्रतिबद्ध व्यय के *प्रतिशत* के रूप में सब्सिडी	*0.31*	*0.97*	*0.95*	*1.61*	*2.12*
अनम्य व्यय के घटक					
स्थानीय निकायों को संविधिक हस्तांतरण	1,717	1,932	1,390	1,492	1,795
आरक्षित निधियों में अंशदान	150	150	210	110	110
आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति	94	02	436	269	179
उपकर का आरक्षित निधि/ अन्य निकाय में हस्तांतरण	00	70	72	72	*80*
प्राप्त केंद्रीय निधि के सापेक्ष सीएसएस का अंश अंशदान	उ न	548	1,047	728	1,581
ब्याज वहन करने वाली निधियों की शेष राशि पर ब्याज का भुगतान जैसे कि उनका निवेश किया जा सकता था और सार्वजनिक ऋण पर ब्याज का भुगतान भारित व्यय के रूप में - ब्याज भुगतान**	43	156	156	(-) 122	05
योग	***2,004***	***2,858***	***3,311***	***2,549***	***3,750***
रा प्रा के प्रतिशतता के रूप में अनम्य व्यय	***6.52***	***7.48***	***7.69***	***5.19***	***7.41***
रा व्य के प्रतिशतता के रूप में अनम्य व्यय	***6.10***	***7.71***	***8.51***	***5.82***	***7.93***

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

*****केवल ब्याज युक्त निधि की देयता प्रदान की गयी है। सार्वजनिक ऋण ब्याज देयता (यदि कोई देय) उपलब्ध नहीं है।***

तालिका-2.20 दर्शाती है कि राजस्व व्यय के सापेक्ष गैर-प्रतिबद्ध व्यय का *प्रतिशत* 2019-20 में 33.88 *प्रतिशत* से बढ़कर 2023-24 में 42.61 *प्रतिशत* हो गया, जिसमें सब्सिडी का अनुपात 0.31 *प्रतिशत* से 2.12 *प्रतिशत* तक था।

चार्ट-2.14: राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध एवं गैर-प्रतिबद्ध व्यय के अंश

(प्रतिशत में)

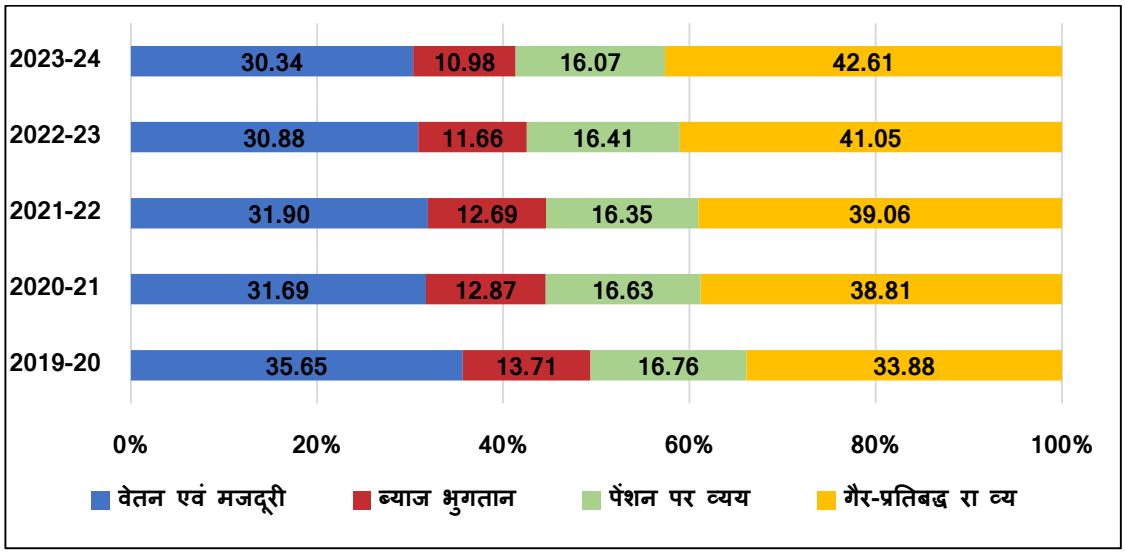

स्रोत: वित्त लेखे।

राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में प्रतिबद्ध व्यय में 2019-20 में 66.12 *प्रतिशत* से 2023-24 में 57.39 *प्रतिशत* तक कमी आई। इस प्रकार से विकास और रखरखाव कार्यों हेतु ज्यादा निधियाँ उपलब्ध थीं। इसी तरह, राजस्व प्राप्तियों के *प्रतिशत* के रूप में प्रतिबद्ध व्यय 2019-20 में 70.71 *प्रतिशत* से 2023-24 में 53.60 *प्रतिशत* तक कमी आई। आगे, राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में गैर-प्रतिबद्ध व्यय 2019-20 में 33.88 *प्रतिशत* से चालू वर्ष में 42.61 *प्रतिशत* तक बढ़ गया।

2.6.2.1 अन्य प्रतिबद्ध व्यय

राज्य सरकार के राजस्व लेखे में अन्य प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत दिव्यांगों, बच्चों, महिलाओं और वृद्ध कमजोर एवं निराश्रितों के कल्याण के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पेंशन पर व्यय भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, उपयोगिता बिलों के भुगतान पर व्यय जिसमें कि बिजली पर खर्च, जल प्रभार और दूरभाष प्रभार सम्मिलित है, भी अन्य प्रतिबद्ध व्यय हैं। निम्न **तालिका-2.21** पिछले पाँच वर्षों के दौरान 2023-24 तक अन्य प्रतिबद्ध व्यय को दर्शाती है।

तालिका-2.21: अन्य प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

अन्य प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1,607.08	1,671.37	1,814.44	2,615.42	2,810.84
उपयोगिता बिलों का भुगतान	271.84	290.58	344.87	460.81	482.46
योग	*1,878.92*	*1,961.95*	*2,159.31*	*3,076.23*	*3,293.30*

राजस्व प्राप्ति (रा प्रा) की प्रतिशतता के रूप में					
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	*5.23*	*4.37*	*4.21*	*5.33*	*5.55*
उपयोगिता बिलों का भुगतान	*0.88*	*0.76*	*0.80*	*0.94*	*0.95*
योग	***6.11***	***5.13***	***5.01***	***6.27***	***6.50***
राजस्व व्यय (रा व्य) की प्रतिशतता के रूप में					
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	*4.89*	*4.51*	*4.66*	*5.97*	*5.95*
उपयोगिता बिलों का भुगतान	*0.83*	*0.78*	*0.89*	*1.05*	*1.02*
योग	***5.72***	***5.29***	***5.55***	***7.03***	***6.97***

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान अन्य प्रतिबद्ध व्यय राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में पाँच *प्रतिशत* से सात *प्रतिशत* के मध्य रहा।

2.6.2.2 वेतन एवं मजदूरी

गत वर्ष के सापेक्ष चालू वर्ष में राजस्व व्यय में वेतन का अंश कम था। गत वर्ष में थोड़े बदलाव (0.54 *प्रतिशत*) के साथ वर्ष 2023-24 के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर व्यय राजस्व व्यय का 30.34 *प्रतिशत* लेखाबद्ध किया गया। पाँच वर्ष की अवधि 2019-20 से 2023-24 के दौरान, यह 2019-20 में ₹ 11,714 करोड़ से ₹ 2,627 करोड़ (22.43 *प्रतिशत*) बढ़ कर 2023-24 में ₹ 14,341 करोड़ हो गया। वर्ष 2023-24 के दौरान वेतन पर व्यय (₹ 14,341 करोड़) एम टी एफ पी एस में अनुमानित ₹ 17,830 करोड़ के सापेक्ष ₹ 3,489 करोड़ कम था। राज्य सरकार ने वेतन व्यय के अतिरिक्त, व्यावसायिक तथा विशिष्ट सेवाओं पर ₹ 192.48 करोड़ व्यय किये तथा ₹ 1,352.41 करोड़ वेतन एवं भत्तों तथा अन्य व्ययों के लिए सहायता अनुदान के रूप में दिये।

2019-20 से 2023-24 तक की अवधि के दौरान, कर्मचारियों की संख्या और भुगतान किए गए वेतन की राशि की तुलना **चार्ट-2.15** में दी गई है।

चार्ट-2.15: कर्मचारियों की संख्या और भुगतान की गई वेतन की धनराशि की तुलना

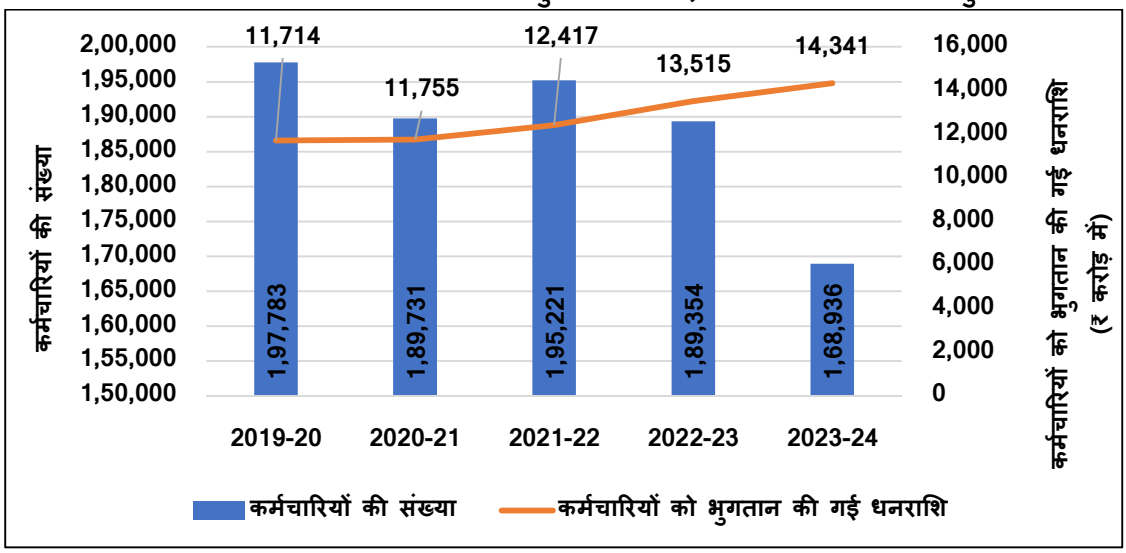

स्रोत: उत्तराखण्ड बजट का खण्ड VI और वित्त लेखे।

अवधि 2021-24 के दौरान राज्य में कर्मचारियों की संख्या में कमी की प्रवृत्ति देखी गयी। कर्मचारियों की संख्या 2019-20 में 1,97,783 से 28,847 (14.59 प्रतिशत) घटकर 2023-24 में 1,68,936 हो गई, जबकि वेतन व्यय संबंधित वर्षों के लिए ₹ 2,627 करोड़ (22.43 *प्रतिशत)* बढ़कर ₹ 11,714 करोड़ से ₹ 14,341 करोड़ हो गया।

2.6.2.3 ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान 2022-23 में ₹ 5,104 करोड़ से ₹ 88 करोड़ (1.72 *प्रतिशत)* बढ़कर 2023-24 में ₹ 5,192 करोड़ हो गया, जिसका मुख्य कारण आंतरिक ऋण पर ब्याज भुगतान में ₹ 26 करोड़ की वृद्धि, आरक्षित निधि पर ब्याज में ₹ 97 करोड़ की वृद्धि है, जिसे अन्य दायित्वों पर ब्याज में ₹ 40 करोड़ की कमी से संतुलित किया गया। चालू वर्ष के दौरान, आंतरिक ऋण (₹ 4,154 करोड़), लघु बचत, भविष्य निधि आदि (₹ 662 करोड़), केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम (₹ 76 करोड़), आरक्षित निधि (₹ 97 करोड़) और अन्य दायित्वों पर (₹ 204 करोड़) ब्याज भुगतान किया गया। चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से संबन्धित सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज के रूप में ₹ 39.07 करोड़ का भुगतान करना पड़ा।

सभी डी डी ओ द्वारा प्रत्येक अभिदाता के खाते में वास्तविक ब्याज जमा किए जाने के अभाव में महालेखाकार (ले एवं हक), उत्तराखण्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी के सामान्य भविष्य निधि लेखों पर ब्याज की गणना काल्पनिक रूप से की जा रही है।

ब्याज भुगतान को राज्य सरकार के बजट एवं एम टी एफ पी एस में अनुमानों के संदर्भ में **तालिका-2.22** में दर्शाया गया है।

तालिका-2.22: राज्य के अनुमानों के सापेक्ष ब्याज भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक	राज्य सरकार द्वारा किया गया आकलन			
		बजट		एम टी एफ पी एस	
		अनुमान	विचलन *(प्रतिशत)*	अनुमान	विचलन *(प्रतिशत)*
2023-24	5,192	6,161	969 (*15.73)*	6,059	867 (*14.31)*

स्रोत: बजट दस्तावेज़ एवं वित्त लेखे।

उपर्युक्त तालिका इंगित करती है कि राज्य सरकार द्वारा ब्याज भुगतान बजट और एम टी एफ पी एस में किए गए अपने अनुमानों से काफी कम था।

2.6.2.4 पेंशन

2023-24 में पेंशन भुगतान पर व्यय ₹ 7,597 करोड़ था जो राजस्व प्राप्तियों का 15.01 *प्रतिशत* था। चालू वर्ष के दौरान, गत वर्ष की अपेक्षा यह 5.79 *प्रतिशत*

(₹ 416 करोड़) बढ़ा तथा राज्य सरकार द्वारा अपने बजट में किए गए अनुमान (₹ 7,602 करोड़) से ₹ 5 करोड़ कम था, हालांकि यह एम टी एफ पी एस में किए गए अनुमान (₹ 7,421 करोड़) से ₹ 176 करोड़ अधिक था। वर्ष के दौरान, राज्य सहायतित शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों की पेंशन (₹ 1,310.37 करोड़) में ₹ 136.44 करोड़ की वृद्धि हुई, सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति भत्ते (₹ 2,353.45 करोड़) में ₹ 169.39 करोड़ की वृद्धि हुई, पारिवारिक पेंशन (₹ 1,422.42 करोड़) में ₹ 88.83 करोड़ की वृद्धि हुई और परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिए सरकारी अंशदान (₹ 899.45 करोड़) में 2022-23 की तुलना में ₹ 77.31 करोड़ की वृद्धि हुई। इस वृद्धि को छुट्टी नकदीकरण लाभ (₹ 324.47 करोड़) में ₹ 5.98 करोड़, ग्रेच्युटी (₹ 713.64 करोड़) में ₹ 25.00 करोड़ तथा पेंशन के परिवर्तित मूल्य (₹ 558.30 करोड़) में ₹ 22.62 करोड़ की कमी करके संतुलित किया गया।

वेतन की तुलना में पेंशन भुगतान में 2019-20 में 47.01 *प्रतिशत* से 2023-24 में 52.97 *प्रतिशत* की बढ़ोत्तरी हुई। हालांकि यह 2022-23 में 53.13 *प्रतिशत* से थोड़ा कम होकर 2023-24 में 52.97 *प्रतिशत* हो गया जैसाकि **तालिका-2.23** में दिया गया है।

तालिका-2.23: वेतन की प्रतिशतता के रूप में पेंशन भुगतान

घटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
पेंशन भुगतान *(₹ करोड़ में)*	5,507	6,168	6,364	7,181	7,597
वेतन पर भुगतान *(₹ करोड़ में)*	11,714	11,755	12,417	13,515	14,341
वेतन के सापेक्ष पेंशन का *प्रतिशत*	*47.01*	*52.47*	*51.25*	*53.13*	*52.97*

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत देयताएं

1 अक्टूबर 2005 को या इसके बाद नियुक्त किए गए राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन पी एस) के अंतर्गत आते हैं, जो एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है। योजना की शर्तों के अनुसार, कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 *प्रतिशत* अंशदान देता है तथा सरकार कर्मचारी के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 14 *प्रतिशत* का अंशदान करती है। राज्य सरकार का दायित्व है कि वह एन पी एस के दिशा निर्देशों के अनुसार कर्मचारी एवं सरकार दोनों का अंश नामित प्राधिकरण, राष्ट्रीय सिक्योरिटी डिपॉज़िटरी लिमिटेड (एन एस डी एल)/ट्रस्टी बैंक के पास आगामी निवेश के लिए जमा करे।

वर्ष के दौरान, परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में कुल अंशदान ₹ 1,560.03 करोड़ (कर्मचारियों का अंशदान ₹ 660.58 करोड़ और सरकार का अंशदान ₹ 899.45 करोड़) था। सरकार द्वारा 1,580.03 करोड़ (ब्याज भुगतान ₹ 20 करोड़ सहित) को

मुख्य शीर्ष-8342-117 परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत लोक लेखे में हस्तांतरित किया गया। एन पी एस में सरकार का अंशदान ₹ 25.36 करोड़ कम था, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व आधिक्य को अधिक दर्शाया गया एवं राजकोषीय घाटा इस सीमा तक कम दर्शाया गया था।

वर्ष के दौरान, एन एस डी एल/ट्रस्टी बैंक को ₹ 1,548.95 करोड़ हस्तांतरित किये गए। हालाँकि, 2023-24 के अंत में ₹ 98.09 करोड़ की राशि अभी भी हस्तांतरित नहीं हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक नकद शेष को अधिक दिखाया गया। योजना के अंतर्गत वसूली नहीं की गई, बेमेल और अहस्तांतरित राशियां, अर्जित ब्याज सहित, सरकार की बकाया देयताओं को दर्शाती हैं।

2.6.2.5 सब्सिडी

विगत वर्ष के सापेक्ष, वर्ष 2023-24 के दौरान सब्सिडी पर हुए व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी जैसाकि **तालिका-2.24** में दिये गए विवरण में देखा जा सकता है। राजस्व प्राप्तियों के *प्रतिशत* के रूप में सब्सिडी में, वर्ष 2021-22 को छोडकर, जिसमें इसमें मामूली कमी देखी गई थी, 2019-20 में 0.11 *प्रतिशत* से 2023-24 में 0.85 *प्रतिशत* तक तीव्र वृद्धि हुई। आगे, राजस्व व्यय के *प्रतिशत* के रूप में सब्सिडी 2019-20 में 0.11 *प्रतिशत* से बढ़कर 2023-24 में 0.91 *प्रतिशत* हो गई। आगे, सब्सिडी पर व्यय 2023-24 में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 139 करोड़ (48.10 *प्रतिशत*) बढ़ गया।

तालिका-2.24: 2019-24 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सब्सिडी *(₹ करोड़ में)*	35	139	145	289	428
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी	*0.11*	*0.36*	*0.34*	*0.59*	*0.85*
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी	*0.11*	*0.37*	*0.37*	*0.66*	*0.91*

2023-24 के दौरान, जिन प्रमुख योजनाओं में सब्सिडी पर व्यय किया गया था वे थी दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता कृषक कल्याण योजना (₹ 81 करोड़), खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्य सब्सिडी (₹ 104 करोड़), मेगा टेक्सटाइल नीति (₹ 15 करोड़), मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (₹ 60 करोड़), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवासों के लिए अनुदान (₹ 75 करोड़), दीन दयाल उपाध्याय (होम स्टे) विकास योजना (₹ 15 करोड़), गरीब परिवारों को कुकिंग गैस के लिए अनुदान (₹ 27 करोड़), सौर फोटोवोल्टिक कार्यक्रम (₹ 18 करोड़) और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना (₹ 10 करोड़)। राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 के दौरान अपने बजट अनुमानों में ₹ 493 करोड़ की सब्सिडी का अनुमान लगाया था।

2.6.2.6 अंतर्निहित सब्सिडी

अंतर्निहित सब्सिडी तब उत्पन्न होती है जब सरकार सामाजिक और आर्थिक वस्तुओं/सेवाओं को सरकार द्वारा वहन की गई वस्तुओं और सेवाओं की लागत से कम कीमत पर प्रदान करती है। यह अप्रत्यक्ष रूप में या वस्तु रूप में या रियायत के रूप में दी जा सकती है। 2019-24 के दौरान सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की गई अंतर्निहित सब्सिडी **तालिका-2.25** में दी गई है।

तालिका-2.25: 2019-24 के दौरान अंतर्निहित सब्सिडी पर व्यय

(₹ करोड़ में)

अंतर्निहित सबसिडी	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
फसल बीमा	3.99	1.89	2.16	3.24	0.00
सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता	45.19	123.90	85.70	79.93	76.54
योग	***49.18***	***125.79***	***87.86***	***83.17***	***76.54***

उपर्युक्त **तालिका-2.25** दर्शाती है कि राज्य सरकार द्वारा 2019-20 से 2022-23 के दौरान फसल कृषि कर्म के अन्तर्गत फसल बीमा योजना के लिए ₹ 11.28 करोड़ की धनराशि भी अंतर्निहित सब्सिडी के रूप में दी गयी और सड़क परिवहन के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को मुआवजे के रूप में सहायता और यू टी सी द्वारा वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान पर्वतीय मार्गों में बस संचालन के कारण हुए नुकसान के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति और मुफ्त यात्रा सुविधा के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए ₹ 411.26 करोड़ की सहायता प्रदान की है।

2.6.2.7 अनम्य व्यय

अनम्य व्यय के घटकों, जिनमें स्थानीय निकायों को अन्य सांविधिक हस्तांतरण और आरक्षित निधियों में अंशदान शामिल हैं, में वर्ष 2021-22 के अलावा 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान निरंतर वृद्धि देखी गई। राजस्व व्यय के *प्रतिशत* के रूप में अनम्य व्यय 2019-24 के दौरान छः *प्रतिशत* से नौ *प्रतिशत* की सीमा में रहा। इसके अतिरिक्त, अनम्य व्यय (₹ 3,750 करोड़) गत वर्ष 2023-24 (₹ 2,549 करोड़) की तुलना में 47.12 *प्रतिशत* बढ़ा।

2.6.2.8 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को अनुदान एवं ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को अनुदानों के माध्यम से प्रदान की गई वित्तीय सहायता को **तालिका-2.26** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका-2.26: स्थानीय निकायों आदि के लिए वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संस्थानों को वित्तीय सहायता	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	शैक्षणिक संस्थान (सहायता प्राप्त स्कूल और कॉलेज, विश्वविद्यालय)	573.62	1,531.82	901.68	1,079.12	1,156.09
2.	नगर निगम और नगर पालिकाएँ	902.05	976.91	734.27	1,044.05	1,308.34
3.	जिला परिषद और अन्य पंचायती राज संस्थान	814.62	955.29	655.97	996.62	1,249.06
4.	विकास एजेंसियाँ	494.84	539.27	483.71	523.97	712.04
5.	अस्पताल और अन्य धर्मार्थ संस्थाएँ	353.03	552.66	630.04	1,068.47	118.40
6.	ऊर्जा (ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत)	13.30	9.17	13.81	11.07	18.83
7.	कृषि अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान, भू-अभिलेखों को अद्यतन करने के लिए भूमि सुधार और वन्य जीवन संरक्षण	585.49	915.03	902.30	947.26	657.20
8.	सहकारी समितियाँ	1.55	15.18	14.26	16.85	3.61
9.	पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन	51.17	55.77	70.97	76.63	85.72
10.	सचिवालय आर्थिक सेवाएँ और पर्यटन	47.27	56.38	64.19	98.14	140.30
11.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	238.66	250.85	178.48	433.53	448.89
12.	अन्य संस्थान	724.60	582.44	1,208.77	1,335.60	1,102.22
योग		***4,800.18***	***6,440.77***	***5,858.45***	***7,631.31***	***7,000.70***
राजस्व व्यय से प्रतिशतता के अनुसार सहायता		*14.61*	*17.36*	*15.05*	*17.43*	*14.81*
वेतन हेतु सहायता अनुदान (मानक मद-05)		**1,071.71**	**1,179.53**	**1,181.65**	**1,391.96**	**1,352.41**
पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु सहायता अनुदान (मानक मद-55)		**383.01**	**(-)431.63**[7]	**706.10**	**450.47**	**538.99**
गैर वेतन सहायता अनुदान (मानक मद-56)		**3,129.89**	**3,409.34**	**3,312.13**	**4,747.80**	**3,314.36**
सहायता अनुदान का समनुदेशन (मानक मद-69)		**...**	**1,932.20**	**1,390.23**	**1,491.55**	**1,794.94**
वस्तु के रूप में दिया गया अनुदान		**सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गयी**				

स्रोत: वित्त लेखे तथा महालेखाकार (ले एवं हक), उत्तराखण्ड का वी एल सी डाटा।

चालू वर्ष के दौरान गत वर्ष की अपेक्षा प्रदान की गई सहायता में ₹ 630.61 करोड़ की कमी हुई। चालू वर्ष के दौरान, नगर निगम, नगर पालिका, जिला परिषद तथा अन्य पंचायती राज संस्थाओं को दी गई सहायता कुल वित्तीय सहायता की 36.53 *प्रतिशत* लेखांकित की गई।

मई 2016 में चौथे राज्य वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों को राज्य के स्वयं के कर राजस्व का 11 *प्रतिशत* धनराशि हस्तांतरण करने की सिफारिश की थी। 2019-20 से 2023-24 के दौरान हस्तांतरित की जाने वाली धनराशि और वास्तविक हस्तांतरित धनराशि **तालिका-2.27** में दी गई है।

[7] ऋणात्मक आँकड़ा लोक लेखा में हस्तांतरित एस डी आर एफ़ पर व्यय को दर्शाता है।

तालिका-2.27: हस्तांतरित की जाने वाली धनराशि की तुलना में स्थानीय निकायों को दी गई वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राज्य के स्वयं के कर राजस्व (रा स्व क रा)	11,513	11,938	14,176	17,103	19,245
हस्तांतरित की जाने वाली धनराशि (2016-17 से आगे राज्य के स्वयं के कर राजस्व का 11 *प्रतिशत*)	1,266.43	1,313.18	1,559.36	1,881.33	2,116.95
स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कुल धनराशि	1,716.67	1,932.2	1,390.24	1,491.55	2,557.39
स्थानीय निकायों को वास्तविक हस्तांतरित धनराशि रा स्व क रा की प्रतिशतता के रूप में	*14.91*	*16.19*	*9.81*	*8.72*	*13.29*

स्रोत: महालेखाकार (ले एवं हक), उत्तराखण्ड का वी एल सी डाटा और राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियाँ।

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2021-22 के अलावा वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक स्थानीय निकायों को वास्तविक हस्तांतरण निरंतर रूप से बढ़ा। 2023-24 के दौरान वास्तविक हस्तांतरण राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत धनराशि से अधिक था।

2.6.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय प्रमुख रूप से स्थायी बुनियादी ढाँचागत सम्पत्तियों जैसे सड़क, भवन आदि के निर्माण पर होने वाला व्यय है।

कुल पूंजीगत व्यय 2019-20 में ₹ 5,414 करोड़ से 2023-24 में ₹ 10,982 करोड़ तक बढ़ा है। चालू वर्ष में यह ₹ 2,788 करोड़ (34.02 *प्रतिशत*) तक बढ़ा। वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य द्वारा किया गया पूंजीगत व्यय एम टी एफ पी एस लक्ष्यों में किए गए अनुमान (₹ 10,403 करोड़) से ₹ 579 करोड़ अधिक था, जबकि बजट में किए गए अनुमान (₹ 13,134) से ₹ 2,152 करोड़ कम था। **चार्ट-2.16** में पाँच वर्ष की अवधि 2019-20 से 2023-24 के दौरान, बजट के सापेक्ष पूंजीगत व्यय का विवरण दिया गया है और **चार्ट-2.17** में स रा घ उ और कुल व्यय के *प्रतिशत* के रूप में पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति दी गई है।

चार्ट-2.16: 2019-20 से 2023-24 तक पाँच वर्ष की अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति

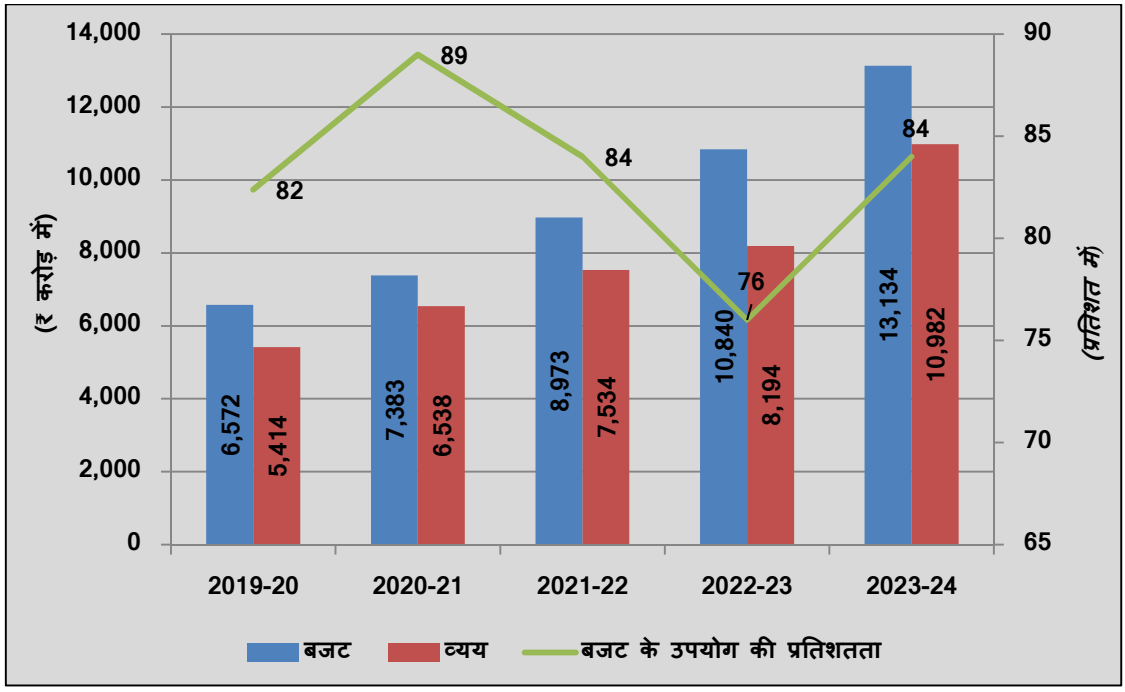

चार्ट-2.17: पूंजीगत व्यय की स रा घ उ तथा कुल व्यय के *प्रतिशत* के रूप में प्रवृत्ति

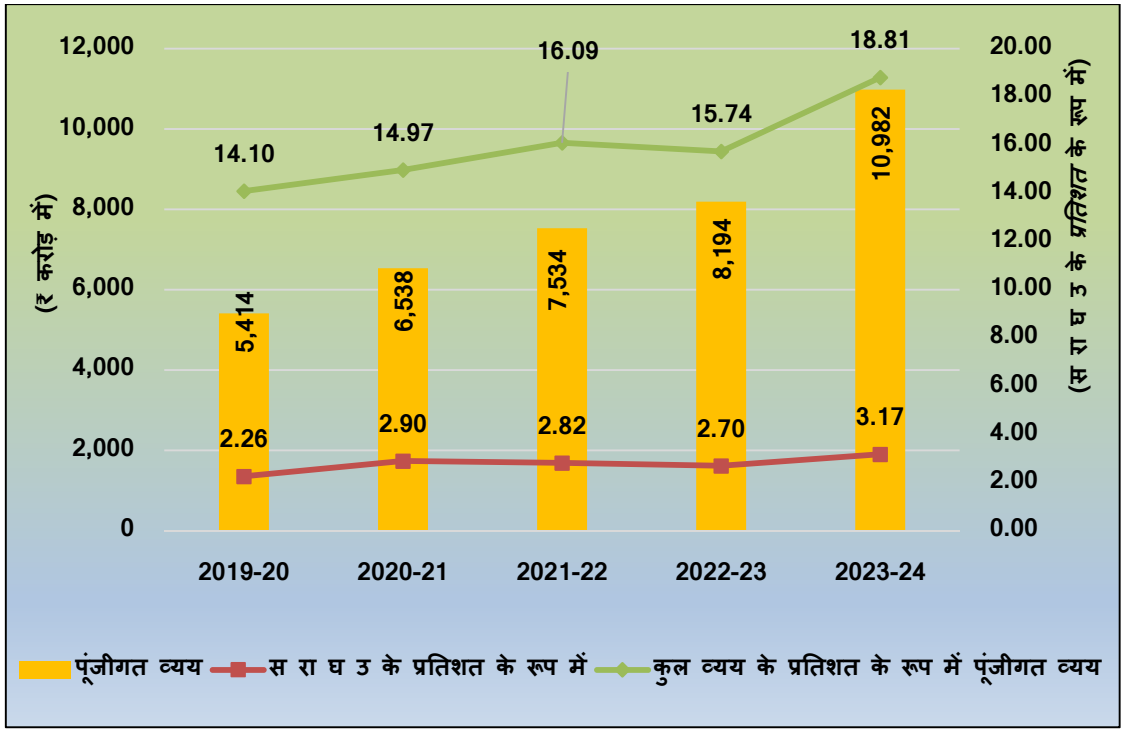

2.6.3.1 पूंजीगत व्यय में बड़े परिवर्तन

तालिका-2.28 में गत वर्ष के सापेक्ष 2023-24 के दौरान पूंजीगत व्यय में विभिन्न लेखाशीर्षों में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि अथवा कमी (₹ 30 करोड़ और 30 *प्रतिशत* से अधिक) वाले प्रकरणों को दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, 2019-24 के दौरान इन लेखाशीर्षों के अन्तर्गत व्यय की प्रवृत्ति नीचे तालिका में दर्शायी गयी है:

तालिका-2.28: 2019-24 के दौरान पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखाशीर्ष		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	प्रवृतियाँ
4059	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	339.32	733.66	1,050.30	1,554.94	2,296.86	
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	97.60	172.94	313.19	299.37	807.71	
4801	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	133.20	147.59	100.90	151.49	568.59	
4215	जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	638.64	648.18	1,059.87	550.20	918.46	
4408	खाद्य भंडारण तथा भंडारागार पर पूंजीगत परिव्यय	569.19	71.29	493.97	285.32	628.94	
4700	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	200.67	132.28	118.59	136.90	351.26	
4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	469.43	574.95	385.89	511.90	717.94	
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	16.25	42.09	73.79	66.37	263.85	
4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	39.90	6.77	5.73	43.57	167.73	
4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	31.52	43.96	41.92	53.56	163.99	
4401	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	12.48	2.33	2.6	27.02	134.47	
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	28.25	94.80	60.02	57.00	95.05	
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	105.75	82.10	97.51	178.28	120.53	
4515	आँय ग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	1,270.19	2,000.43	1,706.32	1,917.54	1,257.36	

मुख्य शीर्ष जिसमें विगत वर्ष के सापेक्ष सारभूत वृद्धि/कमी चिन्हित हुई वे थे लोक निर्माण, खाद्य भंडारण और गोदाम, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रम।

2.6.3.2 पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता

अगर राज्य सरकार घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों में निवेश जारी रखती है, जिनकी निवल संपत्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी है, वहाँ निवेश पर प्रतिलाभ की संभावना बहुत कम होती है। पूर्व के अनुभव से पता चलता है कि घाटे में चल रहे निगमों तथा सेक्टरों में खराब प्रदर्शन कर रहे अन्य निकायों जैसे चीनी मिल, वित्त निगम आदि को दिये गए ऋणों को अनिवार्यतः बट्टे खाते में डालना पड़ता है। ऐसे वित्तीय प्रचालनों में पारदर्शिता लाने के लिए अपेक्षित कदम उठाने होंगे। इस खण्ड में चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

(i) कंपनियों, निगमों तथा अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

ऐसी कंपनियों (जैसे ऊर्जा वितरण कंपनियाँ), निगमों (जैसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त निगम), एवं सहकारिता (जैसे चीनी मिल) जो घाटे में चल रही हैं और जिनकी निवल संपत्ति पूर्ण रुप से समाप्त हो चुकी है, में किये गए निवेश तथा उनको दिये गए ऋण टिकाऊ नहीं हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेशित शेयर पूँजी में निवेश पर प्रतिलाभ और विभिन्न निकायों को प्रदान किए गए ऋणों के पुनर्भुगतान का इतिहास पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं।

2023-24 के वित्त लेखों के अनुसार उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य में 31 मार्च 2024 तक एक संविधिक निगम तथा 16 सरकारी कंपनियों में ₹ 4,527.50 करोड़ का निवेश किया था। 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार ने इन निवेशों से ₹ 25.20 करोड़ प्रतिलाभ अर्जित किया। **तालिका-2.29** में 2019-20 से 2023-24 तक पाँच वर्ष की अवधि में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किए गए निवेश का वर्ष-वार विवरण प्रस्तुत किया गया है।

तालिका-2.29: निवेश और निवेश पर प्रतिलाभ का विवरण

(₹ करोड़ में)

निवेश /प्रतिलाभ/ उधार की लागत	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
वर्ष के अंत तक निवेश	**3,534.95**	**3,683.54**	**3,818.94**	**4,043.90**	**4,527.50**
निवेश पर प्रतिलाभ	14.08	40.02	35.05	25.07	25.20
निवेश पर प्रतिलाभ (*प्रतिशत*)	*0.40*	*1.09*	*0.92*	*0.62*	*0.56*
सरकारी उधार पर औसत ब्याज दर (*प्रतिशत*)	*7.26*	*6.83*	*6.55*	*6.56*	*6.32*
औसत ब्याज दर और प्रतिलाभ (*प्रतिशत*) के बीच अंतर	*(-)6.86*	*(-)5.74*	*(-)5.63*	*(-)5.94*	*(-)5.76*
सरकारी उधारों की ब्याज दर और निवेश पर प्रतिलाभ के बीच अंतर के कारण परिकल्पित नुकसान	242.50	211.44	215.01	240.21	260.78

उत्तराखंड सरकार के निवेश पर औसत रिटर्न नगण्य रहा और 2019-20 से 2023-24 के दौरान निवेश (ऐतिहासिक लागत पर) का 0.40 से 1.09 *प्रतिशत* रहा। यह पिछले वर्ष के 0.62 *प्रतिशत* से घटकर इस वर्ष 0.56 *प्रतिशत* रह गया। हालांकि, सरकार ने 2019-20 से 2023-24 के दौरान अपने उधार पर 6.70 *प्रतिशत* की औसत ब्याज दर का भुगतान किया।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने तथ्यों से सहमति व्यक्त की और निवेश पर प्रतिलाभ बढ़ाने के प्रयासों पर फिर से विचार करने का आश्वासन दिया।

(ii) शेष राशि का समाधान

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा क्षे उ) के अभिलेखों के अनुसार, बकाया इक्विटी, ऋण तथा प्रतिभूतियों के संबंध में आँकड़े उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखों के आँकड़ों के साथ मेल खाने चाहिए। यदि इन आँकड़ों में कोई भिन्नता होती है तो, संबन्धित रा सा क्षे उ तथा वित्त विभाग को भिन्नता का समाधान करना चाहिए। **तालिका-2.30** में दिनांक 31 मार्च 2024 को इक्विटी, ऋण तथा प्रतिभूति के आँकड़ों में भिन्नता प्रदर्शित की गयी है।

तालिका-2.30: वित्त लेखों के सापेक्ष रा सा क्षे उ के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी, ऋण तथा प्रतिभूति के बकायों के आँकड़े

(₹ करोड़ में)

के सापेक्ष बकाया	वित्त लेखों के अनुसार	रा सा क्षे उ के आंकड़ों के अनुसार	अंतर
क	ख	ग	(ख-ग)
इक्विटी	4,527.50	4,176.67	350.83
ऋण	831.99	1,401.44	(-)569.45
प्रतिभूति	117.88	185.00	(-)67.12

स्रोत: रा सा क्षे उ और वित्त लेखों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलन।

आँकड़ों में अन्तर पिछले कई वर्षों से बना हुआ है। यह अन्तर मुख्य रूप से महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में प्राप्त वाउचरों के आधार पर सरकारी लेखों में निवेश की प्रविष्टियों तथा अलग-अलग सा क्षे उ से प्राप्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दिये गए विवरणों के कारण उत्पन्न हुआ।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने कहा कि शेष राशि का मिलान किया जाएगा।

(iii) राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों के बीच गलत वर्गीकरण

वर्ष 2023-24 के दौरान, उत्तराखण्ड सरकार ने गलत तरीके से पूंजीगत खंड के बजाय राजस्व खंड के अन्तर्गत ₹ 0.70 करोड़ (वृहद कार्य) और ₹ 61.96 करोड़ (भूमि खरीद) का व्यय दर्ज किया और ₹ 605.82 करोड़ (सहायता अनुदान) का व्यय राजस्व खंड के बजाय पूंजीगत खंड के अन्तर्गत दर्ज किया, जैसा कि व्यय के उद्देश्य से निर्धारित किया गया है। इसके कारण राजस्व अधिशेष को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया और उस सीमा तक राजकोषीय घाटे को कम करके दिखाया गया।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की और कहा कि सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।

(iv) पाँच वर्षों के दौरान ऋणों के वितरण एवं वसूली की मात्रा

सहकारी समितियों, निगमों तथा कंपनियों में निवेश के अतिरिक्त राज्य सरकार ने बहुत सी संस्थाओं/ संगठनों को भी ऋण प्रदान किए थे। **तालिका-2.31**, 31 मार्च 2024 को पाँच वर्षों 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि के लंबित ऋणों एवं अग्रिमों के साथ ब्याज की प्राप्ति की तुलना में व्याज भुगतान को प्रस्तुत करता है।

तालिका-2.31: 2019-24 के दौरान संवितरित ऋणों की मात्रा एवं वसूलियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

ऋणों की मात्रा/ब्याज प्राप्तियाँ/उधार की लागत	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
बकाया ऋण का प्रारम्भिक शेष	1,926.54	2,033.40	2,047.91	2,378.28	2,454.61
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम धनराशि	125.78	37.56	347.45	93.63	124.10
वर्ष के दौरान वसूली गई धनराशि	18.92	23.05	17.08	17.30	15.82
लंबित ऋण का अन्त शेष	2,033.40	2,047.91	2,378.28	2,454.61	2,562.89
शुद्ध वृद्धि	106.86	14.51	330.37	76.33	108.28
प्राप्त ब्याज	25.65	58.78	359.22	34.72[8]	65.90
लंबित ऋण और अग्रिम की प्रतिशतता के रूप में प्राप्त ब्याज	*1.33*	*2.89*	*17.54*	*1.46*	*2.68*

[8] इसमें मुख्य शीर्ष-6003-111 (एन एस एस एफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां) से संबंधित ₹ 660.16 करोड़ की धनराशि शामिल नहीं है जिसे 2017-18 और 2018-19 के दौरान अनजाने में मुख्य शीर्ष-2049 के तहत बुक/डेबिट किया गया था। 2022-23 के दौरान मुख्य शीर्ष-0049-800 क्रेडिट करके इसे एक टीई के माध्यम से ठीक किया गया था।

ऋणों की मात्रा/ब्याज प्राप्तियाँ/उधार की लागत	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सरकारी उधार पर दिये गए औसत ब्याज की दर *(प्रतिशत)*	*7.26*	*6.83*	*6.55*	*6.56*	*6.32*
ब्याज भुगतान और प्राप्त ब्याज के बीच अंतर *(प्रतिशत)*	*(-)5.93*	*(-)3.94*	*10.99*	*(-)5.10*	*(-)3.64*

31 मार्च 2024 को लंबित ऋणों एवं अग्रिमों की कुल धनराशि ₹ 2,562.89 करोड़ थी। चालू वर्ष के दौरान ऋणों के संवितरण की धनराशि 2022-23 में ₹ 93.63 करोड़ से 32.54 *प्रतिशत* बढ़कर कर 2023-24 में ₹ 124.10 करोड़ हो गई। आर्थिक सेवाओं में प्रमुख प्राप्तकर्ता ऊर्जा क्षेत्र ₹ 112.00 करोड़ तत्पश्चात कृषि क्षेत्र ₹ 8.00 करोड़ था। कुल बकाया ऋणों की जांच से पता चला कि पिछले पांच वर्षों (मार्च 2024 तक) में चार क्षेत्रों अर्थात् सामान्य सेवाएं (अन्य ऋण), विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, जलापूर्ति एवं स्वच्छता, आवास और शहरी विकास और परिवहन क्षेत्र द्वारा कोई पुनर्भुगतान नहीं किया गया था जिसका विवरण तालिका 2.32 में दिया गया है। एक क्षेत्र (परिवहन) में, कोई पुनर्भुगतान न होने के बावजूद अतिरिक्त ऋण (₹ 2.87 करोड़) दिया गया, जबकि कृषि और संबद्ध गतिविधियों में मामूली पुनर्भुगतान के बावजूद अतिरिक्त ऋण (₹ 8.00 करोड़) दिया गया। पिछले कुछ वर्षों में कुल बकाया राशि में वृद्धि हुई है।

तालिका-2.32: लंबे समय के लिए बढ़ाए गए ऋण और अग्रिम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	सामान्य सेवाएँ (अन्य ऋण)	19.47	19.47	19.47	19.47	19.47
2.	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	42.09	42.09	42.09	42.09	42.09
3.	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	1,119.57	1,117.47	1,116.47	1,188.91	1,195.88
4.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	503.16	503.16	503.16	503.16	503.16
5.	परिवहन	153.80	158.09	215.47	233.23	236.10
योग		***1,838.09***	***1,840.28***	***1,896.66***	***1,986.86***	***1,996.70***

2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान, सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए ₹ 728.52 करोड़ की धनराशि का अग्रिम दिया गया जबकि ₹ 92.17 करोड़ की धनराशि की वसूली की गई। वर्ष के प्रारम्भ में बकाया धनराशि तथा वर्ष के दौरान अग्रिम दी गई धनराशि के सापेक्ष वसूली, प्रत्येक वर्ष कम हो कर वर्ष 2019-20 में 0.92 *प्रतिशत* से 2023-24 में 0.61 *प्रतिशत* हो गयी। चालू वर्ष के दौरान, पुनर्भुगतान की गयी राशि ₹ 15.82 करोड़ थी जो 31 मार्च 2023 तक बकाया ऋण (₹ 2,454.61 करोड़) का 0.64 *प्रतिशत* थी।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने तथ्यों से सहमति व्यक्त की और कहा कि पुराने/विरासत ऋण शेष की समीक्षा की जाएगी और कुल बकाया ऋणों को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

(v) अपूर्ण/जारी परियोजनाओं में अवरूद्ध पूँजी

अपूर्ण पूंजीगत कार्यों में अवरुद्ध पूँजी की प्रवृत्ति का आकलन भी पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता की ओर संकेत करता है। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर निधियों का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है तथा राज्य को अपेक्षित लाभ से लंबे समय तक वंचित रखता है। इसके अतिरिक्त, संबन्धित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उधार ली गयी निधियाँ, ऋण और ब्याज की देयता के रूप में अतिरिक्त बोझ का कारण बनती हैं।

वर्ष 2023-24 के राज्य वित्त लेखे के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक लोक निर्माण एवं सिंचाई विभाग में 154 (135+19) अपूर्ण/चालू परियोजनाएँ थीं। 31 मार्च 2024 को इन परियोजनाओं के स्वीकृति वर्ष/कार्य प्रारम्भ होने के वर्ष के आधार पर अपूर्ण परियोजनाओं की आयु-वार रूपरेखा **तालिका-2.33** में दी गयी है।

तालिका-2.33: 31 मार्च 2024 तक अपूर्ण परियोजनाओं की आयु-वार रुपरेखा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय	वित्तीय स्थिति *(प्रतिशत में)*
2018-19 तक स्वीकृत	42	248.48	199.60	*80.33*
2019-20	08	51.32	47.17	*91.91*
2020-21	12	122.82	98.26	*80.00*
2021-22	31	288.39	197.44	*68.46*
2022-23	13	81.28	42.35	*52.10*
2023-24	42	116.80	50.63	*43.35*
स्वीकृति/प्रारम्भ तिथि ज्ञात नहीं	06	12.74	6.08	*47.72*
योग	***154***	***921.83***	***641.53***	***69.59***

स्रोत: वित्त लेखे।

बिना किसी विलम्ब के इन सभी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि लागत वृद्धि से बचा जा सके।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने तथ्यों से सहमति व्यक्त की और कहा कि अधूरी परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को निर्देश जारी किए जाएंगे।

(vii) सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य के संसाधनों की उपलब्धता

सार्वजनिक निजी सहभागिता सरकार या सांविधिक इकाई और एक निजी क्षेत्र के मध्य एक व्यवस्था है, जो कि बुनियादी विकास हेतु लोगों की माँग को पूरा करने के लिए उन्हें साथ कार्य करने में सक्षम बनाने हेतु एक संरचना प्रदान करती है। निम्न **तालिका-2.34** में राज्य में चल रही परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है।

तालिका-2.34: पी पी पी परियोजनाओं का क्षेत्रवार/विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	पूर्ण		चल रही है	
		संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत
1.	परिवहन	3	71.42	3	63.76
2.	ऊर्जा	0	0	2	117.50
3.	शहरी	6	721.73	5	364.55
4.	पर्यटन	3	25.00	2	201.81
5.	स्वास्थ्य	6	84.40	0	0
6.	कृषि	0	0	1	380.00
	योग	***18***	***902.55***	***13***	***1,127.62***

स्रोत: उत्तराखण्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेल डैशबोर्ड (http://www.upppc.org/projects/projects)।

2.7 व्यय की प्राथमिकताएँ

मानवीय विकास स्तर को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार प्रमुख सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपना व्यय बढ़ाये। किसी क्षेत्र विशेष के साथ निम्न राजकोषीय प्राथमिकता (किसी श्रेणी के अंतर्गत व्यय का समग्र व्यय से अनुपात) संलग्न होती है यदि आबंटन संबंधित राष्ट्रीय औसत से कम हो। इन घटकों का कुल व्यय से अनुपात जितना उच्चतर हो व्यय की गुणवत्ता को उतना अच्छा समझा जाता है।

तालिका-2.35 में 2019-20 को आधार वर्ष मानते हुए, 2023-24 के दौरान राज्य सरकार की राजस्व प्राथमिकता का उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों से विकास व्यय, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र पर व्यय तथा पूंजीगत व्यय का तुलनात्मक अध्ययन दिया गया है।

तालिका-2.35: वर्ष 2019-20 और 2023-24 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	कु व्य/ स रा घ उ	सा क्षे व्य/ कु व्य	आ क्षे व्य/ कु व्य	वि व्य/ कु व्य	पूँ व्य/ कु व्य	शिक्षा/ कु व्य	स्वास्थ्य एवं प.क./कु व्य
2019-20 में औसत (अनुपात)							
उ पू एवं हिमालयी	*26.21*	*35.50*	*28.72*	*64.22*	*14.94*	*17.08*	*6.37*
उत्तराखण्ड	*16.05*	*36.99*	*21.21*	*58.20*	*14.10*	*20.16*	*5.47*
2023-24 में औसत (अनुपात)							
उ पू एवं हिमालयी	*25.19*	*37.02*	*25.52*	*62.54*	*17.61*	*15.93*	*6.43*
उत्तराखण्ड	*16.86*	*39.65*	*21.60*	*61.25*	*18.81*	*17.19*	*7.87*

कु व्य: कुल व्यय; वि व्य: विकास व्यय; सा क्षे व्य: सामाजिक क्षेत्र व्यय; आ क्षे व्य; आर्थिक क्षेत्र व्यय; पूँ व्य: पूंजीगत व्यय।

स्रोत: एन एस ओ, एम ओ एस पी आई, आदि के आंकड़ों पर आधारित एस एफ़ ए आर संकलन।

2023-24 में उत्तराखण्ड राज्य के औसत व्यय का 2019-20 के साथ तुलनात्मक अध्ययन निम्न दर्शाता हैः

- स रा घ उ के अनुपात में राज्य सरकार का कुल व्यय 2019-20 की तुलना में 2023-24 में मामूली रूप से 0.81 *प्रतिशत* अंक बढ़ा।
- 2019-20 की तुलना में 2023-24 में कुल व्यय के अनुपात में सामाजिक क्षेत्र का व्यय 2.66 *प्रतिशत* अंक अधिक था।
- 2019-20 की तुलना में 2023-24 में कुल व्यय के अनुपात में आर्थिक क्षेत्र का व्यय 0.39 *प्रतिशत* अंक अधिक था।
- 2019-20 की तुलना में, 2023-24 में कुल व्यय के अनुपात में विकास व्यय, पूंजीगत व्यय, और स्वास्थ्य क्षेत्र व्यय क्रमश: 3.05, 4.71 एवं 2.40 *प्रतिशत* अंक बढ़ा।
- कुल व्यय में शिक्षा व्यय का अनुपात 2019-20 की तुलना में 2023-24 में 2.97 *प्रतिशत* अंक कम हुआ।

इसके अतिरिक्त, 2019-20 के साथ 2023-24 में उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के औसत और उत्तराखण्ड के औसत के तुलनात्मक अध्ययन ने निम्नलिखित दर्शाया:

- राज्य में स रा घ उ के अनुपात में कुल व्यय दोनों वर्षों के दौरान उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के औसत से काफी कम रहा।
- दोनों वर्षों के दौरान राज्य में कुल व्यय के अनुपात में विकास व्यय उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के औसत से कम था।
- राज्य में कुल व्यय के अनुपात के रूप में सामाजिक क्षेत्र व्यय दोनों वर्षों के दौरान उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के औसत से अधिक था।
- राज्य में कुल व्यय के अनुपात में आर्थिक क्षेत्र व्यय उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के व्यय की तुलना में दोनों वर्षों के दौरान कम था।
- राज्य सरकार द्वारा शिक्षा व्यय को प्राथमिकता दी गयी थी तथा दोनों वर्षों में कुल व्यय से शिक्षा व्यय का अनुपात उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के औसत से अधिक था।
- 2019-20 में कुल व्यय के अनुपात में स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत व्यय उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के औसत से कम था, हालाँकि, इसमें बहुत सुधार हुआ और यह 2023-24 में 1.44 *प्रतिशत* अंक अधिक था।

वस्तु शीर्ष वार व्यय

वस्तु शीर्ष वार व्यय, व्यय के लक्ष्य/उद्देश्य के बारे में सूचना देता है। वस्तु शीर्ष वार व्यय का विवरण **चार्ट-2.18** में दिया गया है।

चार्ट-2.18: वस्तु शीर्ष वार व्यय का विवरण

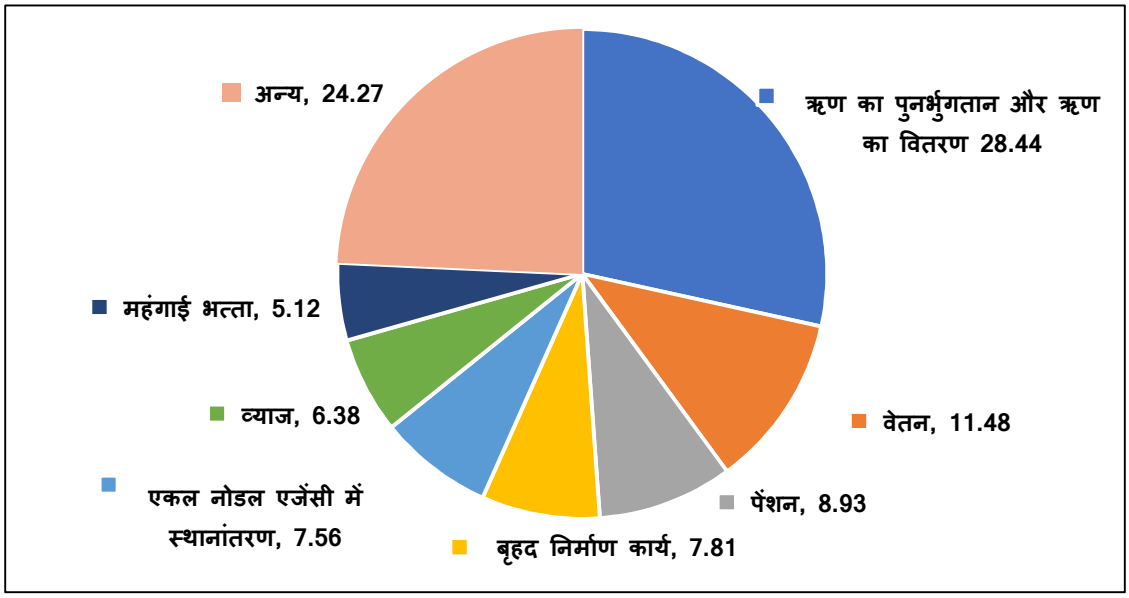

स्रोत: वित्त लेखे।

2.8 लोक लेखा

कुछ लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधियों, जमाओं, उचन्तों, प्रेषणों इत्यादि जो संचित निधि का भाग नहीं होते हैं, से संबन्धित प्राप्तियों एवं संवितरण को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (2) द्वारा स्थापित लोक लेखा के अधीन रखा जाता है तथा ये राज्य विधायिका द्वारा मत के विषयाधीन नहीं है। इनके संबंध में सरकार एक बैंकर की तरह कार्य करती है। वर्ष के दौरान सरकार के पास वितरण के बाद शेष निधि विभिन्न उद्देश्यों में उपयोग करने के लिए उपलब्ध होती है।

2.8.1 लोक लेखा में निवल बकाया

राज्य के लोक लेखे में वर्षों (2019-20 से 2023-24) के दौरान घटक वार निवल बकाया को नीचे **तालिका-2.36** में दिया गया है।

तालिका-2.36: प्रत्येक वर्ष में 31 मार्च को लोक लेखे में घटक-वार निवल बकाया

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप-क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
आई. लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि		**665.79**	**431.46**	**333.88**	**122.95**	**217.65**
जे. आरक्षित निधि	ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ	2,759.12	89.90	(-)467.57	58.04	803.43
	ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ	149.48	150.00	210	113.59	110.06
	आरक्षित निधियों से निवेश	(-)150.00	(-)150.00	(-)210	(-)110	(-)110
	योग	***2,758.60***	***89.90***	***(-)467.57***	***61.63***	***803.49***
के. जमा एवं अग्रिम	ब्याज सहित जमा	(-)2.77	3.57	(-)7.36	(-)12.79	51.62
	ब्याज रहित जमा	504.35	378.43	(-)673.73	357.25	531.05
	अग्रिम	00	00	00	00	00
	योग	***501.58***	***382.00***	***(-) 681.09***	***344.46***	***582.67***

क्षेत्र	उप-क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
एल. उचंत एवं विविध	उचंत	(-)124.82	(-)103.72	285.28	13.22	(-)167.59
	अन्य लेखे	(-)1,039.63	(-)490.83	(-)7.46	(-)285.41	19.76
	विदेशी सरकारों के साथ लेखे	0.04	00	00	00	00
	विविध	00	00	00	00	00
	योग	***(-)1,164.41***	***(-)594.55***	***277.82***	***(-)272.19***	***(-)147.83***
एम. प्रेषण	मनी आर्डर, और अन्य प्रेषण	(-)4.38	0.00	(-)0.04	(-)0.32	0.09
	अंतर-सरकारी समायोजन लेखे	3.76	(-)6.41	12.33	17.54	(-)2.58
	योग	***(-)0.62***	***(-)6.41***	***12.29***	***17.22***	***(-)2.49***
महायोग		***2,760.94***	***302.40***	***(-)524.67***	***274.07***	***1,453.49***

नोट- (-) डेबिट बकाया दर्शाता है और (+) क्रेडिट बकाया दर्शाता है।

****एल उचंत और विविध के अंतर्गत अन्य लेखे में विभागीय शेष, स्थायी नकद अग्रदाय और नकद शेष निवेश लेखे को छोड़कर अन्य खाते।***

वर्ष 2019-24 की पाँच वर्ष की अवधि में लोक लेखा में शेष निधि के संघटन में वार्षिक परिवर्तन **चार्ट-2.19** में दिया गया है।

चार्ट-2.19: लोक लेखा शेष निधि के संघटन में वर्षवार परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

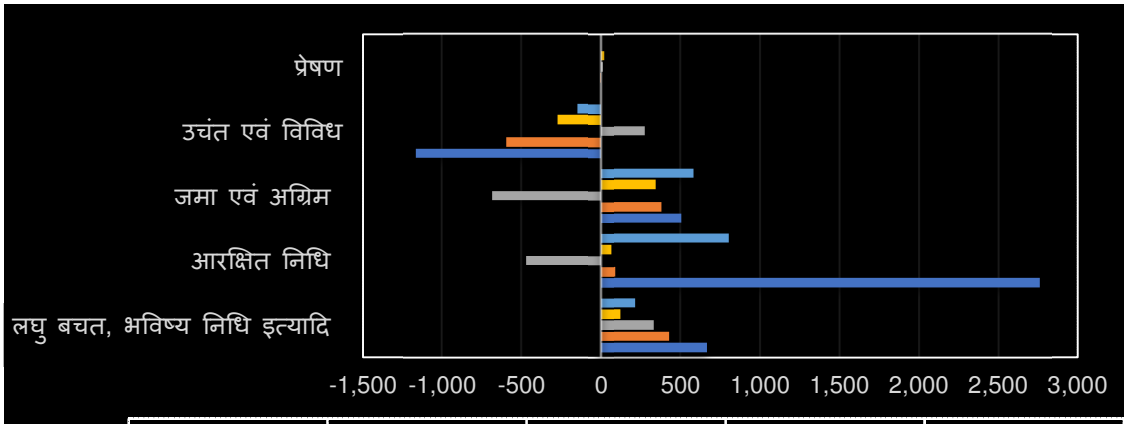

	लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	आरक्षित निधि	जमा एवं अग्रिम	उचंत एवं विविध	प्रेषण
2023-24	217.65	803.49	582.67	-147.83	-2.49
2022-23	122.95	61.63	344.46	-272.19	17.22
2021-22	333.88	-467.57	-681.09	277.82	12.29
2020-21	431.46	89.90	382.00	-594.55	-6.41
2019-20	665.79	2758.60	505.58	-1164.41	-0.62

जैसा **तालिका-2.36** में दर्शाया गया है, वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक शुद्ध लोक लेखा शेष में लगातार कमी आई है, जबकि 2022-23 से इसमें वृद्धि हुई है। इसमें 2022-23 में ₹ 274.07 करोड़ से 2023-24 में ₹ 1,453.39 करोड़, कुल ₹ 1179.42 करोड़ की वृद्धि हुई है। यह शुद्ध आरक्षित निधि (₹ 741.86 करोड़), शुद्ध जमा और अग्रिम (₹ 238.21 करोड़), शुद्ध उचंत और विविध (₹ 124.36 करोड़) और शुद्ध लघु बचत, भविष्य निधि, आदि (₹ 94.70 करोड़) में वृद्धि के कारण हुआ।

2.8.2 आरक्षित निधियाँ

आरक्षित निधियाँ राज्य सरकार के लोक लेखा के अंतर्गत विशिष्ट और सुपरिभाषित उद्देश्यों के लिए सृजित की जाती हैं। ये निधियाँ राज्य के समेकित निधि से प्राप्त अंशदान या अनुदान द्वारा बनाई जाती हैं।

31 मार्च 2024 तक राज्य सरकार दस आरक्षित निधियों का संचालन कर रही थी जिसमें से तीन आरक्षित निधियाँ ब्याज सहित (₹ 3,737.35 करोड़ क्रेडिट) और सात आरक्षित निधियाँ ब्याज रहित (₹ 2,000.77 करोड़ क्रेडिट) हैं। इन दस निधियों में से, दो निधियाँ (शेष ₹ 36.48 करोड़ डेबिट) निष्क्रिय थी और आठ निधियाँ (शेष ₹ 5,774.60 करोड़ क्रेडिट) सक्रिय हैं, जिसमें ₹ 1,918.62 करोड़ (33.23 *प्रतिशत*) का निवेश किया गया था।

सक्रिय एवं निष्क्रिय निधियों के अंतर्गत संचित बकायों की प्रवृत्ति नीचे **चार्ट-2.20** में दिखायी गयी है।

चार्ट-2.20: सक्रिय एवं निष्क्रिय आरक्षित निधियों की प्रवृत्ति

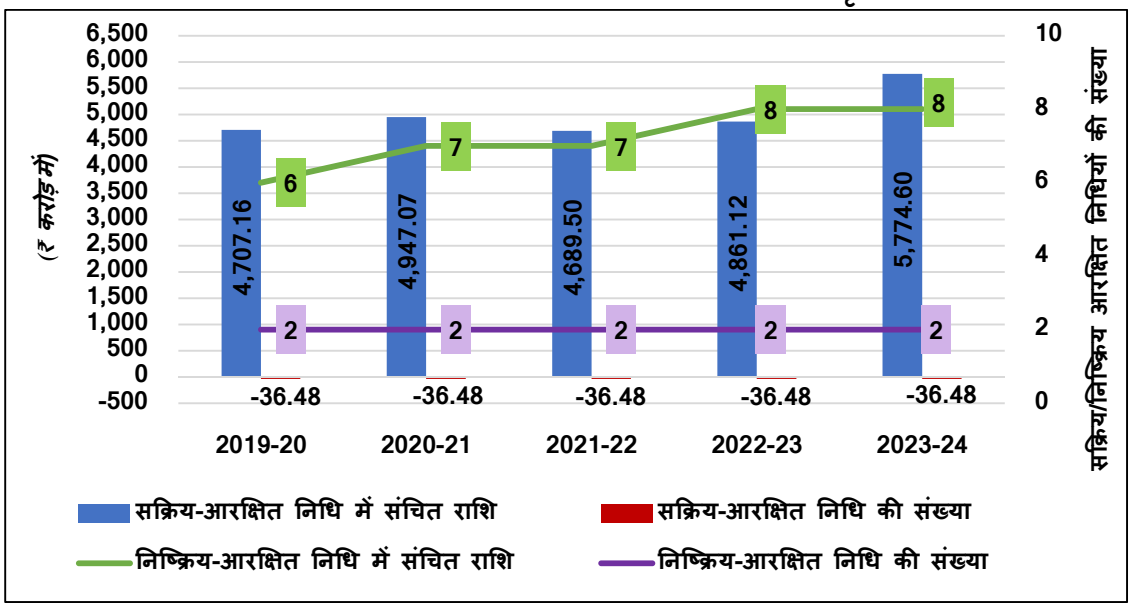

टिप्पणी: निष्क्रिय आरक्षित निधि में संचय डेबिट में है इसलिए इसे नकारात्मक में दिखाया गया है।

आरक्षित निधियों (सक्रिय-निष्क्रिय) में वर्ष के दौरान लेन-देन के विवरण पर नीचे चर्चा की गई है।

2.8.2.1 निष्क्रिय आरक्षित निधियाँ

दो आरक्षित निधियाँ लंबे समय से निष्क्रिय पड़ी हुई हैं। इन दो निधियों में ₹ 36.48 करोड़ (डेबिट) का शेष है। इन निष्क्रिय निधियों का विवरण नीचे **तालिका-2.37** में दिया गया है।

तालिका-2.37: निष्क्रिय आरक्षित निधियों का विवरण

क्र. सं.	निधि का नाम	31 मार्च 2024 तक धनराशि *(₹ करोड़ में)*	स्थापना वर्ष	निष्क्रिय (कब से)
1.	शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विकास निधि	0.01 (क्रेडिट)	2000-01	2007-08
2.	विद्युत विकास निधि	36.49 (डेबिट)	2005-06	2015-16
योग		***36.48 (डेबिट)***		

2.8.2.2 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

भारत सरकार ने 2010-11 में आपदा राहत निधि के स्थान पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एस डी आर एफ) की स्थापना की। निधि के दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्र और विशेष श्रेणी राज्यों जैसे उत्तराखण्ड को इस निधि में 90:10 के अनुपात में अंशदान करना है। दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह अंशदान लोक-लेखे के अंतर्गत मुख्य लेखा शीर्ष 8121 में हस्तांतरित करना है। वर्ष के दौरान किए गए व्यय मुख्य लेखा-शीर्ष 2245 द्वारा संचालित होंगे। आपदा प्रतिक्रिया पर वर्ष के दौरान किए गए व्यय को विपरीत कटौती डेबिट प्रविष्टि के साथ लोक लेखा से व्यय मुख्य लेखा शीर्ष 2245 को डेबिट करके समायोजित किया जाता है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण जब राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में व्यय हेतु धन अपर्याप्त होता है तो भारत सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एन डी आर एफ) से अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है। एन डी आर एफ के अंतर्गत प्रदान की गई सम्पूर्ण निधि को सीधे प्राकृतिक आपदा पर खर्च किया जाता है। वर्ष 2023-24 के लिए एस डी आर एफ पर भारित व्यय का विवरण **तालिका-2.38** तथा एस डी आर एफ के विवरण **तालिका-2.39** में दिये गये हैं।

तालिका-2.38: एस डी आर एफ पर भारित व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	लघु-लेखा शीर्ष	2023-24 के दौरान व्यय
2245-प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत 05-राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष	101-आरक्षित निधि और जमा लेखों में हस्तांतरण	1,120.40
	901-कटौती-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से मिली राशि	(-)200.00
	उप-योग	***920.40***
2245-प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत 80-सामान्य	102-आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंधन	121.15
	800-अन्य व्यय	...
	उप-योग	***121.15***
	कुलयोग	***1,041.55***

स्रोत: वित्त लेखे।

तालिका-2.39: एस डी आर एफ का विवरण

(₹ करोड़ में)

प्रारम्भिक शेष (01 अप्रैल 2023)	केंद्र द्वारा अंशदान	राज्य का अंशदान	योग	निकाली गई राशि (मुख्य शीर्ष 2245-05)	निधि में शेष राशि (31 मार्च 2024)	वर्ष के दौरान आर बी आई के माध्यम से निवेश की गई राशि
2.27	826.40	92.00	918.40	200.00	720.67	शून्य

स्रोत: वित्त लेखे।

राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान एस डी आर एफ से न तो कोई निवेश किया है और न ही बकाया निधि पर कोई ब्याज दिया है जो एस डी आर एफ के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने सूचित किया कि दिशानिर्देशों का पालन करने के प्रयास किए जाएंगे।

2.8.2.3 राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एस डी एम एफ)

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (सी) के अन्तर्गत राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एस डी एम एफ) का गठन किया जाना निर्धारित है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस डी आर एफ)/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एन डी आर एफ) के दिशानिर्देशों और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राज्य विशिष्ट स्थानीय आपदा के अन्तर्गत आने वाली आपदा के संबंध में विशेष रूप से शमन परियोजनाओं हेतु यह कोष बनाया गया है। राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या 710/XVIII (2)/08-3(15)/2007 दिनांक 05 मई 2008 के माध्यम से मुख्य लेखाशीर्ष 8121-130- राज्य आपदा शमन कोष बनाया है। वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार को केंद्र सरकार से ₹ 305.00[9] करोड़ प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान राज्य सरकार का हिस्सा ₹ 23.00 करोड़ है। राज्य सरकार ने निधि में ₹ 328.00 करोड़ हस्तांतरित किए। हालांकि, राज्य ने ₹ 21.48 करोड़ (क्रेडिट शेष) की शेष धनराशि छोड़कर कोष से ₹ 218.60 करोड़ की धनराशि निकाल ली। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 187.40 करोड़ का केंद्रीय अनुदान प्राप्त हुआ, जिसके समतुल्य राज्य अंशदान को आज तक निधि में हस्तांतरित नहीं किया गया।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने सूचित किया कि दिशानिर्देशों का पालन करने के प्रयास किए जाएंगे।

[9] इसमें वर्ष 2023-24 हेतु ₹ 206.60 करोड़ एवं वर्ष 2022-23 हेतु ₹ 98.40 करोड़ सम्मिलित हैं।

2.8.2.4 प्रतिभूति मोचन निधि

वर्ष 2006-07 में उत्तराखण्ड सरकार ने प्रतिभूति मोचन निधि का गठन राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य निकायों द्वारा ली गयी उधारियों एवं सरकार द्वारा जारी बॉन्ड के संबंध में जारी प्रतिभूतियों एवं लाभार्थियों द्वारा मांगे गए भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए किया था। निधि में जमा राशि का उपयोग केवल सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों के भुगतान के लिए किया जाना है न कि उन संस्थानों द्वारा भुगतान किया जाना है जिनकी ओर से प्रतिभूति जारी की गई थी।

उत्तराखण्ड राजपत्र अधिसूचना दिसम्बर 2006 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार को बकाया अवलंबित प्रतिभूति के कम से कम पांचवें हिस्से के बराबर धनराशि का अंशदान करना आवश्यक है, साथ ही वर्ष के दौरान जारी की गई वृद्धिशील प्रतिभूति के परिणामस्वरूप लागू होने वाली प्रतिभूति की धनराशि का अंशदान करना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निधियों का निवेश किया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया कि 2023-24 के दौरान कोई भी प्रतिभूति प्रदत्त नहीं की गई थी। चालू वर्ष के दौरान, समेकित निधि से प्रतिभूति मोचन निधि में अपेक्षित ₹ 10.00 करोड़ की धनराशि का अंशदान किया गया था। इसके अलावा, ₹ 35.15 करोड़ के प्राप्य गारंटी कमीशन शुल्क के मुकाबले ₹ 0.23 करोड़ की राशि प्राप्त हुई, जिसके परिणामस्वरूप गारंटी कमीशन शुल्क के रूप में ₹ 34.92 करोड़ की कम प्राप्ति हुई। साथ ही, 19 दिसंबर 2016 की उत्तराखंड राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, प्राप्त गारंटी शुल्क को गारंटी मोचन निधि के अन्तर्गत लोक लेखा में जमा किया जाना है। हालांकि, राज्य सरकार ने ₹ 0.23 करोड़ की समस्त प्रतिभूति कमीशन राशि को राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया। इसके परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया और उस सीमा तक राजकोषीय घाटे को कम करके दिखाया गया।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने तथ्यों से सहमति व्यक्त की और संबंधित अधिकारियों को मामले की सावधानीपूर्वक जांच करने और इसे प्राथमिकता पर लेने का निर्देश दिया।

पिछले पांच वर्षों के दौरान गारंटी मोचन निधि से किए गए निवेश से औसत प्रतिफल 7.52 *प्रतिशत* था। प्रतिभूति मोचन निधि का विवरण **तालिका-2.40** में दिया गया है।

तालिका-2.40: प्रतिभूति मोचन निधि का विवरण

(₹ करोड़ में)

प्रारम्भिक शेष (01 अप्रैल 2023)	निधि में जमा (अंशदान और ब्याज)	निधि से भुगतान	निधि में कुल शेष	वर्ष के दौरान आर बी आई द्वारा निवेश की गई धनराशि	अंतिम शेष (31 मार्च 2024)
176.75 (105.00 मूलधन एवं 71.75 ब्याज)	22.69 (10.00 मूलधन एवं 12.69 ब्याज)	शून्य	199.44 (115.00+84.44)	199.44	शून्य

स्रोत: वित्त लेखे।

2.8.2.5 राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि

उत्तराखण्ड राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि की स्थापना उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सितम्बर 2018 में, प्राप्त हुई धनराशि के प्रबंधन हेतु तथा एकत्र हुए धन को प्रतिपूरक वनरोपण के उपयोग हेतु, प्राकृतिक पुनर्जनन हेतु सहायक बनने, वनों के संरक्षण एवं सुरक्षा, बुनियादी ढाँचागत विकास, वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा और अन्य संबन्धित गतिविधियों और उससे जुड़े अथवा उसके जैसे मामलों पर व्यय करने हेतु की गई थी। इस निधि के अंतर्गत लेखांकन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश भारत सरकार के वन, जलवायु परिवर्तन एवं वातावरण मंत्रालय द्वारा नवम्बर 2018 में जारी किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा हालाँकि अभी तक इन दिशा-निर्देशों को अपनाया नहीं गया है और लेखांकन प्रक्रिया[10] को लागू नहीं किया है। वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य को राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण निधि से उत्तराखण्ड के अंश के रुप में कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई। वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार द्वारा ₹ 213.01 करोड़ (₹ 212.96 करोड़ ब्याज हेतु + ₹ 0.05 करोड़ उपभोक्ता शुल्क हेतु) की धनराशि मुख्य लेखाशीर्ष '8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि' के अंतर्गत राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि में जमा की गई। निधि में ₹ 2,995.20 करोड़ की शेष राशि छोडते हुए 31 मार्च 2024 को निधि से ₹ 237.39 करोड़ राशि आहरित की गई थी।

2.8.3 आरक्षित निधियों एवं ब्याज युक्त जमाओं के सापेक्ष ब्याज देयताओं का निर्वहन न करना

राज्य सरकार श्रेणी जे-आरक्षित निधियाँ (अ- ब्याज युक्त आरक्षित निधियाँ) और के- जमा और अग्रिम (अ- ब्याज युक्त जमा) के अन्तर्गत शेष राशि के संबंध में ब्याज

[10] यह दिशानिर्देश बताते हैं, कि उपयोगकर्ता एजेंसियों से राज्य सरकार को प्राप्त धनराशियों को मुख्य शीर्ष 8336 सिविल जमा के नीचे लघु शीर्ष "राज्य प्रतिपूरक वनरोपण जमा" में डाला जायेगा। इसमें से 90 *प्रतिशत* राज्य के लोक लेखे में मुख्य शीर्ष-8121-129 में हस्तांतरित किया जाएगा एवं 10 *प्रतिशत* राष्ट्रीय निधि में। इसी तरह व्यय शुरुआत में मुख्य शीर्ष-2406 के तहत दर्ज किया जाएगा तत्पश्चात संबंधित मुख्य लेखा शीर्ष-2406 में घटाए वापसी दर्ज कर लोक लेखे के मुख्य शीर्ष-8121-129 में हस्तांतरित किया जाएगा।

का भुगतान/समायोजन करने के लिए उत्तरदायी है, और इस उद्देश्य के लिए मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची में विशिष्ट उप-मुख्य लेखाशीर्ष प्रदान किए गये हैं।

तदनुसार, ₹ 5.43 करोड़ ब्याज देयताएं थीं जो राज्य सरकार को वर्ष 2023-24 के दौरान भुगतान करने की आवश्यकता थी जैसा कि **तालिका-2.41** में दिया गया है।

तालिका-2.41: आरक्षित निधि और जमाओं में देय ब्याज की अदेय देयता का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप-क्षेत्र	ब्याज की दर	2023-24 की शुरुआत में शेष	देय ब्याज	ब्याज भुगतान
जे-आरक्षित निधि	(अ) ब्याज युक्त आरक्षित निधि (एस डी आर एफ)	8.5 *प्रतिशत* (औसत डब्लू एम ए से 2 *प्रतिशत* अधिक)	(क्रेडिट) 2.27	5.28	--
	(स) ब्याज युक्त आरक्षित निधि (एस डी एम एफ)	8.5 *प्रतिशत* (औसत डब्लू एम ए से 2 *प्रतिशत* अधिक)	(डेबिट) 87.92	0.15	--
कुल				***5.43***	***--***

स्रोत :वित्त लेखाओं पर टिप्पणियाँ 2023-24, उत्तराखण्ड सरकार।

चालू वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 5.43 करोड़ के देय ब्याज के सापेक्ष कोई ब्याज नहीं दिया। ₹ 5.43 करोड़ का भुगतान न किए जाने से राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटे पर उस सीमा तक असर पड़ा।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने आंकड़ों के सत्यापन के बाद अनुपालन के लिए सहमति व्यक्त की और नोट किया।

2.9 ऋण प्रबंधन

लोक देयता का प्रबंधन, सरकार की देयताओं के प्रबंधन के लिए एक नीति स्थापित करने और उसे क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है, ताकि आवश्यक धनराशि जुटाई जा सके, जोखिम और लागत संबंधी उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, तथा सरकार द्वारा अधिनियम या किसी अन्य वार्षिक बजट घोषणा के माध्यम से निर्धारित किए गए किसी अन्य संप्रभु देयता प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा किया जा सके।

2.9.1 समग्र दायित्व की प्रवृत्ति

वर्ष 2023-24 के अंत में प्रभावी बकाया ऋण ₹ 80,266 करोड़ था। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान वर्षवार कुल ऋणों को नीचे **चार्ट-2.21** में दिखाया गया है।

चार्ट-2.21: समग्र ऋणों की प्रवृत्ति

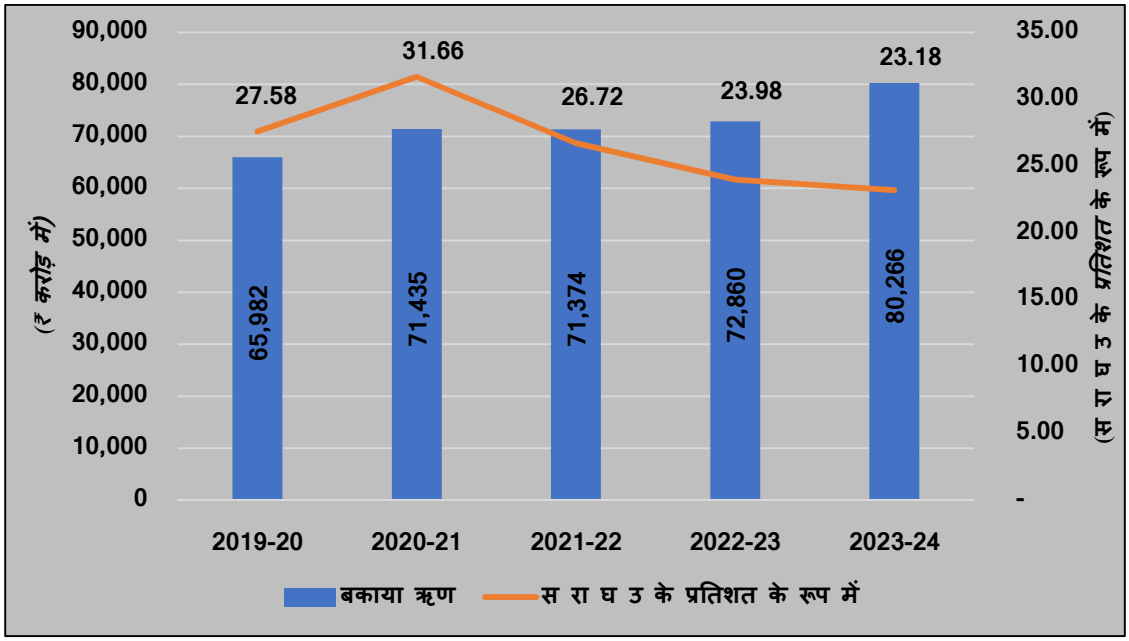

टिप्पणी: जी एस टी मुआवजे में कमी के बदले क्षतिपूर्ति के रूप में संचित ₹5,649 करोड़ का बैक टू बैक ऋण (वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 हेतु क्रमश: ₹2,316 करोड़ और ₹3,333 करोड़) को स रा घ उ से बकाया ऋण के अनुपात की गणना में शामिल नहीं किया गया है। भारत सरकार के स्पष्टीकरण[11] के अनुसार इस उधार को वित्त आयोग, आदि द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य का ऋण नहीं माना जाएगा।

2.9.2 ऋण संरचना: घटक

राज्य सरकार के कुल ऋणों में आमतौर पर राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ एवं वित्तीय संस्थानों से ऋण आदि), केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम तथा लोक लेखों की देयता शामिल हैं। उत्तराखण्ड के एफ आर बी एम अधिनियम के अनुसार कुल देयताओं का अर्थ है राज्य की समेकित निधि एवं राज्य के लोक लेखे के अंतर्गत देयताएं। घटक-वार ऋण प्रवृत्तियाँ नीचे **तालिका-2.42** में दिखाई गई हैं।

तालिका-2.42: घटक-वार ऋण प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
बकाया ऋण	**65,982**	**71,435**	**71,375**	**72,860**	**80,266**
लोक ऋण	**50,250**	**54,799**	**55,554**	**56,510**	**62,312**
(i) आंतरिक ऋण	49,437	53,302	53,759	53,559	57,379
(ii) भा स से ऋण	813	1,497	1,795	2,951	4,933
लोक लेखा देयताएँ	**15,732**	**16,636**	**15,821**	**16,350**	**17,954**
(i) लघु बचत, भविष्य निधि आदि	8,565	8,997	9,331	9,453	9,671
(ii) आरक्षित निधि	3,332	3,422	2,954	3,016	3,820
(iii) जमा	3,835	4,217	3,536	3,881	4,463
बकाया कुल देयता की वृद्धि दर	13.69	8.26	(-) 0.09	2.08	10.16

[11] व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक फा सं 40(1) पी एफ -एस /2021-22 दिनांक 10 दिसम्बर 2021 ।

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ)	2,39,263	2,25,617	2,67,143	3,03,781	3,46,206
देयता/ स रा घ उ *(प्रतिशत)*	27.58	31.66	26.72	23.98	23.18
ऋण और अन्य देयताएं (वित्तीय लेखों के विवरण 6 के अनुसार)					
कुल प्राप्तियाँ	22,194	23,327	16,326	18,188	38,573
कुल पुनर्भुगतान	14,251	15,558	13,053	16,703	31,168
कुल उपलब्ध पूँजी	7,943	7,769	3,273	1,485	7,405
पुनर्भुगतान/ प्राप्तियाँ *(प्रतिशत)*	*64.21*	*66.70*	*79.95*	*91.84*	*80.80*

स्रोत: वित्त लेखे।

टिप्पणी: जी एस टी मुआवजे में कमी के बदले क्षतिपूर्ति के रूप में संचित ₹5,649 करोड़ का बैंक टू बैंक ऋण (वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 हेतु क्रमश: ₹2,316 करोड़ और ₹3,333 करोड़) को स रा घ उ से बकाया ऋण के अनुपात की गणना में शामिल नहीं किया गया है। भारत सरकार के स्पष्टीकरण के अनुसार इस उधार को वित्त आयोग, आदि द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य का ऋण नहीं माना जाएगा।

राज्य सरकार की कुल देयताओं में ₹ 14,284 करोड़ (21.65 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई है, जो 2019-20 में ₹ 65,982 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 80,266 करोड़ हो गई हैं। हालांकि, यह पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 7,406 करोड़ (10.16 *प्रतिशत*) बढ़ी है। इसके अतिरिक्त, आंतरिक ऋण एवं भारत सरकार से ऋण में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः ₹ 3,820 करोड़ (7.13 *प्रतिशत*) और ₹ 1,982 करोड़ (67.16 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान लोक लेखे पर देयताओं में ₹ 2,222 करोड़ (14.12 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, लोक लेखा देयताओं के सभी घटकों में वृद्धि के कारण लोक लेखे पर देयताओं में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 1,604 करोड़ (9.81 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।

2.9.3 वर्ष 2023-24 के अंत में बकाया समग्र देयताओं का विवरण

वर्ष 2023-24 के अंत में राज्य सरकार का कुल बकाया ऋण ₹ 80,266 करोड़ था। आंतरिक ऋण, जो मुख्य रूप से बाजार ऋण (₹ 57,379 करोड़) है, कुल बकाया ऋण का 72 *प्रतिशत* है। ऋण का घटक-वार विवरण नीचे **चार्ट-2.22** में दिया गया है:

चार्ट-2.22: वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में बकाया देयताओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

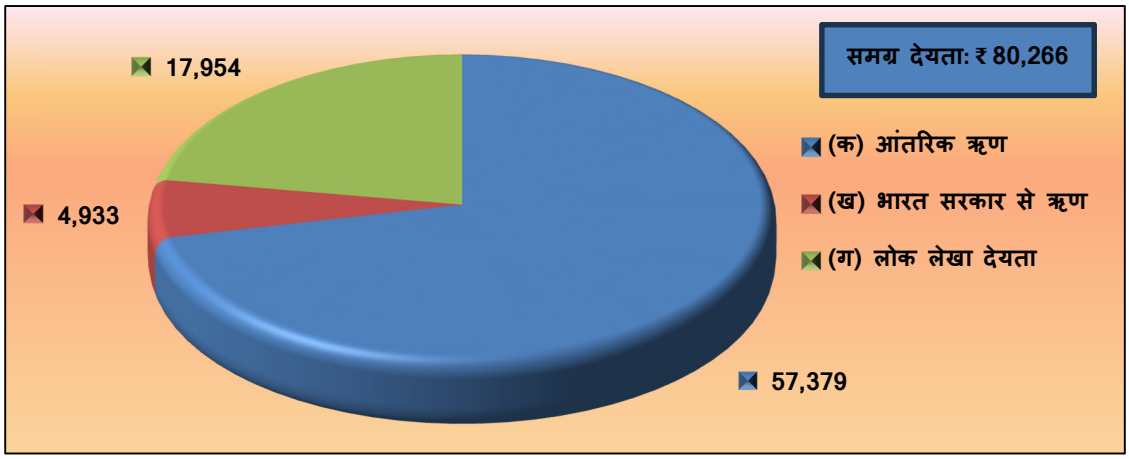

टिप्पणी: बकाया कुल देयता में भारत सरकार से वर्ष 2021-22 तक जी एस टी मुआवजे में कमी के बदले क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैंक टू बैंक ऋण ₹ 5,649 करोड़ सम्मिलित नहीं है।

2.9.4 घटक-वार ऋण की प्रवृत्तियाँ

वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि में शामिल आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण, लोक लेखे के ऋण की प्रवृत्तियाँ नीचे **तालिका-2.43** तथा **चार्ट-2.23** में दर्शाई गई हैं।

तालिका-2.43: घटक-वार ऋण की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बाज़ार उधारियाँ	भारत सरकार से ऋण	एन एस एस एफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	वित्तीय संस्थानों से ऋण	लघु बचतें/ भविष्य निधि	आरक्षित निधि	जमा एवं अग्रिम
2019-20	36,451.59	812.87	8,645.99	4,339.10	8,565.28	3,332.06	3,835.28
2020-21	41,660.05	1,497.10	7,864.97	3,776.54	8,996.74	3,421.96	4,217.28
2021-22	43,460.04	1,794.32	6,753.88	3,545.25	9,330.62	2,954.39	3,536.19
2022-23	44,910.02	2,951.33	5,312.70	3,335.70	9,453.58	3,016.02	3,880.66
2023-24	48,710.02	4,932.92	4,531.68	4,137.08	9,671.24	3,819.50	4,463.34

चार्ट-2.23: घटक-वार ऋण की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

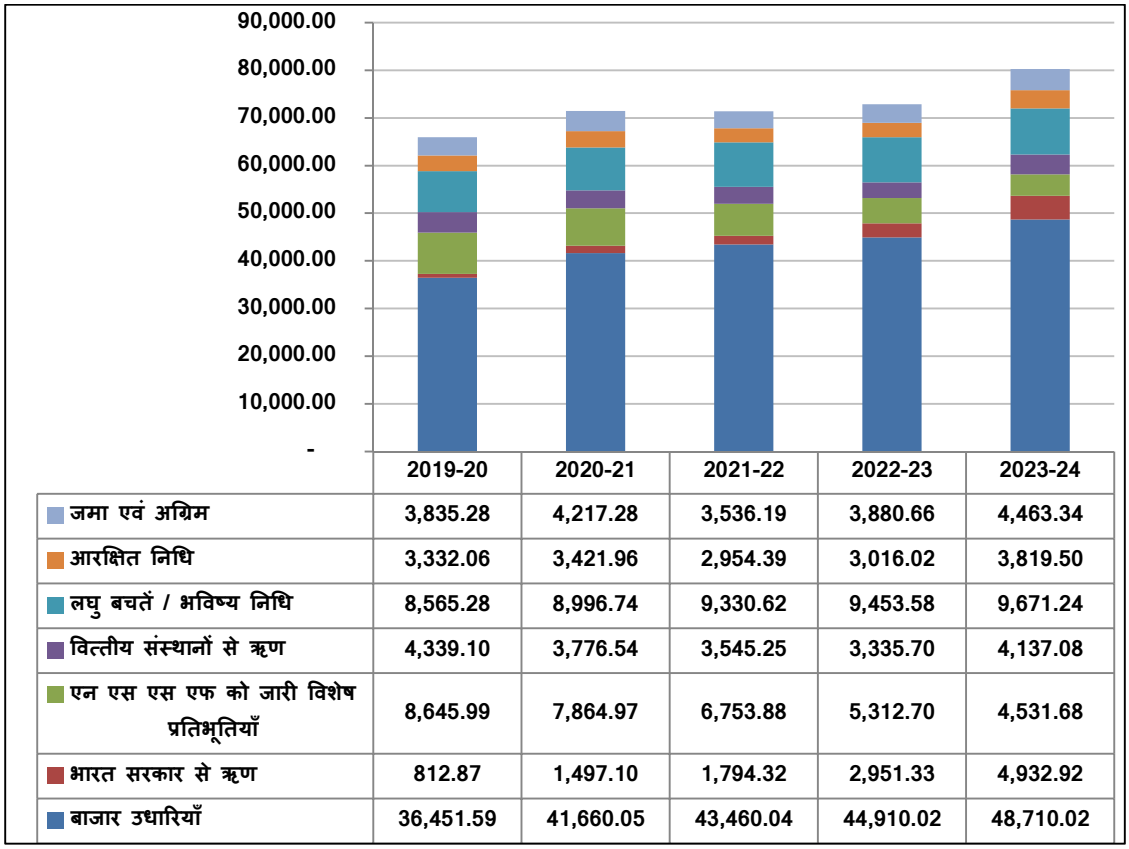

टिप्पणी: बकाया कुल देयता में जी एस टी मुआवजे में कमी के बदले क्षतिपूर्ति के रूप में संचित बैक टू बैक ऋण ₹ 5,649 करोड़ (वर्ष 2021-22 एवं 2020-21 हेतु क्रमश: ₹3,333 करोड़ और ₹ 2,316 करोड़) सम्मिलित नहीं है।

2.9.5 लिये गये आंतरिक ऋण के सापेक्ष पुनर्भुगतान

वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान आन्तरिक ऋणों को प्राप्त करने और पुनर्भुगतान करने की संरचना **चार्ट-2.24** में दी गई है।

चार्ट-2.24: लिये गये आंतरिक ऋण के सापेक्ष पुनर्भुगतान

(₹ करोड़ में)

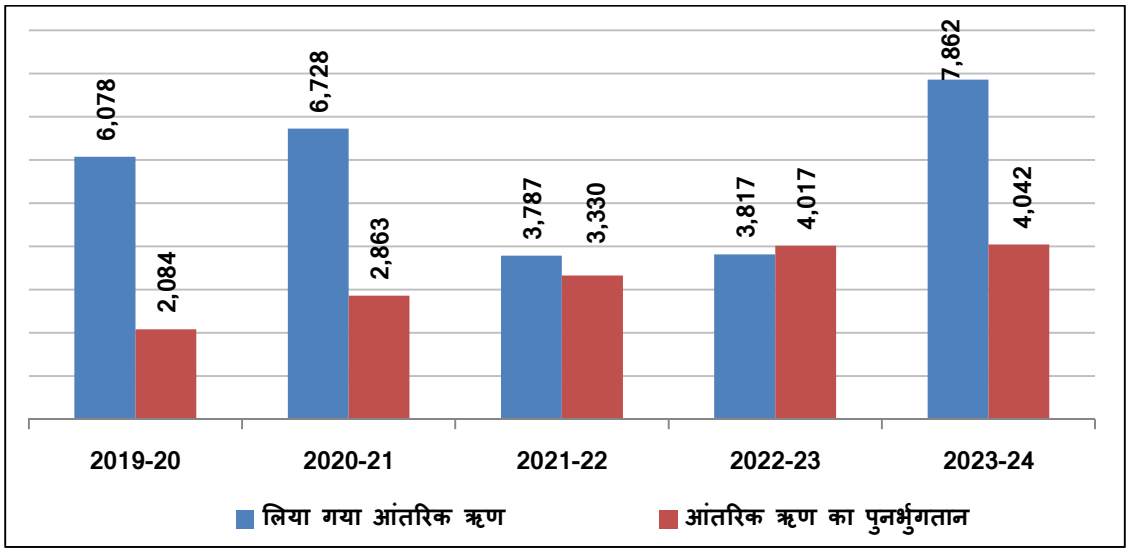

राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण प्रतिरूप में एक संघटनात्मक बदलाव आया है जैसा **तालिका-2.44** में दिखाया गया है।

तालिका-2.44: राजकोषीय घाटे के घटक और उसका वित्त पोषण पैटर्न

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
क	**राजकोषीय घाटे के घटक (1 से 3)**	**(-)7,657**	**(-)5,439**	**(-)3,736**	**(-)2,949**	**(-)7,749**
1.	**राजस्व घाटा (-)/अधिशेष(+)**	(-)2,136	(+)1,114	(+)4,128	(+)5,310	(+)3,341
2.	**निवल पूंजीगत व्यय**	(-)5,414	(-)6,538	(-)7,534	(-)8,183	(-)10,982
3.	**निवल ऋण और अग्रिम**	(-)107	(-)14	(-) 330	(-)76	(-)108
ख	**राजकोषीय घाटे की वित्तपोषण पद्धति**					
1.	**निवल लोक ऋण**	**(+)4,017**	**(+)6,865**	**(+)4,088**	**(+)956**	**(+)5,802**
अ.	निवल बाजार उधारियाँ	(+)4,500	(+)5,209	(+)1,800	(+)1,450	(+)3,800
ब.	भारत सरकार से निवल ऋण	(+)23	(+)3,000	(+)3,630	(+)1,157	(+)1,982
स.	एन एस एस एफ को जारी निवल विशेष प्रतिभूतियाँ	(-)781	(-)781	(-)1,111	(-)1,441	(-)781
द.	वित्तीय संस्थानों से निवल ऋण[12]	(+)275	(-)563	(-)231	(-)210	(+)801
2.	**निवल लोक लेखे**	**(+)2,761**	**(+)302**	**(-)525**	**(+)274**	**(+)1,453**
अ.	निवल लघु बचत, भविष्य निधि आदि	(+)666	(+)431	(+)334	(+)123	(+)218
ब.	निवल जमा और अग्रिम	(+)501	(+)382	(-)681	(+)344	(+)583
स.	निवल उचंत और विविध	(-)1,164	(-)595	(+)278	(-)272	(-)148
द.	निवल प्रेषण	(-)01	(-)6	(+)12	(+)17	(-)3
ड.	निवल आरक्षित निधि	(+)2,759	(+)90	(-)468	(+)62	(+)803
3.	**निवल आकस्मिकता निधि**	**(+)68**	**(-)225**	**(+)224**	**(+)90**	**(-)130**
4.	**नकद शेष राशि में वृद्धि**	**(+)811**	**(-)1,503**	**(-)51**	**(+)1,629**	**(+)624**

स्रोत: उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

[12] निवल अर्थोपाय अग्रिम शामिल हैं।

वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा मुख्य रूप से बाजार से लिए गए उधार (49.04 *प्रतिशत*), भारत सरकार से ऋण (25.58 *प्रतिशत*) एवं आरक्षित निधि (10.36 प्रतिशत) और नकदी शेष में वृद्धि (8.05 प्रतिशत) द्वारा प्रबंधित किया गया था। यह एन एस एस एफ को जारी विशेष प्रतिभूतियों (10.08 *प्रतिशत*) में गिरावट से प्रतिसंतुलित हुआ। वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण **चार्ट-2.25** में दिया गया है।

चार्ट-2.25: राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण

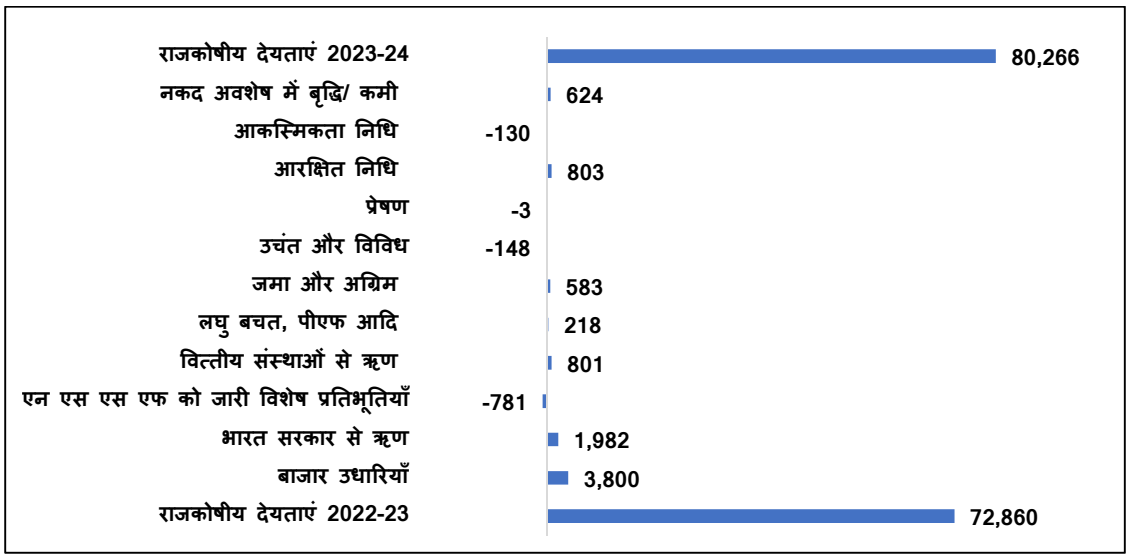

2.9.6 ऋण रूपरेखाः परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान

ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान रूपरेखा राज्य सरकार की ओर से ऋणों के पुनर्भुगतान या ऋण शोधन की प्रतिबद्धता को इंगित करता है। राज्य के लम्बित ऋणों एवं अग्रिमों (लोक ऋण) की परिपक्वता रूपरेखा **तालिका-2.45** और **चार्ट-2.26** में दी गयी है।

तालिका-2.45: लोक ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

परिपक्वता का वर्ष	परिपक्वता रूपरेखा (वर्षों में)	धनराशि			लोक ऋण का *प्रतिशत*
		आंतरिक ऋण	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	योग	
2025-26 तक	0-2	7,746.90	113.21	7,860.11	***12.61***
2026-27 एवं 2028-29 के बीच	2-5	19,642.31	170.13	19,812.44	***31.80***
2029-30 एव 2033-34 के बीच	5-10	25,313.36	294.40	25,607.76	***41.10***
2034-35 से आगे	10 से ऊपर	539.12	282.38	821.50	***1.32***
अन्य[13]	उ न	4,137.08	4,072.80	8,209.88	***13.17***
योग		***57,378.77***	***4,932.92***	***62,311.69***	***100.00***

टिप्पणी: भारत सरकार से ऋण में वर्ष 20221-22 तक के जी एस टी मुआवजे में कमी के बदले क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैक टू बैक ऋण ₹ 5,649 करोड़ शामिल नहीं है। इस ऋण की ऋण सेवा जी एस टी क्षतिपूर्ति कोष में उपकर के संग्रह से की जाएगी और इसलिए, पुनर्भुगतान दायित्व राज्य के अन्य संसाधनों से पूरा नहीं किया जाएगा।

[13] इन ऋणों की परिपक्वता रूपरेखा उपलब्ध नहीं है।

चार्ट-2.26: लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा

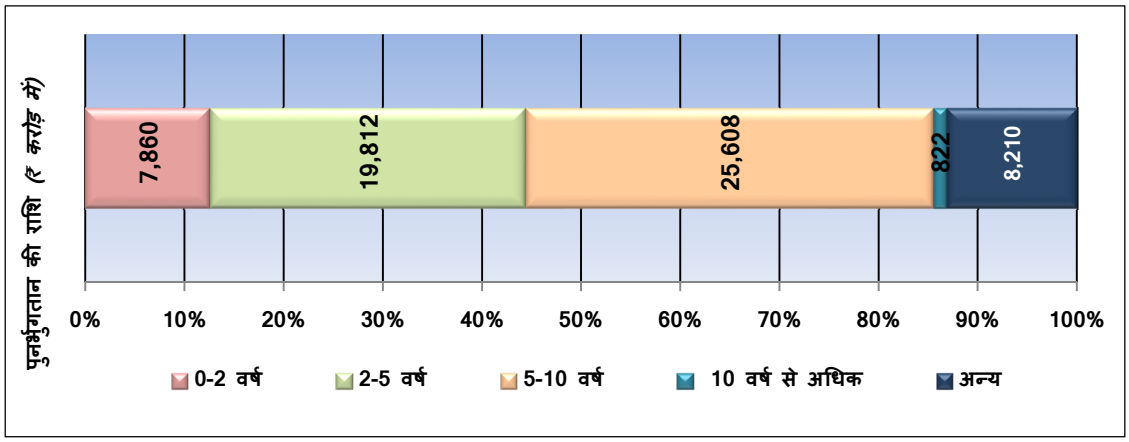

31 मार्च 2024 को लोक ऋणों की बकाया राशि की परिपक्वता रूपरेखा इंगित करती है कि बकाया लोक ऋण ₹ 62,311.69 करोड़[14] में से, 85.51 *प्रतिशत* (₹ 53,280.31 करोड़) अगले दस वर्षों में भुगतान योग्य हैं जबकि 1.32 *प्रतिशत* (₹ 821.50 करोड़) ऋण दस वर्ष से अधिक के परिपक्वता कोष्ठक में हैं। बकाया 13.17 *प्रतिशत* (₹ 8,209.88 करोड़) की परिपक्वता रूपरेखा उपलब्ध नही है। इसमें मुख्य रूप से वित्तीय संस्थानों से आंतरिक ऋण (जी आई सी, एल आई सी, एस बी आई, नाबार्ड, एन सी डी सी आदि) ₹ 3,530.02 करोड़ और पूंजीगत व्यय के लिए राज्य को ऋण के रूप में विशेष सहायता योजना के रूप में भारत सरकार से ऋण ₹ 4,031.10 करोड़ सम्मिलित है। कुल बकाया लोक ऋण में से आंतरिक ऋण (₹ 57,378.77 करोड़) जिसमें बाजार उधार, नाबार्ड से ऋण और एन एस एस एफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां आदि शामिल हैं, 92.08 प्रतिशत है। अगले 10 वर्षों की अवधि में बकाया बाजार ऋणों की राशि और उस पर भुगतान किए जाने वाले ब्याज का विवरण नीचे तालिका **2.46** और चार्ट **2.27** में दिया गया है।

तालिका-2.46: ऋण एवं ब्याज का पुनर्भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पुनर्भुगतान		
	लोक ऋण (बाज़ार ऋण)**	ब्याज	योग
2024-25	2,400.00	3,714.45	6,114.45
2025-26	3,900.00	3,518.84	7,418.84
2026-27	5,450.00	3,194.30	8,644.30
2027-28	6,660.00	2,786.34	9,446.34
2028-29	6,300.00	2,271.45	8,571.45
2029-30	5,100.00	1,742.51	6,842.51

[14] इसमें जी एस टी मुआवजे में कमी के बदले क्षतिपूर्ति के रूप में संचित बैक-टू-बैक ऋण ₹ 5,649 करोड़ (2021-22 एवं 2020-21 हेतु क्रमश: ₹ 3,333 करोड़ और ₹ 2,316 करोड़) को शामिल नहीं किया गया है। इस ऋण की ऋण सेवा जी एस टी क्षतिपूर्ति कोष में उपकर के संग्रह से की जाएगी और इसलिए, पुनर्भुगतान दायित्व राज्य के अन्य संसाधनों से पूरा नहीं किया जाएगा।

वर्ष	पुनर्भुगतान		
	लोक ऋण (बाज़ार ऋण)**	ब्याज	योग
2030-31	6,200.00	1,374.54	7,574.54
2031-32	3,200.00	948.46	4,148.46
2032-33	3,200.00	719.98	3,919.98
2033-34	6,300.00	472.73	6,772.73
योग	***48,710.00***	***20,743.60***	***69,453.60***

***बाजार ऋण के अतिरिक्त सार्वजनिक ऋण घटकों के संबंध में ब्याज की गणना सूचना यानि वित्त खाते में परिपक्वता प्रोफ़ाइल और ब्याज की दर की अनुपलब्धता को देखते हुए संभव नहीं है।*

चार्ट-2.27: बाजार ऋणों की परिपक्वता रूपरेखा

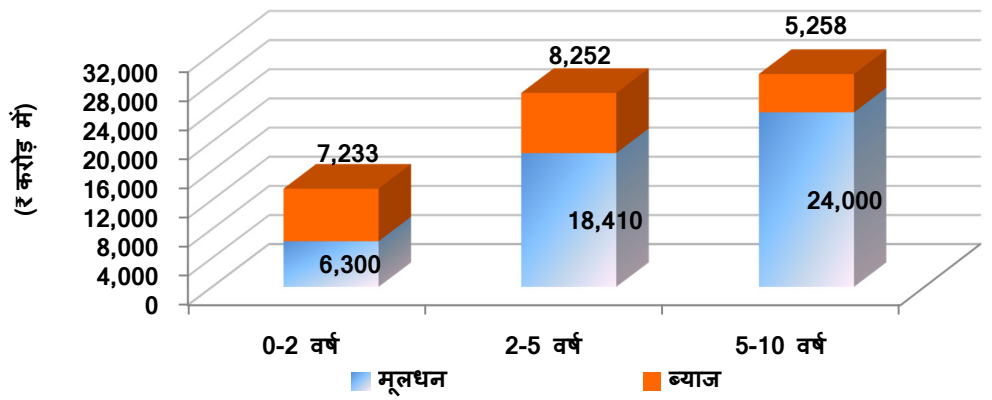

नोट: 31 मार्च 2024 को बकाया बाजार ऋणों के लिए परिपक्वत्ता रुपरेखा विकसित की गई है और ब्याज की उस वित्तीय वर्ष तक के लिए गणना की गई है जिसमें ऋण समाप्त होंगे।

राज्य को अगले पाँच वित्तीय वर्षों अर्थात वर्ष 2028-29 तक बाजार ऋणों का ₹ 24,710 करोड़ और ब्याज का ₹ 15,485 करोड़ का भुगतान करना होगा। अगले दस वर्षों 2033-34 तक, मूलधन ₹ 24,000 करोड़ और ब्याज ₹ 5,258 करोड़ देय होगा। ऋण और ब्याज के रुप में अगले दस वर्षों के दौरान वर्ष 2033-34 तक ₹ 6,945 करोड़ का वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा।

चालू वर्ष में ₹ 5,978 करोड़ (₹ 2500 करोड़ मूलधन + ₹ 3,478 करोड़ ब्याज) की राशि बाजार ऋणों के रूप में चुकाई गई।

2.9.7 ऋण स्थिरता विश्लेषण

ऋण स्थिरता विश्लेषण के लिए एक व्यापक संकेतक-आधारित दृष्टिकोण का उपयोग किया गया है, जो कुछ महत्वपूर्ण संकेतकों (जी एस डी पी की वृद्धि दर, प्रभावी ब्याज दर, प्राथमिक शेष आदि) और डोमर मॉडल का संयोजन है। यह दृष्टिकोण सार्वजनिक ऋण सहित सभी प्रकार के ऋण के साथ-साथ सार्वजनिक खातों जैसे कि लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा आदि से उत्पन्न होने वाली देयताओं को भी ध्यान में रखता है, इसलिए, राज्य सरकार के वित्त का एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। हालाँकि, लोक ऋण का स्तर जितना अधिक होगा, उतनी ही अधिक संभावना है कि

राजकोषीय नीति और लोक ऋण अस्थिर हों, क्योंकि उच्च ऋण को धारणीय बनाए रखने के लिए उच्च प्राथमिक अधिशेष की आवश्यकता होती है। उच्च स्तर का ऋण कई चुनौतियाँ उत्पन्न करता है:

- उच्च स्तरीय ऋण सेवा हेतु विशाल प्राथमिक राजकोषीय आधिक्य आवश्यक है; आर्थिक और राजनीतिक तौर पर ऐसे आधिक्य को बनाये रखना मुश्किल हो सकता है।
- एक उच्च स्तरीय ऋण ब्याज दर और विकास में गतिरोधकों के प्रति अर्थव्यवस्था को कमजोर बनाता है।
- एक उच्च ऋण स्तर सामान्यतः अत्यधिक उधार आवश्यकताओं से सम्बन्धित है और इसलिए यह एक रोलओवर संकट है (यानी निजी स्रोतों से उधारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होना या केवल उच्च ब्याज दर पर ऐसा करने में समर्थ होना)।
- उच्च स्तरीय ऋण आर्थिक विकास के लिये हानिकारक हो सकते हैं, जबकि निम्न विकास अपने आप में चिन्ता का कारण है, और इसका लम्बे समय तक ऋणों की गतिशीलता एवं ऋणों की स्थिरता पर भी प्रभाव पड़ता है।

ऋण के प्रति कमजोरी इसके प्रोफाईल से भी सम्बन्धित होती है। मूल परिपक्वता पर अल्प अवधि के ऋण का एक बड़ा हिस्सा रोलओवर (पुनः वित्तपोषण जोखिम) एवं ब्याज दर के जोखिम को बढ़ाते हैं। लोक ऋण की स्थिरता यह सुनिश्चित करती है कि यह विकराल न हो जाए, तथा सरकारों को करों में उल्लेखनीय वृद्धि करने या व्यय में कमी करने के लिए बाध्य न होना पड़े।

विश्लेषण के परिणाम निम्नलिखित प्रस्तरों में दिए गए हैं:

(क) ऋण स्थिरता को राज्य की वर्तमान और भविष्य में अपने ऋण की अदायगी करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। ऋण स्थिरता संकेतकों में भिन्नताओं का विश्लेषण **तालिका-2.47** और **चार्ट-2.28** में दिया गया है।

तालिका-2.47: ऋण स्थिरता: सूचक एवं प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	ऋण स्थिरता के संकेतक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	**समग्र देयताएं या समग्र ऋण**	65,982.17	71,434.64	71,374.68	72,860.02	80,265.78
2	**समग्र ऋण की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)**	*13.69*	*8.26*	*(-)0.08*	*2.08*	*10.16*
3	**स रा घ उ (वर्तमान मूल्यों पर)**	2,39,263	2,25,617	2,67,143	3,03,781	3,46,206
4	**वर्तमान मूल्यों पर स रा घ उ वृद्धि (*प्रतिशत* में)**	*3.88*	*(-)5.70*	*18.41*	*13.71*	*13.97*
5	**समग्र ऋण/ स रा घ उ (*प्रतिशत* में)**	*27.58*	*31.66*	*26.72*	*23.98*	*23.18*

क्र.सं.	ऋण स्थिरता के संकेतक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
6	सभी प्रकार के उधारों की परिपक्वता विवरणिका #					
क	0-2 वर्ष	3,670.63	4,827.84	5,940.47	6,590.78	7,860.11
ख	2-5 वर्ष	8,672.21	11,301.66	14,225.36	17,652.11	1,98,212.44
ग	5-10 वर्ष	30,399.20	33,418.29	30,594.28	25,771.43	25,607.76
घ	10 वर्ष से अधिक	3,168.34	757.57	267.44	1,055.08	821.50
7	समग्र देयताओं का पुनर्भुगतान (*प्रतिशत* में)	*64.21*	*74.05*	*100.46*	*91.83*	*80.80*
8	समग्र देयताओं के *प्रतिशत* के रूप में उपलब्ध शुद्ध उधार	*35.79*	*25.95*	*(-)0.46*	*8.17*	*19.20*
9	समग्र ऋण पर ब्याज भुगतान	4,504.02	4,773.07	4,938.83	5,103.63	5,192.45
10	समग्र ऋण पर प्रभावी ब्याज दर (*प्रतिशत* में)	*7.66*	*7.37*	*7.36*	*7.59*	*7.45*
11	राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान (*प्रतिशत* में)	*14.66*	*12.49*	*11.47*	*10.40*	*10.26*
12	राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+)	(-)2,136.23	1,113.33	4,128.04	5,309.97	3,341.05
13	प्राथमिक राजस्व शेष (पी आर बी)	2,367.79	5,886.40	9,066.87	10,413.60	8,533.50
14	प्राथमिक शेष (पी बी)	(-)3,153.25	(-)666.11	1,202.99	2,154.59	(-)2,556.57
15	पीबी / स रा घ उ (*प्रतिशत*)	*(-)1.32*	*(-)0.30*	*0.45*	*0.71*	*(-)0.74*
16	समग्र ऋण पर ब्याज की प्रभावी दर और निवेश पर ब्याज दर के बीच अंतर	*(-)6.36*	*(-)4.49*	*8.87*	*(-)6.15*	*(-)4.82*
17	तरलता प्रबंधन (आर बी आई के पास उपलब्ध वित्तीय समायोजन उपकरणों का उपयोग) (कितने अवसरों पर)	140	96	06	39	137
18	ऋण स्थिरीकरण (क्वांटम स्प्रेड + प्राथमिक शेष)	(-)5,516.34	(-)9,418.33	8,633.53	6,277.55	2,148.92
19	डोमर मानदंड					
क	स रा घ उ (स्थिर मूल्यों पर)	1,89,740	1,66,786	1,84,274	1,98,341	2,13,378
ख	वास्तविक वृद्धि (स्थिर मूल्यों पर)	1.97	(-)12.10	10.49	7.63	7.58
ग	सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति (*प्रतिशत* में)	*5.89*	*7.29*	*5.58*	*6.51*	*5.55*
घ	प्रभावी ब्याज दर	7.66	7.37	7.36	7.59	7.45
च	वास्तविक प्रभावी ब्याज दर (प्रभावी ब्याज दर - मुद्रास्फीति)	1.77	0.08	1.78	1.08	1.90
छ	वृद्धि ब्याज अंतर (वास्तविक वृद्धि - ब्याज की वास्तविक प्रभावी दर)	0.20	(-)12.18	8.70	6.56	5.68

 # इसमें लोक ऋण पर देयता शामिल हैं, जहां परिपक्वता प्रोफाइल उपलब्ध थी। लोक लेखे को शामिल नहीं किया गया क्योंकि इसकी परिपक्वता प्रोफ़ाइल उपलब्ध नहीं थी।

* *निवेष पर ब्याज दर (आर ओ आई) को ब्याज प्राप्तियों की प्रभावी दर से मापा जाता है। आर ओ आई = (ब्याज प्राप्तियाँ /पिछले और चालू बित्तीय वर्ष के अंत में बकाया ऋणों का औसत) x 100 ।*

चार्ट-2.28: ऋण स्थिरता संकेतकों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

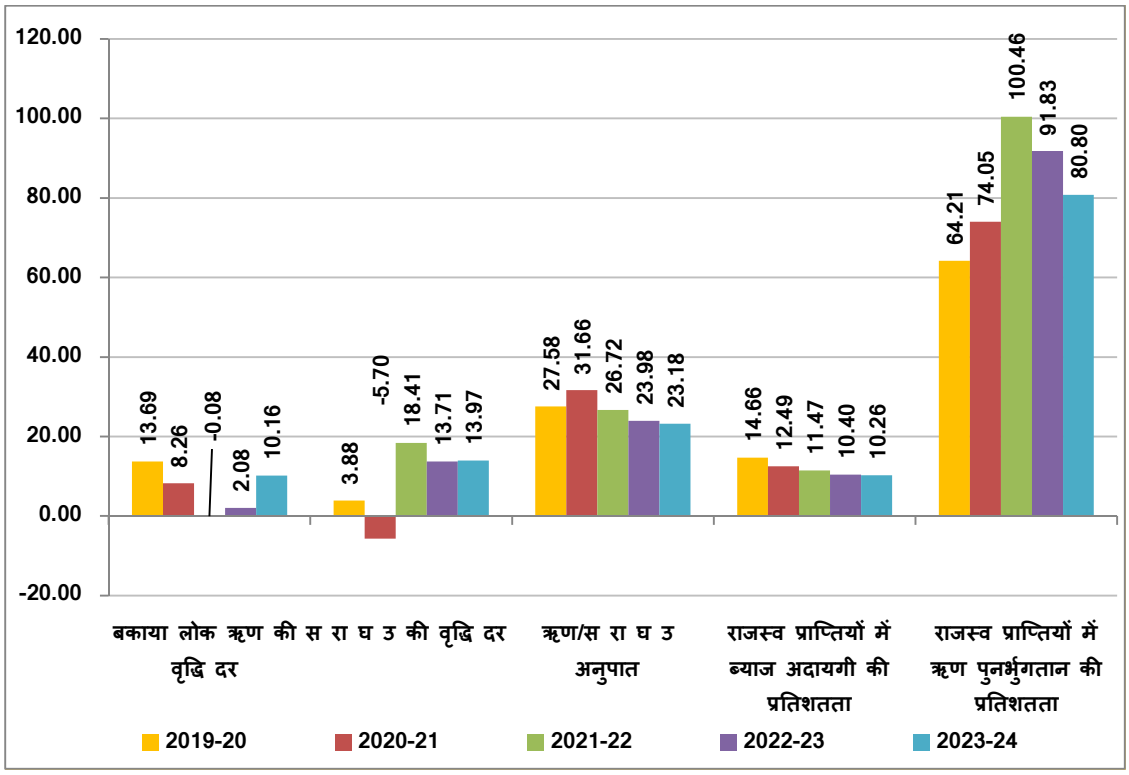

- ऋण स्थिरीकरण की स्थिति बताती है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ क्वांटम प्रसार शून्य है, तो ऋण-स रा घ उ अनुपात स्थिर प्रवृत्ति का होगा, या ऋण अंततः स्थिर हो जाएगा। दूसरी ओर, यदि क्वांटम प्रसार के साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक हो जाता है, तो ऋण- स रा घ उ अनुपात बढ़ जाएगा और यदि यह सकारात्मक है, तो ऋण-स रा घ उ अनुपात अंततः गिर जाएगा।

- **तालिका-2.47** से पता चलता है कि कुल देयताओं के सापेक्ष स रा घ उ अनुपात द्वारा मापे गए राज्य के ऋण बोझ में, 2020-21 तक ऊपर की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाने के बाद सुधार होना शुरू हुआ, जबकि अवधि (2019-2024) के अंतिम तीन वर्षों में लगातार गिरावट देखी गई, जिस पर ऋण स्थिरता विश्लेषण के लिए विचार किया गया। ऋण-स रा घ उ अनुपात 2018-19 में 25.20 *प्रतिशत* से बढ़कर 2019-20 में 27.58 *प्रतिशत* तथा 2020-21 में पिछले वर्ष की तुलना में 31.66 *प्रतिशत* हो गया। महामारी के प्रभाव के कारण 2020-21 में 4.08 प्रतिशत बिन्दु की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज करने के बाद, जब वर्तमान मूल्यों पर स रा घ उ वृद्धि 5.70 *प्रतिशत* तक संकुचित हुई, तो महामारी के बाद के वर्ष (2021-22) में यह घटकर 26.72 *प्रतिशत* हो गयी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.94 *प्रतिशत* का सुधार दर्ज कर रही है। गिरावट की प्रवृत्ति के बाद, समग्र देयताओं-स रा घ उ अनुपात 2022-23 में

23.98 *प्रतिशत* और 2023-24 में 23.18 *प्रतिशत* तक पहुंच गया। वर्ष 2021-22 के बाद से समग्र देयताओं-स रा घ उ अनुपात द्वारा मापे गए राज्य के ऋण बोझ में लगातार गिरावट से संकेत मिलता है कि इसने स्थिरीकरण शुरू कर दिया है।

- वर्ष-वार विश्लेषण से पता चलता है कि विकास ब्याज अंतर (जी आई डी), जो 2018-19 में पहले से ही ऋणात्मक है, में निरंतर गिरावट आई है, निरन्तर प्राथमिक घाटे के कारण 2019-20 और 2020-21 में ऋण- स रा घ उ अनुपात में वृद्धि हुई है। प्राथमिक घाटे में उल्लेखनीय कमी करके उधार लेने की आवश्यकताओं के प्रति कम रुचि के साथ, राज्य ऋण- स रा घ उ अनुपात को पिछले वित्त वर्ष में 2.38 *प्रतिशत* अंकों की वृद्धि की तुलना में 2020-21 में 4.08 *प्रतिशत* अंकों की वृद्धि दर्ज करने से नहीं रोक सका। हालांकि, महामारी के प्रभाव से उबरते हुए, 2021-22 में आधार प्रभाव के कारण 18.41 *प्रतिशत* की महत्वपूर्ण नाममात्र वृद्धि और प्राथमिक संतुलन द्वारा समर्थित स्थिर नाममात्र वृद्धि से स्पष्ट है, जो सकारात्मक क्षेत्र में बनी रही, जिससे राज्य के ऋण बोझ में पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में 4.94 *प्रतिशत* अंकों और 2022-23 में 2.74 *प्रतिशत* अंकों का सुधार हुआ। प्राथमिक घाटे के बावजूद, राज्य का ऋण- स रा घ उ अनुपात सुधर कर 2022-23 में 23.98 *प्रतिशत* से घटकर 2023-24 में 23.18 *प्रतिशत* हो गया। ऋण- स रा घ उ अनुपात में कमी को अनुकूल जी आई डी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जो प्राथमिक घाटे के प्रभाव को ऑफसेट करने के लिए पर्याप्त था।
- डोमर मानदंड के अनुसार, उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति के बावजूद, वास्तविक संदर्भ में विकास ब्याज अंतर (जी आई डी) महामारी वर्ष (2020-21) को छोड़कर, 2019-24 के दौरान अनुकूल रहा, और इसमें वास्तविक वृद्धि दर में 12.10 *प्रतिशत* का महत्वपूर्ण संकुचन दर्ज किया गया। नाममात्र वृद्धि और प्रभावी ब्याज दर दोनों बड़े पैमाने पर मुद्रास्फीति से प्रेरित रहे। पाँच साल की निम्नतम वास्तविक ब्याज दर के बावजूद, जब सी पी आई मुद्रास्फीति लगभग प्रभावी नाममात्र ब्याज दर के स्तर तक बढ़ गई, तो 2020-21 में जी आई डी प्रतिकूल हो गई। तदोपरांत, सी पी आई मुद्रास्फीति में कमी के कारण निरंतर आर्थिक विकास ने जी आई डी को अगले तीन वर्षों तक अनुकूल रहने में मदद की। औसतन, 2019-2024 की अवधि के दौरान सी पी आई मुद्रास्फीति, आर बी आई द्वारा निर्धारित 2-6 *प्रतिशत* के टालरेन्स बैंड से ऊपर बनी रही।
- राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के *प्रतिशत* के रूप में ब्याज भुगतान में पिछले पांच वर्षों में लगातार गिरावट आई है जो स्थायी ऋण का संकेत है क्योंकि अन्य उत्पादक उद्देश्यों के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध हैं।

- चालू वित्त वर्ष के दौरान, राज्य सरकार ने 137 अवसरों पर आर बी आई के पास उपलब्ध वित्तीय समायोजन साधनों का सहारा लिया, जो खराब राजकोषीय प्रबंधन उत्पन्न करते हैं और अल्पकालिक ऋण स्थिरता में बाधा डालते हैं।

(ख) केन्द्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट (एफ सी आर) में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियों का ब्योरा नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.48: एफ सी आर में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियां

(स रा घ उ के *प्रतिशत* के रूप में)

राजकोषीय मापदंड		एफ सी आर में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियां				
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व घाटा	ल	00	00	00	00	00
राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+)	उ	(-) 0.89	0.49	1.55	1.75	0.97
राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+)	ल	(-) 3.25	(-) 4.50	(-) 4.00	(-) 3.50	(-) 3.00
	उ	(-) 3.20	(-) 2.41	(-) 1.40	(-) 0.97	(-) 2.24
कुल बकाया देयता का स रा घ उ से अनुपात	ल	22.52	33.20	33.10	33.90	34.00
	उ	27.58	31.66	26.72	23.98	23.18

राज्य वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान अपने ऋण बोझ को एफ आर बी एम अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के भीतर रखने में असमर्थ था। हालांकि, राज्य का ऋण बोझ 2019-20 को छोड़कर पिछले पांच वर्षों के दौरान वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर रहा।

2.9.8 उधार ली गई निधियों का उपयोग

आदर्श रूप में उधार ली गई निधियों का उपयोग पूंजीगत रचना तथा विकास की गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिये। उधार ली गई निधियों का उपयोग चालू उपभोग एवं बकाया ऋणों पर ब्याज की अदायगी हेतु धारणीय नहीं है। विगत पाँच वर्षों में उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति **तालिका-2.49** एवं **चार्ट-2.29** में नीचे दिखाई गई है।

तालिका-2.49: उधार ली गई धनराशि का उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल उधारियाँ	पूर्व उधारियों की अदायगी (प्रतिशतता)	निवल पूंजीगत व्यय* (प्रतिशतता)	आहरित निवल ऋण एवं अग्रिम (प्रतिशतता)	कुल उधारियों में से राजस्व व्यय का भाग (प्रतिशतता)
2019-20	5,834	2,131 *(37)*	3,703 (*63*)	लागू नहीं	लागू नहीं
2020-21	9,787	2,921 (*30*)	6,538 (*67*)	38 (*0.39*)	लागू नहीं[15]
2021-22	7,473	3,385 *(45)*	4,088 *(55)*	लागू नहीं	लागू नहीं
2022-23	5,036	4,079 *(81)*	957 *(19)*	लागू नहीं	लागू नहीं
2023-24	9,912	4,110 *(41)*	5,802 *(59)*	लागू नहीं	लागू नहीं

निवल पूंजीगत व्यय = कुल पूंजीगत व्यय - विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ।

[15] उधार से कोई राजस्व व्यय पूरा नहीं किया गया क्योंकि राज्य के पास 2020-21 में राजस्व अधिशेष था।

चार्ट-2.29: उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति

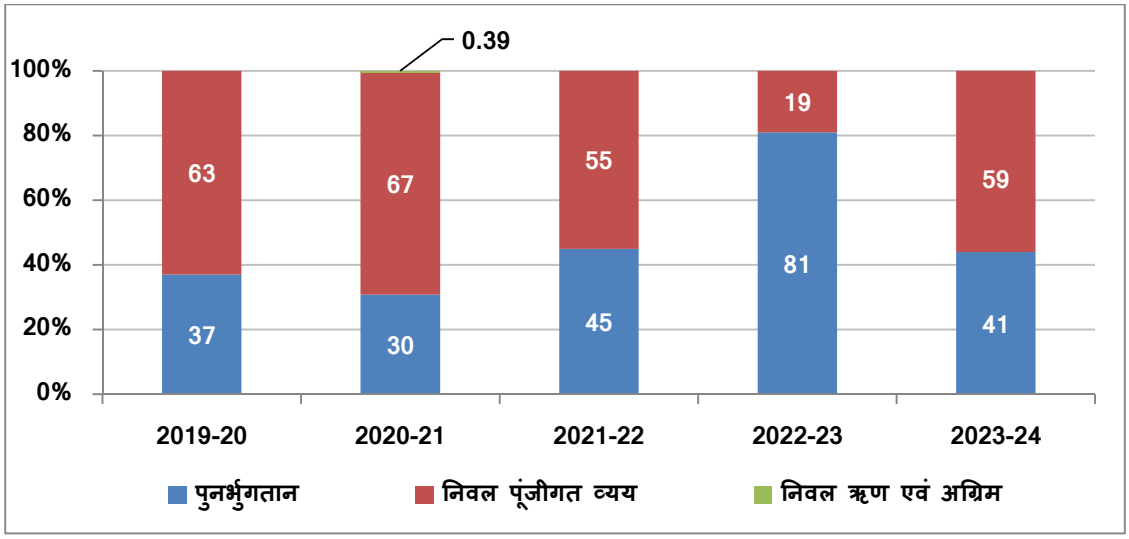

वर्ष 2019-24 की अवधि में, राज्य द्वारा ऋण धनराशि का 30 से 81 *प्रतिशत* पूर्व के मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए उपयोग किया जिससे पूंजीगत व्यय के लिए कम धनराशि उपलब्ध रही तथा शुद्ध पूंजीगत व्यय उपलब्ध ऋण का 19 *प्रतिशत* से 67 *प्रतिशत* के बीच था। इसके अतिरिक्त, शुद्ध पूंजीगत व्यय पर खर्च 2019-20 में 63 *प्रतिशत* से 2023-24 में घटकर 59 *प्रतिशत* हो गया। वित्त आयोग के अनुसार, राज्यों द्वारा राजस्व घाटे को कम करने एवं अनन्तिम रूप से समाप्त करने तथा समस्त ऋणों का उपयोग पूंजीगत व्यय हेतु करने के लिए राजस्व घाटा अनुदान दिये जा रहे हैं। वर्ष 2023-24 में जो कि वित्त आयोग अवधि का तृतीय वर्ष है, राज्य का राजस्व अधिशेष ₹ 3,341 करोड़ रहा। राज्य सरकार द्वारा विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष 2023-24 में अधिक उधार लिया गया।

2.10 प्रतिभूति की स्थिति - आकस्मिक देयताएं

संविधिक निगम, सरकारी कंपनियाँ, सहकारी संस्थाएं, वित्तीय संस्थान, स्वायत्त निकाय और प्राधिकरण विशिष्ट सांविधिक इकाईयाँ हैं जो उनके ऋणों के लिए जिम्मेदार हैं। उनके वित्तीय दायित्वों की प्रतिभूति सरकार द्वारा दी जा सकती है और इस प्रकार सरकार की यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता है कि इन्हें पूरा किया जाए। जब ये संस्थाएं सीधे बाजार से उधार लेती हैं, तो यह उन्हें सरकार के बजटीय सहायता और सरकार के ऋण की मात्रा को कम कर देती है। हालाँकि, यह सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियों के स्तर को बढ़ाता है। इस प्रकार, प्रतिभूतियां आमतौर पर सरकार की आकस्मिक देयताओं का गठन करती हैं और उधारकर्ता जिसके लिए प्रतिभूति दी गई है द्वारा चूक के मामले में राज्य की संचित निधि पर भारित होती हैं।

एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 में उल्लिखित है कि राज्य सरकार ऐसी किसी भी राशि के लिए प्रतिभूति नही देगी जो राज्य सरकार के ऐसे नियम या कानून, जो उसके लागू होने के समय विद्यमान था, के अन्तर्गत अनुबद्ध सीमा से अधिक हो। तथापि, राज्य विधानसभा (संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत अधिकतम सीमा निर्धारित करता है, जिसके अन्तर्गत सरकार, राज्य की समेकित निधि की सुरक्षा पर प्रतिभूति दे सकती है) ने दिसम्बर 2016 में ही संशोधित एफ आर बी एम अधिनियम में संबन्धित प्रावधान किया था।

वित्त लेखे के **विवरण-9** और **20** के अनुसार **तालिका-2.50** एवं **चार्ट-2.30** में राज्य द्वारा अधिकतम राशि जिसके लिए प्रतिभूतियां दी गई और विगत पाँच वर्षों की लम्बित प्रतिभूति का विवरण दिया गया है।

तालिका-2.50: उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियां

(₹ करोड़ में)

प्रतिभूतियाँ	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
31 मार्च को प्रतिभूतियों की बकाया राशि*	582	729	374	117	119
राज्य सरकार अधिनियम द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा	उस विशेष वर्ष के स रा घ उ के एक *प्रतिशत* के भीतर बकाया प्रतिभूति। किसी भी वर्ष के दौरान दी गई नई प्रतिभूति उस वर्ष के लिए स रा घ उ के 0.3 *प्रतिशत* से अधिक नहीं होनी चाहिए।				
वर्ष के दौरान परिवर्धन	402	400	418	386	167
वर्ष के दौरान हटायी गई	712	525	760	643	238

*** उपलब्ध सूचना एवं राज्य बजट दस्तावेज पर आधारित ।**

चार्ट-2.30: लंबित प्रतिभूतियों की स्थिति

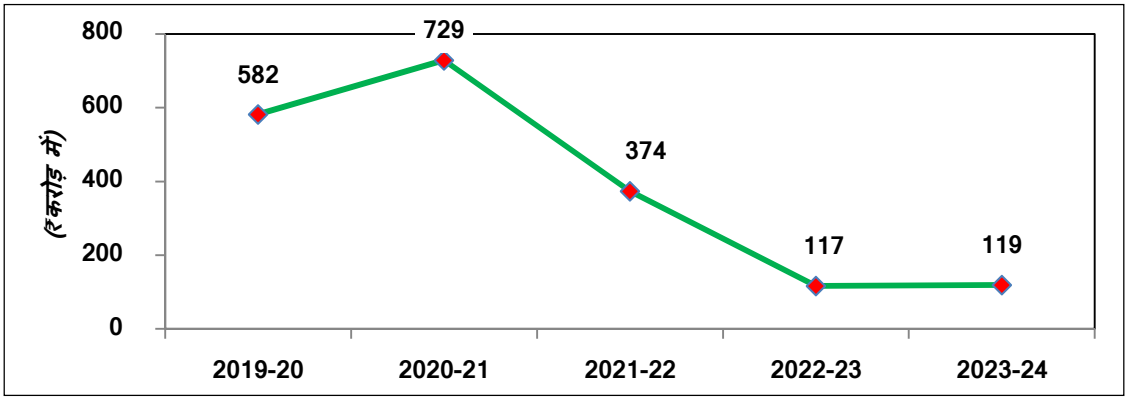

स्रोत: वित्त लेखे।

31 मार्च 2024 को लम्बित प्रतिभूतियों की धनराशि ₹ 119 करोड़ थी, जिसमें सहकारिता (₹ 117 करोड़) एवं अन्य (₹ दो करोड़) शामिल है। 31 मार्च 2024 को कुल लम्बित प्रतिभूतियों की धनराशि ₹ 119 करोड़ थी, जो वर्ष के स रा घ उ की 0.03 *प्रतिशत* है और इसलिए ये एफ आर बी एम की सीमा (स रा घ उ की 0.30 *प्रतिशत*) के अन्दर थी।

31 मार्च 2024 तक कुल बकाया प्रतिभूतियों ₹119 करोड़ में से ₹ 117.25 करोड़ का अधिकांश हिस्सा चीनी एवं गन्ना विभाग को दिया गया, जबकि ₹ 1.53 करोड़ और ₹ 0.63 करोड़ की राशि क्रमशः उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम और उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम को दी गई।

वर्ष के दौरान कोई प्रतिभूति प्रदत्त नहीं की गई। प्रतिभूति की अधिकतम धनराशि के बारे में सूचना राज्य सरकार द्वारा आंशिक रूप से उपलब्ध करायी गई, और इसलिए विवरण उस सीमा तक अपूर्ण है। इन विवरणों में भारत सरकार के लेखांकन-1 (आई जी ए एस-1) की आवश्यकताओं की पूर्ण पूर्ति नहीं हुई है। राज्य सरकार ने ₹ 0.23 करोड़ प्रतिभूति कमीशन के रूप में प्राप्त किए। इसमें से ₹ 0.23 करोड़ 'उत्तराखंड सरकारी प्रतिभूति पर सीलिंग अधिनियम, 2016' के अनुसार गारंटी मोचन निधि के बजाय राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत प्राप्त किए गए थे, जिसमें यह अपेक्षा की गई थी कि प्राप्त प्रतिभूति कमीशन को निधि के कॉर्पस में ले जाया जाए।

2.11 नकद बकाये का प्रबन्धन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए समझौते के अनुसार, राज्य सरकारों को प्रतिदिन बैंक में एक न्यूनतम नकद धनराशि बनाए रखनी आवश्यक है। अगर किसी दिन बकाया, तय न्यूनतम से कम रहता है तो इसकी कमी को अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू एम ए)/विशेष अर्थोपाय अग्रिम (एस डब्ल्यू एम ए)/ओवर ड्राफ्ट (ओ डी) के द्वारा समय-समय पर पूरा किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सामान्य डब्ल्यू एम ए के लिए राज्य सरकार की सीमा समय-समय पर संशोधित की जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए समझौते के अनुसार, राज्य सरकार को ₹ 0.16 करोड़ का न्यूनतम नकद बकाया प्रतिदिन बैंक में रखना होगा। 01 अप्रैल 2023 से सामान्य डब्ल्यू एम ए के लिए राज्य सरकार की सीमा ₹ 602 करोड़ थी और बैंक द्वारा एस डब्ल्यू एम ए की सीमा समय-समय पर संशोधित की जाती है। 2023-24 के दौरान एस डब्ल्यू एम ए की सीमा ₹ 310.58 करोड़ से ₹ 586.23 करोड़ तक थी। वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 19,526.71 करोड़ का डब्ल्यू एम ए प्राप्त किया और ₹ 18,919.65 करोड़ का भुगतान किया तथा 31 मार्च 2024 तक डब्ल्यू एम ए का ₹ 607.06 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया। वर्ष 2023-24 के दौरान 228 दिनों में राज्य सरकार ने बिना कोई अग्रिम लिए न्यूनतम प्रतिदिन नकद बकाया भारतीय रिजर्व बैंक में रखा था। वर्ष के दौरान डब्ल्यू एम ए, एस डब्ल्यू एम ए तथा ओवरड्राफ्ट का उपयोग क्रमशः 45 दिन, 64 दिन एवं 28 दिन के लिए किया गया था।

2.11.1 नकद बकाये का निवेश

वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा नकद बकाया और उसमें से किया गया निवेश **तालिका-2.51** में दिया गया है।

तालिका-2.51: नकद बकाया और उनका निवेश

(₹ करोड़ में)

	01 अप्रैल 2023 को प्रारम्भिक शेष	31 मार्च 2024 को अंतिम शेष
क. सामान्य नकद बकाया		
कोषागार में नकद	0.00	0.00
भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	(-)131.82	(-)102.34
अन्य बैंकों में जमा	0.00	0.00
पारगमन में प्रेषण-स्थानीय	0.00	0.00
योग	***(-)131.82***	***(-)102.34***
नकद बकाया निवेश लेखे में निवेश	653.37	0.00
योग (अ)	***521.55***	***(-)102.34***
ख. अन्य नकद बकाया और निवेश		
विभागीय अधिकारियों के पास नकद, जैसे लो नि वि, वन अधिकारी	(-) 10.71	(-) 10.71
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	(-) 0.81	(-) 0.81
चिन्हित निधि में निवेश	1,808.62	1,918.62
योग (ब)	***1,797.10***	***1,907.10***
योग (अ + ब)	***2,318.65***	***1,804.76***
वसूला गया ब्याज	**44.17**	**23.97**

स्रोत: वित्त लेखे।

चालू वर्ष के अन्त में राज्य सरकार का नकद बकाया 2022-23 में ₹ 2,318.65 करोड़ से ₹ 513.89 करोड़ (22.16 *प्रतिशत*) घटकर 2023-24 में ₹ 1,804.76 करोड़ हो गया। यह मुख्यतः नकद शेष निवेश खाते में निवेश (₹ 653.37 करोड़) में कमी के कारण था, जो चिन्हित निधियों में जमा राशि (₹ 110 करोड़) में वृद्धि से प्रतिसंतुलित हुआ था।

राज्य सरकार अपने आधिक्य नकद बकाये को भारत सरकार की लघु एवं दीर्घ अवधि की प्रतिभूतियों तथा कोषागार बिलों में निवेश करती है। ऐसे निवेश से प्राप्त होने वाले लाभ को शीर्ष "0049-ब्याज प्राप्तियाँ" में प्राप्ति के अन्तर्गत क्रेडिट किया जाता है। राज्य सरकार ने 2023-24 के दौरान भारत सरकार की प्रतिभूतियों एवं कोषागार बिलों में निवेश से ₹ 23.97 करोड़ ब्याज अर्जित किया।

चिन्हित निधियों में निवेशित कुल धनराशि ₹ 1,918.62 करोड़ में से, पूरी राशि को भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेशित किया गया। 2019-20 से 2023-24 तक पाँच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य के नकद शेष निवेशों को नीचे **तालिका-2.52** में दिया गया है।

तालिका-2.52: नकद शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि (+)/कमी (-)	अर्जित ब्याज
2019-20	247.48	00	(-) 247.48	21.73
2020-21	00	1,931.57	(+)1,931.57	32.01
2021-22	1,931.57	2,037.62	(+) 106.05	34.23
2022-23	2,037.62	653.37	(-)1,384.25	44.17
2023-24	653.37	00	(-)653.37	23.97

वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान राज्य सरकार के नकद शेष निवेश की प्रवृत्ति का विश्लेषण दर्शाता है कि 2022-23 से निवेश में कमी आ रही थी। चालू वर्ष के दौरान मुख्य शीर्ष-नकद शेष निवेश खाते में ₹ 653.37 करोड़ (100 *प्रतिशत)* की कमी के साथ अंतिम शेष शून्य रहा।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान राज्य द्वारा लिये गये बाजार ऋण और औसत नकद शेष में उपलब्ध शेष के बीच तुलना **चार्ट-2.31** में दर्शाई गई है। बाजार ऋण उच्च ब्याज दर पर लिए गए थे जबकि कोषागार बिलों में निवेश से कम दर पर ब्याज मिला।

चार्ट-2.31: बाजार ऋण के सापेक्ष औसत नकद शेष

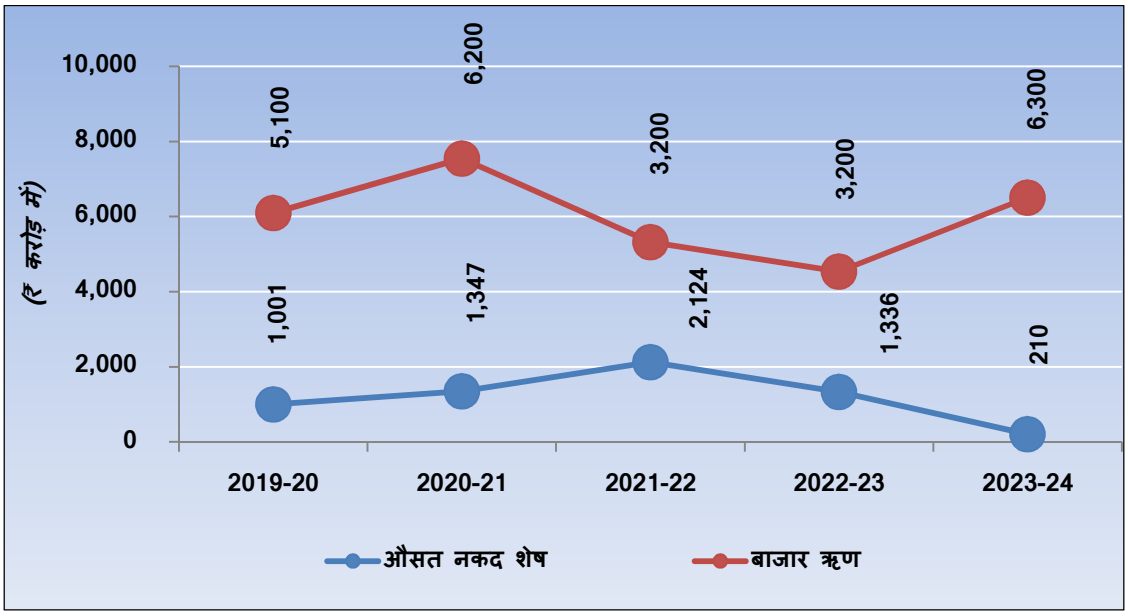

चार्ट-2.32 में वर्ष 2023-24 के दौरान माह-वार नकद शेष निवेश लेखा और नकद शेष के बीच तुलना दर्शायी गई है।

चार्ट-2.32: 2023-24 के दौरान नकद शेष निवेश लेखा और नकद शेष की माह-वार प्रवृति

(₹ करोड़ में)

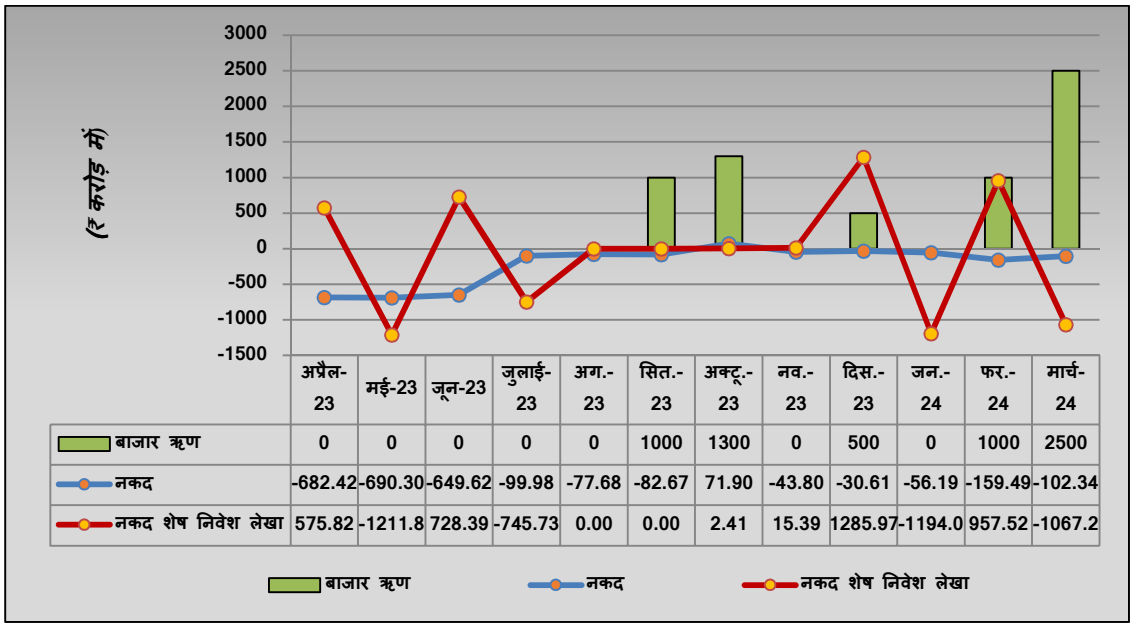

	अप्रैल-23	मई-23	जून-23	जुलाई-23	अग.-23	सित.-23	अक्टू.-23	नव.-23	दिस.-23	जन.-24	फर.-24	मार्च-24
बाजार ऋण	0	0	0	0	0	1000	1300	0	500	0	1000	2500
नकद	-682.42	-690.30	-649.62	-99.98	-77.68	-82.67	71.90	-43.80	-30.61	-56.19	-159.49	-102.34
नकद शेष निवेश लेखा	575.82	-1211.8	728.39	-745.73	0.00	0.00	2.41	15.39	1285.97	-1194.0	957.52	-1067.2

बाजार ऋण नकद नकद शेष निवेश लेखा

पूर्ववर्ती चार्ट इंगित करता है कि राज्य सरकार ने पाँच बार (सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर 2023 तथा फरवरी एवं मार्च 2024) बाजार ऋणों का सहारा लिया। दिसंबर 2023 एवं फरवरी 2024 में नकद शेष उपलब्ध होने के बावजूद राज्य सरकार ने बाजार ऋणों का सहारा लिया। वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 6,300 करोड़ बाजार से उठाये।

2.12 निष्कर्ष

- 2023-24 के दौरान, गत वर्ष की अपेक्षा राजस्व प्राप्तियों में ₹ 1,532 करोड़ (3 *प्रतिशत*) की वृद्धि, स्वयं के कर राजस्व (₹ 2,143 करोड़), संघ करों एवं शुल्कों में राज्य के अंशदान (₹ 2,011 करोड़) में वृद्धि एवं सहायता अनुदान (₹ 2,673 करोड़) में कमी के कारण हुई।
- 2019-24 की अवधि के दौरान, राजस्व व्यय, कुल व्यय का औसतन 84 *प्रतिशत* (वर्ष 2019-24 के दौरान 81 *प्रतिशत* से 86 *प्रतिशत* के बीच) था। 2019-24 की पाँच वर्ष अवधि के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि दर ने उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दर्शायी। प्रतिबद्ध व्यय, राजस्व व्यय का 57 *प्रतिशत* से 66 *प्रतिशत* के बीच था जबकि पाँच वर्ष की अवधि 2019-24 के दौरान, यह राज्य की राजस्व प्राप्तियों के 53 *प्रतिशत* से 71 *प्रतिशत* के बीच लेखांकित किया गया।

- अनम्य व्यय, राजस्व व्यय का छः *प्रतिशत* से नौ *प्रतिशत* के बीच था जबकि पाँच वर्ष की अवधि 2019-24 के दौरान, यह राज्य की राजस्व प्राप्तियों के पाँच *प्रतिशत* से आठ *प्रतिशत* के बीच लेखांकित किया गया।
- चालू वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय में ₹ 2,788 करोड़ (34.02 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य द्वारा किया गया पूंजीगत व्यय एम टी एफ पी एस लक्ष्यों (₹ 10,403 करोड़) से ₹ 579 करोड़ अधिक तथा बजट अनुमानों (₹ 13,134 करोड़) से ₹ 2,152 करोड़ कम था।
- उत्तराखण्ड सरकार के निवेश पर औसत प्रतिलाभ नगण्य था। चालू वर्ष के दौरान, बकाया ऋणों के सापेक्ष वसूल की गयी राशि ₹ 15.82 करोड़ थी, जो 31 मार्च 2023 तक बकाया ऋणों (₹ 2,454.61 करोड़) का 0.64 *प्रतिशत* थी।
- वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य में कुल व्यय के अनुपात में शिक्षा, सामाजिक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र में व्यय उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों के औसत से अधिक था। जबकि वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य में कुल व्यय के अनुपात में विकास एवं आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत व्यय उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों के औसत से कम था।
- वर्ष 2023-24 के वित्त लेखों के अनुसार, 31 मार्च 2024 को लोक निर्माण के विभिन्न प्रभागों में ₹ 921.83 करोड़ की 154 अपूर्ण/चालू परियोजनाएँ थीं। इन 154 परियोजनाओं में से 48 परियोजनाओं (अनुमानित लागत ₹ 308.13 करोड़) का अपने पूर्ण होने के लक्ष्य से दो से आठ साल का समय अधिक था जबकि 106 परियोजनाएं (अनुमानित लागत ₹ 613.70 करोड़) जो वर्ष 2023-24 तक पूर्ण होनी थी, वर्तमान तक अपूर्ण थीं।
- पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में स रा घ उ से कुल राजकोषीय देयताओं के अनुपात में 0.80 *प्रतिशत* की कमी हुई और यह 23.18 *प्रतिशत* पर रहा, जो राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन (एफ आर बी एम) के 33.10 *प्रतिशत* लक्ष्य से कम था।

2.13 संस्तुतियाँ

- ***सरकार को लंबित कर दावों को समय पर निपटान, करों के निर्धारण में बकाया का निपटान एवं राजस्व के बकाया की वसूली तथा बेहतर संसाधन जुटाने के लिए करेत्तर राजस्व में सुधार करना चाहिए;***

- ***राज्य सरकार, अपने द्वारा ली गई उधारियों की अत्यधिक उच्च लागत को ध्यान में रखते हुए, लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में निवेश की गई पूँजी पर उचित प्रतिफल सुनिश्चित करने के तरीकों का पता लगा सकती है;***
- ***राज्य सरकार विकास क्षेत्र में संसाधनों का आवंटन बढ़ा सकती है ताकि इसे उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों की औसत के बराबर लाया जा सके;***
- ***राज्य सरकार अपूर्ण परियोजनाओं के समयबद्ध पूर्णता को सुनिश्चित कर सकती है तथा यह भी सुनिश्चित कर सकती है कि आगे कोई लागत वृद्धि न हो;***
- ***राज्य सरकार प्रतिभूति कमीशन शुल्क की वसूली सुनिश्चित कर सकती है और इसे प्रतिभूति मोचन निधि में जमा कर सकती है।***

अध्याय-3

बजटीय प्रबंधन

अध्याय-3

बजटीय प्रबंधन

यह अध्याय, अनुपूरक अनुदानों और सहगामी वित्तीय प्रबंधन सहित बजटीय प्रक्रिया और आवंटन प्राथमिकताओं की सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और प्रभावशीलता की समीक्षा से संबन्धित है।

3.1 बजट प्रक्रिया

बजट तैयार करने का वार्षिक कार्य लोक संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए रोडमैप का ब्योरा देने का एक साधन है। बजट शब्दावली ***परिशिष्ट-3.1*** में दी गई है। बजट प्रक्रिया सामान्यतः प्रत्येक वर्ष अगस्त में बजट परिपत्र जारी करने से प्रारम्भ होती है जिसमें विभागों को अगले वित्तीय वर्ष हेतु आकलन निर्धारित करने के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है। उत्तराखण्ड बजट नियमावली के अनुसार राज्य में बजट तैयार करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है:

3.2 बजट तैयारी प्रक्रिया

वित्त विधेयक, वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) और अनुदानों की मांग भारत के संविधान के अनुच्छेद क्रमशः 199, 202 तथा 203 में अधिदेशित है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 में अपेक्षित है कि राज्य के विधानमंडल के सदन में उस वर्ष की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों के विवरण को "वार्षिक वित्तीय विवरण" के रूप में प्रस्तुत किया जाए। वार्षिक वित्तीय विवरण में संचित निधि पर भारित व्यय और अन्य व्यय पृथक-पृथक दर्शाये जाने चाहिए। इसमें राजस्व लेखे पर किए गए व्यय को अन्य व्यय से भी अलग दिखाया जाएगा।

संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुपालन में राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के पहले वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे सामान्य बजट भी कहते हैं, प्रस्तुत किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राप्तियों एवं वितरणों और अनुदानों की मांग में होने वाले व्यय के अनुमानों को संविधान के अनुच्छेद 150 में दिये गये वर्गीकरण के अनुसार दर्शाया जाता है।

संविधान के अनुच्छेद 204 में दिये गए प्रावधानों के अनुसार विनियोग के अंतर्गत कानून पारित करने के अतिरिक्त राज्य की संचित निधि से कोई भी धन नहीं निकाला जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान पूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान अथवा विनियोग दिया जाता है। यह बजटीय राशि से अधिक के व्यय हेतु प्रावधान है।

उत्तराखण्ड में बजट तैयार करने की ज़िम्मेदारी वित्त विभाग के पास हैः

- संविधान के अनुच्छेद 166 (2) तथा (3) और उसके अंतर्गत जारी किए गए निर्देशों के अनुसार राज्यपाल के द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत वित्त विभाग के पास अनुमानित राजस्व और व्यय का विवरण, जो प्रत्येक वर्ष विधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है, को तैयार करने की ज़िम्मेदारी होती है। यद्यपि विभाग प्रमुखों एवं अन्य अधिकारियों द्वारा आंकड़े दिये जाते है, तथापि आकलनों और बजट की वास्तविक तैयारी वित्त विभाग के ऊपर है और यह पूरी तरह से उस विभाग का कार्य और ज़िम्मेदारी है कि प्राप्तियों एवं वितरणों के अनुमानों को अंतिम रूप दे।

- राज्य सरकार अनुदानों/विनियोगों के लिए अपने वार्षिक बजट और मांगो[1] को प्रस्तुत करके राज्य की संचित निधि से व्यय की विधायी स्वीकृति सुनिश्चित करती है।
- मूल बजटीय राशि से अधिक के व्यय का वहन करने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान पूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान/विनियोग उपलब्ध कराया जाता है।
- इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान राज्य सरकार विनियोग की विभिन्न इकाइयों जहां बचत पूर्वानुमानित है, से उन इकाइयों जहां अतिरिक्त व्यय संभावित (अनुदान/ विनियोग के अंदर) है, में निधियों को पुनर्विनियोजित/पुनरावंटित भी करती है।

उत्तराखण्ड सरकार का वित्त विभाग हर साल पत्र जारी कर बजट तैयार करने की रूपरेखा बताता है। वर्ष 2023-24 में बजट की तैयारी के लिए, दिनाक 09 दिसम्बर 2022 को एक पत्र जारी किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है:

- बजट अनुमानों की शुद्धता और उसकी जिम्मेदारी बजट मैनुअल के पैरा 16 (अध्याय 3) में स्पष्ट रूप से वर्णित है। राज्य सरकार के लेखे आम तौर पर नकद आधार पर तैयार किए जाते हैं; इसलिए, व्यय की सभी मदों और आय के सभी स्रोतों और वास्तविक परिणामों को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक पर सावधानीपूर्वक और गहन विचार के बाद अनुमान तैयार किया जाना चाहिए।
- बजट मैनुअल के पैरा 17 (अध्याय 3) में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि बजट अनुमान, एक नियम के रूप में, सकल आधार पर तैयार किया जाना चाहिए, न कि शुद्ध निवल आधार पर। प्रत्येक विभाग में प्राप्तियों और शुल्कों दोनों के मामले में सकल लेनदेन को अलग से दर्ज किया जाना चाहिए। प्राप्तियों का अनुमान प्राप्ति पक्ष पर और व्यय का अनुमान व्यय पक्ष पर लगाया जाना चाहिए।
- विभागाध्यक्षों और अन्य आकलन अधिकारियों को अधीनस्थ अधिकारियों से प्राप्त सामग्री के आधार पर प्रत्येक लेखा शीर्ष जिससे वे संबन्धित हैं, के लिए अनुमान तैयार करना चाहिए और निर्धारित तिथियों तक महालेखाकार को एक प्रति के साथ प्रशासनिक विभागों को अनुमान भेजना चाहिए। महालेखाकार विगत

[1] 2023-24 के अनुदानों/विनियोजनों के लिए 31 मांग हैं।

वास्तविक आंकड़े प्रस्तुत करता है, अपनी टिप्पणियाँ, यदि कोई हो, प्रस्तुत करता है, और ऐसी सहायता प्रदान करता है जो वित्त विभाग द्वारा उचित रूप से मांगी जा सकती है।

- बजट मैनुअल के पैरा 31 (अध्याय 5) के अनुसार, सामान्यतः एकमुश्त प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जहां एकमुश्त प्रावधान अपरिहार्य है, वहां बजट अनुमानों की टिप्पणियों में प्रमुख कार्य शीर्ष और संबंधित अनुमानों का विवरण दिया जाना चाहिए।
- पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान लगाते समय, ऋण और अग्रिम की वसूली एक प्रमुख शीर्ष है। इसलिए, इन अनुमानों को तैयार करते समय, दिए गए ऋणों और अग्रिमों की किस्तों पर विचार किया जाना चाहिए। पिछले बकाया ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली के लिए लंबित शेष राशि को ध्यान में रखा जाना चाहिए और उनके अनुमान भी प्रदान किए जाने चाहिए।
- जहां तक संभव हो नए पदों का सृजन नहीं किया जाना चाहिए और यदि यह अपरिहार्य हैं तो नए पदों का सृजन अधिकतम एक *प्रतिशत* तक सीमित होना चाहिए।

बजट के विभिन्न घटक नीचे **चार्ट-3.1** में दर्शाये गए हैं:

चार्ट-3.1: वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखण्ड के बजट एवं व्यय का सारांश

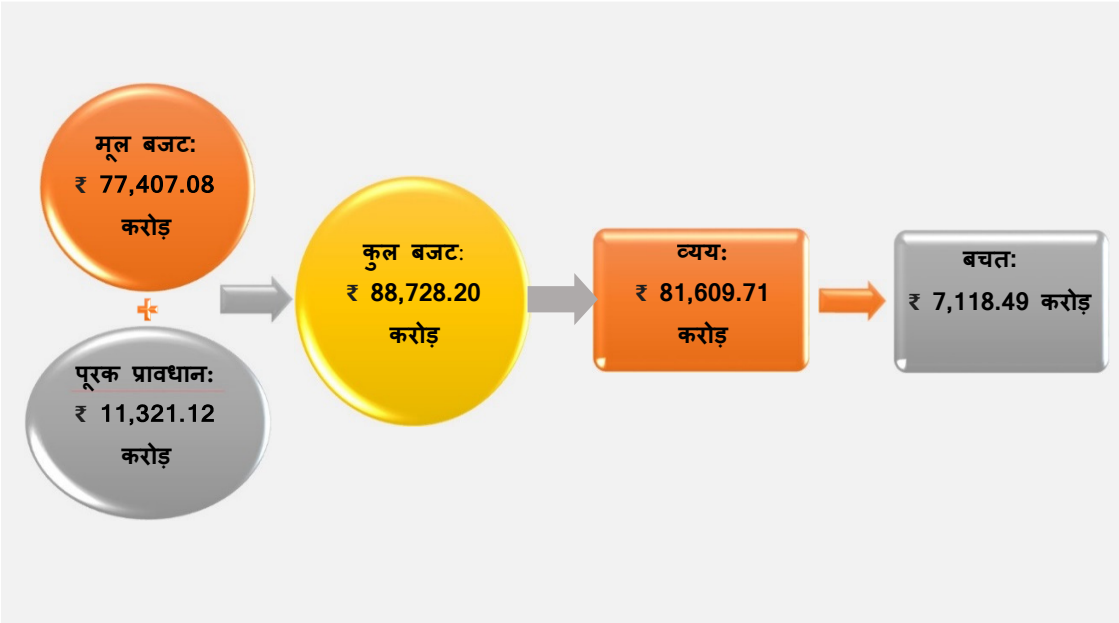

विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत **शासन द्वारा कार्यान्वित**

स्रोत: उत्तराखण्ड बजट नियम पुस्तिका एवं विनियोग लेखों में निर्धारित प्रणाली पर आधारित।

3.2.1 जेंडर बजटिंग

जेंडर बजटिंग सरकारी बजट के लिंग-आधारित परिणामों का पता लगाने के लिए बजट का विभाजन है और यह लैंगिक प्रतिबद्धताओं को बजटीय प्रतिबद्धताओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। जेंडर बजट समानता के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बजटीय नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महिलाओं के लिए संसाधनों के आवंटन और प्रावधानित बजट में परिमाणीकरण पर्याप्तता का आकलन जेंडर बजटिंग के माध्यम से किया जाता है। बजट के अंतर्गत विभागीय योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की दृष्टि से इसे दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 100 *प्रतिशत* महिलाओं के लिए बजट निर्धारित करने वाली योजनाओं को श्रेणी-1 में रखा गया है और 30 *प्रतिशत* से अधिक वाली योजनाओं को श्रेणी-2 में रखा गया है।

2019-20 से 2023-24 तक जेंडर बजट आवंटन का ब्योरा नीचे **तालिका-3.1** में दिया गया है:

तालिका-3.1: 2019-20 से 2023-24 के दौरान जेंडर बजट के अन्तर्गत प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
जेंडर बजट	6,193	6,205	7,784	13,771	13,920
कुल बजट	51,198	57,591	65,012	71,012	88,728

स्रोत: बजट एवं जेंडर बजट उत्तराखंड सरकार।

जेंडर बजट के अन्तर्गत बजट आवंटन 2019-20 में ₹ 6,193 करोड़ से ₹ 7,727 करोड़ बढ़कर 2023-24 में ₹ 13,920 करोड़ हो गया। हालाकि, 2022-23 की तुलना में 2023-24 में इसमें केवल ₹ 149 करोड़ की वृद्धि हुई। यह आवंटन विशेष रूप से श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के अंतर्गत महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए बनाई गई योजनाओं पर 21 अनुदानों में किया गया था। 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए श्रेणी 1 और 2 के संबंध में वर्ष-वार आवंटन और व्यय **तालिका-3.1(क)** में दिया गया है।

तालिका-3.1(क): वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान श्रेणीवार जेंडर बजट आवंटन

(₹ करोड़ में)

	श्रेणी 1			श्रेणी 2		
वर्ष	बजट	व्यय	बजट के प्रति व्यय *प्रतिशत*	बजट	व्यय	बजट के प्रति व्यय *प्रतिशत*
2019-20	1,126.30	890.13	*79.03*	5,066.59	4,056.84	*80.07*
2020-21	1,125.96	1,010.16	*89.72*	5,078.60	8,080.44	*159.11*
2021-22	1,364.47	988.51	*72.45*	6,419.04	7,924.22	*123.45*
2022-23	2,068.21	1,205.52	*58.29*	11,703.10	9,791.67	*83.67*
2023-24	2,022.88	1,477.72	*73.05*	11,897.25	12,460.01	*104.73*

स्रोत: उत्तराखंड बजट।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट होता है कि श्रेणी-1 **(100 *प्रतिशत* बजट पूरी तरह से महिलाओं के लिए)** में, विगत वर्षों में उपयोग किए गए बजट के *प्रतिशत* में उतार-चढ़ाव रहा है। 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2023-24 में उपयोग 72 से 89 *प्रतिशत* के बीच था जो प्रभावी उपयोग को दर्शाता है। हालाकि, 2022-23 में, व्यय बजट का केवल 58 *प्रतिशत* था, जो कम उपयोग को इंगित करता है। जेंडर समानता के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, राज्य सरकार को आवंटित बजट पर नज़र रखने और पूरी तरह से उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, विशेषकर श्रेणी 1 में, एक तंत्र लागू करना चाहिए।

3.2.1(क): अनुसूचित जाति (एस सी) और अनुसूचित जनजाति (एस टी) बजट

राज्य का एस सी और एस टी बजट कुल बजट में प्रस्तावित उस व्यय को दर्शाता है, जो उन योजनाओं और कार्यक्रमों पर खर्च किया जाएगा, जिनका उद्देश्य एस सी और एस टी समुदायों को लाभ पहुंचाना है, एवं जिसका ज़ोर समानता प्राप्ति, आर्थिक, शैक्षिक और मानव विकास के साथ-साथ सुरक्षा, सामाजिक गरिमा और एस सी एवं एस टी के बीच समानता को बढ़ावा देना सुनिश्चित करना, ताकि इन समुदायों का त्वरित विकास सुनिश्चित किया जा सके। 2019-20 से 2023-24 तक एस सी और एस टी (अनुदान संख्या 30 और 31) पर वर्षवार आवंटन और व्यय **तालिका-3.1(ख)** में दिया गया है।

तालिका-3.1(ख): एस सी और एस टी बजट

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल बजट आवंटन	51,198	57,591	65,012	71,012	88,728
एस सी के लिए आवंटन	1,536	1,640	2,124	2,095	2,463
एस टी के लिए आवंटन	517	550	640	619	733
एस सी के आवंटन की कुल बजट से तुलना (*प्रतिशत* में)	*3.00*	*2.85*	*3.27*	*2.95*	*2.78*
एस टी के आवंटन की कुल बजट से तुलना (*प्रतिशत* में)	*1.01*	*0.96*	*0.98*	*0.87*	*0.83*
एस सी के लिए व्यय	1,068	1,236	1,184	1,338	1,697
एस टी के लिए व्यय	337	366	406	379	465
एस सी आवंटन का उपयोगिता *प्रतिशत*	*70*	*75*	*56*	*64*	*69*
एसटी आवंटन का उपयोगिता *प्रतिशत*	*65*	*67*	*63*	*61*	*63*

स्रोत: उत्तराखंड बजट।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, एससी के लिए पूर्ण आवंटन 2019-20 में ₹ 1,536 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 2,463 करोड़ हो गया है। इस वृद्धि के बाद भी इस अवधि के दौरान एस सी को आवंटित कुल बजट का *प्रतिशत* 3.00 *प्रतिशत*

से घटकर 2.78 *प्रतिशत* हो गया है। इससे पता चलता है कि जहां सांकेतिक राशि में वृद्धि हुई है, वहीं कुल बजट की तुलना में सापेक्ष अनुपात में थोड़ी गिरावट आ रही है। इसी प्रकार, एस टी के लिए पूर्ण आवंटन 2019-20 में ₹ 517 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 733 करोड़ हो गया है, तथापि, एस टी को आवंटित कुल बजट का *प्रतिशत* 1.01 *प्रतिशत* से घटकर 0.83 *प्रतिशत* हो गया है। इससे एस टी को आवंटित कुल बजट के सापेक्षिक अनुपात में गिरावट का भी पता चलता है।

एस सी को आवंटन का उपयोगिता *प्रतिशत* परिवर्तनशीलता दर्शाता है, परंतु यह 56 *प्रतिशत* से 75 *प्रतिशत* के इर्द-गिर्द की सामान्य प्रवृत्ति बनाए रखता है। सबसे अधिक उपयोग 2020-21 में (75 *प्रतिशत*) था, और सबसे कम 2021-22 में (56 *प्रतिशत*) था। इसके अतिरिक्त, एस टी के लिए आवंटन का उपयोगिता *प्रतिशत* अपेक्षाकृत स्थिर बना हुआ है, जो 61 *प्रतिशत* से 67 *प्रतिशत* तक है। सबसे अधिक उपयोग 2020-21 में (67 *प्रतिशत*) था और सबसे कम 2022-23 में (61 *प्रतिशत*) था।

3.2.1(ख) आउटकम बजट

आउटकम बजटिंग एक ऐसी बजटिंग कार्यनीति के रूप में प्रचलित है जो व्यय/आवंटन को निश्चित निष्कर्ष और परिणामों से जोड़ती है। इस संबंध में सबसे अधिक उपभोग किया जाने वाला उपकरण, वार्षिक बजट के साथ-साथ आउटकम बजट विवरण का प्रकाशन रहा है। उत्तराखंड में, आउटकम बजट की तैयारी 2017-18 में शुरू की गई थी। ये आउटकम बजट विवरण विभागवार सैक्टर/योजना/कार्यक्रम का नाम, योजनाओं का उद्देश्य, एसडीजी लक्ष्य, वर्तमान भौतिक स्थिति, अनुमानित भौतिक स्थिति, अनुमानित निष्कर्ष और अनुमानित परिणाम और समय-सीमा को दर्शाते हैं। 2023-24 के दौरान, 36 विभागों ने आउटकम बजट की सूचना दी थी।

3.2.2 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक वितरणों और बचतों का सारांश

कुल बजट प्रावधान, वितरण और बचत/आधिक्य के साथ-साथ आगे इसके मतदेय/भारित में वर्गीकरण की सारंशकृम **तालिका-3.2** में दी गई है।

तालिका-3.2: वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बजट प्रावधान, वितरण और बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

कुल बजट प्रावधान		वितरण		बचत (-)/ आधिक्य (+)*	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
66,261.66	22,466.54	53,087.65	28,522.06	(-)13,174.01	(+)6,055.53

स्रोत: विनियोग लेखे। * चार्ट 3.1 की तुलना में बचत में 0.01 का अंतर पूर्णांकित करने के कारण है।

3.2.3 भारित एवं मतदेय वितरण

2019-20 से 2023-24 तक कुल वितरण का भारित एवं मतदेय में विभाजन **तालिका-3.3** में दिया गया है।

तालिका-3.3: वर्ष 2019-20 से 2023-24 में वितरण और बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वितरण		बचत(-)/आधिक्य(+)	
	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
2019-20	34,147.37	13,825.82	(-)8,395.33	(+)5,170.72
2020-21	38,726.01	13,274.10	(-)9,201.42	(+)3,610.77
2021-22	41,619.58	9,074.77	(-)12,480.40	(-)1,837.65
2022-23	46,779.83	13,813.07	(-)10,030.65	(-)388.37
2023-24	53,087.65	28,522.06	(-)13,174.01	(+)6,055.53

स्रोत: विनियोग लेखे।

जैसा कि उपर्युक्त **तालिका-3.3** से देखा जा सकता है कि विगत पाँच वर्षों 2019-20 से 2023-24 के दौरान मतदेय मद में निरंतर बचत और 2019-20, 2020-21 और 2023-24 के दौरान भारित मद में निरंतर आधिक्य हुआ है। हालांकि, विगत दो वर्षों 2021-22 से 2022-23 के दौरान भारित मद में बचत हुई है।

3.2.4 बजटीय सटीकता

कुल बजट आउटटर्न

कुल बजट परिणाम उस सीमा को मापता है, जिस सीमा तक कुल बजट व्यय का परिणाम/ वास्तविक व्यय मूल रूप से अनुमोदित राशि को दर्शाता है, जो कि अनुमोदित से कम और अनुमोदित से अधिक दोनों के संदर्भ में हैं।

तालिका-3.4: बजट अनुमानों के सापेक्ष कुल बजट आउटटर्न

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल बजट अनुमोदित (बी ई)	वास्तविक आउटटर्न	वास्तविक और बजट अनुमान* के बीच अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)
राजस्व	52,747.71	47,273.96	(-) 5,473.75
पूँजीगत	24,659.38	34,335.76	(+) 9,676.38
योग	***77,407.09***	***81,609.72***	***(+) 4,202.63***

****मूल प्रावधान से अधिक वास्तविक की अधिकता को (+) अंक के रूप में दर्शाया जाता है और मूल प्रावधान से अधिक वास्तविक की कमी को (-) अंक के रूप में दर्शाया जाता है।***

राजस्व खंड में, बजट अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 10.38 *प्रतिशत* था। यह 20 अनुदानों में 0 और ± 25 *प्रतिशत* के बीच, नौ अनुदानों में ± 25 *प्रतिशत* से ± 50 *प्रतिशत* के बीच और दो अनुदानों में ± 50 *प्रतिशत* से ± 100 *प्रतिशत* के बीच विचलन के कारण था।

पूंजीगत खंड में, बजट अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (+) 39.24 *प्रतिशत* था। यह एक अनुदान में 0 *प्रतिशत* के बराबर, 15 अनुदानों में 0 और ± 25 *प्रतिशत* के बीच, छः अनुदानों में ±25 *प्रतिशत* से ±50 *प्रतिशत* के बीच, सात अनुदानों में ± 50 *प्रतिशत* से ± 100 *प्रतिशत* के बीच और दो अनुदानों में 100 *प्रतिशत* और उससे अधिक के बराबर विचलन के कारण था। हालाँकि, पूंजीगत खंड के दो अनुदानों (अनुदान संख्या 2 और 5) के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था, यद्यपि अनुदान संख्या पाँच में व्यय हुआ था।

व्यय संरचना परिणाम

व्यय संरचना आउटटर्न यह मापता है कि निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के बीच पुन: आवंटन ने किस हद तक व्यय संरचना की भिन्नता में योगदान दिया है।

तालिका-3.5: बजट अनुमान और पुनरीक्षित अनुमान के विरुद्ध व्यय संरचना आउटटर्न

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल स्वीकृत बजट (बी ई)	पुनरीक्षित अनुमान (आर ई)	वास्तविक आउटटर्न	बजट अनुमान और पुनरीक्षित अनुमान के मध्य अंतर	वास्तविक और पुनरीक्षित अनुमान* के मध्य अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजस्व	52,747.71	51,585.20	47,273.96	(-)1,162.51	(-) 4,311.24
पूंजीगत	24,659.38	26,302.64	34,335.76	(+)1,643.26	(+)8,033.12
योग	***77,407.09***	***77,887.84***	***81,609.72***	***(+)480.75***	***(+)3,721.88***

****मूल प्रावधान की तुलना में वास्तविक परिणाम की अधिकता को (+) के रूप में दर्शाया जाता है और मूल प्रावधान की तुलना में वास्तविक परिणाम की कमी को (-) के रूप में दर्शाया जाता है।***

राजस्व खंड में, पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 8.36 *प्रतिशत* था। यह 25 अनुदानों में 0 और ±25 *प्रतिशत* के बीच, पाँच अनुदानों में ±25 *प्रतिशत* से ±50 *प्रतिशत* के बीच और एक अनुदान में ±50 *प्रतिशत* से ±100 *प्रतिशत* के बीच विचलन के कारण था।

पूंजीगत खंड में, पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में आउटटर्न में विचलन (+) 30.54 *प्रतिशत* था। यह विचलन 18 अनुदानों में 0 और ±25 *प्रतिशत* के बीच, पाँच अनुदानों में ±25 *प्रतिशत* से ±50 *प्रतिशत* के बीच, चार अनुदानों में ±50 *प्रतिशत* से ±100 *प्रतिशत* के बीच और दो अनुदानों में 100 *प्रतिशत* के बराबर एवं अधिक विचलन के कारण था। हालाँकि, पूंजीगत वर्ग के दो अनुदानों (अनुदान संख्या 2 और 8) के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

3.3 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियम की संलग्न अनुसूचियों में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों हेतु मतदेय अनुदान एवं भारित विनियोग की राशि की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के व्यय के लेखे होते हैं। विनियोग लेखे सकल आधारित होते हैं। विनियोग अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत बजट के दोनों मदों मतदेय एवं भारित के सापेक्ष ये लेखे मूल बजट प्राक्कलन, पूरक अनुदान, समर्पण एवं पुनर्विनियोग को स्पष्टतया सूचीबद्ध करते हैं एवं विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत एवं राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। इस प्रकार, विनियोग लेखे, निधियों के उपयोग, वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधानो को समझने व अनुश्रवण करने में सुगम बनाते हैं और इसलिए वित्तीय लेखों के अनुपूरक होते हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि क्या विनियोग अधिनियम के अंतर्गत दिये गए प्राधिकार के अनुसार विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया वास्तविक व्य्य और जो व्यय, संविधान (अनुच्छेद 202) के प्रावधानों के अंतर्गत भारित होना चाहिए, वही भारित किया गया है। यह ये भी सुनिश्चित करता है कि क्या किया गया व्यय विधि, संबन्धित नियमों, विनियमों एवं निर्देशों के अनुरूप था।

3.3.1 बजटीय एवं लेखाप्रणाली प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणी

3.3.1.1 विधि प्राधिकार के साथ व्यय करना

संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार विधि द्वारा पारित विनियोग को छोड़कर राज्य की संचित निधि में से कोई भी धन आहरित नहीं होगा। बिना पुर्नवियोजन,पूरक अंशदान या विनियोजन अथवा राजय की आकस्मिक निधि के अग्रिम प्राप्त किए बिना नई योजना पर व्यय एक योजना/सेवा पर नहीं किया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि राज्य के आकस्मिक निधि से पुनर्विनियोजन, पूरक अनुदान या विनियोजन या अग्रिम द्वारा अतिरिक्त निधि प्राप्त करने के बाद। यह पाया गया कि 2023-24 के दौरान ऐसी कोई योजना नहीं थी जिस पर बजट प्रावधानों के बिना व्यय किया गया हो।

3.3.2 पूंजीगत व्यय का राजस्व व्यय में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण एवं विलोमत

व्यय और प्राप्तियों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण से वित्तीय विवरणों की सत्यनिष्ठा पर सीधा प्रभाव पड़ता हैं। संविधान के अनुच्छेद 202 में प्रावधान है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में

उस वर्ष की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण जिसे "वार्षिक वित्तीय विवरण" (अथवा "बजट") कहा जाता है, राज्य विधायिका के दोनों सदनो में रखा जाता है। व्यय के अनुमान को 'भारित' (ऐसा व्यय जिसको संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत विधान सभा में मतदान हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाता है) और 'मतदेय' मदों में पृथक रूप से वर्गीकृत किया जाता है। जैसा कि ***अध्याय-2*** में व्याख्या की गई है, वार्षिक वित्तीय विवरण, राजस्व लेखे पर व्यय को अन्य व्यय से पृथक करता है।

राज्य वित्तीय नियम विनियोग की प्राथमिक इकाइयों को वर्गीकृत करता है। पूंजीगत संपत्ति के अधिग्रहण और अन्य पूंजीगत व्यय के लिए प्रावधान प्राप्त करने हेतु विशिष्ट वस्तु शीर्ष हैं। पूंजीगत प्रकार के व्यय की बुकिंग से संबन्धित यह वस्तु शीर्ष केवल पूंजीगत मुख्य शीर्षों के अनुरूप होना चाहिए।

राजस्व प्रकृति के व्यय का वर्गीकरण पूंजीगत व्यय में या इसके विपरीत, के कारण राजस्व व्यय और राजस्व घाटा/अधिशेष में अतिदर्शित/न्यूनदर्शित परिणामित होता है। वर्ष 2023-24 के दौरान व्यय के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का विवरण नीचे **तालिका-3.6** में दिया गया है।

तालिका-3.6: व्यय के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का विवरण

क्रम संख्या	अनुदान संख्या व लेखा शीर्ष	त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का प्रकार	राशि *(₹ करोड़ में)*	अभ्युक्ति
1.	04, 2014	पूँजीगत की राजस्व में बुकिंग	0.70	वृहद कार्यों एवं भूमि क्रय पर व्यय की पूर्ति राजस्व व्यय से की गई।
2.	13, 2217		61.96	
	उप-योग		***62.66***	
3	11, 4202	राजस्व की पूँजीगत में बुकिंग	28.57	सहायता अनुदानों पर व्यय जो पूंजीगत व्यय से पूरा किया गया।
4	13, 4215		12.94	
5	13, 4217		1.77	
6	17 एवं 29, 4401		29.82	
7	28, 4405		4.18	
8	27, 4406		4.00	
9	19, 4515		350.00	
10	21, 4801		65.00	
11	21, 4810		66.83	
12	23, 4859		40.46	
13	24, 5055		2.00	
14	26, 5452		0.25	
	उप-योग		***605.82***	

आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि राजस्व खण्ड के अंतर्गत ₹ 62.66 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया था। इस व्यय को पूंजीगत खण्ड के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था क्योंकि यह व्यय वृहत कार्यों और भूमि खरीद से संबंधित था। इसी प्रकार, पूंजीगत खण्ड के अंतर्गत ₹ 605.82 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया था। इस व्यय को राजस्व खण्ड के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था क्योंकि यह व्यय सहायता अनुदान से संबंधित था।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की और कहा कि सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।

3.3.3 अनावश्यक अथवा अत्यधिक अनुपूरक अनुदान

संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार वर्ष के लिए विनियोग अधिनियम के द्वारा प्रावधान के अलावा अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान अथवा विनियोग चालू वित्तीय वर्ष में किया जा सकता है किन्तु चालू वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद नहीं, क्योंकि इसके लिए आवश्यक है-

- नये व्यय की योजनाओं पर व्यय जो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में लिया जाना है।
- प्रावधान की अपर्याप्तता।
- नया व्यय किन्तु तकनीकी रूप से "नये व्यय की योजनाएँ" नहीं।
- प्रावधानों का न लिया जाना।

जब इस तरह के अतिरिक्त व्यय अपरिहार्य पाए जाते है और अतिरिक्त व्यय की पूर्ति करने के लिए अनुदान के भीतर प्रभावी बचत को पुनर्विनियोग करने की कोई संभावना नहीं रहती है, तो संबंधित विभाग के सचिव, वित्त विभाग को अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग के लिए प्रस्ताव देगा। योग्य प्रकरणों जो कि अप्रत्याशित हैं और जो अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग की प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं, में संविधान में किए गए प्रावधानों और संबंधित नियमों के अनुसार आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किये जा सकते हैं। इस प्रकार स्वीकृत अग्रिमों को अनुपूरक अनुदान अथवा विनियोग द्वारा नियमित करना होगा और आकस्मिकता निधि में प्रतिपूर्ति करनी होगी। एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में पर्याप्त पुनर्विनियोग से सदैव बचना चाहिए। यह नया व्यय अपरिहार्य व अनिवार्य रूप से आवश्यक है या यह परिणामी अर्थव्यवस्था पैदा करेगा या यह राजस्व या सार्वजनिक सुरक्षा के संरक्षण के लिए आवश्यक है आदि वर्ष के दौरान नये व्यय को शुरू करने के लिए तर्कसंगत है। हालाँकि,

ऐसी परिस्थितियों में यह अवश्य दिखाया जाना चाहिए कि बजट में आवश्यकताओं का पूर्वाभास और प्रावधान नहीं किया जा सकता था। पुनर्विनियोग की प्रक्रिया केवल चूकों और दूरदर्शिता की कमी को दूर करने के लिए नहीं बनाई गयी है।

चालू वर्ष 2023-24 के दौरान कुल विनियोग ₹ 88,728.20 करोड़ के सापेक्ष ₹ 7,118.49 करोड़ (8.02 *प्रतिशत)* की बचत हुई।

ऐसे प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुआ है, नीचे **तालिका-3.7** में दिखाया गया है:

तालिका-3.7: ऐसे प्रकरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुआ है

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	प्रावधानों से बचत
राजस्व (मतदेय)					
1.	04-न्यायिक प्रशासन	444.58	12.48	318.74	138.32
2.	06- राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	2,071.25	325.44	2,022.21	374.48
3.	07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय और विविध सेवाएं	12,548.17	209.03	11,436.30	1,320.90
4.	10- पुलिस एवं जेल	2,495.73	36.02	2,347.38	184.37
5.	11-शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	9,905.12	243.22	9,514.13	634.21
6.	12- चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	3,768.25	598.81	3,506.45	860.61
7.	15-कल्याण योजनाएं	2,659.27	153.50	2,439.29	373.48
8.	18- सहकारिता	144.18	32.72	110.15	66.75
9.	19-ग्रामीण विकास	1,438.03	354.12	1,190.52	601.63
10.	22- लोक निर्माण	1,432.23	300.00	1,365.61	366.62
11.	23-उद्योग	404.89	61.20	353.33	112.76
12.	25-खाद्य	278.12	289.43	200.29	367.26
13.	27-वन	1,010.86	122.02	745.40	387.48
14.	28- पशुपालन	552.19	24.40	498.57	78.02
15.	30- अनुसूचित जातियों का कल्याण	1,670.57	121.43	1,195.23	596.77

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	प्रावधानों से बचत
16.	31- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	468.98	33.32	307.11	195.19
योग		***41,292.42***	***2,917.14***	***37,550.71***	***6,658.85***
राजस्व (भारित)					
1	04-न्यायिक प्रशासन	103.23	19.05	72.46	49.82
2	07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय और विविध सेवाएं	6,390.40	72.96	5,302.91	1,160.45
योग		***6,493.63***	***92.01***	***5,375.37***	***1,210.27***
पूंजीगत (मतदेय)					
1	07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय और विविध सेवाए	1,754.80	701.14	2,241.78	214.16
2	11-शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	554.43	138.10	459.05	233.48
3	19-ग्रामीण विकास	1,834.50	16.94	1,191.56	659.88
4	21- ऊर्जा	1,215.60	50.00	730.59	535.01
5	22- लोक निर्माण	1,348.30	256.51	1,299.50	305.31
6	24-परिवहन	274.00	12.00	164.67	121.33
योग		***6,981.63***	***1,174.69***	***6,087.15***	***2,069.17***
सकल योग		***54,767.68***	***4,183.84***	***49,013.23***	***9,938.29***

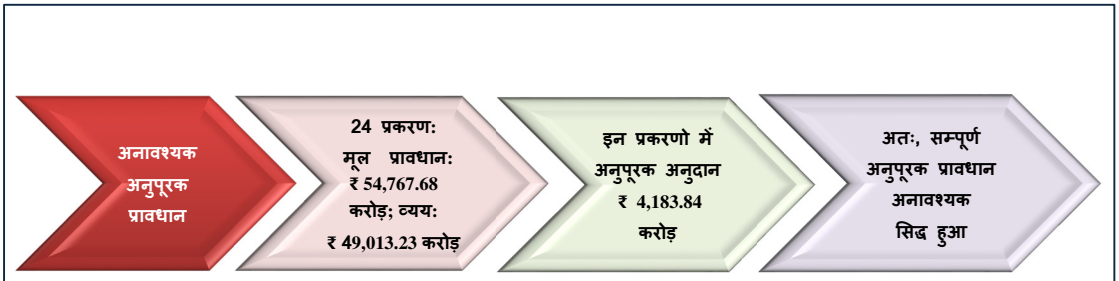

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की और कहा कि भविष्य में उचित सावधानी बरती जाएगी।

उन मामलों का विवरण जहां योजना स्तर पर अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए, जिनका विस्तृत विवरण नीचे **तालिका-3.7(क)** में हैं:

तालिका-3.7(क): उन मामलों का विवरण जहां योजना स्तर पर अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	योजना का नाम	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	प्रावधानों से बचत	समर्पण 31 मार्च 2024 तक	समर्पण के बाद बचत
4	भूमि खरीद एवं बीमा पॉलिसी एवं प्रीमियम आदि।	103.23	19.05	0.00	122.28	72.46	49.82	41.94	7.88
7	जी-20 सम्मेलन	30.00	10.00	0.00	40.00	15.69	24.31	12.70	11.61
7	सम्पदा विभाग	106.98	15.31	0.00	122.29	92.57	29.72	15.77	13.95
7	राज्य वित्त आयोग	1,924.34	156.99	0.00	2,081.33	1,808.08	273.25	0.00	273.25
7	जी-20 सम्मेलन	70.00	30.00	-30.00	70.00	34.21	35.79	21.43	14.36
11	समग्र शिक्षा	192.59	68.28	0.00	260.87	155.76	105.11	0.00	105.11
11	नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित (विद्यालय और हॉस्टल का निर्माण)	45.00	20.00	0.00	65.00	41.92	23.08	0.00	23.08
12	श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की स्थापना	528.14	26.94	-8.90	546.18	437.51	108.67	103.78	4.89
13	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (90% केंद्रीय प्रायोजित योजना)	60.00	13.37	0.00	73.37	43.32	30.05	0.00	30.05
13	नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित (पार्किंग का निर्माण (आर आई डी एफ़/ यू आई डी एफ़ द्वारा वित्तपोषित))	0.10	135.26	0.00	135.36	0.00	135.36	0.00	135.36
19	मनरेगा और उत्तराखंड सामाजिक लेखापरीक्षा, जवाबदेही और पारदर्शिता एजेंसी	302.00	41.49	0.00	343.49	136.07	207.42	0.00	207.42
30	समग्र शिक्षा और पीएम श्री योजना 90%	55.03	30.97	0.00	86.00	49.43	36.57	0.00	36.57

अनुदान संख्या	योजना का नाम	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	प्रावधानों से बचत	समर्पण 31 मार्च 2024 तक	समर्पण के बाद बचत
30	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00
30	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अधिक भुगतान	50.00	41.00	-46.92	44.08	0.00	44.08	0.00	44.08
31	आरसीएच फ्लेक्सिपूल और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	0.00	10.71	0.00	10.71	0.00	10.71	0.00	10.71
31	जारी निर्माण कार्य	28.50	15.00	-15.00	28.50	10.65	17.85	1.85	16.00
	योग	***3,495.91***	***649.37***	***-100.82***	***4,044.46***	***2,897.67***	***1,146.79***	***197.47***	***949.32***

स्रोत: बजट दस्तावेज़ और विनियोग लेखे।

चालू वर्ष 2023-24 के दौरान इन योजनाओं में कुल विनियोग ₹ 4,044.46 करोड़ के सापेक्ष ₹ 1,146.79 करोड़ (28.35 *प्रतिशत*) की बचत हुई। मूल विनियोजन ₹ 3,495.91 करोड़ के सापेक्ष ₹ 598.24 करोड़ की पहले से ही बचत थी इसलिए ₹ 649.37 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि ₹ 1,146.79 करोड़ की बचत ₹ 649.37 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान से अधिक थी।

3.4 किए गए पुनर्विनियोग, जिनमें पूर्व वैधानिक प्राधिकार की आवश्यकता है

पुनर्विनियोजन एक अनुदान के भीतर विनियोग की एक इकाई से, जहां बचत प्रत्याशित है, दूसरी इकाई को, जहाँ अतिरिक्त निधि की अवश्यकता है, निधि का अंतरण हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान उत्तराखण्ड में पुनर्विनियोजन का कोई भी प्रकरण नहीं पाया गया जिसके लिए पूर्व विधायी प्राधिकार की अवश्यकता हो।

3.4.1 अनावश्यक/अत्यधिक पुनर्विनियोग

पाँच प्रकरण ऐसे थे जहां पुनर्विनियोग ₹ पांच करोड़ और उससे अधिक था और अंतिम बचत ₹ पांच करोड़ या पुनर्विनियोजित राशि से अधिक थी, जैसा कि **तालिका-3.8** में दर्शायी गई है:

तालिका-3.8: अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अनुदान संख्या एवं लेखा शीर्ष	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम बचत	समर्पण 31-03-2024 तक	समर्पण के बाद अवशेष
		मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	योग				
1	12- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 2210-चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य 03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 103- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 03- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना	136.88	7.00	5.00	148.88	124.75	24.13	20.64	3.49
2	13- जल आपूर्ति, आवास और शहरी विकास 4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 03- छोटे और मध्यम शहरों का एकीकृत विकास 051- निर्माण 01- केंद्र प्रायोजित योजनाएं	305.00	0.00	10.49	315.49	118.48	197.01	0.00	197.01
3	13- जल आपूर्ति, आवास और शहरी विकास 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय 80- सामान्य 800- अन्य व्यय 02- बुनियादी सुविधाओं का विकास	100.00	50.00	40.00	190.00	151.13	38.87	1.51	37.36
4	22- लोक निर्माण 3054- सड़कें और पुल 04- जिला और अन्य सड़कें 337- सड़क कार्य 03- रख-रखाव और मरम्मत	508.00	100.00	55.75	663.75	620.52	43.23	42.42	0.81
5	30- अनुसूचित जाति का कल्याण 2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम 102- सामुदायिक विकास 01- केंद्र प्रायोजित योजनाएं	253.64	20.51	6.84	280.99	210.58	70.41	0.00	70.41

स्रोत: विनियोग लेखे।

वर्ष 2023-24 में उत्तराखण्ड बजट नियमावली के अनुसार राज्य सरकार ने अनुदान के भीतर ₹ 2,230.78 करोड़ का पुनर्विनियोजन किया। इसमें से ₹ 31.04 करोड़ की धनराशि वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतिम दो कार्य दिवसों (30 और 31 मार्च 2024) को पुनर्विनियोजित की गई थी। यह पुनर्विनियोजन पाँच प्रकरणो में (₹ पाँच करोड़ से अधिक की बचत) अनावश्यक सिद्ध हुआ। हालाँकि, वर्ष 2023-24 के दौरान पूंजीगत से राजस्व और इसके विपरीत का कोई पुनर्विनियोजन का मामला प्रकाश में नहीं आया।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार निष्कर्षों से सहमत थी।

3.5 अव्ययित राशि और समर्पित विनियोजन और/अथवा वृहद बचत/ समर्पण

आकलन की पूर्ण शुद्धता हमेशा संभव नहीं होती है; पर जहां चूक अथवा अशुद्धता पूर्व विचार की कमी का परिणाम है, स्पष्टता की उपेक्षा अथवा लापरवाह आकलन है, यह सामान्यतया क्षम्य नहीं है। समस्त आकलन अधिकारियों के लिए स्वर्णिम नियम होना चाहिए कि बजट में सब कुछ प्रदान करें जो कि देखा जा सकता है और केवल जहां तक उसकी आवश्यकता हो। प्रशासनिक व वित्त विभाग को आकलनों की लगातार, पूर्व आकलनों के औसत को ज्ञात अथवा पर्याप्त रूप से निकट तथ्य जिससे औसत परिवर्तित हो सकता है, जांच करनी चाहिए।

बचत, जिसे आदर्श रुप से समय पर समर्पित किया जाना चाहिए था, को रखने से कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। इस कारण से, विनियोजन जिनके अव्ययित रहने की संभावना है, समर्पण के लिए जितना शीघ्र संभव हो रिपोर्ट करना चाहिए। यदि यह नहीं किया गया, अन्य व्यय करने वाले विभाग निधियों से वंचित रह जाएंगे जिनको वो व्यय कर सकते थे। समर्पण सामान्यतया मार्च माह में किए जाते हैं, तथा व्यय के आंकड़ों का ध्यानपूर्वक अध्ययन और विगत माह के व्यय की प्रगति का निरीक्षण नियंत्रण अधिकारी को अपनी अंतिम आवश्यकताओं को उचित कोटि की सटीकता के साथ तय करने में समर्थ होना चाहिये।

जब समर्पण की आवश्यकता स्वतः सुस्पष्ट हो, नियंत्रण अधिकारियों को राशि का आकलन करना चाहिए जिसे समर्पित किया जा सकता है। समर्पण का लक्ष्य इतना होना चाहिए कि व्यय संशोधित अनुदान के अंदर रखा जा सके।

अवास्तविक प्रस्तावों, व्यय की खराब अनुश्रवण प्रणाली, योजनाओं के क्रियान्वयन की कमजोर क्षमताओं और कमजोर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित बजटीय आवंटन वित्तीय वर्ष के अंत में निधियों को अवमुक्त करने को बढ़ावा देते हैं, और विभागों द्वारा बड़ी राशि को शासकीय खाते से बाहर बैंक खाते में रखने की प्रवृति को बढ़ाते हैं।

अनुदान में बड़ी बचत (₹ 100 करोड़ एवं अधिक) का विवरण नीचे **तालिका-3.9** में दिया गया है

तालिका-3.9: वर्ष के दौरान अनुदान में बड़ी बचत (₹ 100 करोड़ एवं अधिक) का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक व्यय	बचत/ आधिक्य	कुल अनुदान के *प्रतिशत* के रूप में बचत	समर्पण 31 मार्च 2024 को	समर्पण को छोड़कर बचत
राजस्व (मतदेय)									
1	04, न्यायिक प्रशासन	444.58	12.48	457.06	318.74	138.32	30.26	120.36	17.96
2	06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	2,071.25	325.44	2,396.69	2,022.22	374.47	15.62	41.02	333.45
3	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	12,548.17	209.03	12,757.20	11,436.30	1,320.90	10.35	175.77	1,145.13
4	10 पुलिस व जेल	2,495.73	36.02	2,531.75	2,347.38	184.37	7.28	150.65	33.72
5	11 शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं संस्कृति	9,905.12	243.22	10,148.34	9,514.13	634.21	6.25	450.32	183.89
6	12 चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3,768.25	598.81	4,367.06	3,506.45	860.61	19.71	216.00	644.61
7	13 जलापूर्ति, आवास व शहरी विकास	1,127.53	256.59	1,384.12	1,188.96	195.16	14.10	16.25	178.91
8	15 कल्याण योजनाएं	2,659.27	153.50	2,812.77	2,439.30	373.47	13.28	83.31	290.16
9	17 कृषि कार्य व शोध	1,216.57	6.03	1,222.60	806.10	416.50	34.07	41.54	374.96
10	19 ग्रामीण विकास	1,438.03	354.12	1,792.15	1,190.52	601.63	33.57	88.84	512.79
11	22 लोक निर्माण कार्य	1,432.23	300.00	1,732.23	1,365.61	366.62	21.16	190.74	175.88
12	23 उद्योग	404.89	61.20	466.09	353.33	112.76	24.19	10.44	102.32
13	25 खाद्य	278.12	289.43	567.55	200.29	367.26	64.71	4.91	362.35
14	27 वन	1,010.86	122.02	1,132.88	745.40	387.48	34.20	211.99	175.49
15	30 अनुसूचित जातियों का कल्याण	1,670.57	121.43	1,792.00	1,195.23	596.77	33.30	22.14	574.63
16	31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	468.98	33.32	502.30	307.11	195.19	38.86	17.69	177.50
योग		***42,940.15***	***3,122.64***	***46,062.79***	***38,937.07***	***7,125.72***	***15.47***	***1,841.97***	***5,283.75***

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक व्यय	बचत/ आधिक्य	कुल अनुदान के *प्रतिशत* के रूप में बचत	समर्पण 31 मार्च 2024 को	समर्पण को छोड़कर बचत
राजस्व (भारित)									
1	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	6,390.40	72.96	6,463.36	5,302.91	1,160.45	17.95	3.54	1,156.91
योग		***6,390.40***	***72.96***	***6,463.36***	***5,302.91***	***1,160.45***	***17.95***	***3.54***	***1,156.91***
पूंजीगत (मतदेय)									
1	04, न्यायिक प्रशासन	172.00	0.00	172.00	19.08	152.92	88.91	0.00	152.92
2	06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	1,109.60	2.16	1,111.76	109.46	1,002.30	90.15	2.46	999.84
3	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	1,754.80	701.14	2,455.94	2,241.78	214.16	8.72	73.60	140.56
4	11 शिक्षा, खेल, युवा कल्याण व संस्कृति	554.43	138.10	692.53	459.05	233.48	33.71	0.00	233.48
5	13 जलापूर्ति, आवास व शहरी विकास	1,398.16	1,320.75	2,718.91	1,605.53	1,113.38	40.95	1.51	1,111.87
6	15 कल्याण योजनाएं	190.97	120.85	311.82	191.63	120.19	38.54	12.77	107.42
7	18 सहकारिता	200.00	3.00	203.00	8.00	195.00	96.06	100.00	95.00
8	19 ग्रामीण विकास	1,834.50	16.94	1,851.44	1,191.56	659.88	35.64	0.00	659.88
9	20 सिंचाई एवं बाढ़	853.07	8.50	861.57	604.55	257.02	29.83	11.04	245.98
10	21 ऊर्जा	1,215.60	50.00	1,265.60	730.59	535.01	42.27	0.00	535.01
11	22 लोक निर्माण कार्य	1,348.30	256.51	1,604.81	1,299.50	305.31	19.02	52.17	253.14
12	24 परिवहन	274.00	12.00	286.00	164.67	121.33	42.42	0.00	121.33
13	30 अनुसूचित जातियों का कल्याण	410.04	261.19	671.23	501.90	169.33	25.23	4.15	165.18
योग		***11,315.47***	***2,891.14***	***14,206.61***	***9,127.30***	***5,079.31***	***35.75***	***257.70***	***4,821.61***
कुल योग		***60,646.02***	***6,086.74***	***66,732.76***	***53,367.28***	***13,365.48***	***20.03***	***2,103.21***	***11,262.27***

स्रोत: विनियोग लेखे।

जैसा उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, शासन ने 20 अनुदानों के अंतर्गत 30 प्रकरणों में ₹ 6,086.74 करोड़ का अनुपूरक अनुदान मांगा जो कि अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि मूल बजट के सापेक्ष पहले से ₹ 7,278.74 करोड़ (12.00 *प्रतिशत*) की बचत थी। सरकार ने 18 अनुदानों के अंतर्गत ₹ 2,103.21 करोड़ का समर्पण भी किया। बचत के कारण राज्य सरकार द्वारा नहीं दिये गए।

3.5.1 अनुदान/विनियोग जिसमें बजट उपयोग 50 प्रतिशत से कम हुआ

2023-24 के दौरान 50 *प्रतिशत* से कम बजट उपयोग वाले अनुदान/विनियोग का विवरण **तालिका-3.10** में दिया गया है।

तालिका-3.10: अनुदान/विनियोग जिसमें बजट उपयोग 50 *प्रतिशत* से कम हुआ, (2023-24 में)

क्र. स.	अनुदान संख्या एवं नाम	2019-20 *(प्रतिशत)*	2020-21 *(प्रतिशत)*	2021-22 *(प्रतिशत)*	2022-23 *(प्रतिशत)*	2023-24 *(प्रतिशत)*	वर्षों की संख्या	बजट 2023-24 *(₹ करोड़ में)*	विगत पाँच वर्षों का कुल बजट *(₹ करोड़ में)*
1	01 विधायिका (पूंजीगत मतदेय)	*76.93*	*17.29*	*15.00*	*8.33*	*24.02*	4	7.50	58.70
2	04 न्यायिक प्रशासन (पूंजीगत मतदेय)	*44.15*	*47.68*	*25.37*	*60.53*	*11.09*	4	172.00	497.15
3	06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन (पूंजीगत मतदेय)	*48.24*	*50.22*	*92.49*	*85.37*	*9.85*	2	1,111.76	2,550.47
4	08 आबकारी (राजस्व मतदेय)	*85.71*	*83.44*	*80.84*	*84.54*	*41.98*	1	81.76	219.76
5	09 लोक सेवा आयोग (पूंजीगत मतदेय)	*100.00*	*17.42*	*0.00*	*20.30*	*29.37*	4	2.60	16.88
6	14 सूचना (पूंजीगत मतदेय)	*2.79*	*0.00*	*52.78*	*0.00*	*0.00*	4	1.00	4.13
7	18 सहकारिता (पूंजीगत मतदेय)	*99.98*	*0.00*	*0.00*	*83.91*	*3.94*	3	203.00	570.00
8	20 सिंचाई एवं बाढ़ (राजस्व भारित)	कोई बजट आवंटित नहीं किया गया, इसलिए कोई उपयोग नहीं हुआ			*13.87*	*15.03*	2	3.00	6.00
9	25 खाद्य (राजस्व मतदेय)	*21.51*	*41.29*	*63.01*	*68.91*	*35.29*	3	567.55	1,443.16
10	29 बागवानी विकास (पूंजीगत मतदेय)	*74.04*	*119.26*	*76.12*	*43.28*	*38.65*	2	236.40	317.29

जैसा कि उपर्युक्त **तालिका-3.10** में वर्णित है, 10 अनुदानों में बजट प्रावधान का कम उपयोग (50 *प्रतिशत* से कम) प्रकाश में आया। आगे विश्लेषण से पता चला कि चार विभाग विगत पाँच वर्षों में से चार वर्षों में बजट आवंटन का 50 *प्रतिशत* उपयोग करने में सक्षम नहीं थे।

3.5.2 ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के समर्पण का विवरण

मार्च के अंत में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के समर्पण का विवरण **तालिका-3.11** में दिया गया है।

तालिका-3.11: 31 मार्च 2024 तक ₹ 10 करोड़ व अधिक की निधियों के समर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल	अनुपूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत(-)/ आधिक्य (+)	समर्पित धनराशि
राजस्व (मतदेय)							
1	01- विधायिका	85.40	0.00	85.40	63.05	22.35	20.30
2	04-न्यायिक प्रशासन	444.57	12.49	457.06	318.74	138.32	120.36
3	05-चुनाव	81.71	4.30	86.01	65.81	20.20	10.42
4	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	2,071.25	325.44	2,396.69	2,022.22	374.47	41.02
5	07- वित्त, कर, योजना, सचिवालय और विविध सेवाएँ	12,548.17	209.03	12,757.20	11,436.30	1,320.90	175.77
6	10-पुलिस एवं जेल	2,495.73	36.02	2,531.75	2,347.38	184.37	150.65
7	11-शिक्षा, खेल, युवा कल्याण और संस्कृति	9,905.12	243.22	10,148.34	9,514.13	634.21	450.32
8	12-चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	3,768.25	598.81	4,367.06	3,506.45	860.61	216.00
9	13-जल आपूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	1,127.53	256.59	1,384.12	1,188.96	195.16	16.25
10	15-कल्याणकारी योजनाएँ	2,659.27	153.50	2,812.77	2,439.30	373.47	83.32
11	16-श्रम एवं रोजगार	475.86	82.46	558.32	523.76	34.56	20.34
12	17-फसल पालन एवं अनुसंधान	1,216.57	6.03	1,222.60	806.10	416.50	41.54

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल	अनुपूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत(-)/ आधिक्य (+)	समर्पित धनराशि
13	18-सहकारिता	144.18	32.72	176.90	110.15	66.75	44.98
14	19-ग्रामीण विकास	1,438.03	354.12	1,792.15	1,190.52	601.63	88.84
15	20-सिंचाई एवं बाढ़	587.35	5.50	592.85	520.52	72.33	64.55
16	22-लोक निर्माण	1,432.23	300.00	1,732.23	1,365.61	366.62	190.74
17	23-उद्योग	404.89	61.20	466.09	353.33	112.76	10.44
18	27-वन	1,010.86	122.02	1,132.88	745.40	387.48	211.99
19	28-पशुपालन	552.18	24.40	576.58	498.57	78.01	24.33
20	29-बागवानी विकास	580.96	8.41	589.37	354.60	234.77	50.62
21	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण	1,670.57	121.43	1,792.00	1,195.23	596.77	22.14
22	31-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	468.98	33.32	502.30	307.11	195.19	17.69
योग		***45,169.66***	***2,991.01***	***48,160.67***	***40,873.24***	***7,287.43***	***2,072.61***
राजस्व (भारित)							
1	04-न्यायिक प्रशासन	103.23	19.05	122.28	72.46	49.82	41.94
योग		***103.23***	***19.05***	***122.28***	***72.46***	***49.82***	***41.94***
पूंजीगत (मतदेय)							
1	07- वित्त, कर, योजना, सचिवालय और विविध सेवाएँ	1,754.80	701.14	2,455.94	2,241.78	214.16	73.60
2	15-कल्याणकारी योजनाएँ	190.97	120.85	311.82	191.63	120.19	12.77
3	18-सहकारिता	200.00	3.00	203.00	8.00	195.00	100.00
4	20-सिंचाई एवं बाढ़	853.07	8.50	861.57	604.55	257.02	11.04
5	22-लोक निर्माण कार्य	1,348.30	256.51	1,604.81	1,299.50	305.31	52.17
योग		***4,347.14***	***1,090.00***	***5,437.14***	***4,345.46***	***1,091.68***	***249.58***
कुल योग		***49,620.03***	***4,100.06***	***53,720.09***	***45,291.16***	***8,428.93***	***2,364.13***

स्रोत: विनियोग लेखे

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान उत्तराखंड सरकार ने ₹ 2,477.40 करोड़ की धनराशि का समर्पण किया। ₹ 2477.40 करोड़ के इस समर्पण में से ₹ 40.00 करोड़ का समर्पण अनुदान संख्या 23-उद्योगों में शामिल नहीं किया गया था, इसका कारण यह था कि

₹ 40.00 करोड़ का समर्पण मूल और अनुपूरक बजट ₹ 39.58 करोड़ से अधिक था। मामला लेखा एवं हक़दारी कार्यालय द्वारा राज्य सरकार को भेजा गया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस संबंध में जांच की जाएगी।

3.5.3 उपयोग की प्रतिशतता के आधार पर समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या का वितरण

उपयोग की प्रतिशतता के आधार पर समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या के वितरण का विवरण नीचे **चार्ट-3.2** में दिया गया है:

चार्ट-3.2: उपयोग की प्रतिशतता के आधार पर समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या का वितरण

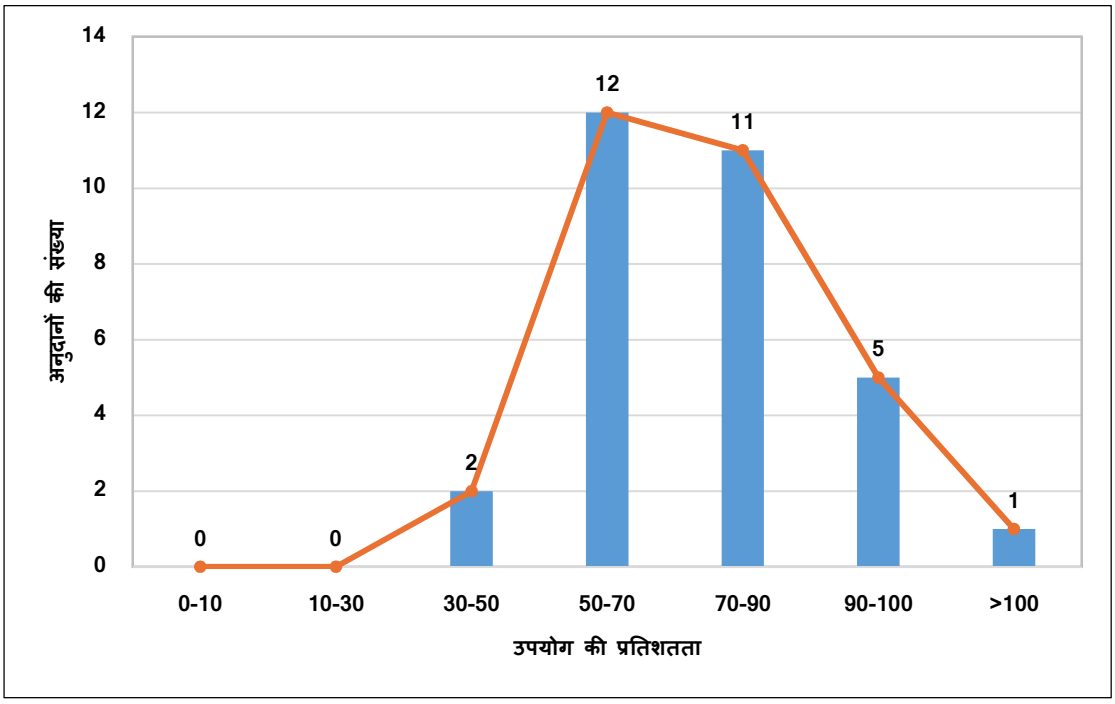

जैसा उपर्युक्त चार्ट से स्पष्ट है, कि 11 अनुदानों/विनियोगों में उपयोग बजट आवंटन के 70 से 90 *प्रतिशत* के मध्य एवं 12 अनुदानों में उपयोगिता 50 से 70 *प्रतिशत* के मध्य, दो अनुदानों/ विनियोगों में उपयोगिता 50 *प्रतिशत* से कम, पाँच अनुदानों/ विनियोगों में उपयोग बजट आवंटन के 90 से 100 *प्रतिशत* के मध्य था और एक अनुदान/ विनियोग यथा 07- वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय व विविध सेवाएँ में उपयोग बजट आवंटन के 100 *प्रतिशत* से ऊपर था।

3.5.4 वित्तीय वर्ष 2023-24 की समाप्ति के पूर्व बचत एवं समर्पण का विवरण

वित्तीय वर्ष 2023-24 की समाप्ति के पूर्व बचत एवं समर्पण का विवरण **चार्ट-3.3** में दिया गया है:

चार्ट-3.3: वित्तीय वर्ष 2023-24 की समाप्ति के पूर्व बचत एवं समर्पण

(₹ करोड़ में)

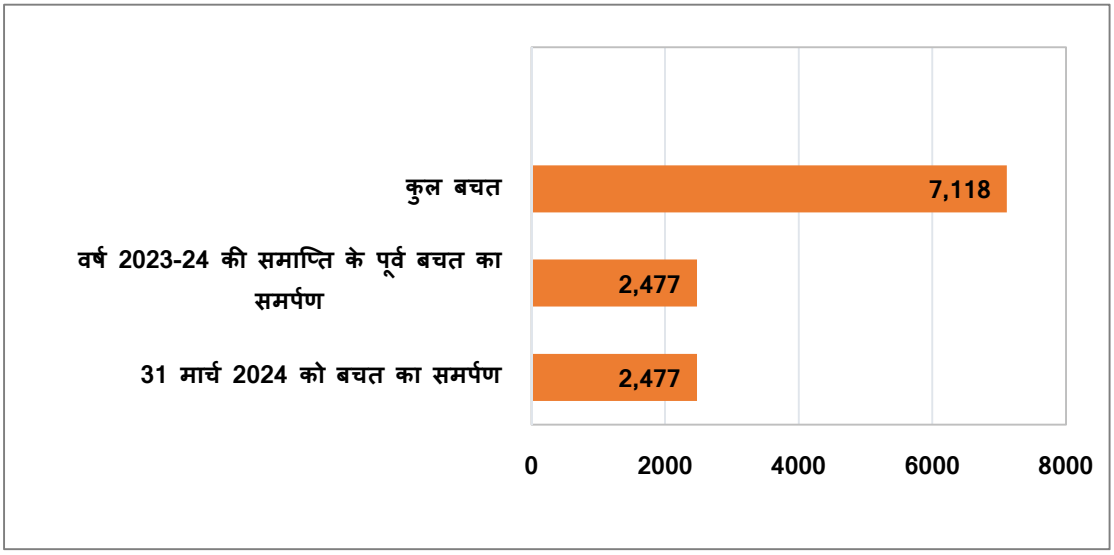

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, वर्ष 2023-24 के दौरान बजट के आंकड़ों की तुलना में ₹ 7,118.00 करोड़ की बचत हुई। तथापि, विभिन्न सरकारी विभागों ने समर्पण के लिए ₹ 2,477.00 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की और वर्ष 2023-24 के दौरान ₹2,477.00 करोड़ की धनराशि समर्पित की गई (31 मार्च 2024)।

3.5.5 बजट आवंटन और उसका उपयोग

बजट आवंटन (मूल और अनूपूरक) और इसका उपयोग (*प्रतिशतता*) नीचे **चार्ट-3.4** में दिया गया है:

चार्ट-3.4: 2019-20 से 2023-24 के दौरान बजट आवंटन और उपयोग

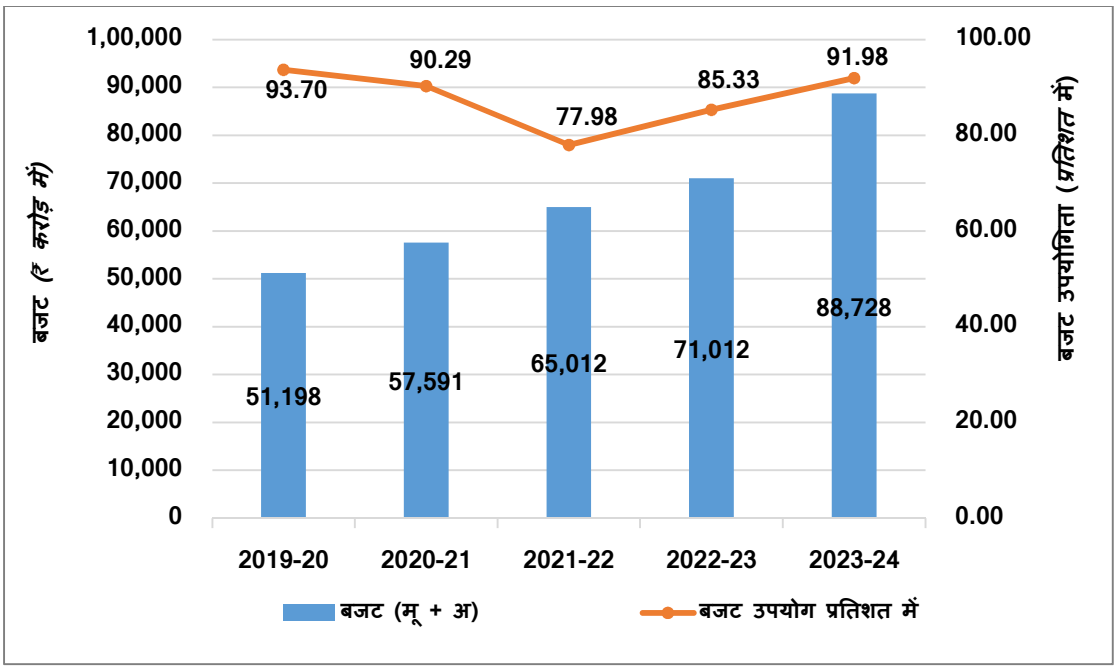

3.6 अधिक व्यय और उसका नियमतीकरण

संविधान के अनुच्छेद 205 (1) (ख) के अनुसार यदि एक वित्तीय वर्ष में किसी सेवा में कोई धन उस वर्ष के लिए उस सेवा हेतु दी गयी अनुदान राशि के आधिक्य में व्यय किया जाता है, तो राज्यपाल ऐसे आधिक्य की मांग को राज्य की विधान सभा में प्रस्तुत करेगा। इससे यह प्रदर्शित होता है कि राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वित्तीय वर्ष में राज्य विधायिका अनुदानों/विनियोगों में आधिक्य का नियमतीकरण करे।

यद्यपि अनुच्छेद में अधिक व्यय के नियमतीकरण की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, अधिक व्यय का नियमतीकरण लोक लेखा समिति के विनियोग लेखों पर चर्चा समाप्त करने के बाद किया जाता है। ऐसा न करना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है और लोक धन के उपयोग पर कार्यपालिका के विधायिका द्वारा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य को विफल करता है।

3.6.1 2023-24 से संबन्धित अधिक व्यय

वर्ष के लिए प्रावधान से अधिक व्यय न केवल विधायी स्वीकृति प्राप्त करने के प्रावधानों का उल्लंघन हैं, बल्कि खराब योजना का सूचक भी है जिसे इस उद्देश्य के लिए बनाए गये बजट के साथ व्यय की प्रगति को देखते हुए बचाया जा सकता था। वित्तीय वर्ष के लिए प्रावधान से अधिक व्यय का सार **तालिका-3.12** में दिया गया हैं।

तालिका-3.12: 2023-24 के दौरान अनुदानों/विनियोजनों से अधिक वितरण का सार

(₹ करोड़ में)

	विभाग/अनुदान का नाम
	07- वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय व विविध
पूंजीगत भारित	7,302.10
कुल आधिक्य	**7,302.10**

स्रोत: विनियोग लेखे।

3.6.2 प्राधिकार से अधिक मुख्य शीर्ष वार वितरण का विवरण

उत्तराखण्ड बजट नियमावली के पैरा 151 के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के खंड (1) और (2) के उप-खंड (ब) के अंतर्गत, यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सेवा पर उस वर्ष उस सेवा के लिए दी गई राशि से अधिक राशि व्यय की गयी हैं तो ऐसे आधिक्य के लिए विधान सभा में मांग प्रस्तुत की जाएगी और इसका समाधान उसी प्रकार से किया जाना चाहिए जैसा यह अनुदान के लिए मांग है। 2023-24 के दौरान राज्य की समेकित निधि से प्राधिकार से अधिक मुख्य शीर्ष वार

वितरण का विवरण **तालिका-3.13** में दिया गया है।

तालिका-3.13: राज्य की समेकित निधि से प्राधिकार से अधिक व्यय का मुख्य शीर्ष वार वितरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोग	कुल	व्यय	आधिक्य	विभाग द्वारा बताए गए आधिक्य के कारण
1	2	3	4	5	6	7 = 5+6	8	9= 8-7	10
1.	7	2071	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2,422.00	193.01	2,615.01	2,656.46	41.45	विभाग द्वारा कारण उपलब्ध नहीं कराया गया
2	7	2049	ब्याज भुगतान	1,597.00	62.96	1,659.96	1,878.88	218.92	
3	7	4059	लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	3.00	0.00	3.00	3.09	0.09	
4	7	6003	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	12,250.00	0.00	12,250.00	19,700.67	7,450.67	
5	7	6004	केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम	10.00	0.00	10.00	16.32	6.32	
6	11	2202	सामान्य शिक्षा	352.95	0.00	352.95	827.57	474.62	
7	13	2217	शहरी विकास	6.42	0.00	6.42	6.62	0.20	
8	31	2235	सामाजिक सुरक्षा एव कल्याण	12.20	0.00	12.20	13.29	1.09	
योग								***8,193.36***	

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

3.6.3 कुछ अनुदानों में निरंतर आधिक्य

कुछ अनुदानों में वर्ष दर वर्ष अधिक व्यय की प्रवृत्ति देखी गयी है। निरंतर अधिक व्यय दर्शाता है कि विभाग में बजटीय नियंत्रण के साथ-साथ वित्त विभाग की निगरानी अप्रभावी थी तथा बजट प्राक्कलन अनुमान वास्तविक आधार पर नहीं बनाए गए थे। इस प्रकार बार-बार किए गए ऐसे अधिक व्यय राज्य विधानमंडल की इच्छा के विरुद्ध थे। विधायी प्राधिकार के बिना एक रुपया व्यय नहीं किया जा सकता है और इसलिए, यह कार्यपालिका की ओर से एक गंभीर चूक है। निरन्तर आधिक्य व्यय बजट की तैयारी के समय अनुचित प्राक्कलन के कारण हो सकता है। 2019-20 से 2023-24 के दौरान एक

अनुदान में निरंतर आधिक्य प्रदर्शित हुआ जिसे नीचे **तालिका-3.14** में दिया गया है:

तालिका-3.14: 2019-20 से 2023-24 के दौरान एक अनुदान में देखी गयी अधिकता का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
	अनुदान संख्या-07: वित्त, कर, योजना, सचिवालय एवं विविध (पूंजीगत भारित)					
1	कुल अनुदान	2,876.31	3,503.31	अधिकता नहीं हैं	7,578.24	15,727.63
2	व्यय	9,096.03	8,269.59		8,474.77	23,029.73
3	कुल आधिक्य	6,219.72	4,766.28		896.53	7,302.10
4	डब्लू एम ए के अंतर्गत आधिक्य	5,865.36	4,561.42		1,195.47	7,419.65

स्रोत: विनियोग लेखे।

जैसा उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, अनुदान संख्या-07: वित्त, कर, योजना, सचिवालय और विविध सेवाएँ में 2019-20 से 2020-21 और 2022-23 से 2023-24 की अवधि में निरंतर अधिकता देखी गयी थी। यह देखा गया कि यह निरंतर व्यय की अधिकता इन वर्षों के दौरान अर्थोपाय अग्रिमों में आधिक्य के बड़े हिस्से के कारण हुई। सरकार ने इसका कोई कारण नहीं बताया है।

3.6.4 विगत वित्तीय वर्षों के आधिक्य व्यय का नियमितीकरण

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के अध्याय XIII के अनुच्छेद 121 में परिकल्पित है कि यदि वर्ष के समापन के पश्चात यह ज्ञात होता हैं कि से उस वर्ष के लिए अंतिम विनियोग खाते के माध्यम से अधिक किसी भी अनुदान या भारित विनियोग के अंतर्गत कोई व्यय किया गया था, तो व्ययाधिक्य को लोक लेखा समिति की अनुशंसा के आधार पर विधान सभा को प्रस्तुत करके, संविधान के अनुच्छेद 205(1) (ब) के अंतर्गत नियमित किया जाना चाहिए। तथापि, विगत वर्षों 2005-06 से 2022-23 तक से संबन्धित ₹ 48,654.69 करोड़ के व्ययाधिक्य को विधानसभा द्वारा नियमित किया जाना अभी शेष था। ₹ 48,654.69 करोड़ में से, ₹ 28,618.93 करोड़ अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत आधिक्य से संबंधित है और ₹ 19,041.88 करोड़ अनुदान संख्या 17, 25 और 29 के अंतर्गत आधिक्य से संबंधित है। अनुदान संख्या 7 (वित्त, कर, योजना, सचिवालय और विविध सेवाएँ) के अंतर्गत अर्थोपाय अग्रिम में अतिरिक्त व्यय, बजट अनुमान से अधिक अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत ऋणों के पुनर्भुगतान के कारण था। इसके अलावा, अनुदान संख्या 17 (कृषि कार्य और अनुसंधान), अनुदान संख्या 25 (खाद्य) और अनुदान संख्या 29 (बागवानी विकास) के अंतर्गत परिलक्षित अतिरिक्त व्यय इस तथ्य के कारण था कि बजट अनुमान वसूली घटाने के बाद तैयार किए गए थे (बजट अनुमान सकल आधार के बजाय शुद्ध आधार पर तैयार किए गए थे)।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान सरकार ने कहा कि वित्त विभाग उचित कार्रवाई करेगा। हालांकि, यह लोक लेखा समिति/राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाना है।

नियमितीकरण के लिए लंबित अतिरिक्त व्यय का वर्ष वार विवरण **तालिका-3.15**, **तालिका 3.15(क)** और **तालिका 3.15(ख)** में दिया गया हैं।

तालिका-3.15: नियमितीकरण के लिए लंबित व्ययाधिक्य धनराशि का वर्ष वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान संख्या/ विनियोग	अनुदान/विनियोग विवरण	विनियोग लेखों में वर्णित नियमितीकरण हेतु अपेक्षित आधिक्य धनराशि	नियमितीकरण की स्थिति
2005-06	07	7,8,17,20,22,25 एवं 29	663.50	अभी तक नियमित नहीं
2006-07	06	7,17,20,22,25 एवं 29	935.92	
2007-08	06	7,17,20, 22,25 एवं 29	733.79	
2008-09	06	7,17,20,22,25 एवं 29	1,146.41	
2009-10	07	7,17,18,21,22,25 एवं 29	1,007.49	
2010-11	09	10,12,15,17,20,21,22,25 एवं 29	1,295.40	
2011-12	05	7,17,22,25 एवं 29	1,611.40	
2012-13	07	12,14,17,21,22,25 एवं 29	1,835.34	
2013-14	03	22,25 एवं 29	1,837.15	
2014-15	04	17,22, 25 एवं 29	1,922.80	
2015-16	04	17, 22, 25 एवं 29	2,334.24	
2016-17	04	07, 17, 25 एवं 29	5,457.33	
2017-18	06	07,17,20,22,25 एवं 27	6,413.38	
2018-19	03	07,19 एवं 25	8,464.98	
2019-20	03	07,17 एवं 25	7214.48	
2020-21	06	07,17,18,19,25 एवं 29	4,884.55	
2021-22	--	---	0.00	
2022-23	01	7	896.53	
योग			***48,654.69***	

स्रोत: विनियोग लेखे।

तालिका-3.15 (क): अनुदान संख्या 17, 25 एवं 29 के अंतर्गत नियमितीकरण के लिए लंबित व्ययाधिक्य धनराशि का वर्ष वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों की संख्या	अनुदान/विनियोग विवरण	विनियोग लेखों में वर्णित नियमितीकरण हेतु अपेक्षित आधिक्य धनराशि	नियमितीकरण की स्थिति
2005-06	03	17, 25 एवं 29	492.66	अभी तक नियमित नहीं
2006-07	02	17, एवं 25	408.31	
2007-08	03	17, 25 एवं 29	386.78	
2008-09	03	17, 25 एवं 29	580.44	
2009-10	03	17, 25 एवं 29	931.04	
2010-11	03	17, 25 एवं 29	1,240.96	
2011-12	03	17, 25 एवं 29	1,306.09	
2012-13	03	17, 25 एवं 29	1,828.36	

वर्ष	अनुदानों की संख्या	अनुदान/विनियोग विवरण	विनियोग लेखों में वर्णित नियमितीकरण हेतु अपेक्षित आधिक्य धनराशि	नियमितीकरण की स्थिति
2013-14	02	25 एवं 29	1,780.56	
2014-15	03	17, 25 एवं 29	1,763.02	
2015-16	03	17, 25 एवं 29	2,218.20	
2016-17	03	17, 25 एवं 29	2,270.88	
2017-18	02	17, एवं 25	1,326.11	
2018-19	01	25	1,414.04	
2019-20	02	17, एवं 25	994.76	
2020-21	03	17,25 एवं 29	99.67	
2021-22	-	-	-	
2022-23	-	-	-	
2023-24	-	-	-	
योग			***19,041.88***	

तालिका-3.15 (ख): डब्लू एम ए के अन्तर्गत नियमितीकरण के लिए लंबित व्ययाधिक्य की धनराशि का वर्ष वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान/विनियोग विवरण	विनियोग लेखों में वर्णित नियमितीकरण हेतु अपेक्षित आधिक्य की धनराशि	नियमितीकरण की स्थिति
2006-07	07	376.14	अभी तक नियमित नहीं
2007-08	07	311.94	
2008-09	07	475.86	
2009-10	07	199.81	
2010-11	07	5.87	
2011-12	07	431.17	
2016-17	07	3,291.28	
2017-18	07	5,130.91	
2018-19	07	7,072.64	
2019-20	07	5,865.36	
2020-21	07	4,561.42	
2021-22	-	0.00	
2022-23	07	896.53	
2023-24	-	-	
	योग	***28,618.93***	

स्रोत: विनियोग लेखे।

राज्य सरकार द्वारा इन व्ययाधिक्य का कोई कारण अवगत नहीं कराया गया है। अत: यह संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 का उल्लंघन है, जिसमें प्रावधानित है कि राज्य विधायिका द्वारा कानून के माध्यम से किए गए विनियोग को छोड़कर समेकित निधि से कोई धनराशि आहरित नहीं की जाएगी। यह बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को विकृत करता है और सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है।

सरकार के लिए दीर्घकालिक योजना और बजटीय अनुशासन सुनिश्चित करते हुए पारदर्शी और जवाबदेह राजकोषीय प्रबंधन पद्धतियों के माध्यम से व्ययाधिक्य ध्यान देना आवश्यक है।

3.7 पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए सहायता अनुदान

सहायता अनुदान, सहायता, दान या एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार, निकाय, संस्था या व्यक्ति को दिए गए योगदान के रूप में भुगतान है। परिसंपत्ति निर्माण के साथ-साथ किसी संस्था को निर्दिष्ट उद्देश्य का समर्थन करने हेतु सहायता अनुदान दिया जाता है।

भारत सरकार लेखा मानक-2 (आई जी ए एस 2) के अनुसार, अनुदानकर्ता द्वारा अनुदेयी को वितरित सहायता अनुदान, उद्देश्य चाहे जो भी हो, को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत एवं लेखांकित किया जाएगा, सिवाय उन मामलों में जहां यह विशेष रूप से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत किया गया है।

यह पाया गया है कि पूंजीगत परिसंपत्ति के लिए सहायता अनुदांन को कभी-कभी पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इससे राजस्व घाटा न्यूनदर्शित होता है।

2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत सहायता अनुदान का विवरण **तालिका-3.16** में दिया गया है।

तालिका-3.16: पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत सहायता अनुदान का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज सहायता अनुदान	46.00	80.00	26.00	0.00	66.83
कुल पूंजीगत व्यय	5,414.00	6,538.00	7,533.00	8,195.00	10,981.80
पूंजीगत व्यय में सहायता अनुदान का अंश (*प्रतिशत* में)	0.86	1.22	0.35	0.00	0.61
सहायता अनुदान से व्यय को राजस्व व्यय के रूप में दिखाने से, राजस्व घाटे (-)/ राजस्व अधिशेष (+) पर प्रभाव	(-) 2,182	(+)1,034	(+)4,102	(+)5,310	(+)3,274.22

पूंजीगत व्यय में सहायता अनुदान के अंश का विवरण नीचे दिए गए चार्ट-3.5 में दिया गया है।

चार्ट-3.5: पूंजीगत व्यय में सहायता अनुदान के अंश का विवरण

(प्रतिशत में)

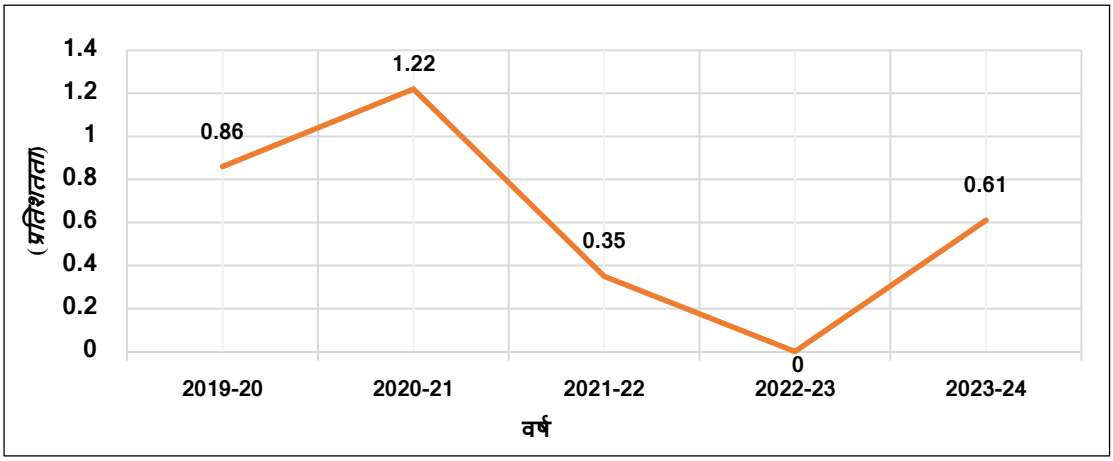

राज्य सरकार ने 2019-20 से 2021-22 और 2023-24 की अवधि में सहायता अनुदान को पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज करना जारी रखा है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2019-20 के लिए राजस्व घाटे को कम दर्शाया गया और वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2023-24 के लिए राजस्व अधिशेष को अधिक दर्शाया गया। हालाँकि, 2022-23 के दौरान किसी भी सहायता अनुदान को पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज नहीं किया गया था।

बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणी: एकमुश्त बजट प्रावधान

बजट मैनुअल के पैरा 31 (अध्याय-5) के अनुसार, यह प्रावधान है कि, एक नियम के रूप में, अनुमानों में एकमुश्त प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि, उत्तराखण्ड सरकार ने मुख्यमंत्री की घोषणा के लिए एकमुश्त अनुदान, जिला योजना इत्यादि के कार्यान्वयन के लिए एकमुश्त राशि जैसी योजनाओं के लिए 2023-24 के दौरान ₹ 981.09 करोड़ का एकमुश्त बजटीय प्रावधान किया।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने 24 वस्तु शीर्षों की उपलब्धता के बावजूद वस्तु शीर्ष "अन्य विभागीय व्यय" के अंतर्गत ₹ 2,923.43 करोड़ का व्यय किया।

3.8 बजट अनुमान और अपेक्षा एवं वास्तविकता के बीच अंतराल

कर प्रशासन/अन्य प्राप्तियों और सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न राजकोषीय संकेतकों की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। अवास्तविक प्रस्तावों, खराब व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमता और कमजोर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर किया गया बजटीय आवंटन प्रतिस्पर्धात्मक आवश्यकताओं के बीच श्रेष्ठ आवंटन न हो पाने का कारण बनता है। कुछ विभागों में अत्यधिक बचत, अन्य विभागों को उस धन से वंचित कर देती है जिसका वे उपयोग कर सकते थे।

वर्ष 2023-24 के दौरान 31 अनुदानों/ विनियोगों के संबंध में मूल और अनुपूरक प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय की सारंशीकृत स्थिति **तालिका-3.17** में दी गई है।

तालिका-3.17: 2023-24 के दौरान मूल/अनुपूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की सारांशिकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय का प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	निवल बचत (-) आधिक्य (+)	मार्च के दौरान समर्पण	
							धनराशि	*प्रतिशत*
मतदेय	I. राजस्व	46,100.92	3,438.80	49,539.72	41,781.63	(-)7,758.09	**0**	**0**
	II. पूंजीगत	13,133.79	3,290.21	16,424.00	11,181.93	(-)5,242.07		
	III. ऋण एवं अग्रिम	297.95	0.00	297.95	124.09	(-)173.86		
कुल		***59,532.66***	***6,729.01***	***66,261.67***	***53,087.65***	***13,174.02***		
भारित	IV. राजस्व	6,646.79	92.11	6,738.90	5,492.33	(-)1,246.57		
	V पूंजीगत	0	0	0	0	0		
	VI लोक ऋण पुनर्भुगतान	11,227.63	4,500.00	15,727.63	23,029.73	(+)7,302.10		
कुल		***17,874.42***	***4,592.11***	***22,466.53***	***28,522.06***	***(+)6,055.53***		
आकस्मिक निधि से विनियोग (यदि कोई हो)		0	0	0	0	0		
कुल योग		***77,407.08***	***11,321.12***	***88,728.20***	***81,609.71***	***(-)7,118.49***		

स्रोत: विनियोग लेखे।

जैसा कि उपर्युक्त में दर्शाया गया है, बजटीय आंकड़ों से ₹ 7,118.49, करोड़ की कुल निवल बचत हुई जो कि अनुदानों एवं विनियोगों में ₹ 14,420.59 करोड़ की बचत का ₹ 7302.10 करोड़ के आधिक्य के प्रतिसंतुलन का परिणाम है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023-24 के दौरान 31 मार्च 2024 को 31 अनुदानों/ विनियोगों में ₹ 2,477.40 करोड़ का समर्पण किया गया।

2019-20 से 2023-24 के दौरान मूल बजट, पुनरीक्षित आकलन और वास्तविक व्यय का विवरण **तालिका-3.18** में दिया गया है।

तालिका-3.18: 2019-20 से 2023-24 के दौरान मूल बजट, पुनरीक्षित आकलन और वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021- 22	2022-23	2023-24
मूल बजट	48,663.90	53,526.97	57,937.83	65,571.49	77,407.08
अनुपूरक बजट	2,533.90	4,063.79	7,074.57	5,440.43	11,321.12
कुल बजट (टी बी)	51,197.80	57,590.76	65,012.40	71,011.92	88,728.20
पुनरीक्षित आकलन (आर ई)	45,081.50	51,343.15	53,130.62	67,753.65	77,887.84
वास्तविक व्यय (ए ई)	47,973.19	52,000.11	50,694.35	60,592.90	81,609.71

	2019-20	2020-21	2021- 22	2022-23	2023-24
बचत (-)/ आधिक्य(+)	(-)3,224.61	(-)5, 590.65	(-)14318.05	(-)10,419.02	(-)7,118.49
मूल प्रविधान में अनुपूरक की प्रतिशतता	5.21	7.59	12.21	8.30	14.63
मूल प्रविधान में सम्पूर्ण बचत / आधिक्य की प्रतिशतता	6.30	9.71	22.02	14.67	8.02
कुल बजट - पुनरीक्षित आकलन	6,116.30	6,247.61	11,881.78	3,258.27	10,840.36
पुनरीक्षित आकलन - वास्तविक व्यय	(+)2,891.69	(+)656.96	(-)2,436.27	(-)7,160.75	(+)3,721.87
कुल बजट से (कुल बजट- पुनरीक्षित आकलन) का *प्रतिशत*	*11.95*	*10.85*	*18.28*	*4.59*	*12.22*
कुल बजट से (पुनरीक्षित आकलन - वास्तविक व्यय) का *प्रतिशत*	*(+) 5.65*	*(+)1.14*	*(-)3.75*	*(-)10.08*	*(+)4.19*

स्रोत:- संबन्धित वर्षों के बजट दस्तावेज़ तथा विनियोग लेखे।

तालिका-3.18 प्रदर्शित करती है कि 2023-24 के दौरान ₹ 11,321.12 करोड़ का पूरक प्रावधान मूल प्रावधान का 14.63 *प्रतिशत* था, जबकि पिछले वर्ष में यह 8.30 *प्रतिशत* था।

चार्ट-3.6: बजट अनुमान, पुनरीक्षित अनुमान और वास्तविक आकड़ों का विवरण

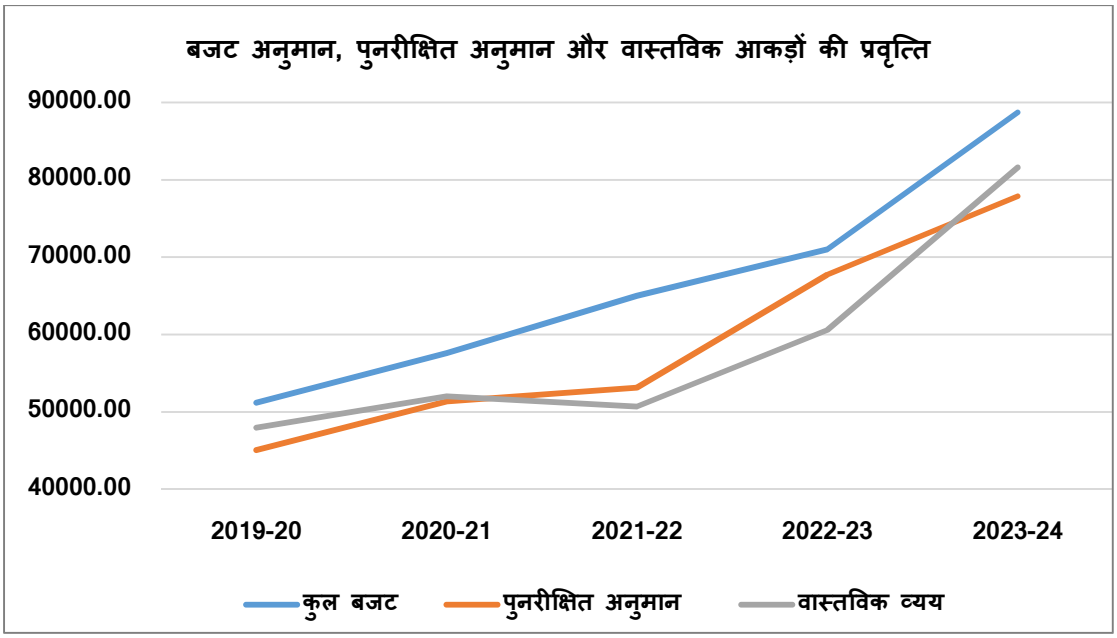

उपर्युक्त **तालिका-3.18** से यह देखा जा सकता है कि 2019-20 से 2023-24 तक के वर्षों में, पुनरीक्षित अनुमान हमेशा राज्य के कुल बजट से कम था। पुनरीक्षित अनुमान और कुल बजट के बीच अंतर में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई। 2019-20 से 2021-22

के दौरान यह 11.95 *प्रतिशत* से बढ़ कर 18.28 *प्रतिशत* हो गया था, हालांकि वर्ष 2022-23 में यह घटकर 4.59 *प्रतिशत* हो गया, जो बड़ी/छोटी अनुमान त्रुटि को दर्शाता है। चालू वर्ष 2023-24 में यह फिर से बढ़ कर 12.22 *प्रतिशत* हो गया है।

आगे, 2019-20 और 2020-21 की अवधि के दौरान वास्तविक व्यय की *प्रतिशतता* पुनरीक्षित अनुमान से अधिक थी और यह क्रमशः 5.65 *प्रतिशत* और 1.14 *प्रतिशत* था। आगे, वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान वास्तविक व्यय की *प्रतिशतता* पुनरीक्षित अनुमान से क्रमशः 3.75 *प्रतिशत* और 10.08 *प्रतिशत* कमी थी और 2023-24 के दौरान वास्तविक व्यय की *प्रतिशतता* पुनरीक्षित अनुमान से 4.19 *प्रतिशत* अधिक थी। ऐसे में वर्ष 2023-24 में अनुपूरक प्रावधान की आवश्यकता थी क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से अधिक था। हालाँकि, वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं आया।

यह दर्शाता है कि बजटीय आवंटन अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित थे क्योंकि राज्य के बजट अनुमान हमेशा बढ़े हुए थे, और पिछले चार वर्षों के दौरान वास्तविक व्यय बजटीय प्रावधानों से कम था।

विनियोग लेखों में विचलन के स्पष्टीकरण का सार नीचे दिए गए **चार्ट-3.7** में दिया गया है:

चार्ट-3.7: विनियोग लेखा में विचलन के स्पष्टीकरण का सार

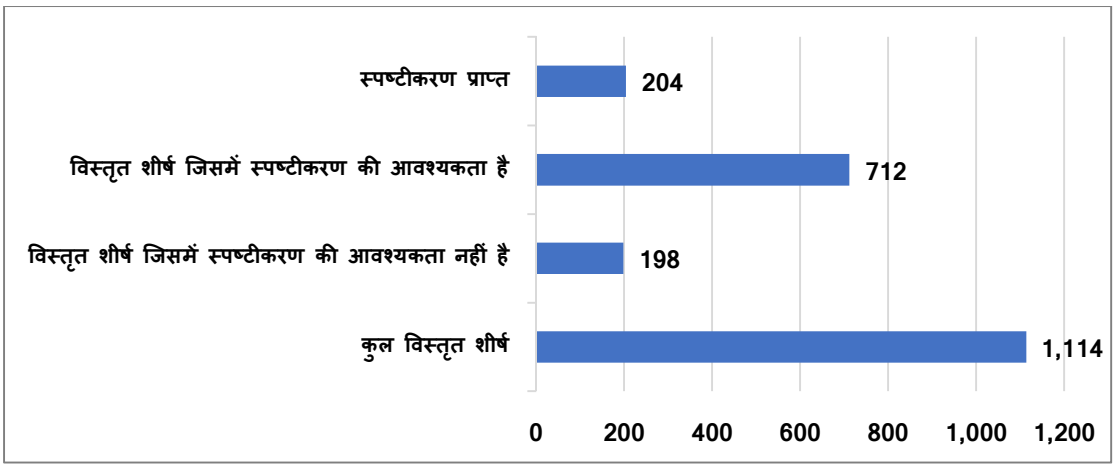

2023-24 के दौरान, राज्य सरकार ने 31 अनुदानों और विनियोगों के अंतर्गत विभिन्न मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत 1,114 विस्तृत शीर्षों में व्यय दर्ज किया। कुल बजट प्रावधान के सापेक्ष 1,114 विस्तृत शीर्षों में से 916 विस्तृत शीर्षों में भिन्नता (20 *प्रतिशत* अथवा अधिक) देखी गयी। इन 916 विस्तृत शीर्षों में से केवल 204

विस्तृत शीर्षों में स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ था। जबकि, 712 विस्तृत शीर्षों में स्पष्टीकरण की और आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त, 1,114 विस्तृत शीर्षों में से 198 विस्तृत शीर्षों के संबंध में स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इन विस्तृत शीर्षों में भिन्नता 20 *प्रतिशत* से कम थी।

3.9 अनुपूरक बजट और अवसर लागत

अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय विभाग कभी-कभी विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों के अंतर्गत, विभिन्न उद्देश्यों के लिए बड़ी अतिरिक्त आवश्यकता के लिए विधायिका को प्रतिवेदित करते है, लेकिन अंत में वे न केवल सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान या उसके भागों को, बल्कि मूल बजट प्रावधान को भी खर्च करने में असमर्थ होते हैं। उसी वक्त कुछ योजनाएँ धन की कमी के कारण अपूर्ण रह जाती हैं। इस प्रकार, अपूर्ण योजनाओं के इच्छित लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसके अतिरिक्त, इससे परियोजना लागत में वृद्धि होती है।

सरकार वित्त मंत्री के बजट भाषण और अन्य बजट दस्तावेजों के माध्यम से बहुत सारी नई नीतियों/योजनाओं को लागू करने के लिए घोषणा करती है जो या तो उस वित्तीय वर्ष के लिए अर्थात एक बार की गतिविधि या आवृत्ती प्रकृति की होती हैं।

पूंजीगत मतदेय खंड के अंतर्गत अप्रयुक्त निधियों का विवरण **तालिका-3.19** में दिया गया है।

तालिका-3.19: पूंजीगत मतदेय खंड के अंतर्गत अप्रयुक्त निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अनुदान की संख्या एवं नाम	मूल आवंटन	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	अप्रयुक्त निधि	समर्पण 31 मार्च 2024 तक
पूंजीगत (मतदेय)							
1	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	1,109.60	2.16	1,111.76	109.46	1,002.30	2.46
2	11- शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं संस्कृति	554.43	138.10	692.53	459.05	233.48	-
3	16- श्रम एवं रोजगार	77.00	7.00	84.00	72.16	11.84	-
4	18- सहकारिता	200.00	3.00	203.00	8.00	195.00	100.00
5	19- ग्रामीण विकास	1,834.50	16.94	1,851.44	1,191.56	659.88	-
6	21- ऊर्जा	1,215.60	50.00	1,265.60	730.59	535.01	-
7	22- लोक निर्माण	1,348.30	256.51	1,604.81	1,299.50	305.31	52.17
8	24- परिवहन	274.00	12.00	286.00	164.67	121.33	-

क्र. स.	अनुदान की संख्या एवं नाम	मूल आवंटन	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	अप्रयुक्त निधि	समर्पण 31 मार्च 2024 तक
9	27- वन	70.73	3.98	74.71	58.67	16.04	9.59
10	29- बागवानी विकास	232.40	4.00	236.40	91.38	145.02	-
योग		***6,916.56***	***493.69***	***7,410.25***	***4,185.04***	***3,225.21***	***164.22***

स्रोत: विनियोग लेखे।

वर्ष के दौरान, धन की कमी के कारण पूर्ण नहीं की जा सकने वाली योजनाओं/परियोजनाओं के संबंध में राज्य सरकार से आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण, लेखापरीक्षा में यह पता नहीं लगाया जा सका कि क्या उन योजनाओं/परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पूंजीगत खंड के अंतर्गत ₹ 3,225.21 करोड़ की बचत का उपयोग किया जा सकता था। उपर्युक्त दस अनुदानों में पूंजीगत वर्ग के अंतर्गत ₹ 3,225.21 करोड़ की कुल अप्रयुक्त निधि में से, वर्ष 2023-24 के दौरान केवल ₹ 164.22 करोड़ का समर्पण किया गया था।

3.10 पुनर्विनियोग के संबंध में वित्तीय शक्ति का पालन

पुनर्विनियोग आदेशों के लेखापरीक्षा विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि सभी पुनर्विनियोग वित्त विभाग, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी किए गए थे। मूल बजट में परिकल्पित अनुदानों और योजनाओं के अंतर्गत ₹ 2,230.78 करोड़ तक का पुनर्विनियोजन किया गया था। हालाँकि, वर्ष 2023-24 के दौरान पूंजीगत से राजस्व में और इसके विपरीत एवं मतदेय से भारित में और इसके विपरीत पुनर्विनियोजन का कोई मामला सामने नहीं आया। वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात पुनर्विनियोजन का कोई प्रकरण सामने नहीं आया।

3.11 बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएँ और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनका वास्तविक वित्त पोषण

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा शुरू की गई कई नीतिगत पहल के दिशानिर्देशों/तौर-तरीकों की मंजूरी न मिलने, प्रशासनिक मंजूरी के अभाव में काम शुरू न होने, बजट जारी न होने आदि के कारण पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से निष्पादित नहीं की जा सकी। यह लाभार्थियों को इच्छित लाभों से वंचित करता है।

यह देखा गया हैं कि सात अनुदानों के अन्तर्गत दस योजनाओं (प्रत्येक योजना में ₹ 10 करोड़ या अधिक) के अंतर्गत ₹ 388.93 करोड़ का संशोधित परिव्यय था, लेकिन कोई व्यय नहीं हुआ जिसके परिणामस्वरूप योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं हुआ, जैसा कि नीचे **तालिका-3.20** में दिखाया गया है।

तालिका-3.20: उस योजना का विवरण जिसके लिए प्रावधान (₹ 10 करोड़ और अधिक) किया गया था लेकिन या तो प्रावधान वापस ले लिया गया या कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	अनुदान संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय (मूल + अनुपूरक)	संसोधित परिव्यय (पुनर्विनियोजन के बाद)
1	07- वित्त, कर, योजना, सचिवालय और विविध सेवाएँ	वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्त बाजार ऋण	300.00	300.00
2	11- शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं संस्कृति	सरकारी पॉलीटेक्निक संस्थानों और हॉस्टलों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण (90% केंद्रीय सहायतित योजना)	10.59	7.83
3	13- जल आपूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	के एफ डब्ल्यू योजना	10.00	5.00
		हरिद्वार को एक पर्यटन शहर के रूप में विकसित करना	27.00	2.00
		ग्रीन सिटी/ब्राउन सिटी का निर्माण	10.00	1.00
		यूनिटी मॉल/प्लाजा का निर्माण	50.10	0.10
4	17- फसल पालन एवं अनुसंधान	एकीकृत कृषि गांव योजना	12.00	5.00
5	21- ऊर्जा	सरकारी क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में निवेश (बाहरी सहायता प्राप्त योजना)	163.44	35.00
6	24- परिवहन	हेलीकॉप्टर/विमान की खरीद	50.00	28.00
7	29- बागवानी विकास	बागवानी विकास की बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	40.00	5.00
योग			***673.13***	***388.93***

स्रोत: बजट दस्तावेज़ 2023-24 एवं 2024-25।

इसके अतिरिक्त, आठ योजनाओं के अंतर्गत, ₹ 180.00 करोड़ का अनुमोदित परिव्यय था जिसे संशोधित परिव्यय में पूरी तरह से वापस ले लिया गया था जैसा कि **तालिका-3.21** में नीचे दिखाया गया है, जो दर्शाता है कि बजटीय आवंटन अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित थे।

तालिका-3.21: योजनाओं का विवरण जिनके लिए प्रावधान (₹ पांच करोड़ और अधिक) किया गया था लेकिन पुनर्विनियोजन के माध्यम से पूरी तरह से वापस ले लिया गया था

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	अनुदान का नाम	योजना का नाम	स्वीक्रत परिव्यय	वापसी का कारण
1	01- विधायिका	गैरसैंण में ग्रीष्मकाल के दौरान विधानसभा का निर्माण	5.00	योजना के अंतर्गत बचत
2	07- वित्त, कर, योजना, सचिवालय और विविध सेवाएँ	योजनाओं से प्राप्त निधियों से आधारभूत संरचना सुविधाओं का विकास	50.00	प्रमुख कार्यों में बचत
3		जलवायु परिवर्तन का न्यूनीकरण	65.00	प्रमुख कार्यों में बचत

क्र.स.	अनुदान का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	वापसी का कारण
4		सचिव/अतिरिक्त सचिव स्तर के आवासीय भवन का निर्माण	6.00	योजना के अंतर्गत बचत
5		रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में राज्य अतिथि गृह का निर्माण	20.00	प्रमुख कार्यों में बचत और योजना के अंतर्गत बचत
6		सचिवालय परिसर में गैर-आवासीय भवन का विध्वंस/नवीनीकरण	5.00	योजना के अंतर्गत बचत के कारण
7	19- ग्रामीण विकास	मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना	5.00	योजना के अंतर्गत बचत के कारण
8	24-परिवहन	नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित	24.00	प्रमुख कार्यों में बचत के कारण
योग			**180.00**	

3.12 व्यय की तीव्रता

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के अध्याय XVII के प्रस्तर 183 में अंकित है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की तीव्रता से बचा जाना चाहिए। उचित वित्तीय प्रबंधन के लिए, व्यय की एक समान गत्ति को बनाए रखा जाना चाहिए। इसके विपरीत, वर्ष 2023-24 के लिए नौ मुख्य शीर्षों से संबन्धित कुल व्यय का 50 *प्रतिशत* से अधिक व्यय मार्च 2024 में किया गया, जैसा कि नीचे दी गयी **तालिका-3.22** में सूचीबद्ध है।

तालिका-3.22: मुख्य शीर्ष, जहां केवल मार्च माह में ही 50 *प्रतिशत* से अधिक खर्च किया गया था (प्रतिशतता में)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चतुर्थ तिमाही	योग	मार्च में व्यय	कुल व्यय की *प्रतिशतता* के रूप में मार्च में व्यय
1	2030	स्टांप और पंजीकरण	2.70	3.18	3.95	21.58	31.41	18.57	*59.12*
2	2216	आवास	0.00	0.23	0.91	8.56	9.70	7.82	*80.62*
3	4059	सार्वजनिक कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	302.31	358.92	233.24	1,402.39	2,296.86	1,186.99	*51.68*
4	4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की कल्याण के लिए पूंजीगत परिव्यय	2.95	4.47	7.77	79.86	95.05	64.71	*68.08*
5	4401	फसलीकरण पर पूंजीगत परिव्यय	-3.49	30.06	16.05	91.85	134.47	86.39	*64.24*
6	4406	वानिकी और वन्यजीवों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	12.97	8.70	41.48	63.15	37.37	*59.18*

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चतुर्थ तिमाही	योग	मार्च में व्यय	कुल व्यय की *प्रतिशतता* के रूप में मार्च में व्यय
7	4700	वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय (1)	4.57	48.07	12.25	286.36	351.25	250.61	*71.35*
8	4810	गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	66.83	66.83	66.83	*100*
9	4859	दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	40.46	40.46	40.46	*100*
योग			***309.04***	***457.90***	***282.87***	***2,039.37***	***3,089.18***	***1,759.75***	***56.96***

मासिक व्यय की गति में एकरूपता नहीं थी जैसा कि उत्तराखण्ड बजट नियमावली के अंतर्गत आवश्यक था, क्योंकि नौ मुख्य शीर्षों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 की अंतिम तिमाही में 66.02 *प्रतिशत* का व्यय किया गया था, जबकि मार्च 2024 के महीने में 56.96 *प्रतिशत* का व्यय किया गया था।

सभी अनुदानों पर किए गए व्यय का त्रैमासिक विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका-3.23: वर्ष 2023-24 के दौरान सभी अनुदानों में सभी मुख्य शीर्षों के लिए तिमाही वार व्यय दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	विवरण	2023-24 के दौरान आवंटन	व्यय					वर्ष 2023-24 में कुल व्यय	कुल व्यय के सापेक्ष चतुर्थ तिमाही में व्यय की *प्रतिशतता*	कुल व्यय के सापेक्ष मार्च 2024 में व्यय की *प्रतिशतता*
			प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	मार्च में			
1	विधायिका	95.94	15.75	17.81	15.15	18.21	6.65	66.92	*27.21*	*9.94*
2	राज्यपाल	16.22	2.63	3.85	3.43	4.18	0.85	14.09	*29.67*	*6.03*
3	मंत्रालय परिषद	124.73	9.28	24.62	17.51	49.88	30.51	101.29	*49.24*	*30.12*
4	न्यायिक प्रशासन	751.35	97.59	83.48	65.63	163.58	88.03	410.28	*39.87*	*21.46*
5	चुनाव	86.52	5.08	16.93	7.58	36.61	19.01	66.20	*55.30*	*28.72*
6	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	3,512.15	402.75	273.90	380.51	1,076.56	926.12	2,133.72	*50.45*	*43.40*
7	वित्त, कर, योजना, सचिवालय और विविध सेवाएँ	37,404.13	5,515.23	9,460.80	9,952.47	16,950.52	8,321.85	41,879.02	*40.47*	*19.87*

अनुदान संख्या	विवरण	2023-24 के दौरान आवंटन	व्यय					वर्ष 2023-24 में कुल व्यय	कुल व्यय के सापेक्ष चतुर्थ तिमाही में व्यय की प्रतिशतता	कुल व्यय के सापेक्ष मार्च 2024 में व्यय की प्रतिशतता
			प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	मार्च में			
8	आबकारी	83.76	8.67	8.80	8.44	10.42	5.55	36.33	*28.68*	*15.28*
9	लोक सेवा आयोग	134.13	41.67	15.87	17.75	29.11	13.35	104.40	*27.88*	*12.79*
10	पुलिस एवं जेल	2,627.90	565.78	639.13	476.78	761.76	300.29	2,443.45	*31.18*	*12.29*
11	शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं संस्कृति	10,840.87	2,254.01	2,463.24	2,186.19	3,069.74	1,063.07	9,973.18	*30.78*	*10.66*
12	चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	5,042.66	573.37	1,439.93	849.49	1,306.82	451.05	4,169.61	*31.34*	*10.82*
13	जल आपूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	4,103.03	586.06	867.67	293.93	1,046.83	408.39	2,794.49	*37.46*	*14.61*
14	सूचना	273.42	47.83	53.64	125.54	32.11	16.84	259.12	*12.39*	*6.50*
15	कल्याणकारी योजनाएँ	3,124.60	564.48	536.37	470.70	1,059.37	453.39	2,630.92	*40.27*	*17.23*
16	श्रम एवं रोजगार	642.33	123.02	164.80	104.66	203.44	78.59	595.92	*34.14*	*13.19*
17	फसलीकरण एवं अनुसंधान	1,312.64	253.06	217.71	125.69	259.50	154.54	855.96	*30.32*	*18.05*
18	सहकारिता	379.91	9.77	57.59	18.31	32.49	24.83	118.16	*27.50*	*21.01*
19	ग्रामीण विकास	3,643.59	227.03	776.75	447.51	910.86	701.78	2,362.15	*38.56*	*29.71*
20	सिंचाई एवं बाढ़	1,457.42	99.22	230.01	169.28	627.00	413.55	1,125.51	*55.71*	*36.74*
21	ऊर्जा	1,301.84	53.00	267.27	16.21	424.73	303.44	761.21	*55.80*	*39.86*
22	लोक निर्माण	3,348.34	376.25	539.66	508.54	1,249.74	778.21	2,674.19	*46.73*	*29.10*
23	उद्योग	522.51	71.67	37.04	139.45	155.63	95.11	403.79	*38.54*	*23.55*
24	परिवहन	477.97	56.45	129.19	44.31	114.97	31.71	344.92	*33.33*	*9.19*
25	खाद्य	1,219.55	16.16	558.84	64.92	189.30	158.36	829.22	*22.83*	*19.10*
26	पर्यटन	312.05	38.00	71.22	54.98	117.71	47.92	281.91	*41.75*	*17.00*
27	वन	1,207.59	131.83	196.81	245.06	230.37	1.25	804.07	*28.65*	*0.16*

अनुदान संख्या	विवरण	2023-24 के दौरान आवंटन	व्यय					वर्ष 2023-24 में कुल व्यय	कुल व्यय के सापेक्ष चतुर्थ तिमाही में व्यय की *प्रतिशतता*	कुल व्यय के सापेक्ष मार्च 2024 में व्यय की *प्रतिशतता*
			प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	मार्च में			
28	पशुपालन	656.34	130.63	156.81	76.43	202.85	103.17	566.72	*35.79*	*18.20*
29	बागवानी विकास	828.08	61.48	140.22	73.27	166.08	126.24	441.05	*37.66*	*28.62*
30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	2,463.23	221.48	520.48	426.96	528.21	297.41	1,697.13	*31.12*	*17.52*
31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	733.40	79.59	132.08	96.47	156.51	105.02	464.65	*33.68*	*22.60*
योग		***88,728.20***	***12,638.82***	***20,102.52***	***17,483.15***	***31,185.09***	***15,526.08***	***81,409.58***[2]		

स्रोत: ले एवं हक़ कार्यालय से प्राप्त वी एल सी डाटा।

उपर्युक्त तालिका से पता चला कि 2023-24 के दौरान 31 अनुदानों में से, चार अनुदानों में कुल व्यय के *प्रतिशत* का 50 *प्रतिशत* और उससे अधिक चौथी तिमाही में व्यय किया गया था, जबकि पाँच अनुदानों में कुल व्यय के *प्रतिशत* का 40 *प्रतिशत* से 50 *प्रतिशत* चौथी तिमाही में व्यय किया गया था।

31 अनुदानों में से 2023-24 के दौरान 12 अनुदानों में मार्च 2024 में कुल व्यय के *प्रतिशतता* का 20 *प्रतिशत* या उससे अधिक का व्यय किया गया था।

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तिमाहीवार व्यय सीमा की अनुपलब्धता के कारण, तिमाही व्यय के अनुपालन पर टिप्पणी नहीं की जा सकी।

3.13 चयनित अनुदानों की समीक्षा

3.13.1 चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

अनुदान संख्या 12: चिकित्सा और परिवार कल्याण और 29: बागवानी विकास के अंतर्गत 2021-22 से 2023-24 की अवधि के लिए प्राप्तियों और व्यय की समीक्षा से निम्नलिखित स्थिति प्रकट हुई:

अनुदान संख्या 12: चिकित्सा और परिवार कल्याण

चिकित्सा और परिवार कल्याण - उत्तराखण्ड सरकार स्वास्थ्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके, जिनका उद्देश्य रोग के बोझ को कम करने के उद्देश्य, साथ एक सक्षम वातावरण

[2] इसमें वसूली के लिए ₹ 200.13 करोड़ की धनराशि शामिल नहीं है।

उत्पन्न करने, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्वास्थ्य निर्धारक तत्वों जैसे पोषण, जल, स्वच्छता और राज्य में शिक्षा और रोजगार जैसे अन्य कारकों को प्रभावित करने है, के द्वारा अपने लोगों के स्वास्थ्य स्तर और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का लक्ष्य प्रजनन दर के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचना, वंचित वर्गों, दुर्गम और दूरदराज क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए, जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करना है।

क. राजस्व व्यय

कुल राजस्व व्यय 2020-21 से 2023-24 के बीच पिछले वर्षों की तुलना में क्रमशः 17.76 *प्रतिशत*, 17.90 *प्रतिशत*, 40.95 *प्रतिशत* और 0.53 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्शाता है, जैसा **तालिका-3.24** में सारांशित है।

तालिका-3.24: वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान मूल प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत	*प्रतिशत* में	
							बचत	पिछले वर्ष की तुलना में व्यय में विचलन
2210-चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य 2211-परिवार कल्याण	**2019-20**	2,251.00	51.24	2,302.24	1,782.43	519.81	*22.58*	
	2020-21	2,271.59	111.83	2,383.42	2,099.04	284.38	*11.93*	*17.76*
	2021-22	2,746.31	452.15	3,198.46	2,474.75	723.71	*22.63*	*17.90*
	2022-23	3,609.09	422.84	4,031.93	3,488.09	543.84	*13.49*	*40.95*
	2023-24	3,768.25	598.81	4,367.06	3,506.45	860.61	*19.71*	*0.53*
योग		***14,646.24***	***1,636.87***	***16,283.11***	***13,350.76***	***2,932.35***	***18.01***	

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि 2019-20 से 2023-24 के दौरान निरन्तर बचत परिचलित हुई। 2019-20 से 2023-24 के दौरान ₹ 1636.87 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था, क्योंकि मूल प्रावधान ₹ 14646.24 करोड़ के सापेक्ष वास्तविक व्यय ₹ 13350.76 करोड़ था, जबकि इन वर्षों में पहले से ही ₹ 1295.48 करोड़ की बचत थी।

विगत तीन वर्षों के दौरान इस अनुदान के अंतर्गत कुछ मुख्य शीर्षों के अंतर्गत किए गए व्यय की नमूना जांच दर्शाती है कि इन वर्षों में व्यय का स्वरूप भिन्न-भिन्न था। ₹ 20 करोड़ से अधिक के परिवर्तन को आधार के रूप में लिया गया है। विवरण नीचे **तालिका-3.25** में दिया गया है:

तालिका-3.25: अनुदान में विगत वर्षों की तुलना में व्यय में प्रमुख परिवर्तन की प्रवृत्तियां

क्र.सं.	योजना का नाम[3]	व्यय (लाख में)			विचलन (लाख में)		विचलन (*प्रतिशत में*)	
वित्तीय वर्ष		2021-22	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
1	अस्पताल और डिस्पेंसरी (ई ए डी)	20,000.00	16,283.00	9,450.00	(-)3,717.00	(-)6,833.00	*(-)18.59*	*(-)41.96*
2	अस्पताल और डिस्पेंसरी (सी एस एस)	37,300.69	77,266.00	57,316.00	39,965.31	(-)19,950.00	*107.14*	*(-)25.82*
3	अस्पताल और डिस्पेंसरी (सी एस एस में राज्य का योगदान)	4,241.06	13,353.74	8,646.58	9,112.68	(-)4,707.16	*214.87*	*(-)35.25*
4	एलोपैथी (मेडिकल कॉलेज)	31,257.93	36,610.73	43,751.14	5,352.80	7,140.41	*17.12*	*19.50*
5	रोगों की रोकथाम और नियंत्रण (जन स्वास्थ्य)	16,747.87	47,890.04	61,732.00	31,142.17	13,841.96	*185.95*	*28.90*
6	ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं (सी एस एस)	9,405.26	11,952.84	14,741.04	2,547.58	2,788.20	*27.09*	*23.33*

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

ख. पूंजीगत व्यय

समग्र पूंजीगत व्यय में विगत वर्षों की तुलना में 2020-21 के दौरान 77.21 *प्रतिशत* की वृद्धि, इसके अतिरिक्त, 2021-22 में 81.10 *प्रतिशत* की वृद्धि, 2022-23 में (-)4.73 *प्रतिशत* की कमी और 2023-24 में 122.26 *प्रतिशत* की वृद्धि दिखायी दी, जैसा **तालिका-3.26** में सारांशित है।

तालिका-3.26: वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान वास्तविक व्यय और मौलिक/अनुपूरक प्रावधान की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत	*प्रतिशत में*	
							बचत	पिछले वर्ष की तुलना में व्यय में विचलन
4210 - चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 4211 - परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	**2019-20**	176.72	11.50	188.22	97.60	90.62	48.15	
	2020-21	205.43	100.00	305.43	172.94	132.49	43.38	77.21
	2021-22	442.64	38.00	480.64	313.19	167.45	34.84	81.10
	2022-23	385.07	10.00	395.07	298.37	96.70	24.48	-4.73
	2023-24	449.63	225.98	675.61	663.16	12.45	1.84	122.26
योग		**1,659.49**	**385.48**	**2,044.97**	**1,545.26**	**499.72**	**24.44**	

स्रोत: विनियोग लेखे।

[3] (2210-01-110-97, 2210-03-110-01, 2210-03-110-95, 2210-05-105-04, 2210-06-101-03, 2211-00-101-01)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, कि 2019-20 से 2023-24 तक के वर्षों में निरन्तर बचत हुई। 2019-20 से 2022-23 तक की अवधि में, ₹ 159.50 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि मूल प्रावधान ₹ 1,209.86 करोड़ वास्तविक व्यय ₹ 882.10 करोड़ से काफी अधिक था। हालांकि, वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 225.98 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान के 94.49 *प्रतिशत* का उपयोग किया गया।

विगत तीन वर्षों के दौरान इस अनुदान के अंतर्गत कुछ मुख्य शीर्षों के अंतर्गत किए गए व्यय की नमूना जांच दर्शाती है कि इन वर्षों में व्यय के स्वरूप विभिन्न थी। ₹ 20 करोड़ से अधिक की भिन्नता को आधार के रूप में लिया गया है। विवरण नीचे **तालिका-3.27** में दिखाया गया है:

तालिका-3.27: अनुदान में पिछले वर्षों की तुलना में व्यय में प्रमुख भिन्नताओं की प्रवृत्तियां

क्र.सं.	योजना का नाम[4]	व्यय (लाख में)			विचलन (लाख में)		विचलन (*प्रतिशत* में)	
वित्तीय वर्ष		2021-22	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
1	एलोपैथी (सी एस एस)	22,263.04	16,561.22	40,045.63	(-) 5,701.82	23,484.41	*(-) 25.61*	*141.80*

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखा।

ग. सम्पूर्ण प्रावधान का अनुपयोगी रहना

उप-शीर्षों/योजनाओं की नमूना जांच में पाया गया कि 2022-23 से 2023-24 तक के अवधि के दौरान एक सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना में लगातार बचत हुई, क्योंकि विभाग इन दो वर्षों के दौरान पूरे बजट आवंटन का उपयोग करने में सक्षम नहीं था। विवरण **तालिका-3.28** में दिया गया है।

तालिका-3.28: वर्ष 2022-23 से 2023-24 के दौरान सम्पूर्ण प्रावधानों के अनुपयोगी रहने की सारांशित स्थिति

(₹ लाख में)

क्र.सं.	वर्ष	योजना का नाम	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	बचत
1	2022-23	सार्वजनिक स्वास्थ्य, अन्य व्यय, जिलों में महिला लिंगानुपात बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन राशि	2210-06-800-17	10.00	0.00	10.00
2	2023-24	सार्वजनिक स्वास्थ्य, अन्य व्यय, जिलों में महिला लिंगानुपात बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन राशि	2210-06-800-17	5.00	0.00	5.00
योग						***15.00***

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

[4] (4210-03-105-01)

घ. अनुदान के अंतर्गत केंद्रीय और राज्य योजनाएँ

अनुदान के अंतर्गत केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अंतर्गत व्यय (₹ 20.00 करोड़ और उससे अधिक) **तालिका-3.29** में दिया गया है।

तालिका-3.29: केंद्रीय योजना व्यय (₹ 20.00 करोड़ और अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	लेखा शीर्ष	भारत सरकार से प्राप्त राशि (पी एफ एम एस)	बजट प्रावधान (मू+अनू)	विभागाध्यक्ष को अवमुक्त धनराशि	व्यय	बजट प्रावधान के सापेक्ष बचत (-)/ आधिक्य(+)
1	आर सी एच फ्लेक्सीपूल और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	2210-03-110-01-04	611.04	905.51	573.16	573.16	(-) 332.35
2	भारत सरकार द्वारा रुद्रपुर, पिथौरागढ़ और हरिद्वार में मेडिकल कॉलेजों का निर्माण (90% सी एस एस)	4210-03-105-01-09	372.47	304.00	318.47	318.47	(+) 14.47
3	राज्य कैंसर संस्थान हल्द्वानी	4210-03-105-01-10	राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रदान नहीं की गई।	40.00	20.00	20.00	(-) 20.00

स्रोत: बजट, बी एम-8 और विनियोग लेखे।

आर सी एच फ्लेक्सीपूल और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना में, ₹ 905.51 करोड़ के बजट प्रावधान के सापेक्ष 31 मार्च 2024 तक विभागाध्यक्ष को ₹ 573.16 करोड़ ही वितरित किए गए, और वर्ष के अंत तक कोई अव्ययित शेष न छोड़ते हुए इस पूरी धनराशि का उपयोग किया गया। हालांकि, केंद्र सरकार ने पूरे वर्ष में ₹ 611.04 करोड़ की कुल धनराशि जारी की, जबकि विभागाध्यक्ष को वास्तव में कम धनराशि वितरित की गई। रुद्रपुर, पिथौरागढ़ और हरिद्वार में मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के संबंध में ₹ 304.00 करोड़ के बजट प्रावधान के सापेक्ष ₹ 318.47 करोड़ विभागाध्यक्ष को जारी किए गए, और वर्ष के अंत तक कोई अव्ययित शेष न छोड़ते हुए इस पूरी राशि का उपयोग किया गया। इसी तरह, राज्य कैंसर संस्थान हल्द्वानी के अंतर्गत,

₹ 40.00 करोड़ के बजट प्रावधान के सापेक्ष ₹ 20.00 करोड़ विभागाध्यक्ष को जारी किए गए, और वर्ष के अंत तक कोई अव्ययित शेष न छोड़ते हुए इस पूरी राशि का उपयोग किया गया।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने तथ्यों से सहमति व्यक्त की और कहा कि धन वित्तीय वर्ष (31 मार्च 2024) के अंत में प्राप्त किया गया था, इसलिए, वर्ष के दौरान धन जारी नहीं किया जा सकता था।

2023-24 के दौरान बजट और व्यय के उद्देश्य से निम्नलिखित राज्य योजनाओं (₹ 20.00 करोड़ और अधिक) का विश्लेषण किया गया।

तालिका-3.30: राज्य योजना व्यय (₹ 20.00 करोड़ और अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	लेखा शीर्ष	बजट प्रावधान	एच ओ डी को निर्गत धनराशि	व्यय	बचत
1	अस्पताल और डिस्पेंसरी (ई ए पी), स्वास्थ्य प्रणाली परियोजनाएँ (विश्व बैंक सहायता प्राप्त) और चारधाम यात्रा (ए डी बी)	2210-01-110-97	150.92	94.50	94.50	(-)56.42
2	दून मेडिकल कॉलेज की स्थापना (एस पी ए)	4210-03-105-08	50.00	50.00	50.00	0.00
योग			***200.92***	***144.50***	***144.50***	***(-)56.42***

स्रोत:बजट दस्तावेज़ एवं विनियोग लेखे।

अनुदान के अंतर्गत राज्य योजना में ₹ 200.92 करोड़ के बजट प्रावधान के सापेक्ष केवल ₹ 144.50 करोड़ 31 मार्च 2024 तक विभागाध्यक्ष को वितरित किए गए, और पूरी धनराशि का उपयोग किया गया। वर्ष के अंत तक बजट प्रावधान के सापेक्ष ₹ 56.42 करोड़ की बचत हुई थी।

च. आहरण एवं वितरण अधिकारियों के नामित बैंक खातों में स्थानांतरण

निधि के अंतिम निष्पादन की सुनिश्चितता के लिए वार्षिक लेखों में दर्ज प्रत्येक व्यय की जांच की जानी चाहिए। आई एफ़ एम एस डेटा और अन्य दस्तावेजों की समीक्षा करने पर यह पता चला कि 2023-24 के दौरान इस अनुदान के अंतर्गत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा ₹ 31.23 करोड़ (2210-₹31.23 करोड़) की राशि उनके नामित बैंक खातों में स्थानांतरित की गयी थी। इन आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा नामित बैंक खाता हस्तांतरण की भी निगरानी करने की आवश्यकता है।

छ. प्राप्तियां

वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान चयनित अनुदान के मुख्य शीर्ष 0210 और 0211 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की समग्र स्थिति **तालिका-3.31** में सारांशित है।

तालिका-3.31: अनुदान के मुख्य शीर्षों 0210 एवं 0211 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	वर्ष	बजट आकलन	पुनरीक्षित आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	पुनरीक्षित आकलन - वास्तविक आधिक्य (+)/कमी(-)	पुनरीक्षित आकलन से विचलन *प्रतिशत*
0210 - चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2021-22	131.67	161.67	177.85	16.18	*10.01*
	2022-23	145.29	209.17	188.50	(-)20.67	*(-)9.88*
	2023-24	202.29	211.09	207.17	(-)3.92	*(-)1.86*
0211 - परिवार कल्याण	2021-22	0.02	0.02	0.09	0.07	*350.00*
	2022-23	0.02	0.07	27.03	26.96	*38,514.29*
	2023-24	0.10	0.10	0.08	(-)0.02	*(-)20.00*

स्रोत: बजट एवं वित्त लेखे।

हालाँकि, कुछ शीर्षों की नमूना जांच से पता चला कि आगामी वर्षों में विगत वर्षों की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में आकलन निम्नतर/उच्चतर था जैसा, ₹ पाँच करोड़ और उससे ज्यादा की प्राप्तियों पर आधारित, **तालिका-3.32** में दिया गया है।

तालिका-3.32: 2021-22 से 2023-24 के दौरान प्राप्तियों की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	बजट आकलन	पुनरीक्षित आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	पुनरीक्षित आकलन - वास्तविक आधिक्य (+)/कमी(-)	पुनरीक्षित आकलन से विचलन *प्रतिशत*
1	**0210-01-020** शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ - अस्पताल और डिस्पेंसरी सेवा हेतु रोगियों से प्राप्तियाँ	2021-22	11.25	11.25	9.97	(-)1.28	*(-)11.38*
		2022-23	12.38	11.25	12.09	0.84	*7.47*
		2023-24	12.38	12.38	14.47	2.09	*16.88*
2	**0210-01-101** शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ - कर्मचारी राज्य बीमा योजना से प्राप्तियाँ	2021-22	70.20	77.20	123.93	46.73	*60.53*
		2022-23	77.22	120.20	95.62	(-)24.58	*(-)20.45*
		2023-24	125.22	125.22	117.07	(-)8.15	*(-)6.51*
3	**0210-01-800** शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ - अन्य प्राप्तियाँ	2021-22	2.54	2.54	11.48	8.94	*351.97*
		2022-23	3.24	7.04	13.42	6.38	*90.63*
		2023-24	12.24	12.24	10.07	(-)2.17	*(-)17.73*
4	**0210-03-105** चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान एलोपैथी	2021-22	42.00	55.00	19.77	(-)35.23	*(-)64.05*
		2022-23	46.20	55.00	55.29	0.29	*0.53*
		2023-24	46.20	55.00	43.11	(-)11.89	*(-)21.62*

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	बजट आकलन	पुनरीक्षित आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	पुनरीक्षित आकलन - वास्तविक आधिक्य (+)/कमी(-)	पुनरीक्षित आकलन से विचलन *प्रतिशत*
5	**0210-04-104** सार्वजनिक स्वास्थ्य शुल्क और जुर्माने आदि	2021-22	0.00	10.00	9.12	(-)0.88	*(-)8.80*
		2022-23	0.00	10.00	7.02	(-)2.98	*(-)29.80*
		2023-24	0.00	0.00	17.15	17.15	*0.00*
6	**0211-00-800** अन्य प्राप्तियाँ	2021-22	0.02	0.02	0.09	0.07	*350.00*
		2022-23	0.02	0.07	27.03	26.96	*38,514.29*
		2023-24	0.10	0.10	0.08	(-)0.02	*(-)20.00*

स्रोत: बजट एवं वित्त लेखे।

अनुदान संख्या 12 के अंतर्गत प्राप्तियों का विश्लेषण दर्शाता है कि केवल छह लघु शीर्ष हैं, अर्थात् 01-020 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ - अस्पताल और डिस्पेंसरी सेवा हेतु रोगियों से प्राप्तियाँ, 01-101 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ - कर्मचारी राज्य बीमा योजना से प्राप्तियाँ, 01-800 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ - अन्य प्राप्तियाँ, 03-105 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान एलोपैथी, 04-104 सार्वजनिक स्वास्थ्य शुल्क और जुर्माने आदि और 00-800 अन्य प्राप्तियाँ, जिनके अंतर्गत प्राप्तियाँ दर्ज की गयी।

अनुदान संख्या 29 : बागवानी विकास

यह अनुदान राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था में आय का सबसे बड़ा स्रोत है। बागवानी फसलों, जिसमें फल, सब्जियाँ, पुष्पकृषि, मसाले, मशरूम और औषधीय एवं सगन्ध पौधे शामिल हैं, की विश्वसनीयता यह भली भांति स्थापित चुकी है कि ये भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने, रोजगार सृजन, किसानों और उद्यमियों की आर्थिक स्थिति सुधारने, निर्यात को बढ़ाने और सबसे बढ़कर लोगों को पोषण सुरक्षा प्रदान करने में सहायक है। विभाग गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उन्नत और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें सभी बागवानी फसलों का आनुवंशिक उन्नयन शामिल है। इसके साथ ही निम्नलिखित गतिविधियों को अपनाया जा रहा है:

i. पौधारोपण सामग्री का उत्पादन

ii. नए बागों की स्थापना (क्षेत्र विस्तार)

iii. पुनरुद्धार

iv. जल संसाधनों का निर्माण

v. संरक्षित खेती

vi. मधुमक्खी पालन के माध्यम से परागण क्रिया का प्रसार

vii. बागवानी यांत्रिकीकरण

viii. मानव संसाधन विकास (एच आर डी)

ix. पोस्टहार्वेस्ट प्रबंधन- (पी एच एम), विपणन और प्रसंस्करण अवसंरचना

क. राजस्व व्यय

कुल राजस्व व्यय में 2020-21, 2021-22 और 2022-23 तक क्रमशः 24.01 *प्रतिशत*, 2.73 *प्रतिशत* और 18.89 *प्रतिशत* की वृद्धि परिलक्षित हुई, जबकि 2023-24 में पिछले वर्षों के मुकाबले 10.26 *प्रतिशत* की कमी आयी, जैसा कि **तालिका-3.33** में सारांशित है।

तालिका-3.33: वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक मूल प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय का सारांश

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत	*प्रतिशत में*	
							बचत	विगत वर्ष की तुलना में व्यय में विचलन
2401-फसलीकरण	**2019-20**	313.04	15.82	328.86	260.87	67.99	*20.67*	
	2020-21	380.86	39.81	420.67	323.51	97.16	*23.10*	*24.01*
	2021-22	367.23	34.63	401.86	332.34	69.52	*17.30*	*2.73*
	2022-23	499.38	37.36	536.74	395.12	141.62	*26.39*	*18.89*
	2023-24	580.97	8.41	589.38	354.60	234.78	*39.84*	*(-)10.26*
योग		***2,141.48***	***136.03***	***2,277.51***	***1,666.44***	***611.07***	***26.83***	**-**

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि 2020-21 को छोड़कर 2019-20 से 2023-24 के दौरान निरन्तर बचत रही। इस अवधि के दौरान ₹136.03 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ, क्योंकि मूल प्रावधान ₹ 2,141.48 करोड़ वास्तविक व्यय ₹ 1666.44 करोड़ से अधिक था। ₹ 20 करोड़ से अधिक धनराशि की योजनाओं के लिए अनुदान लघु शीर्षों के अंतर्गत उप-शीर्ष स्तर पर कोई अनुचित रूपरेखा नही थी।

ख. पूंजीगत व्यय

कुल पूंजीगत व्यय में पिछले वर्षों की तुलना में 2020-21 के दौरान 63.17 *प्रतिशत* की वृद्धि, 2021-22 के दौरान 11.39 *प्रतिशत* की वृद्धि, 2022-23 में 1.94 *प्रतिशत* की कमी और 2023-24 में 484.64 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, जैसा **तालिका-3.34** में सारांशित है।

तालिका-3.34: वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान मूल प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत (+)/ आधिक्य (-)	प्रतिशत में	
							बचत (+)/ आधिक्य(-)	विगत वर्ष की तुलना में व्यय में विचलन
4401-फसलीकरण पर पूंजीगत परिव्यय	**2019-20**	11.50	0.35	11.85	8.77	3.08	*25.99*	
	2020-21	12.00	0.00	12.00	14.31	-2.31	*(-)19.25*	*63.17*
	2021-22	20.50	0.44	20.94	15.94	5.00	*23.88*	*11.39*
	2022-23	36.10	0.00	36.10	15.63	20.47	*56.70*	*(-)1.94*
	2023-24	232.40	4.00	236.40	91.38	145.02	*61.35*	*484.64*
योग		***312.50***	***4.79***	***317.29***	***146.03***	***171.26***	***53.98***	-

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि 2019-20 से 2023-24 के दौरान लगातार बचत होती रही। इस अवधि के दौरान, ₹ 4.79 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ, क्योंकि मूल प्रावधान ₹ 312.50 करोड़ वास्तविक व्यय ₹ 146.03 करोड़ से अधिक था। अनुदान के अंतर्गत ₹ 20 करोड़ से अधिक की योजनाओं के लघु शीर्षों के अंतर्गत उप-शीर्ष स्तर पर कोई अनुचित व्यय की रूपरेखा नही थी।

ग. सम्पूर्ण प्रावधान का अनुपयोगी रहना

कुछ उप-शीर्षों की नमूना जांच में पाया गया कि विभाग द्वारा 2021-22 से 2023-24 के दौरान वर्ष के अंत तक सम्पूर्ण प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) का उपयोग नहीं किया था, गया जैसा **तालिका-3.35** में दिया गया है।

तालिका-3.35: वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान सम्पूर्ण प्रावधान के अनुपयोगी रहने की सारांशित स्थिति

(₹ लाख में)

क्र.सं.	वर्ष	योजना का नाम	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	बचत
1	**2021-22**	फसलीकरण पर पूंजीगत परिव्यय- बागवानी और सब्जी फसलें- बाहरी सहायता प्राप्त योजनाएँ	4401-00-119-97	500.00	0.00	500.00
2	**2022-23**	फसलीकरण पर पूंजीगत परिव्यय- बागवानी और सब्जी फसलें- बाहरी सहायता प्राप्त योजनाएँ	4401-00-119-97	2,000.00	0.00	2,000.00
3	**2023-24**	फसलीकरण पर पूंजीगत परिव्यय- बागवानी और सब्जी फसलें- बाहरी सहायता प्राप्त योजनाएँ	4401-00-119-97	2,000.00	0.00	2,000.00

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने बजट अधिकारी को इस मुद्दे पर गौर करने और आगामी बजट में बजट प्रावधान से हटाने पर विचार करने का निर्देश दिया।

घ. अनुदान के अंतर्गत केंद्रीय और राज्य योजनाएँ

अनुदान के अंतर्गत केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अंतर्गत व्यय (₹ 20.00 करोड़ और अधिक) **तालिका-3.36** में दिया गया है।

तालिका-3.36: केंद्रीय योजना व्यय (₹20.00 करोड़ और अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	लेखा शीर्ष	भारत सरकार से प्राप्त राशि (पी एफ एम एस)	बजट प्रावधान	विभागाध्यक्ष को निर्गत धनराशि	व्यय	बचत
1	सी एस एस योजना (प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण योजना (90:10)	2401-00-119-01-14	8.24	15.00	7.54	7.54	7.46
2	प्रति बूंद अधिक फसल (पी एम के एस वाई)	2401-00-119-01-15	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
3	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	2401-00-119-01-16	0.00	42.66	34.73	34.73	7.93

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण योजना में, ₹ 15.00 करोड़ के बजट प्रावधान के सापेक्ष केवल ₹ 7.54 करोड़ विभागाध्यक्ष को जारी किए गए और इस सम्पूर्ण राशि का उपयोग किया गया। इस वर्ष के अंत तक बजट प्रावधानों के सापेक्ष ₹ 7.46 करोड़ की बचत थी। हालांकि, केंद्रीय सरकार ने वर्ष में कुल ₹ 8.24 करोड़ की धनराशि जारी की, जबकि वास्तव में विभागाध्यक्ष को कम राशि वितरित की गयी। प्रति बूंद अधिक फसल योजना में, यद्यपि ₹ 30.00 करोड़ का बजट प्रावधान था, लेकिन इस वर्ष भारत सरकार से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। राष्ट्रीय बागवानी मिशन में, भारत सरकार से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई, हालांकि ₹ 42.66 करोड़ के बजट प्रावधान के सापेक्ष राज्य सरकार ने ₹ 34.73 करोड़ जारी किए और विभागाध्यक्ष द्वारा इस सम्पूर्ण राशि का व्यय किया गया।

2023-24 के दौरान बजट और व्यय के उद्देश्य से निम्नलिखित राज्य योजनाओं (₹ 10 करोड़ और अधिक) का विश्लेषण किया गया।

तालिका 3.37: राज्य योजना व्यय (₹ 10 करोड़ और अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	लेखा शीर्ष	बजट प्रावधान	विभागाध्यक्ष को निर्गत राशि	व्यय	बचत(-)/ आधिक्य(+)
1	मिशन एप्पल योजना	2401-00-119-31	35.00	10.78	10.78	(-)24.22
2	नाबार्ड ई ए पी योजना के अंतर्गत उद्यान विभाग को अनुदान	4401-00-119-98	200.00	77.74	77.74	(-)122.26
योग			***235.00***	***88.52***	***88.52***	***(-)146.48***

स्रोत: बजट दस्तावेज़ एवं विनियोग लेखे।

अनुदान के अंतर्गत राज्य योजना के अंतर्गत, 31 मार्च 2024 तक विभागाध्यक्षों को ₹ 235.00 करोड़ के बजट प्रावधान के सापेक्ष मात्र ₹ 88.52 करोड़ वितरित किए गए, और इस सम्पूर्ण राशि का उपयोग किया गया। वर्ष के अंत तक बजट प्रावधानों के सापेक्ष ₹ 146.48 करोड़ की बचत थी।

च. आहरण एवं वितरण अधिकारियों के नामित बैंक खातों में स्थानांतरण

निधि के अंतिम निष्पादन के आश्वासन के लिए वार्षिक लेखों में दर्ज प्रत्येक व्यय की जांच की जानी चाहिए। आई एफ़ एम एस डाटा और अन्य दस्तावेजों की समीक्षा करने पर यह पता चला कि 2023-24 के दौरान इस अनुदान के अंतर्गत आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा ₹ 87.07 करोड़ (2401- ₹ 10.78 करोड़ और 4401- ₹ 76.29 करोड़) की धनराशि उनके नामित बैंक खातों में स्थानांतरित की गयी थी। इन आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा नामित बैंक खाता हस्तांतरण की भी निगरानी करने की आवश्यकता है।

छ. प्राप्तियां

2021-22 से 2023-24 के दौरान चयनित अनुदान के मुख्य शीर्ष 0401 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की समग्र स्थिति **तालिका-3.38** में सारांशित है।

तालिका-3.38: अनुदान के मुख्य शीर्ष 0401 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	वर्ष	बजट आकलन	पुनरीक्षित आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	पुनरीक्षित आकलन - वास्तविक आधिक्य (+)/कमी(-)	पुनरीक्षित आकलन से विचलन *प्रतिशतता*
0401-फसलीकरण	2021-22	1.31	7.21	6.81	(-)0.40	*(-)5.55*
	2022-23	3.44	5.15	7.03	1.88	*36.50*
	2023-24	5.71	5.71	8.05	2.34	*40.98*

स्रोत: बजट एवं वित्त लेखे।

हालाँकि, कुछ शीर्षों की नमूना जांच से पता चला कि विगत वर्षों की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में आगामी वर्षों में आकलन निम्नतर/उच्चतर था, ₹ पाँच करोड़ और उससे अधिक की प्राप्तियों पर आधारित, जैसा **तालिका-3.39** में दिया गया है।

तालिका-3.39: मुख्य शीर्ष -0401 के अंतर्गत प्राप्तियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	बजट आकलन	पुनरीक्षित आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	पुनरीक्षित आकलन - वास्तविक आधिक्य (+)/कमी(-)	पुनरीक्षित आकलन से विचलन प्रतिशतता
1.	0401-00-800 (अन्य प्राप्तियाँ)	2021-22	0.20	6.09	5.06	(-)1.03	*(-)16.91*
		2022-23	2.21	3.34	4.98	1.64	*49.10*
		2023-24	3.80	3.80	6.03	2.23	*58.68*

स्रोत: बजट एवं वित्त लेखे।

अनुदान संख्या 29 के अंतर्गत प्राप्तियों का विश्लेषण दर्शाता है कि एक मुख्य शीर्ष के अंतर्गत केवल एक लघु शीर्ष है, अर्थात् 800 अन्य प्राप्तियाँ, जिसके अंतर्गत प्राप्तियाँ दर्ज की गयी।

3.14 केंद्र एवं राज्य योजनाओं पर व्यय

वर्ष 2023-24 के बजट आशय का आकलन करने के लिए निम्नलिखित केंद्रीय और राज्य कार्यक्रमों/ योजनाओं को चुना गया और जांचा गया।

तालिका-3.40: केंद्र योजनाओं पर व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	भारत सरकार की योजना का नाम	बजट	भारत सरकार द्वारा निर्गत	राज्य में डी डी ओ को आवंटन	कुल आवंटन	व्यय	बचत(-)/ आधिक्य(+)
1	आर सी एच और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण के लिए फ्लेक्सीपूल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	1,012.97	611.04	546.28	1,157.32	651.77	505.55
2	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन	570.52	502.50	514.47	1,016.97	568.06	448.91
3	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	1,285.00	551.05	686.58	1,237.63	684.59	553.04
4	प्रधानमंत्री आवास योजना (पी एम ए वाई) - ग्रामीण	510.42	388.19	422.28	810.47	431.61	378.86
5	समग्र शिक्षा	572.24	440.57	647.54	1,088.11	647.54	440.57
6	पी एम के एस वाई - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय/विशेष परियोजनाएं	417.93	165.56	305.91	471.47	305.91	165.56
7	सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (छत्र आई सी डी एस आंगनवाड़ी सेवाएं, किशोरी लड़कियों के लिए पोषण अभियान योजना, तथा राष्ट्रीय क्रेच योजना)	224.99	288.24	524.79	813.03	567.80	245.23
	योग	***4,594.07***	***2,947.15***	***3,647.85***	***6,595.00***	***3,857.28***	***2,737.72***

स्रोत: पी एफ एम एस डाटा।

वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार को सात प्रमुख योजनाओं के संबंध में ₹ 4,594.07 करोड़ के बजट अनुमान के सापेक्ष केंद्र सरकार से ₹ 2,947.15 करोड़ प्राप्त हुए और आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को राज्य निधि से ₹ 3,647.85 करोड़ आवंटित किए गए। वर्ष के दौरान ₹ 3,857.28 करोड़ का व्यय किया गया जो कुल आवंटन ₹ 6,595.00 करोड़ का 58.49 *प्रतिशत* था।

तालिका-3.41: राज्य योजना पर व्यय

(₹ करोड़ में)

राज्य कार्यक्रमों/योजनाओं				
क्र.सं.	**योजना का नाम**	**बजट प्रावधान**	**व्यय**	**व्यय का *प्रतिशत***
1	सगन्ध पौधा केंद्र और सगन्ध पौधों के क्लस्टर विकास के लिए अनुदान	24.50	6.40	*26.12*
2	एकीकृत कृषि गांव योजना	12.00	0.00	*0.00*
3	हेलिकॉप्टर/विमान की खरीद	50.00	0.00	*0.00*
4	राज्य खाद्य योजना	19.23	0.00	*0.00*

स्रोत: वित्त लेखे।

उपर्युक्त तालिका के आंकड़े राज्य कार्यक्रमों/योजनाओं के संबंध में व्यय के विभिन्न स्तरों के साथ सगन्ध पौधा केंद्र और सगन्ध पौधों के क्लस्टर विकास के लिए अनुदान जिसमें धन का उल्लेखनीय उपयोग हुआ को दर्शाते हैं, जबकि एकीकृत कृषि गांव योजना, हेलिकॉप्टर/विमान की खरीद और राज्य खाद्य योजना में व्यय शून्य सूचित हुआ है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को निष्पादन का सक्रिय रूप से प्रबंधन करने, इन कार्यक्रमों के सकारात्मक प्रभावों को अधिकतम करने और प्रतिकूल प्रभावों के जोखिम को कम करने के लिए समय-समय पर सूचना को एकत्र और विश्लेषण करके उपयोग करना चाहिए।

संक्षेप में, बजट प्रावधानों और व्ययों के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत सरकार के अधिकांश कार्यक्रमों और योजनाओं को पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किया गया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में एक मजबूत बजटीय आशय का संकेत देता है। हालाँकि, कुछ राज्य योजनाओं ने अपने आवंटित धन का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है, जिसके लिए भविष्य में अधिक ध्यान देने और निगरानी की आवश्यकता है।

3.15 निष्कर्ष

- वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹ 88,728.20 करोड़ के कुल अनुदानों और विनियोगों के सापेक्ष ₹ 7,118.49 करोड़ की कुल बचत हुई।

- 24 प्रकरणों में ₹4,183.83 करोड़ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। पाँच प्रकरणों में निधियों का पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण था जिसके परिणामस्वरूप प्रावधानों की तुलना में ₹ पाँच करोड़ से अधिक की बचत हुई।
- ₹ 7,118.49 करोड़ की कुल बचत में से केवल ₹ 2,477.40 करोड़ का समर्पण वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस पर किया गया। अनुदान संख्या 23-उद्योग में ₹ 40.00 करोड़ का समर्पण किया गया, लेकिन इसे विनियोग लेखों में शामिल नहीं किया गया क्योंकि ₹ 40.00 करोड़ की समर्पित राशि, ₹ 39.58 करोड़ के मूल और अनुपूरक बजट से अधिक थी।
- विधायी स्वीकृति के बिना वर्ष 2005-06 से 2022-23 तक की अवधि से संबन्धित ₹ 48,654.69 करोड़ (अर्थोपाय अग्रिम ₹ 28,618.93 करोड़ और अनुदान संख्या 17, 25 और 29 के ₹ 19,041.88 करोड़ सहित) की व्ययाधिक्य की धनराशि को राज्य विधानमंडल द्वारा विनियमित किया जाना बाकी है।
- ₹ 62.26 करोड़ का व्यय राजस्व अनुभाग के अंतर्गत दर्ज किया गया। इस व्यय को पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था क्योंकि यह व्यय वृहद निर्माण कार्यों और भूमि क्रय से संबंधित था, जिसे सामान्यत: पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, ₹ 608.82 करोड़ का व्यय पूंजीगत अनुभाग में दर्ज किया गया था। इस व्यय को राजस्व अनुभाग में दर्ज किया जाना चाहिए क्योंकि यह व्यय सहायता अनुदान और अन्य विभागीय व्यय से संबंधित था, जिसे सामान्यत: राजस्व अनुभाग में दर्ज किया जाना चाहिए था।

3.16 संस्तुतियाँ

- ***राज्य सरकार को अपने बजटीय आकलन में अधिक यथार्थवादी होना चाहिए और बचत को कम करने के लिए प्रभावी नियंत्रण तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए;***
- ***राज्य सरकार वित्तीय वर्ष की समाप्ति से काफी पहले बचत का आकलन और राशि का समर्पण कर सकती है ताकि अन्य क्षेत्रों/योजनाओं में उनका प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके।***

अध्याय-4

लेखों की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य

अध्याय-4

लेखों की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य

यह अध्याय लेखों की गुणवत्ता और राज्य सरकार द्वारा अपने वित्तीय रिपोर्टिंग कार्यों में पूर्णता, पारदर्शिता, माप और प्रकटीकरण के संबंध में निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुपालन पर एक अवलोकन प्रदान करता है।

प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी के साथ एक कुशल आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली राज्य सरकार द्वारा कुशल और प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस प्रकार के अनुपालन की स्थिति पर वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ समयबद्धता और रिपोर्टिंग की गुणवत्ता कुशल शासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन और नियंत्रण पर रिपोर्ट, यदि प्रभावी और परिचालित है, तो सरकार को नीतिगत योजना और निर्णय क्षमता सहित अपने नेतृत्व की जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करती है।

4.1 लेखों की पूर्णता से संबन्धित प्रकरण

4.1.1 ब्याज सहित आरक्षित निधियों व जमाराशियों के प्रति ब्याज अदायगी की स्थिति एवं प्रभाव

सरकार का दायित्व है कि वह ब्याज युक्त जमा राशियों और आरक्षित निधियों की राशि पर ब्याज प्रदान करे और उसका भुगतान करे। वर्ष 2023-24 के दौरान सरकार की आरक्षित निधियों के अन्तर्गत राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस डी आर एफ) और राज्य आपदा शमन कोष (एस डी एम एफ) के सापेक्ष ब्याज देयता है जैसा कि नीचे **तालिका-4.1** में विस्तृत रूप से बताया गया है।

तालिका-4.1: ब्याज सहित जमा राशियों पर ब्याज के संबंध में देयता का निर्वहन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	ब्याज युक्त जमाओं का नाम	1 अप्रैल 2023 को शेष राशि	ब्याज दर	देय ब्याज[1]	ब्याज की राशि जिसका भुगतान किया गया
1.	मुख्यशीर्ष 8121-122 के अन्तर्गत ब्याज युक्त आरक्षित निधि, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस डी आर एफ)	2.27	औसत डब्ल्यूएमए से दो *प्रतिशत* ऊपर (6.5% +2%) अर्थात 8.50 *प्रतिशत* (एस डी आर एफ के दिशानिर्देशों के अनुसार)	5.28	-

[1] वर्ष 2023-24 के लिए वित्त लेखों पर टिप्पणियों के माध्यम से जी ए विंग द्वारा जारी निर्देशानुसार प्रत्येक माह के अंत में प्रगतिशील शेष के आधार पर देय ब्याज की गणना की गई है।

क्र. सं.	ब्याज युक्त जमाओं का नाम	1 अप्रैल 2023 को शेष राशि	ब्याज दर	देय ब्याज[1]	ब्याज की राशि जिसका भुगतान किया गया
2.	मुख्यशीर्ष 8121-130 के अन्तर्गत ब्याज युक्त आरक्षित निधि, राज्य आपदा शमन कोष (एस डी एम एफ)	87.92	एस डी आर एफ के समान ही	0.15	-
योग		***90.19***		***5.43***	-

स्रोत: उत्तराखण्ड सरकार की वित्त लेखों पर टिप्पणियाँ 2023-24 ।

चालू वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 5.43 करोड़ के बदले किसी ब्याज राशि का भुगतान नहीं किया। ₹ 5.43 करोड़ के कम भुगतान ने राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटे को उस सीमा तक प्रभावित किया।

4.1.2 राज्य में क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित की जाने वाली निधियाँ

केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धनराशि सीधे क्रियान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को अंतरित करती है। इन अंतरणों को वित्त लेखों के खंड-II के परिशिष्ट-VI में दर्शाया गया है।

महालेखानियंत्रक के सार्वजनिक वित्त प्रबन्धन प्रणाली (पी एफ एम एस) पोर्टल के अनुसार, भारत सरकार ने विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं और अन्य योजनाओं को लागू करने के लिए वर्ष 2023-24 के दौरान उत्तराखण्ड में 499 क्रियान्वयन एजेंसियों को 146 योजनाओं के अंतर्गत सीधे ₹ 4,127.98 करोड़ हस्तांतरित किए। क्रियान्वयन एजेंसियों को धनराशि का प्रत्यक्ष हस्तांतरण वर्ष 2022-23 में ₹ 4,335.37 करोड़ से 4.78 *प्रतिशत* कम हो कर वर्ष 2023-24 में ₹ 4,127.98 करोड़ हो गया। 146 योजनाओं में से, नौ योजनाएँ ऐसी थीं जिनके अन्तर्गत क्रियान्वयन एजेंसियों को ₹ 50 करोड़ से अधिक निधियाँ प्राप्त हुई जो वर्ष के दौरान हस्तान्तरित कुल धनराशि का 95.79 *प्रतिशत* (₹ 3,954.20 करोड़) थी। विवरण, नीचे **तालिका-4.2** में दिया गया है।

तालिका-4.2: क्रियान्वयन एजेंसियां जिन्होंने वर्ष 2023-24 के दौरान सीधे भारत सरकार से निधियाँ (₹ 50 करोड़ से अधिक) प्राप्त की

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	भारत सरकार की योजना का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	भारत सरकार द्वारा 2023-24 के दौरान हस्तांतरित की गई निधि
1.	जल जीवन मिशन/ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन,देहरादून	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन उत्तराखण्ड, हिमालयन पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं विकास संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की, उत्तराखण्ड, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, देव ऋषि एजुकेशनल सोसायटी, सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस	1,892.06

क्र. सं.	भारत सरकार की योजना का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	भारत सरकार द्वारा 2023-24 के दौरान हस्तांतरित की गई निधि
2.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत खाद्यान्न की विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति के लिए खाद्य सब्सिडी	आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड	724.39
3.	प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पी एम-किसान)	कृषि विभाग, उत्तराखण्ड	508.69
4.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम	उत्तराखण्ड राज्य रोजगार गारंटी संस्था	390.00
5.	हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना, 2017	उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	138.63
6.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	हेडे कम्युनिकेशन, हिलवेज़ कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, प्रभागीय लॉगिंग प्रबंधक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम इत्यादि	101.75
7.	पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता अनुसंधान और कौशल विकास।	जी बी पंत राष्टीय हिमालयन, पर्यावरण एवं विकास संस्थान	77.65
8.	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड	60.82
9.	आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पी एम जे ए वाई)	अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना	60.21
योग			***3,954.20***

क्रियान्वयन एजेंसियों को पिछले तीन वर्षों के दौरान हस्तांतरित समग्र धनराशि का विवरण **तालिका-4.3** में दर्शाया है।

तालिका-4.3: क्रियान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित निधियाँ

क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधा हस्तांतरण	2021-22	2022-23	2023-24
हस्तांतरित निधियाँ *(₹ करोड़ में)*	4,825.65	4,335.37	4,127.98

4.1.3 स्थानीय निधियों का जमा

उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 (धारा 40, 80 और 119) में, पंचायत निकायों की निधि को सरकारी खजाने और उप कोषागार अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, स्थानीय बैंक, सहकारी बैंक और डाकघर में रखने का प्रावधान है। इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1916 (धारा 115) जिसे उत्तराखण्ड द्वारा अंगीकृत किया गया है, भी नगर निगम निधि (यू एल बी के लिए) शासकीय कोषागार अथवा उप कोषागार अथवा भारतीय स्टेट बैंक अथवा सहकारी बैंक अथवा अनुसूचित बैंक में रखने का प्रावधान करता है। वित्त लेखों की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि नगरपालिका निधि के अन्तर्गत लेन-देन हुए थे, नीचे **तालिका-4.4** में वर्णित है।

तालिका-4.4: स्थानीय निधियों का जमा

(₹ करोड़ में)

वर्ष		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
पंचायत निकाय निधि (8448-109)	प्रारम्भिक शेष	14.79	14.79	14.79	14.79	14.79
	प्राप्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	अंतिम शेष	**14.79**	**14.79**	**14.79**	**14.79**	**14.79**
	***प्रतिशत* उपयोगिता**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
नगरपालिका निधि (8448-102)	प्रारम्भिक शेष	340.59	441.61	495.41	211.56	235.01
	प्राप्ति	835.76	941.81	660.00	906.40	1148.62
	व्यय	734.74	888.01	943.86	882.95	977.06
	अंतिम शेष	**441.61**	**495.41**	**211.56**	**235.01**	**406.57**
	***प्रतिशत* उपयोगिता**	***62.46***	***64.19***	***81.69***	***78.98***	***70.62***

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हक) उत्तराखण्ड द्वारा तैयार किया गया वित्त लेखा 2023-24.

जैसा ऊपर दी गई **तालिका-4.4** से स्पष्ट है, ये निधियाँ सरकारी कोषागार में संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, पंचायत निकाय निधि आरम्भ से ही लगभग निष्क्रिय रही है। हालाँकि, नगरपालिका निधि प्रचालन में है और 31 मार्च 2024 तक इसमें ₹ 406.57 करोड़ का संचित शेष था।

4.2 पारदर्शिता से संबन्धित प्रकरण

4.2.1 उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब[2]

उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका के खंड 5 भाग 1 के नियम 369-(डी)(एफ) में प्रावधान है कि विशिष्ट उद्देश्य हेतु प्रदान किए गए सशर्त अनुदानों के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाणपत्र इस रुप में प्राप्त किया जाना चाहिए, जैसा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा स्वीकृत किया गया है और इसे अनुदानों की स्वीकृति की तिथि से 12 माह के भीतर, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को अग्रेषित किया जाना चाहिए। मुख्य शीर्ष 3604 से संबन्धित वस्तु शीर्ष 56 और 69 के अन्तर्गत केवल उन उपयोगिता प्रमाण पत्रों को म ले (लेखा एवं हकदारी) द्वारा देखा जाता है जिसमें स्वीकृति आदेश विशेष में उनके द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र देखने का विशेष प्रावधान है।

[2] 2023-24 से संबंधित ₹ 3,633.33 करोड़ (पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान सहायता = ₹ 538.99 करोड़ और वेतन के अतिरिक्त अन्य अनुदान ₹ 3,094.34 करोड़) के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाणपत्र की स्थिति अनुदान नियंत्रण अधिकारियों से प्रतीक्षित थी।

मार्च 2024 तक ₹ 3,410.64 करोड़ के कुल 432 उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित थे। उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के संबंध में वर्ष-वार स्थिति को **तालिका-4.5** में सारांशित किया गया है।

तालिका-4.5: उपयोगिता प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण में वर्ष-वार बकाया

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष		परिवर्धन		निकासी		प्रस्तुत करने के लिए देय	
	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
2021-22	457	1,888.97	301	1,180.92	136	498.89	622	2,571.00
2022-23	622	2,571.00	268	1,383.06	354	1,706.67	536	2,247.39
2023-24	536	2,247.39	222*	2,014.96	326	851.71	432	3,410.64

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड

*** उनको छोड़कर जिसमें स्वीकृति आदेश में अन्यथा विनिर्दिष्ट किया हो, 2023-24 के दौरान आहरित सहायता अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र जो केवल 2024-25 में देय होंगे।***

विभागीय अधिकारियों ने मार्च 2024 तक जमा हेतु देय 210 उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा नहीं किए, जिनके संबंध में विशिष्ट उद्देश्यों हेतु मार्च 2023 तक ₹ 1,395.68 करोड़ की अनुदान राशि दी गई थी। 210 लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों में से ₹ 628.86 करोड़ की धनराशि वाले 55 उपयोगिता प्रमाणपत्र 31 अगस्त 2024 तक प्राप्त हुए थे। सभी लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र, पंचायती राज संस्थानों/शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित थे। 31 मार्च 2024 तक बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों का समय-वार विवरण नीचे **तालिका-4.6** में दिया गया है।

तालिका-4.6: 31 मार्च 2024 को बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र का समय-वार विवरण

वर्ष जिसमें सहायता अनुदान विभागाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत करने हेतु देय है	बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र की संख्या	धनराशि *(₹ करोड़ में)*
2022-23	04	120.72
2023-24	206	1274.96
योग	**210**	**1395.68**

31 मार्च 2024 तक लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों में केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं से संबन्धित ₹ 483.55 करोड़ और राज्य योजनाओं से संबन्धित ₹ 912.13 करोड़ की राशि शामिल है।

उपयोगिता प्रमाणपत्रों के न होने से, यह पता नहीं लगाया जा सका कि क्या प्राप्तकर्ताओं ने अनुदान का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया था जिसके लिए ये स्वीकृत किए गए थे। उपयोगिता प्रमाणपत्र का लंबित होना, निधियों के दुर्विनियोजन के जोखिम से भरा हुआ था।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की और अवगत कि संबंधित विभागों को यथाशीघ्र महालेखाकार (ले एवं हक) को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

चार्ट-4.1: 31 मार्च 2024 तक विभाग वार बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

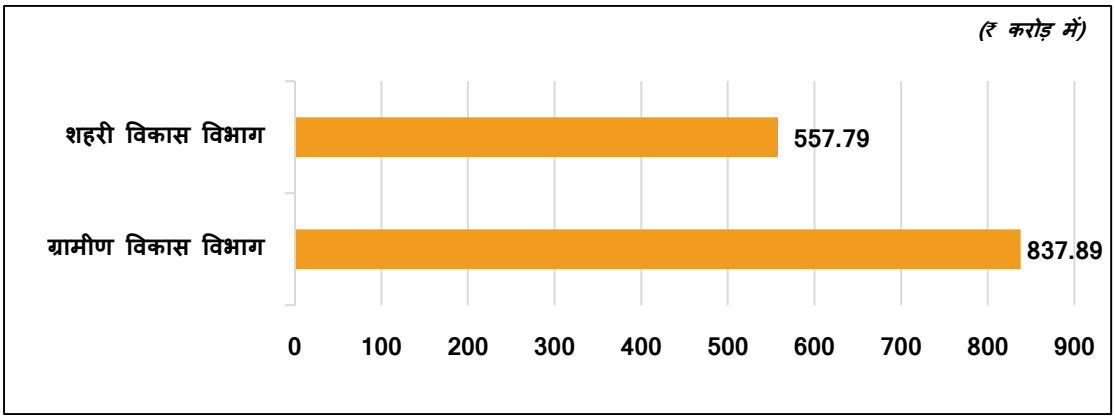

उपर्युक्त अनुदानों के अतिरिक्त, नीचे **तालिका-4.7** में वर्णित सहायता अनुदान भी विभिन्न संस्थानों को दिए गए थे। नियंत्रण अधिकारियों को उक्त अनुदानों के उपयोग/अंतिम उपयोग पर नजर रखनी थी। नियंत्रण अधिकारियों ने उक्त अनुदानों के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्राप्ति की स्थिति प्रस्तुत नहीं की है।

तालिका-4.7: सहायता अनुदान (यू एल बी/पी आर आई के अतिरिक्त)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वस्तु शीर्ष	व्यय का उद्देश्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	05	वेतन, भत्ता और अन्य व्ययों के लिए सहायता अनुदान	1,179.53	1,181.65	1,391.96	1,352.41
2.	55	पूंजीगत परिसंपत्ति के लिए सहायता अनुदान	-	706.10	450.47	538.99
3.	56	वेतन के अतिरिक्त सहायता अनुदान	34,09.34	3,312.13	4,747.80	3,094.34[3]
योग			***4,588.87***	***5,199.88***	***6,590.23***	***4,985.74***

उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू सी) सरकारी निधि प्राप्तकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण जवाबदेही दस्तावेजों के रूप में कार्य करते हैं ताकि यह प्रमाणित किया जा सके कि आवंटित धन का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए किया गया है। ये प्रमाणपत्र वित्तीय पारदर्शिता के लिए आवश्यक हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि सार्वजनिक

[3] मुख्य शीर्ष 3604 के अंतर्गत वस्तु शीर्ष 56 से संबंधित ₹ 220.02 करोड़ की राशि शामिल नहीं है जो तालिका-4.5 में शामिल है।

संसाधनों को प्रभावी ढंग से और कुशलता से खर्च किया जाता है। हालाँकि, वर्ष 2023-24 के दौरान राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता (एस ए एस सी आई) के संबंध में अवास्तविक यू सी जमा करने के मामले संज्ञान में आए।

4.2.2 सार आकस्मिक बिल

राज्य सरकार द्वारा व्यय की मदों पर आकस्मिक शुल्क का आहरण, जिसके लिए आहरण के समय अंतिम वर्गीकरण और सहायक वाउचर उपलब्ध नहीं हैं, सार आकस्मिक (ए सी) बिलों पर किया जाता है। वित्तीय हस्तपुस्तिका (खंड V) भाग I के पैरा 183 के अनुसार, भुगतान के बाद प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक शुल्क के प्रकरण में, कार्यालय प्रमुख द्वारा विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डी सी सी) बिल नियंत्रण अधिकारी को अथवा यदि जहाँ कोई नियंत्रण अधिकारी नहीं है तो सीधे महालेखाकार को अगले माह के अंत तक प्रस्तुत करना आवश्यक है। सहायक डी सी सी बिलों को देर से प्रस्तुत करने या लंबे समय तक प्रस्तुत न करने से ए सी बिलों के माध्यम से व्यय अस्पष्ट हो जाता है।

वर्ष 2023-24 तक आकस्मिक बिलों (ए सी) के सापेक्ष लंबित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों (डी सी सी) का वर्षवार विवरण **तालिका-4.8** में नीचे दिया गया है।

तालिका-4.8: ए सी बिलों के सापेक्ष डी सी सी बिलों के प्रस्तुत करने में विलम्ब

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष		परिवर्धन		निकासी		अंतिम शेष	
	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
2021-22 तक	77	3.44	321	93.46	155	69.57	243	27.33
2022-23	243	27.33	271	8.97	440	24.94	74	11.36
2023-24	74	11.36	306	17.56	216	11.00	164	17.92

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड द्वारा संकलित सूचना।

तालिका-4.8 से पता चलता है कि वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 17.56 करोड़ की धनराशि के लिए 306 ए सी बिल आहरित किए गए तथा वर्ष के दौरान ₹ 11.00 करोड़ की धनराशि के लिये 216 डी सी सी बिलों को प्रस्तुत किया गया था। मार्च 2024 तक ₹ 17.92 करोड़ के 164 ए सी बिल बकाया थे। बकाया 164 डी सी सी बिलों में 17 बिल ₹ 6.96 करोड़ वर्ष 2021-22 से तथा दस बिल ₹ 0.09 करोड़ वर्ष 2022-23 से संबंधित थे। हालाँकि, 31 अगस्त 2024 तक ₹ 0.40 करोड़ की धन के 26 डी सी सी

बिल प्राप्त हुए जिसमें वर्ष 2022-23 का एक डी सी सी बिल[4] तथा वर्ष 2023-24 के ₹ 0.39 करोड़ (₹ 10.87 करोड़ में से) के 25 डी सी सी बिल शामिल थे।

सभी विभागों से संबन्धित लंबित डी सी सी बिलों की स्थिति **चार्ट-4.2** में दी गई है।

चार्ट-4.2: बकाया डी सी सी बिल

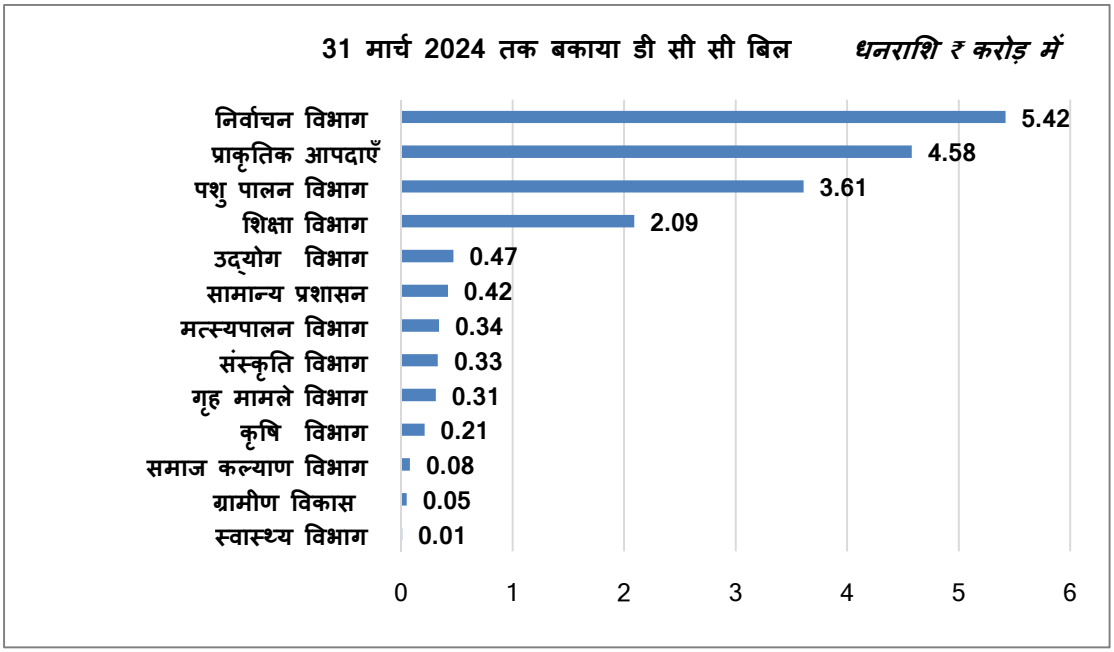

आहरित किये गये अग्रिम जो लेखाबद्ध नहीं किये गए हों अपव्यय/दुर्विनियोजन/दुष्कृत्य की संभावना को बढ़ाते हैं इसलिए, डी सी सी बिल जमा हों यह सुनिश्चित करने के लिए गहन निगरानी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, डी सी सी बिलों की गैर-प्राप्ति की सीमा तक, वित्त लेखों में दिखाए गए व्यय को सही या अंतिम रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने तथ्यों से सहमति व्यक्त की और सूचित किया कि शीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जाएगा।

4.2.3 आहरण एवं संवितरण अधिकारी के नामित बैंक खातों तथा कार्यदायी संस्थाओं को हस्तांतरित निधियाँ

सामान्य व्यय पूर्ण तरह से प्रमाणित आकस्मिक बिलों पर होता है जो सामग्री की प्राप्ति या संसाधनों के उपयोग को सुनिश्चित करता है। इस संदर्भ में, कोषागार से आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के नामित बैंक खाते या कार्यदायी संस्थाओं के खाते

[4] वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 4,876.00 की धनराशि के एक डीसीसी बिल को 31 अगस्त 2024 तक मंजूरी दे दी गई थी।

में निधियों का हस्तांतरण काल्पनिक व्यय का प्रतिनिधित्व करता है जिसके लिए सार आकस्मिक बिलों और सहायता अनुदान बिलों के समान कड़ी निगरानी की आवश्यकता होती है। अभी तक सरकारी लेखा प्रणाली में ऐसे लेन-देन की पहचान करने और चिह्नित करने के लिए कोई जाँच बिन्दु नहीं है। नीचे दी गई **तालिका-4.9** में विवरण दिया गया है।

तालिका-4.9: आहरण एवं संवितरण अधिकारी के नामित खाते और कार्यदायी संस्थाओं को हस्तांतरित की गई निधियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2023-24
आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के नामित बैंक खातों में हस्तांतरित	1341.28
कार्यदायी संस्थाओं को हस्तांतरित	5,032.99
योग	**6,374.27**

स्रोत- वित लेखों पर टिप्पणियाँ 2023-24 और लेखापरीक्षा द्वारा आई एफ एम एस डेटाबेस से संगणित।

पाँच सी सी ओ द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी डी ओ) के नामित बैंक खातों में कुल हस्तांतरित धनराशि (₹ 1,341.28 करोड़) में से, 31 मार्च 2024 तक नौ डी डी ओ के नामित बैंक खातों में ₹ 177.06 करोड़ अभी तक अव्ययित पड़े थे।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने सूचित किया कि डी डी ओ के नामित बैंक खातों में हस्तांतरित निधियों के उपयोग की निगरानी की जाएगी और निधियों के ऐसे हस्तांतरण की निगरानी के लिए आई एफ एम एस में उपयुक्त तंत्र विकसित किया जाएगा।

4.2.4 व्यक्तिगत जमा लेखे/व्यक्तिगत लेजर खाता

सरकार की देनदारियों के निर्वहन के लिए सरकार संचित निधि से धन हस्तांतरित कर धन जमा करने के लिए व्यक्तिगत जमा (पी डी) खाते खोलने के लिए अधिकृत है। वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 (भाग-1) के प्रस्तर 340 (अ) के प्रावधान विभागीय अधिकारियों को व्यक्तिगत जमा खाते खोलने के लिए अधिकृत करते है। हालांकि, निधियों का आहरण तभी किया जायेगा जब तत्काल भुगतान हेतु आवश्यकता हो और वित्त विभाग की सहमति के बिना कहीं और निवेश या जमा के लिए सरकारी लेखे से धन नहीं निकाला जाएगा। इसके अतिरिक्त, बजट अनुदान के व्यपगत होने से बचने और इस तरह के धन को लोक लेखे में या बैंक के पास जमा करने की दृष्टि से निधियों के आहरण की पद्धति वर्जित है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹ 131.80 करोड़ की धनराशि के 25 व्यक्तिगत जमा खातों को बंद कर दिया गया और धनराशि को राज्य की संचित निधि में समायोजित किया गया। वर्ष 2023-24 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति **तालिका-4.10** में दी गई है।

तालिका-4.10: वर्ष 2023-24 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों (मुख्य शीर्ष 8443-106) की स्थिति

(₹ करोड़ में)

1 अप्रैल 2023 को प्रारम्भिक शेष		वर्ष के दौरान परिवर्धन		वर्ष के दौरान बंद/आहरण		31 मार्च 2024 को अंतिम शेष	
संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
25	129.28	0	0.05	25	131.80	00	(-) 2.47

स्रोत: एन टी एफ ए 2023-24 ।

वर्ष 2023-24 के अंत में ₹ 2.47 करोड़ का नकारात्मक शेष समाधान की प्रक्रिया में था।

4.2.5 लघु शीर्ष 800 का उपयोग

अन्य प्राप्तियों/अन्य व्यय से संबंधित लघु शीर्ष 800 केवल उन मामलों में प्रचालित किया जाना है, जहां लेखों में एक मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया है। लघु शीर्ष 800 के नियमित प्रचालन को बंद किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखों को अस्पष्ट बनाता है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, 29 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 2,874.32 करोड़ की राशि, जो कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय (₹ 58,255.75 करोड़) का 4.93 *प्रतिशत* है, को लेखों में लघु शीर्ष-800 'अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। इसी प्रकार, 47 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹1,339.13 करोड़[5], जो कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 50,615.01 करोड़) का 2.65 *प्रतिशत* (पेंशन प्रभाजन के 2.98 *प्रतिशत* को छोड़कर) है, को लेखों में लघु शीर्ष-800 'अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

इस बीच, पिछले दस वर्षों में लघु शीर्ष-800 के अन्तर्गत व्यय के वर्गीकरण में तेजी से कमी आई है। 2011-12 में, व्यय का 26.50 *प्रतिशत* लघु शीर्ष 800-`अन्य व्यय' के अन्तर्गत दर्ज किया गया था, जबकि 2023-24 में यह घटकर कुल व्यय का 4.93 *प्रतिशत* हो गया है। इसी तरह, 2011-12 में कुल प्राप्तियों का 9.25 *प्रतिशत*

[5] वर्ष 2019-20 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य से पेंशन के प्रभाजन के रूप में ₹ 1,510.45 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 2.98 *प्रतिशत*) को 2023-24 के दौरान 800-अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत बुक किया गया है।

लघु शीर्ष 800-`अन्य प्राप्तियों' के अन्तर्गत दर्ज किया गया था, जबकि वर्ष 2023-24 में यह कुल प्राप्तियों का 2.65 *प्रतिशत* (पेंशन प्रभाजन के 2.98 *प्रतिशत* को छोड़कर) पर आ गया है।

लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियाँ' और लघु शीर्ष-800 'अन्य व्यय' के अंतर्गत दर्ज व्यय और प्राप्तियों (₹ 20 करोड़ से अधिक) का उप-शीर्षवार विवरण **तालिका-4.11** में दर्शाया गया है:

तालिका-4.11: उप शीर्ष स्तर पर लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां एवं अन्य व्यय का विवरण (₹ 20 करोड़ से अधिक)

(₹ करोड़ में)

"800-अन्य प्राप्तियाँ"						"800-अन्य व्यय"			
क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	धनराशि	अनुदान	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	धनराशि
1	0039	800	00	153.63	12	2210	800	11	55.38
2	0039	800	05	38.96	18	2425	800	31	60.00
3	0039	800	06	21.41	03	4059	800	02	59.87
4	0041	800	00	79.09	07	4059	800	01	1953.88
5	0049	800	12	40.90	07	4059	800	17	34.35
6	0059	800	99	59.52	07	4059	800	19	34.21
7	0070	800	06	64.84	07	4216	800	03	51.13
8	0235	800	01	87.86	13	4216	800	02	151.13
9	0406	800	01	23.34	30	4225	800	03	37.61
10	0406	800	03	119.91	15	4235	800	04	24.15
11	0425	800	03	61.62	17	4401	800	98	22.20
12	0801	800	01	30.91	20	4702	800	98	40.84
13	0801	800	03	159.67	21	4801	800	97	90.00
14	0851	800	02	31.85					
15	0853	800	01	22.38					
16	1055	800	01	50.03					
17	1055	800	02	24.01					
योग				***1069.93***	***योग***				***2614.75***

ऐसे दृष्टांत जहां वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्तियों और व्यय की महत्वपूर्ण धन राशि (20 *प्रतिशत* या अधिक और रुपये पाँच करोड़ से अधिक) को लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' और '800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था, **तालिका-4.12** में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका-4.12: वर्ष 2023-24 के दौरान लघु शीर्ष `800-अन्य प्राप्तियों/व्यय' के अन्तर्गत दर्ज की गई महत्वपूर्ण धनराशि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	"800-अन्य प्राप्तियाँ"				"800-अन्य व्यय"			
	मुख्य शीर्ष	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत दर्ज	प्राप्तियों की प्रतिशतता	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत दर्ज	व्यय की प्रतिशतता
1.	0029- भू-राजस्व	13.92	7.33	52.66	2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर	15.30	13.20	*86.27*
2.	0049- ब्याज प्राप्तियाँ	125.76	65.90	52.40	2425- सहकारिता	130.97	83.34	*63.63*
3.	0055- पुलिस	43.58	13.50	30.98	2810- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	37.28	9.91	*26.58*
4.	0059- लोक निर्माण	81.02	74.08	91.43	4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	2,296.86	2,082.33	*90.66*
5.	0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	119.46	83.37	69.79	4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय	263.85	228.69	86.67
6.	0235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	105.60	105.60	100.00	4225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	95.05	65.50	*68.91*
7.	0401- फसल कृषि	8.05	6.03	74.91	4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	163.99	40.84	24.90
8.	0406- वानिकी और वन्यजीव	551.53	158.98	28.83	4859- दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	40.46	12.02	*29.71*
9.	0425- सहकारिता	64.82	64.82	100.00				
10.	0701- मध्यम सिंचाई	11.81	5.66	47.93	-	-	-	-
11.	0801- विद्युत	205.64	205.64	100.00				
12.	0851- ग्राम एवं लघु उद्योग	32.21	31.91	99.07	-	-	-	-
13.	1055- सड़क परिवहन	74.03	74.03	100.00	-	-	-	-
14.	1452- पर्यटन	16.36	16.36	100.00	-	-	-	-
15.	1456- नागरिक आपूर्ति	9.30	9.30	100.00	-	-	-	-
योग		***1,463.09***	***922.51***	***63.05***	***योग***	***3,043.76***	***2,535.83***	***83.31***

स्रोत: महालेखाकार (ले एवं हक) उत्तराखण्ड द्वारा तैयार 2023-24 के वित्त लेखे।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, वित्त, पुलिस, लोक निर्माण, सामाजिक कल्याण, वन, सहकारिता, सिंचाई, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और नागरिक आपूर्ति विभागों के 15 मुख्य शीर्षों से संबंधित प्राप्तियों का लगभग 63.05 *प्रतिशत* '800-अन्य प्राप्तियों' के अन्तर्गत दर्ज किया गया था। इसी प्रकार वाणिज्यिक कर, सहकारिता, ऊर्जा, लोक निर्माण, आवास, अल्पसंख्यक कल्याण, सिंचाई और दूरसंचार विभाग से संबन्धित आठ

मुख्य शीर्षों से संबंधित कुल व्यय का 83.31 *प्रतिशत* '800-अन्य व्यय" के अन्तर्गत दर्ज किया गया था। लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां/व्यय' के अन्तर्गत दर्ज की गई बड़ी धनराशियों का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता/निष्पक्षता को प्रभावित करता है और व्यय की आवंटन प्राथमिकताओं और गुणवत्ता के उचित विश्लेषण को विकृत करता है।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने कहा कि महालेखाकार (ले एवं हक) के परामर्श से उचित कार्रवाई की जाएगी।

वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 के दौरान कुल व्यय और प्राप्तियों के *प्रतिशत* के रूप में लघु शीर्ष-800 के प्रचालन की सीमा **चार्ट-4.3** और **चार्ट-4.4** में दी गई है।

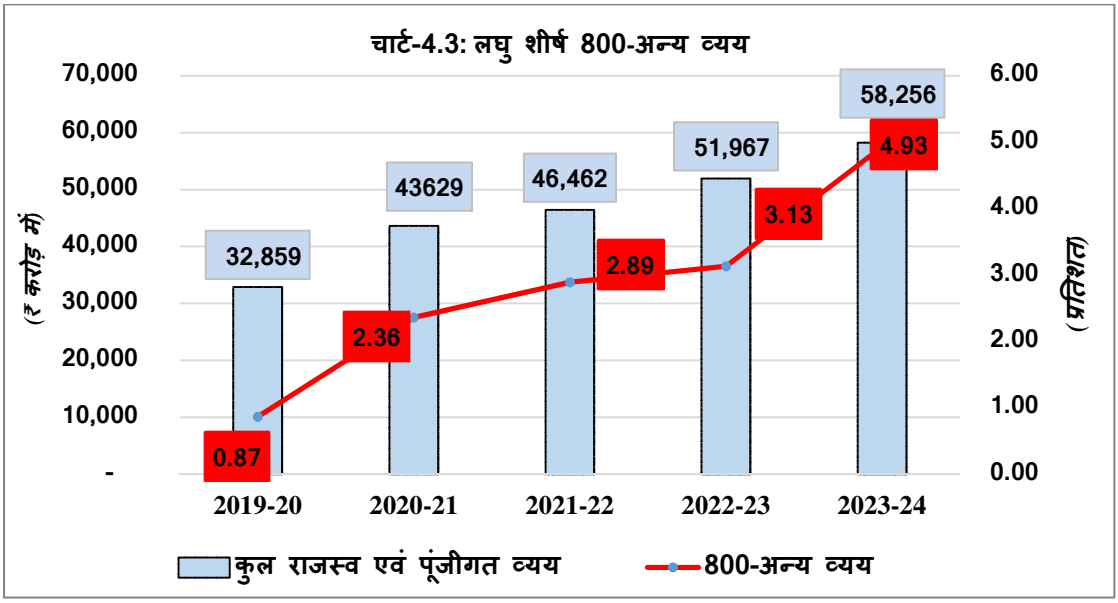

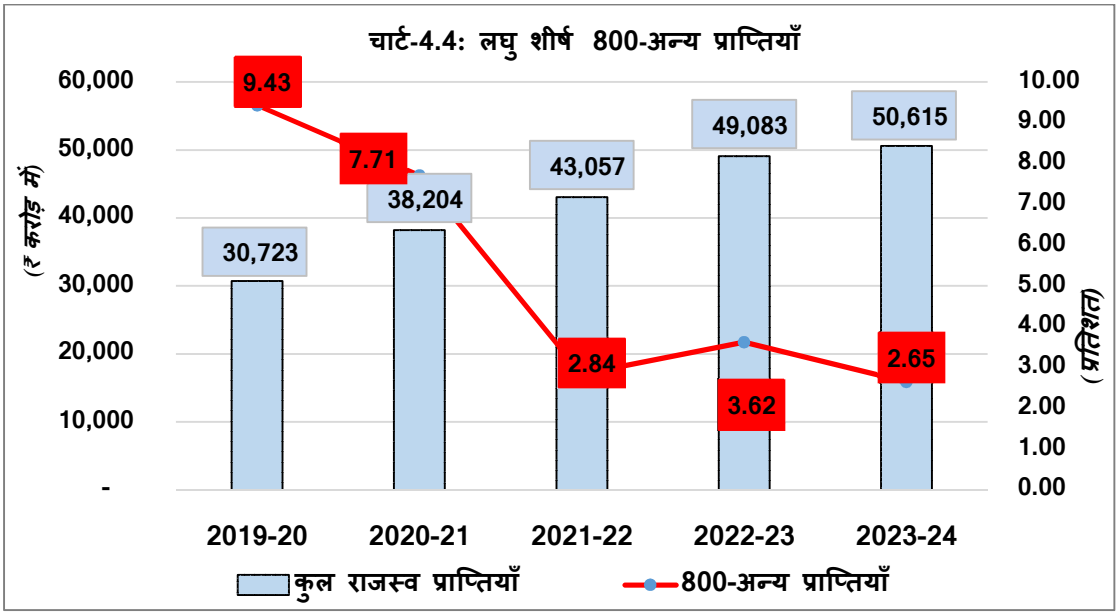

4.3 माप संबंधी प्रकरण

4.3.1 प्रमुख उचन्त एवं प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत शेष

क) उचन्त एवं प्रेषण शेष

नीचे दी गई तालिका मुख्य शीर्ष 8658-उचन्त खाते के अंतर्गत डेबिट और क्रेडिट शेष के लेन-देन की प्रकृति दर्शाती है।

लघु शीर्ष का नाम	डेबिट पक्ष	क्रेडिट पक्ष
	लेन-देन की प्रकृति	लेन-देन की प्रकृति
101- वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचन्त	जब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वेतन और लेखा कार्यालय केंद्र सरकार की ओर से भुगतान करते हैं।	जब केंद्र सरकार का वेतन एवं लेखा कार्यालय राज्य सरकार की ओर से भुगतान करता है।
102- उचन्त लेखे (सिविल)	भुगतान/नकद खातों की ट्रेजरी सूचियों और उसके साथ जुड़े भुगतान/प्राप्तियों की सूचियों के आंकड़ों के बीच पाए गए अंतर को शामिल करने के लिए महालेखाकार की बहियों में प्रचालित किया जाता है।	इस उप-शीर्ष के अन्तर्गत शुरू में रखी गई धनराशि का भुगतान कर दिया जाएगा और संबंधित खातों के मुख्य शीर्षों में ले जाया जाएगा जब कोषाधिकारी से आवश्यक स्पष्टीकरण/अनुसूची की प्राप्ति पर मतभेदों का निपटारा किया जाता है।
107- नकद निपटान उचन्त लेखे	इस लघु शीर्ष का उपयोग एक ही महालेखाकार को लेखे प्रदान करने वाले लोक निर्माण मण्डलों के बीच निपटान या लेनदेन के लिए किया जाएगा।	जब एक लोक निर्माण मण्डल राज्य सरकार के दूसरे मण्डल को सामग्री देता है।
110- रिजर्व बैंक उचन्त-केन्द्रीय लेखा कार्यालय	परामर्श (सूचना) प्राप्त होने पर भारतीय रिज़र्व बैंक का केंद्रीय लेखा कार्यालय, नागपुर, राज्य सरकार के शेष को डेबिट करता है और संबंधित प्रधान लेखा कार्यालय को सूचित करते हुए केंद्र सरकार को क्रेडिट करता है।	इस लघु शीर्ष का उपयोग प्रधान लेखा कार्यालय आदि द्वारा आरबीआई, केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर को परामर्श देते समय केंद्र सरकार (सिविल) के शेष से राज्य सरकार के शेष में स्थानांतरण के लिए किया जाता है।
112- स्रोत पर कर कटौती (टी डी एस) उचन्त	जब लेखा प्राधिकारी (म ले उत्तराखण्ड) केंद्र सरकार को भुगतान करेगा।	जब आयकर के अनुसार टी डी एस उत्तराखण्ड सरकार के डी डी ओ द्वारा काटा जाता है।
113- भविष्य निधि उचन्त	मूल लेन-देन का पता लगाने पर यह शीर्ष स्पष्ट हो जाता है।	जब मूल लेन-देन का पता चलने तक जी पी एफ अभिदाता को क्रेडिट या डेबिट दिया जाता है।
117- रिजर्व बैंक की ओर से लेन-देन	सरकारी लेखों में दिखाई देने वाली आरबीआई से संबंधित प्राप्तियों और भुगतानों को सबसे पहले इस लघु शीर्ष में डेबिट किया जाना चाहिए।	सरकारी लेखों में दिखाई देने वाली आर बी आई से संबंधित प्राप्तियाँ और भुगतान सबसे पहले इस लघु शीर्ष में क्रेडिट किए जाने चाहिए।
123- अखिल भारतीय सेवा (अ भा से) अधिकारी समूह बीमा योजना	राज्य संवर्ग के ए आई एस अधिकारियों को केंद्र सरकार की कर्मचारी समूह बीमा योजना के लिए किए गए भुगतान को इस	केंद्र सरकार की कर्मचारी समूह बीमा योजना के लिए राज्य संवर्ग के अ भा से अधिकारियों से की गयी कटौती/

लघु शीर्ष का नाम	डेबिट पक्ष	क्रेडिट पक्ष
	लेन-देन की प्रकृति	लेन-देन की प्रकृति
	उप शीर्षक के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।	वसूली को उपशीर्षक के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।
129- सामग्री खरीद निपटान उचन्त खाता	यह लघु शीर्ष उन मामलों में भंडारों की सीधी खरीद के लिए संचालित किया जाएगा जहां भुगतान उसी महीने में नहीं किया गया है जिसमें भंडार प्राप्त हुए हैं।	जब राज्य सरकार के एक लोक निर्माण प्रभाग/कार्यालय ने भारत सरकार के पूर्ववर्ती आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय के माध्यम से सामग्री की खरीद की। 1993 के बाद से ऐसे लेन-देन होना बंद हो गए हैं।
102- लोक निर्माण प्रेषण 103- वन प्रेषण	जब कोई लोक निर्माण प्रभाग/वन प्रभाग कोषागार में धन जमा करता है। अप्रैल 2019 से आई एफ एम एस के कार्यान्वयन के साथ यह हेड अब संचालित नहीं किया जा रहा है।	जब कोई लोक निर्माण प्रभाग/वन प्रभाग कोषागार के माध्यम से कोई भुगतान करता है। अप्रैल 2019 से आई एफ एम एस के कार्यान्वयन के साथ यह हेड अब संचालित नहीं किया जा रहा है।
8793–अंतर्राज्यीय उचन्त लेखे	जब अन्य राज्यों के पेंशनरों को दी जाने वाली पेंशन हेतु भुगतान उत्तराखण्ड सरकार को प्राप्त होता है।	जब उत्तराखण्ड सरकार अन्य राज्यों के पेंशनरों को भुगतान करती है।

वित्त लेखे उचन्त और प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत शुद्ध शेष राशि को दर्शाते हैं। इन शीर्षों के अन्तर्गत बकाया शेष राशि को अलग-अलग शीर्षों के अन्तर्गत अलग-अलग बकाया डेबिट और क्रेडिट शेष को मिलाकर किया जाता है। उचन्त और प्रेषण शीर्ष की मंजूरी राज्य कोषागार/ निर्माण और वन मण्डल आदि द्वारा प्रस्तुत विवरणों पर निर्भर करती है। पिछले तीन वर्षों के लिए प्रमुख उचन्त और प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत सकल आंकड़ों की स्थिति **तालिका-4.13** में दी गई है।

तालिका-4.13: उचन्त एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेष

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2021-22		2022-23		2023-24	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
8658- उचन्त लेखे						
101- वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचन्त	189.51	89.34	331.63	186.11	437.39	288.83
निवल	**(डेबिट)100.17**		**(डेबिट) 145.52**		**(डेबिट) 148.56**	
102- उचन्त लेखे (सिविल)	289.18	386.82	295.03	392.38	289.06	301.28
निवल	**(क्रेडिट) 97.64**		**(क्रेडिट) 97.35**		**(क्रेडिट) 12.22**	
107-नकद निपटान उचन्त लेखे	99.71	0.26	1233.79	1133.42	2,777.12	2,664.64
निवल	**(डेबिट) 99.45**		**(डेबिट) 100.37**		**(डेबिट) 112.48**	
110- रिजर्व बैंक उचन्त-केन्द्रीय लेखा कार्यालय	221.31	219.61	224.32	219.61	214.67	219.61
निवल	**(डेबिट) 1.70**		**(डेबिट) 4.71**		**(क्रेडिट) 4.94**	

लघु शीर्ष का नाम	2021-22		2022-23		2023-24	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
112- स्रोत पर कर कटौती (टी डी एस) उचन्त	28.03	267.44	28.03	330.23	28.03	253.28
निवल	**(क्रेडिट) 239.41**		**(क्रेडिट) 302.20**		**(क्रेडिट) 225.25**	
113- भविष्य निधि उचन्त	24.75	24.64	24.75	24.64	24.75	24.64
निवल	**(डेबिट) 0.11**		**(डेबिट) 0.11**		**(डेबिट) 0.11**	
117- रिजर्व बैंक की ओर से लेन-देन	18.12	20.33	18.12	20.33	18.12	20.33
निवल	**(क्रेडिट) 2.21**		**(क्रेडिट) 2.21**		**(क्रेडिट) 2.21**	
123- आई ए एस अधिकारी समूह बीमा योजना	0.34	0.61	0.36	0.64	0.40	0.67
निवल	**(क्रेडिट) 0.27**		**(क्रेडिट) 0.28**		**(क्रेडिट) 0.27**	
129-- सामग्री खरीद निपटान उचन्त खाता	0.03	(-)0.73	0.03	(-)0.73	0.03	(-)0.73
निवल	**(डेबिट) 0.76**		**(डेबिट) 0.76**		**(डेबिट) 0.76**	
8782- एक ही लेखा अधिकारी को लेखा प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के मध्य नकद प्रेषण और समायोजन						
102- लोक निर्माण प्रेषण	296.13	372.70	296.45	372.70	296.46	372.75
निवल	**(क्रेडिट) 76.57**		**(क्रेडिट) 76.24**		**(क्रेडिट) 76.29**	
103- वन प्रेषण	107.23	166.95	107.23	166.95	107.23	166.95
निवल	**(क्रेडिट) 59.72**		**(क्रेडिट) 59.72**		**(क्रेडिट) 59.72**	
8793–अंतर्राज्यीय उचन्त लेखे	2083.81	2015.19	2067.53	2016.45	2,072.27	2,018.61
	(डेबिट) 68.62		**(डेबिट) 51.08**		**(डेबिट) 53.66**	

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड द्वारा तैयार किये गये वित्त लेखे 2023-24।

उचन्त के अन्तर्गत विभिन्न लघु शीर्षों के विश्लेषण पर नीचे चर्चा की गई है:

वर्ष 2023-24 के लिए वित्त लेखे में प्रदर्शित मुख्य शीर्ष 8658- उचन्त लेखे के अंतर्गत लघु शीर्षों 101-पी ए ओ उचन्त, 102-उचन्त लेखा (सिविल) तथा 112- स्रोत स्तर पर कटौती (टी डी एस) उचन्त के अन्तर्गत उचन्त शेष (डेबिट/क्रेडिट) का विवरण निम्नवत है:

वेतन और लेखा कार्यालय-उचन्त (लघु शीर्ष 101): यह लघु शीर्ष केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों के वेतन और लेखा कार्यालयों व राज्यों के महालेखाकार (ले एवं हक) के अन्तर्गत वेतन और लेखा कार्यालय (पी ए ओ) की पुस्तकों में होने वाले अंतर-विभागीय और अंतर-सरकारी लेन-देन के निपटान के लिए संचालित होता है। इस शीर्ष के अन्तर्गत विगत वर्ष के अंत में ₹ 145.52 करोड़ के डेबिट शेष के सापेक्ष बकाया शुद्ध डेबिट शेष (31 मार्च 2024) ₹ 148.56 करोड़ था। वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्तियाँ 39.77 *प्रतिशत* और संवितरण 60.23 *प्रतिशत* रहीं। इस शीर्ष के अन्तर्गत बकाया डेबिट शेष का अर्थ है कि अन्य पी ए ओ की ओर से पी ए ओ द्वारा भुगतान किया गया है, जो अभी वसूल किया जाना है।

उचन्त लेखे-सिविल (लघु शीर्ष 102**):** ऐसे लेन-देन जिन्हें किसी निश्चित सूचना/ दस्तावेजों (चालान, वाउचर आदि) के अभाव में व्यय/प्राप्ति लेखा के अन्तिम शीर्ष लेखो में नहीं ले जाया जा सकता, उन्हें प्रारम्भ में इस उचन्त शीर्ष में दर्ज किया जाता है। वर्ष के दौरान, ₹ 289.06 करोड़ (48.97 *प्रतिशत*) की राशि को लघु शीर्ष से बाहर रखा गया था और ₹ 301.28 करोड़ (51.03 *प्रतिशत*) की राशि को इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत दर्ज किया गया था, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2022-23 के क्रेडिट शेष ₹ 97.35 करोड़ के सापेक्ष 31 मार्च 2024 तक ₹ 12.22 करोड़ का क्रेडिट शेष बकाया था।

स्रोत पर कर कटौती (टी डी एस) उचन्त-(लघु शीर्ष 112): इस लघु शीर्ष का उद्देश्य स्रोत पर काटे गए आयकर के आधार पर प्राप्तियों को समायोजित करना है। इन क्रेडिटों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत तक समायोजित एवं आयकर (आई टी) विभाग को क्रेडिट करना होता है। वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹ 253.28 करोड़ (90.04 *प्रतिशत*) के क्रेडिट के सापेक्ष ₹ 28.03 करोड़ (9.96 *प्रतिशत*) की राशि लघु शीर्ष-112 से निर्गत की गई। इसका अर्थ है कि मार्च 2024 तक आई टी विभाग को ₹ 225.25 करोड़ की राशि निर्गत नहीं की गई थी। हालाँकि, वर्ष 2023-24 के अंत में क्रेडिट शेष वर्ष 2022-23 (₹ 302.20 करोड़) की तुलना में कम था।

ख) मुख्य शीर्ष चेक और बिल (मुख्य शीर्ष 8670)

इस शीर्ष का उपयोग चेक जारी करने और उसके बाद उनके नकदीकरण से संबंधित लेन-देन को दर्ज करने के लिए किया जाता है। आर बी आई की ई-भुगतान प्रणाली (ई-कुबेर) के कार्यान्वयन के साथ इस शीर्ष का उपयोग ई-भुगतान सूचना और अनुवर्ती निकासी को दर्ज करने के लिए किया जा रहा है।

मुख्य शीर्ष 8670 चेक और बिल के अन्तर्गत क्रेडिट शेष इंगित करता है कि चेक जारी किए गए है परंतु नकदीकरण शेष है। 01 अप्रैल 2023 को प्रारम्भिक शेष ₹ 64.31 करोड़ (क्रेडिट) था। वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹ 54,799.15 करोड़ के चेक जारी किए गए, जिसके सापेक्ष उस वर्ष के दौरान ₹ 54,779.39 करोड़ के चेक का नकदीकरण किया गया तथा 31 मार्च 2024 को अन्तिम अवशेष ₹ 84.07 करोड़ (क्रेडिट) रहा। अन्तिम शेष विभिन्न वित्तीय वर्षों में विभिन्न कार्यात्मक मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत मूल रूप से दर्ज किए गए व्यय को दर्शाता है, जिसके परिणामस्वरुप उत्तराखण्ड सरकार से 31 मार्च 2024 तक कोई नकद निकासी नहीं हुई है।

ग) केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (के स एवं अव नि)

भारत सरकार विशिष्ट सड़क परियोजनाओं पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार को केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि के अन्तर्गत वार्षिक अनुदान प्रदान करती है। मौजूदा लेखा प्रक्रिया के अनुसार, अनुदानों को शुरू में मुख्य शीर्ष "1601 सहायता अनुदान" के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है। तत्पश्चात इस प्रकार प्राप्त राशि को राज्य सरकार द्वारा कार्यात्मक मुख्य शीर्ष के माध्यम से मुख्य शीर्ष "8449-अन्य जमा-103 केंद्रीय सड़क निधि से अनुदान'' के अन्तर्गत लोक लेखा में स्थानांतरित किया जाता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि अनुदान की प्राप्ति के परिणामस्वरूप लेखों में राजस्व अधिशेष को बढ़ाकर या राजस्व घाटे को कम करके नहीं दिखाया गया है। के स एवं अव नि के अन्तर्गत निर्धारित सड़क निर्माण कार्यों पर व्यय को पहले संबन्धित पूंजीगत या राजस्व व्यय अनुभाग (मुख्य शीर्ष 5054 या 3054) के अन्तर्गत लेखांकित किया जाएगा और लोक लेखा से इसकी प्रतिपूर्ति मुख्य शीर्ष 8449 के अन्तर्गत संबंधित मुख्य शीर्ष (5054 या 3054 जैसा भी प्रकरण हो) में 'कटौती व्यय' के रूप में की जाएगी।

वर्ष 2023-24 के दौरान, भारत सरकार ने राज्य सरकार को केंद्रीय सड़क निधि से ₹ 109.70 करोड़ जारी किए। तथापि, मुख्य शीर्ष 8449-103 के अन्तर्गत कार्यात्मक मुख्य शीर्ष के माध्यम से राशि दर्ज करने की निर्धारित लेखा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 5054-04-337 के अन्तर्गत ₹ 263.26 करोड़ का व्यय किया जो कि केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से मुख्य शीर्ष 1601-08-108 अनुदान के अन्तर्गत प्राप्त राशि से ₹ 153.56 करोड़ अधिक था। इसके परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष को ₹ 109.70 करोड़ अधिक और राजकोषीय घाटे को ₹ 153.56 करोड़ अधिक बताया गया। केन्द्रीय सड़क निधि के गैर लेखांकन के कारण केन्द्रीय सड़क निधि हेतु भारत सरकार से प्राप्त अनुदान के वास्तविक उपयोग में अस्पष्टता है।

घ) ऋण एवं अग्रिम का प्रतिकूल शेष

वर्ष के दौरान लेखों में प्रदर्शित ऋणात्मक शेष निम्न **तालिका-4.14** में दर्शाया गया है।

तालिका-4.14: मुख्य शीर्ष 6801, 6851, 7610, 8009, 8010, 8011, 8229, 8443, 8448, 8671 और 8672 के अंतर्गत आने वाले ऋणात्मक शेष

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष विवरण	ऋणात्मक शेष
6801	विद्युत बोर्ड को अन्य ऋण	(-) 168.84
6851	लघु उद्योग	(-) 0.18
7610	सरकारी कर्मचारियों के लिए ऋण	(-) 21.87
8009	अंशदायी भविष्य पेंशन निधि	(-) 5.11
8010	अन्य ट्रस्ट	(-) 0.31
8011	बीमा तथा पेंशन निधि	(-) 100.90
8229	विद्युत विकास निधि	(-) 36.48
8443	सिविल जमा	(-) 22.98
8448	स्थानीय निधियों का जमा	(-) 14.41
8671	विभागीय शेष	(-) 10.71
8672	स्थायी नकद अग्रदाय	(-) 0.81

स्रोत: वित्त लेखों पर टिप्पणियाँ 2023-24 ।

मुख्य शीर्ष 6801 और 8009 के अंतर्गत प्रतिकूल शेष का कारण, गलत वर्गीकरण है। मुख्य शीर्ष 6851 और 7610 के अन्तर्गत प्रतिकूल शेष उत्तराखंड राज्य के गठन से पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वितरित किए गए ऋणों और उत्तराखंड राज्य द्वारा की गई वसूली के कारण है। मुख्य शीर्ष 8010 के अंतर्गत प्रतिकूल शेष उत्तराखंड राज्य के विभाजन के बाद से है। मुख्य शीर्ष 8011 के अन्तर्गत प्रतिकूल शेष का कारण ब्याज का भुगतान न करना और प्राप्तियों पर अधिक भुगतान है और मुख्य शीर्ष 8229 के अन्तर्गत यह वर्ष 2014-15 के दौरान अधिक व्यय के कारण है। मुख्य शीर्ष 8443 और 8448 के अन्तर्गत प्रतिकूल शेष उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के बीच अभी भी लंबित आबंटन के कारण है। मुख्य शीर्ष 8671 और 8672 के अंतर्गत प्रतिकूल शेष का कारण कार्य प्रभागों के लेखांकन में परिवर्तन के कारण इन शीर्षों का प्रचालन नहीं होना है। इन प्रतिकूल शेष राशियों की समीक्षा की जा रही है।

4.3.2 विभागीय आंकड़ों का मिलान न करना

उत्तराखण्ड बजट नियमावली 2012 के प्रस्तर 109 के संदर्भ में, सभी नियंत्रक अधिकारियों को प्रत्येक माह महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में दर्ज आंकड़ों के साथ सरकार के प्राप्तियों और व्यय का मिलान कराना आवश्यक है। इसका उदेश्य नियंत्रण अधिकारी को व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखने और उनके बजटीय आवंटन को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और उनके लेखों की सटीकता सुनिश्चित करना है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, व्यय के संबंध में 62 मुख्य नियंत्रण अधिकारियों (मु नि अ) (49 मु नि अ द्वारा पूर्ण रूप से तथा 13 मु नि अ द्वारा आंशिक रूप से और 03 मु नि अ द्वारा शून्य) के द्वारा मिलान किया गया। 62 मु नि अ में से ₹ 50,789.27 करोड़ (कुल व्यय ₹ 58,379.85 करोड़ का 87.00 प्रतिशत) के व्यय का मिलान किया गया। इसके अतिरिक्त, प्राप्तियों के संबंध में, 48 मु नि अ में से, 45 मु नि अ द्वारा (33 मु नि अ द्वारा पूर्ण रूप से और 12 मु नि अ द्वारा आंशिक रूप से) मिलान किया गया था। वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 48,128.07 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों का (कुल प्राप्तियों ₹ 50,630.83 करोड़ का 95.06 प्रतिशत) मिलान किया गया।

वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 के दौरान नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्तियों और व्यय के आंकड़ों के मिलान की स्थिति को **चार्ट-4.5** में दिखाया गया है।

चार्ट-4.5: विगत तीन वर्षों के दौरान समायोजित व्यय की स्थिति *(₹ करोड़ में)*

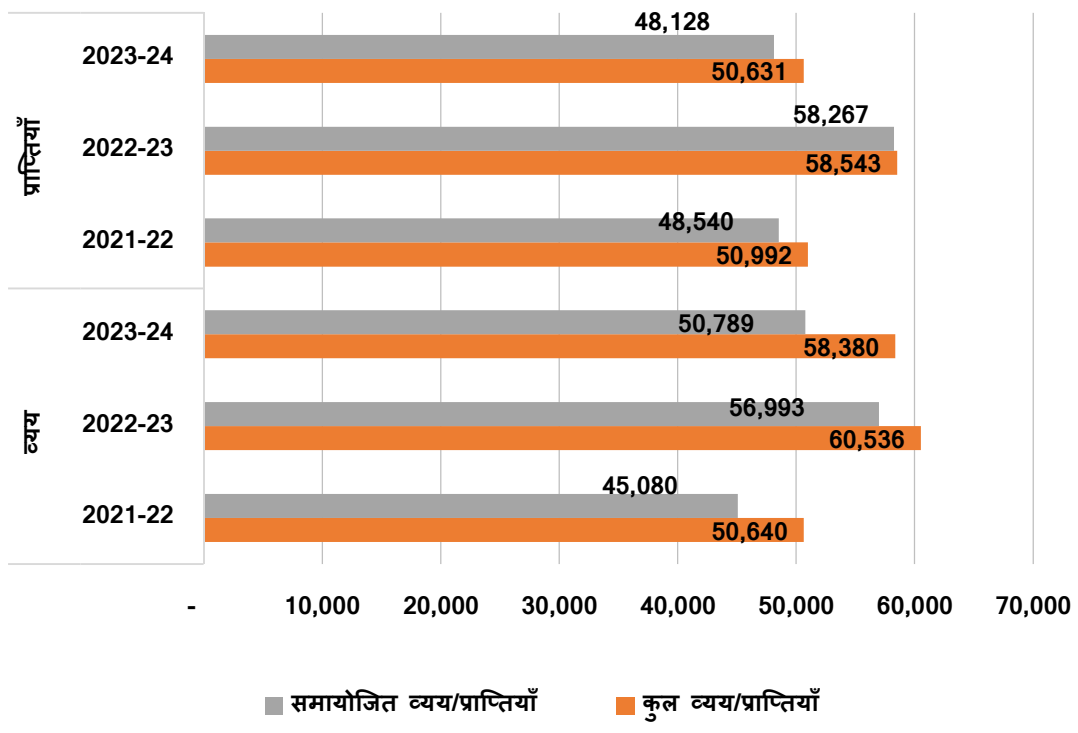

विगत तीन वर्षों के दौरान नियंत्रण अधिकारियों की संख्या और मिलान की सीमा से संबंधित ब्यौरा **तालिका-4.15** में दिया गया है।

तालिका-4.15: प्राप्तियों और व्यय के आंकड़ों के मिलान की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	नियंत्रण अधिकारियों की कुल संख्या	पूर्ण रूप से समायोजित	आंशिक रूप से समायोजित	बिल्कुल समायोजित नहीं	कुल प्राप्तियाँ/ व्यय	मिलान की गयी प्राप्तियाँ/व्यय	मिलान की प्रतिशतता
प्राप्तियाँ							
2021-22	48	03	29	16	50,992.06	48,540.27	*95.19*
2022-23	48	37	07	04	58,542.90	58,266.57	*99.53*
2023-24	48	33	12	03	50,630.83	48,128.07	*95.06*
व्यय							
2021-22	62	11	46	05	50,640.06	45,079.86	*89.02*
2022-23	62	56	06	00	60,535.64	56,992.72	*94.15*
2023-24	62	49	13	00	58,379.85	50,789.27	*87.00*

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड द्वारा तैयार वित्त लेखा 2023-24 एवं महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड द्वारा प्रस्तुत सूचना।

मिलान और आंकड़ों का सत्यापन वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इस संबंध में विदित प्रावधानों और कार्यकारी निर्देशों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप न केवल लेखों में प्राप्तियों और व्यय गलत दर्ज होते है, बल्कि बजटीय प्रक्रिया के मूल उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं होती। व्यय की राशि का मिलान वर्ष 2023-24 में 87.00 *प्रतिशत* था, जबकि 2022-23 में यह 94.15 *प्रतिशत* था।

4.3.3 नकद शेष राशि का मिलान

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड के बहीखाते के अनुसार 31 मार्च 2024 का नकद शेष ₹ 102.34[6] करोड़ (क्रेडिट) और भारतीय रिज़र्व बैंक (आर बी आई) द्वारा ₹ 6.34 करोड़ (डेबिट) प्रतिवेदित था। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड द्वारा गणना किए गए नकद शेष और आर बी आई द्वारा प्रतिवेदित नकद शेष के बीच ₹ 96.00 करोड़ (क्रेडिट) का निवल अंतर था। यह अंतर मुख्यतः लंबित मिलान के कारण था। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड द्वारा बताया गया कि उक्त मिलान के लिए प्रकरण आर बी आई और कोषागारों के पास विचाराधीन था।

4.4 प्रकटीकरण से संबन्धित प्रकरण

4.4.1 लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत सरकार द्वारा, तीन भारत सरकार के लेखांकन मानक (आई जी ए एस) अधिसूचित किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा मौजूदा लेखांकन मानकों के अनुपालन का विवरण **तालिका-4.16** में विस्तृत है।

---

[6] एन पी एस राशि को एन एस डी एल में हस्तांतरित न करने के कारण नकद शेष ₹ 98.09 करोड़ अधिक बताई गई है।

तालिका-4.16: लेखांकन मानकों का अनुपालन

क्र. सं.	लेखांकन मानक	आई जी ए एस का सार	सरकार द्वारा अनुपालन	कमी का प्रभाव
1.	**आई जी ए एस-1:** *सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियां*	इस मानक के अन्तर्गत सरकार को अपने विवरणों में वर्ष के दौरान दी गई प्रतिभूतियों की अधिकतम राशि के साथ-साथ वर्ष के अन्त में परिवर्धन, विलोपन, आह्वान, निर्वहन और बकाया का खुलासा करने की आवश्यकता है।	आंशिक रूप से अनुपालन (वित्त लेखों के विवरण 9 एवं 20)	राज्य सरकार द्वारा अधिकतम प्रतिभूति के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक संस्थान के लिए प्रतिभूति की संख्या जैसी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई थी। अत: यह विवरण उस हद तक अपूर्ण है।
2.	**आई जी ए एस-2:** *सहायता अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण*	सहायता अनुदान को अनुदानकर्ता के लेखों में राजस्व व्यय के रूप में और अनुदानग्राही के लेखों में राजस्व प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाना है, चाहे अंतिम उपयोग कुछ भी हो।	आंशिक रूप से अनुपालन (वित्त लेखों के विवरण 10 एवं परिशिष्ट III)	राज्य सरकार विभिन्न उद्देश्यों और योजनाओं के लिए विभिन्न निकायों को सहायता अनुदान प्रदान करती है। राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायता-अनुदान का ब्योरा आई जी ए एस-2 की आवश्यकता के अनुसार वित्त लेखों के विवरण-10 और परिशिष्ट-III में दर्शाया गया है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान की प्रकृति और प्रकार (चाहे टी एस पी/ एस सी एस पी/ सामान्य/ एफ सी /ई ए पी) की जानकारी प्रदान नहीं की गई है। इसलिए आई जी ए एस-2 का अनुपालन उस हद तक पूरा नहीं हुआ है।

क्र. सं.	लेखांकन मानक	आई जी ए एस का सार	सरकार द्वारा अनुपालन	कमी का प्रभाव
3.	**आई जी ए एस-3:** *सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम*	यह मानक पूर्ण, सटीक और एक समान लेखांकन पद्धतियों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अपने वित्तीय विवरणों में दिए गए ऋणों और अग्रिमों के संबंध में मान्यता, मापन, मूल्याँकन और रिपोर्टिंग से संबंधित है।	आंशिक रूप से अनुपालन (वित्त लेखों के विवरण 7 एवं 18)	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर, राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सीमा तक, वित्त लेखों के विवरण 7 और 18 आई जी ए एस-3 की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं, सिवाय उन ऋणों के, यदि कोई हो, जो नित्यता के लिए स्वीकृत किये गये थे।

4.4.2 स्वायत्त निकायों के लेखों/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को जमा करना

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के डी पी सी अधिनियम, 1971 की धारा 19 (3) के अनुसार, राज्यपाल/ प्रशासक, जनहित में, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से अनुरोध कर सकता है कि वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विधान मण्डल, जैसा भी मामला हो, द्वारा बनाए गए कानून द्वारा स्थापित निगम के लेखों की लेखापरीक्षा करे, और जहां इस तरह का अनुरोध किया गया हो, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ऐसे निगम के लेखों का लेखापरीक्षण करेगा और इस तरह के लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए उसके पास ऐसे निगम के बहीखातों और लेखों तक पहुँच का अधिकार होगा।

धारा 19 के अतिरिक्त, जहाँ किसी निकाय या प्राधिकरण के लेखों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को विधि द्वारा या उसके अधीन नहीं सौंपी गयी है, वहाँ यदि उससे यथास्थिति राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र, जिसमें विधान सभा है, के प्रशासक द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया गया तो वह ऐसे निकाय या प्राधिकरण के लेखों की लेखापरीक्षा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर करेगा जो उसके और संबद्ध सरकार के बीच अनुबंधित पाए जाएं और उनके पास ऐसी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिये उस निकाय अथवा प्राधिकरण के बहीखातों और लेखों तक पहुँच का अधिकार (धारा 20) होगा।

उपर्युक्त स्वायत्त निकायों एवं प्राधिकरण के मामले में लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है बशर्ते नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक हो। इस प्रकार, इन निकायों और प्राधिकरणों को वार्षिक लेखा तैयार करने और इन्हें महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र के अतिरिक्त, वित्तीय लेखापरीक्षा के पूरा होने पर, लेखापरीक्षा कार्यालय पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस ए आर) जारी करता है जो लेखों पर लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र का हिस्सा होती है। यह एस ए आर राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाते हैं। प्राधिकरणों के लेखों के बकायों का विवरण **तालिका-4.17** में नीचे दिया गया है।

तालिका-4.17: निकायों एवं प्राधिकरणों के लेखों का बकाया

क्र.सं.	निकाय या प्राधिकरण का नाम	लेखे जब से लंबित हैं	2023-24 तक लंबित लेखों की संख्या
1.	उत्तराखण्ड जल संस्थान	2020-21	04
2.	उत्तराखण्ड रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण	2023-24	01
3.	उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (अर्ध-न्यायिक निकाय)	2023-24	01

तालिका-4.17 से देखा जा सकता है कि इन तीन प्राधिकरणों के लेखे एक से चार वर्ष तक लंबित हैं।

4.4.3 निकायों और प्राधिकरणों को दिये गए अनुदानों/ऋणों का विवरण प्रस्तुत नहीं करना

ऐसे संस्थानों की पहचान करने हेतु, जिनकी नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा की जाती है, सरकार/विभागीय प्रमुखों से विभिन्न संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता, वित्तीय सहायता दिये जाने के उद्देश्य तथा इन संस्थानों के द्वारा किये गये कुल व्यय की विस्तृत सूचना लेखापरीक्षा को प्रति वर्ष उपलब्ध कराना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त,लेखापरीक्षा और लेखा विनियमन (संशोधन) 2020 यह प्रावधान करता है कि सरकार और विभागों के प्रमुख जो निकायों या प्राधिकरणों को अनुदानों और/या ऋणों की स्वीकृति देते हैं, इस तरह के निकाय और प्राधिकरण का एक विवरण, जिन्हें अनुदान अथवा ऋण में ₹10 लाख अथवा उससे अधिक का भुगतान पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किया गया था, प्रत्येक वर्ष जुलाई के अंत तक लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे जिसमें (क) सहायता की राशि, (ख) जिस उद्देश्य के लिए सहायता स्वीकृत की गई थी और (ग) प्राधिकरण या निकाय का कुल व्यय प्रदर्शित हो।

हालांकि, सरकार ने उत्तराखण्ड राज्य में स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के लिए ₹ 10 लाख या उससे अधिक के अनुदान से संबंधित जानकारी प्रस्तुत नहीं की है। सूचना का अप्रस्तुतीकरण लेखापरीक्षा और लेखा विनियमन (संशोधन) 2020 का उल्लंघन था। वर्ष 2023-24 के वित्त लेखे के विवरण संख्या 4 की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि 2023-24 के दौरान विभिन्न विभागों ने वेतन भत्ते और अन्य व्यय (वस्तु शीर्ष 05) के लिए सहायता अनुदान पूंजीगत संपत्ति के लिए सहायता अनुदान (वस्तु शीर्ष 55) और वेतन से इतर सहायता अनुदान (वस्तु शीर्ष 56) दिया था जो क्रमशः ₹ 1,352.41 करोड़, ₹ 538.99 करोड़ और ₹ 3,314.36 करोड़ था।

4.4.4 समयबद्धता और लेखों की गुणवत्ता

वर्ष 2023-24 के दौरान समस्त लेखा प्रस्तुत करने वाली संस्थाओं (कोषागार, लोक निर्माण विभाग, वन मण्डल और वेतन एवं लेखा कार्यालय नई दिल्ली), जो अपने मासिक लेखों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुत करती हैं, ने समय पर अपने लेखों को प्रस्तुत किया था और अपवर्जन का कोई प्रकरण नहीं था।

4.5 अन्य प्रकरण

4.5.1 दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि

वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-V, भाग-1, नियम 82 और परिशिष्ट XIX ब के प्रावधानों के अनुसार, डी डी ओ से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) और (लेखा एवं हकदारी) कार्यालयों को नुकसान के विवरण को सूचित करना आपेक्षित है। वर्ष 2023-24 के दौरान डी डी ओ द्वारा दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि का कोई प्रकरण सूचित नहीं किया गया।

4.5.2 राज्य के वित्त की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

राज्य विधानमंडल की लोक लेखा समिति ने राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर उनके तैयार किये जाने से अब तक चर्चा नहीं की है।

4.6 निष्कर्ष

- विभागीय अधिकारियों ने विशिष्ट प्रयोजनों के लिए मार्च 2023 तक दिये गए ₹ 1,395.68 करोड़ के अनुदान के सापेक्ष 210 उपयोगिता प्रमाणपत्र (मार्च 2024 तक प्रस्तुति हेतु देय) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड को प्रस्तुत नहीं किए। मार्च 2024 तक ₹ 17.92 करोड़ राशि के 164 सार आकस्मिक बिल

बकाया थे। उपयोगिता प्रमाणपत्र और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए तैयार किए गए विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों और स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों को जमा नहीं करने से निर्धारित वित्तीय नियमों और निर्देशों का उल्लंघन हुआ था। यह राज्य सरकार के आंतरिक नियंत्रण की कमी और दोषपूर्ण निगरानी तंत्र को इंगित करता हैं।

- राज्य सरकार ने सी आर आई एफ की लेखांकन प्रक्रिया का पालन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹ 109.10 करोड़ और ₹ 153.56 करोड़ की सीमा तक बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया।
- वर्ष 2023-24 के दौरान मुख्य नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्ति व व्यय का मिलान क्रमश: 95.06 और 87.00 *प्रतिशत* था।
- विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्षों '800- अन्य व्यय' और '800 अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत ₹ 2,874.32 करोड़ का व्यय और ₹ 1,339.13 करोड़[7] की प्राप्तियाँ दर्ज किया जाना वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है। लघु शीर्ष 800- अन्य व्यय/अन्य प्राप्तियों के नियमित प्रचालन को बंद किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखों को अस्पष्ट बनाता है।
- राज्य सरकार ने अभी तक राज्य में अधिसूचित भारत सरकार के लेखांकन मानकों को पूर्णतया लागू नहीं किया है, जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में कमी आ रही है।

4.7 संस्तुतियाँ

- ***सरकार को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जारी अनुदानों के सम्बन्ध में अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाणपत्रों की समयबद्ध प्रस्तुति और विभागों द्वारा विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए;***
- ***सरकार को केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि के संबंध में लेखांकन प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निधियों का उचित लेखांकन किया गया है;***

[7] 800-अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत दर्ज वर्ष 2019-20 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य से पेंशन के बंटवारे के रूप में ₹ 1,510.45 करोड़ को छोड़कर।

- ***सरकार को अपने आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियंत्रण अधिकारी निर्धारित अंतराल पर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ अपने व्यय के आंकड़ों का मिलान करें;***
- ***राज्य सरकार को लघु शीर्ष 800 का प्रचालन बंद करना चाहिए और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से परामर्श के बाद विशिष्ट समय सीमा तय करनी चाहिए ताकि लेखा बही में लेन-देन के सही वर्गीकरण हेतु उचित लेखा शीर्षों की पहचान की जाए; और***
- ***राज्य सरकार को वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य में भारत सरकार के लेखांकन मानकों को पूर्णतया लागू करने के लिए कदम उठाने चाहिए।***

देहरादून **(मो. परवेज़ आलम)**

दिनांक: 30 अप्रैल 2025 **महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(के संजय मूर्ति)**

दिनांक: 07 मई 2025 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1

(संदर्भ: प्रस्तर-1.1 व 1.1.1; पृष्ठ 1 व 2)

राज्य की रूपरेखा

क्र. सं.	विवरण		आँकड़े
1.	**क्षेत्रफल**		53,483 वर्ग किमी
	क. पर्वतीय		46,035 वर्ग किमी
	ख. मैदान		7,448 वर्ग किमी
	ग. वनीय		38,117 वर्ग किमी
2.	जनपद (10 पर्वतीय क्षेत्र तथा 3 मैदानी क्षेत्र)		13 जनपद
3.	**जनसंख्या***		
	क.	2001 की जनगणना के अनुसार	84.89 लाख
	ख.	2011 की जनगणना के अनुसार	100.86 लाख
4.	क.	जनसंख्या घनत्व (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व =324 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी)	159 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
	ख.	जनसंख्या घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व=382 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी)	189 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
5.	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बी पी एल) 2011-12 (अखिल भारतीय औसत=21.92 *प्रतिशत*)		*11.26 प्रतिशत*
6.	क.	साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत=64.80 *प्रतिशत*)	*71.62 प्रतिशत*
	ख.	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत=73.00 *प्रतिशत*)	*78.80 प्रतिशत*
7.	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1,000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय औसत=28 प्रति 1,000 जीवित जन्म)		24
8.	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत=70.00)		70.60
9.	एच डी आई मूल्य उत्तराखण्ड (एच डी आर 2022) (अखिल भारतीय औसत=0.644)		0.681
10.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) 2023-24 वर्तमान दरों पर *(₹ करोड़ में)*		3,46,206
11.	प्रति व्यक्ति स रा घ उ सी ए जी आर (2014-24) प्रचलित दरों पर	उत्तराखण्ड	*7.61*
	प्रति व्यक्ति स घ उ सी ए जी आर (2014-24) वर्तमान दरों पर	अखिल भारतीय	*8.89*

क्र. सं.	विवरण		आँकड़े
12.	स रा घ उ सी ए जी आर (2014-24) वर्तमान दरों पर	उत्तराखण्ड	*8.85*
	स घ उ सी ए जी आर (2014-24) वर्तमान दरों पर	अखिल भारतीय	*10.06*
13.	जनसंख्या वृद्धि (2014 से 2024)	उत्तराखण्ड	*12.09*
		अखिल भारतीय	*11.26*

** स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, उत्तराखंड की सांख्यिकी डायरी।*

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान।

साक्षरता दर: जनगणना 2011

आई एम आर: एस आर एस बुलेटिन (2020)

जीवन प्रत्याशा: एस आर एस आधारित संक्षिप्त जीवन सारणी (2016-20)

एच डी आई: यू एन डी पी मानव विकास रिपोर्ट 2023/2024

स रा घ उ: एन एस ओ, (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)।

जनसंख्या वृद्धि: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान (2011-2016) प्रति व्यक्ति स घ उ सी ए जी आर और स रा घ उ सी ए जी आर: एन एस ओ (एम ओ एस पी आई)

परिशिष्ट-1.2

(संदर्भ: प्रस्तर-1.3.2, पृष्ठ 11)

31 मार्च 2024 तक उत्तराखण्ड सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएं	31.03.2023 तक	31.03.2024 तक
आंतरिक ऋण	**53,558.43**	**57,378.79**
ब्याज युक्त बाजार ऋण	44,910.00	48,710.00
बाजार ऋण जिन पर ब्याज नहीं है	0.02	0.02
भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	1.50	1.50
अन्य संस्थानों से ऋण	8,646.91	8,060.21
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट	--	607.06
भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	**8,600.36**	**10,581.95**
गैर योजना ऋण	1.80	1.37
राज्य योजना योजनाओं के लिए ऋण	377.36	326.00
1984-85 से पहले के ऋण	0.53	0.53
राज्य के लिए अन्य ऋण	8,220.67	10,254.05
आकस्मिकता निधि (कोष)	**500.00**	**500.00**
अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	**9,453.58**	**9,671.23**
जमा	**3,880.66**	**4,463.33**
आरक्षित निधियाँ	**4,824.64**	**5,738.12**
उचंत और विविध अवशेष	**--**	**--**
प्रेषण शेष राशि	**--**	**--**
व्यय पर प्राप्तियों का संचयी अधिक्य	**3,890.97**	**7,232.04**
योग	***84,708.64***	***95,565.46***
परिसंपत्ति		
स्थिर परिसंपत्तियों पर सकल पूंजी परिव्यय -	**80,053.48**	**91,035.28**
कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	4,043.90	4,527.50
अन्य पूँजीगत व्यय	76,009.58	86,507.78
आकस्मिकता निधि (गैर-प्रतिपूर्ति)	**178.50**	**308.81**
ऋण और अग्रिम -	**2,454.61**	**2,562.89**
विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	484.58	582.55
अन्य विकास ऋण	1,986.69	1,996.52
सरकारी कर्मचारियों को ऋण और विविध ऋण	(-)16.66	(-) 16.18
विभागीय अधिकारियों के साथ अग्रिम	**0.42**	**0.42**
प्रेषण शेष राशि	**(-)88.23**	**(-)85.74**
नकद	**2,318.65**	**1,804.76**
कोषागारों और स्थानीय प्रेषणों में नकद	--	
विभागीय नकद शेष	(-)10.71	(-)10.71
स्थायी अग्रिम/नकद अग्रदाय	(-)0.81	(-)0.81
नकद शेष निवेश	653.37	--

देयताएं	31.03.2023 तक	31.03.2024 तक
भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	(-)131.82	(-)102.34
चिह्नित कोषों से निवेश	1,808.62	1,918.62
उचंत और विविध अवशेष	**(-)208.79**	**(-)60.95**
प्राप्तियों पर खर्च का संचयी अधिक्य	**--**	**(-)0.01**
योग	***84,708.64***	***95,565.46***

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: प्रस्तर-2.3.3 एवं 2.6; पृष्ठ 31 एवं 45)

राज्य सरकार के वित्त पर समय श्रृंखला आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
भाग क. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	**30,723**	**38,205**	**43,057**	**49,083**	**50,615**
(i) कर राजस्व	**11,513** ***(37)***	**11,938** ***(31)***	**14,176** ***(33)***	**17,102*(35)***	**19,245*(38)***
एस जी एस टी	4,931 ***(43)***	5,053 *(42)*	5,973 *(42)*	7,341*(43)*	8,297*(43)*
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,811 *(16)*	1,858 *(16)*	2,302 *(16)*	2,555*(15)*	2,519*(13)*
राज्य आबकारी	2,727 *(24)*	2,966 *(25)*	3,258 *(23)*	3,526*(21)*	4,041*(21)*
वाहनों पर कर	908 *(8)*	741 *(6)*	889 *(6)*	1,211*(7)*	1,390*(7)*
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	1,072 *(9)*	1,107 *(9)*	1,488 *(10)*	1,987*(12)*	2,432*(13)*
भू-राजस्व	24 *(--)*	17 *(0)*	40 *(0)*	65*(0)*	14*(0)*
माल एवं यात्रियों पर कर	--	00 *(0)*	00 *(0)*	00*(0)*	00*(0)*
अन्य	40 *(--)*	196 *(2)*	226 *(2)*	417*(2)*	552*(3)*
(ii) करेत्तर राजस्व	**3,999** ***(13)***	**4,171** ***(11)***	**2,756** ***(6)***	**4,367*(9)***	**4,418*(9)***
(iii) केन्द्रीय करों और शुल्कों का राज्यांश	**6,902** ***(22)***	**6,569** ***(17)***	**9,906** ***(23)***	**10,617*(22)***	**12,628*(25)***
(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	**8,309** ***(27)***	**15,527** ***(41)***	**16,219 (38)**	**16,997*(35)***	**14,324*(28)***
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	--	0.20	--	11.83	--
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	19	23	17	17	16
4. कुल राजस्व एवं ऋणेत्तर पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	30,742	38,228	43,074	49,112	50,631
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	6,148	9,787	7,473	5,036	9,912
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	5,765 *(94)*	6,728 *(69)*	3,787 *(51)*	3,817*(76)*	7,255*(73)*
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	313 *(05)*	--	--	--	607*(6)*
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	70 *(01)*	3,059 *(31)*	3,686 *(49)*	1,219*(24)*	2,050*(21)*
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	36,890	48,015	50,547	54,148	60,543
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	94	02	436	269	179
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	45,330	47,563	52,779	59,433	66,009
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	***82,314***	***95,580***	***1,03,762***	***1,13,850***	***1,26,731***
भाग ख. व्यय/संवितरण†					
10. राजस्व व्यय	32,859	37,091	38,929	43,773	47,274

† वित्त पोषण का आयोजनागत और आयोजनेत्तर विभाजन, वर्ष 2017-18 से बंद कर दिया गया है और राज्य निधि व्यय और केंद्रीय सहायता में द्विविभाजित किया जा रहा है।

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राज्य निधि व्यय	28,893*(88)*	32,678*(88)*	35,870*(92)*	39,452 *(90)*	41,691*(88)*
केन्द्रीय सहायता	3,966 *(12)*	4,413 *(12)*	3,059*(8)*	4,321*(10)*	5,583*(12)*
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतानों सहित)	13,844 *(42)*	14,826 *(40)*	15,668 *(40)*	16,889*(39)*	17,579*(37)*
सामाजिक सेवाएँ	12,593 *(39)*	14,762 *(40)*	15,573 *(40)*	18,156*(41)*	19,653*(42)*
आर्थिक सेवाएँ	4,704 *(14)*	5,571 *(15)*	6,148 *(16)*	6,687*(15)*	7,485*(16)*
सहायता अनुदान एवं अंशदान	1,717 *(5)*	1,932 *(5)*	1,540 *(4)*	2,041*(5)*	2,557*(5)*
11. पूँजीगत व्यय	5,414	6,538	7,534	8,194	10,982
राज्य निधि व्यय	3,055*(56)*	3,192*(49)*	*4,335(58)*	4,398*(54)*	*6,267(57)*
केन्द्रीय सहायता	2,359*(44)*	3,346*(51)*	3,199*(42)*	3,797*(46)*	4,715*(43)*
सामान्य सेवाएँ	362*(7)*	755*(11)*	1,085*(14)*	1,608*(20)*	2,360*(21)*
सामाजिक सेवाएँ	1,610*(30)*	1,938*(30)*	2,262*(30)*	2,013*(24)*	3,496*(32)*
आर्थिक सेवाएँ	3,442*(63)*	3,845*(59)*	4,187*(56)*	4,573*(56)*	5,126*(47)*
12. ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	126	38	347	94	124
13. राज्य का कुल व्यय (10+11+12)	38,399	43,667	46,810	52,061	58,380
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	2,131	2,921	3,386	4,079	4,110
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	2,084	2,550	3,330	4,017	4,042
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	--	313	--	--	--
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	47	58	56	62	68
15. आकस्मिकता निधि का विनियोजन	0	0	0	0	0
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	40,530	46,588	50,196	56,140	62,490
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	26	226	212	179	309
18. लोक लेखा संवितरण	42,569	47,261	53,304	59,159	64,556
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	***83,125***	***94,075***	***1,03,712***	***1,15,478***	***1,27,355***
भाग ग. घाटा/आधिक्य					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिक्य (+) (1-10)	(-) 2,136	(+) 1,114	(+) 4,128	(+) 5,310	(+) 3,341
21. राजकोषीय घाटा (4-13)	7,657	5,439	3,736	2,949	7,749
22. प्राथमिक घाटा (-)/ प्राथमिक आधिक्य (+) (21+23)	(-) 3,153	(-) 666	1,203	2,155	(-)2,557
भाग घ. अन्य आँकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	4,504	4,773	4,939	5,104	5,192

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	4,800	6,441	5,858	7,631	7,001
25. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का उपभोग (दिवस)	140	96	6	39	137
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	5.18	5.21	0.06	2.23	14.26
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ)@	2,39,263	2,25,617	2,67,143	3,03,781	3,46,206
28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अन्त में)*	65,982	71,435	71,375	72,860	80,266
29. बकाया प्रतिभूतियाँ (वर्ष के अन्त में) (ब्याज रहित)	854	729	374	117	119
30. प्रतिभूत अधिकतम धनराशि (वर्ष के अन्त में)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	717	407	409
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या (संख्या में)	210	143	75	143	154
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी *(₹ करोड़ में)*	627.08	437.61	357.00	564.00	641.53
भाग च. राजकोषीय सुदृढ़ता-सूचक (अनुपात में)					
I संसाधन का जुटाव					
स्वयं का कर राजस्व/ स रा घ उ	0.048	0.053	0.053	0.056	0.056
स्वयं का करेत्तर राजस्व/ स रा घ उ	0.017	0.018	0.010	0.014	0.013
केन्द्रीय अन्तरण/स रा घ उ	0.064	0.098	0.098	0.091	0.078
II व्यय प्रबन्धन					
कुल व्यय/स रा घ उ	0.160	0.194	0.175	0.171	0.169
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	1.25	1.14	1.09	1.06	1.15
राजस्व व्यय/ कुल व्यय	0.86	0.85	0.83	0.84	0.81
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.37	0.38	0.38	0.39	0.40
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.22	0.22	0.23	0.22	0.22
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.14	0.15	0.16	0.16	0.19
सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.13	0.13	0.14	0.13	0.15
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/ स रा घ उ	(-) 0.009	0.005	0.015	0.017	0.010

* नोट: जी एस टी मुआवजे की कमी के बदले भारत सरकार से प्राप्त ₹ 5,649 करोड़ {₹ 2,316 करोड़ (2020-21) + ₹ 3,333 करोड़ (2021-22)} की राशि के बैक-टू-बैक ऋण शामिल नहीं हैं।

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजकोषीय घाटा /स रा घ उ	0.032	0.024	0.014	0.010	0.022
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/ स रा घ उ	(-) 0.013	(-) 0.003	0.005	0.007	(-) 0.007
राजस्व आधिक्य (घाटा)/राजकोषीय घाटा	0.279	(-) 0.205	(-) 1.105	(-) 1.800	(-) 0.431
निवल प्राथमिक राजस्व शेष/ स रा घ उ	0.010	0.026	0.034	0.034	0.025
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय दायित्व/स रा घ उ	0.28	0.32	0.27	0.24	0.23
राजकोषीय दायित्व/राजस्व प्राप्ति	2.15	1.87	1.66	1.48	1.59
ऋण पुनर्भुगतान से ऋण प्राप्तियाँ (*प्रतिशत* में)	34.66	29.85	45.31	81.00	41.46
V अन्य राजकोषीय सुदृढ़ता सूचक					
निवेश का प्रतिफल	14.08	40.02	35.05	25.07	25.20
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/दायित्व	0.90	0.93	0.98	1.05	1.08

कोष्ठकों के आँकड़े प्रत्येक उपशीर्षों के योग से प्रतिशतता (पूर्णांक) को प्रस्तुत करते हैं।

@ आर्थिक विभाग, नि एवं म ले प के रा वि ले प्र संकलन से वर्तमान कीमतों पर स रा घ उ के आँकड़े प्राप्त किये गये हैं।

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: प्रस्तर-3.1; पृष्ठ 95)

बजट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों की शब्दावली

क्र.सं.	शब्द	व्याख्या
1.	एक वर्ष का 'लेखा' या 'वास्तविक'	1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और संवितरणों की मात्रा, अंत में लेखा प्राधिकरण की पुस्तकों में दर्ज की गई (जैसाकि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित है)। अंनतिम लेखों से तात्पर्य अलेखापरीक्षित लेखों से है।
2.	किसी योजना, प्रस्ताव या कार्य की 'प्रशासनिक स्वीकृति'	व्यय के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा औपचारिक स्वीकृति। बजट में निधि के प्रावधान के साथ, यह उस विशेष वर्ष के दौरान कार्य के लिए वित्तीय स्वीकृति के रूप में कार्य करता है जिसमें प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है।
3.	वार्षिक वित्तीय विवरण	बजट के रूप में संदर्भित जिसका अर्थ है संसद/राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी गई प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र/राज्य सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण।
4.	विनियोजन	संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत राशि के अलग-अलग प्राथमिक इकाई के तहत व्यय के लिए प्राधिकृत राशियाँ उसमें से एक हिस्सा, जो संवितरण अधिकारी के निपटान में रखा जाता है।
5.	भारित व्यय	ऐसा व्यय जिसे संविधान के प्रावधानों के तहत विधानमंडल के वोट के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाना है।
6.	भारत/राज्य की समेकित निधि	संघ/राज्य सरकार के सभी राजस्व, इसके द्वारा जुटाए गए ऋण और ऋणों के पुनर्भुगतान में प्राप्त सभी धन भारत और राज्य के समेकित निधि का निर्माण करते हैं। इस निधि से निकले किसी भी धन को कानून के अनुसार और संविधान में प्रदान किए गए तरीके के अलावा विनियोजित नहीं किया जा सकता है।
7.	आकस्मिकता निधि	यह एक अग्रदाय की प्रकृति का है। आकस्मिकता निधि का उद्देश्य संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा अपने प्राधिकरण को लंबित, एक वर्ष के दौरान होने वाले अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए कार्यकारी/सरकार को अग्रिम प्रदान करना है। संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा अनुपूरक मांगों के माध्यम से अनुमोदित करने के बाद, आकस्मिकता निधि से निकाली गई राशि को वापस ले लिया जाता है।
8.	नियंत्रक अधिकारी (बजट)	एक अधिकारी जिसे विभाग द्वारा व्यय और/या राजस्व के संग्रह को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। इस शब्दावली में विभागाध्यक्ष और प्रशासक भी शामिल हैं।
9.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	राज्य सरकार की ओर से देयको के आहरण एवं भुगतान करने हेतु कार्यालय प्रमुख और अन्य अधिकारी भी जो कि राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा नामित किया गया है। इस शब्द में एक विभागाध्यक्ष भी शामिल हो सकता है जहाँ वह स्वयं ऐसे कार्य का निर्वहन करता है।
10.	अतिरिक्त अनुदान	अतिरिक्त अनुदान का अर्थ है, मूल/पूरक अनुदान के माध्यम से अनुमति दिए गए प्रावधान के ऊपर और उसके बाद व्यय की मात्रा, जिसे संविधान के अनुच्छेद 115/205 के तहत संसद/राज्य विधानमंडल से अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करके नियमितीकरण की आवश्यकता होती है।
11.	लोक लेखे	संविधान के अनुच्छेद 266 (2) में उल्लिखित लोक लेखा से अर्थ है। जमा और संवितरण जैसे जमा, आरक्षित निधि, प्रेषण, आदि जो समेकित निधि

क्र.सं.	शब्द	व्याख्या
		का हिस्सा नहीं बनती हैं, लोक लेखे में शामिल की जाती हैं। लोक लेखे से संवितरण संसद/ राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं, क्योंकि वे भारत/राज्य के समेकित निधि से जारी किए गए धन नहीं हैं।
12.	पुनर्विनियोजन	एक ही अनुदान या भारित विनियोग के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विनियोग की एक ईकाई में हुई बचत को दूसरी ईकाई के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय हेतु हस्तान्तरित करना।
13.	पुनरीक्षित अनुमान	एक वित्तीय वर्ष के लिए संभावित प्राप्तियों या व्यय का एक अनुमान, जो उस वर्ष के लिए तैयार किया गया है, जिसमें शेष वर्ष के लिए प्रत्याशित पहले से दर्ज किए गए लेन-देन और पहले से ही जारी किए गए आदेश।
14.	अनुदान के लिए अनुपूरक माँग	अर्थात विधायिका के समक्ष रखी गई अनुपूरक माँगों के विवरण जोकि, उस वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राधिकृत व्यय से अधिक और एक वित्तीय वर्ष के संबंध में आवश्यक व्यय की अनुमानित राशि दिखाता है। अनुपूरक की माँग टोकन, तकनीकी या मूल/नकदी हो सकती है।
15.	मुख्य शीर्ष	इसका अर्थ राज्य की प्राप्तियों और संवितरणों को रिकॉर्ड करने और वर्गीकृत करने के उद्देश्य के लिए एक मुख्य शीर्ष है। एक मुख्य शीर्ष, विशेष रूप से समेकित निधि के भीतर आने वाला, आमतौर पर कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसे सरकार के एक 'कार्य' से मेल रखता है।
16.	उप-मुख्य शीर्ष	इसका अर्थ एक मुख्य शीर्ष और उसके अधीन लघु शीर्षों के बीच शुरू किए गए लेखों का एक मध्यवर्ती शीर्ष है, जब की लघु शीर्ष कई है और ऐसे मध्यवर्ती शीर्ष के तहत आसानी से एक साथ समूहीकृत किये जा सकते है।
17.	लघु शीर्ष	लघु शीर्ष से तात्पर्य एक मुख्य शीर्ष या उप-मुख्य शीर्ष के अधीनस्थ शीर्ष से है। मुख्य शीर्ष के अधीनस्थ एक लघु शीर्ष मुख्य शीर्ष द्वारा दर्शाए गए कार्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए एक "प्रोग्राम" को दर्शाता है।
18.	उप-शीर्ष	मतलब लघु शीर्ष के अधीनस्थ लेखा की एक इकाई, जो सामान्य रूप से उस लघु शीर्ष या प्रोग्राम के तहत स्कीम या संगठन को दर्शाता है।
19.	वृहद निर्माण	वृहद निर्माण से तात्पर्य उस मूल निर्माण से है, जिसकी अनुमानित लागत विभागीय शुल्कों को छोड़कर समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित राशि से अधिक है।
20.	लघु निर्माण	लघु निर्माण से तात्पर्य उस मूल निर्माण से है, जिसकी अनुमानित लागत विभागीय शुल्कों को छोड़कर समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित राशि से अधिक नहीं होती है।
21.	संशोधित अनुदान या विनियोजन	इसका मतलब विनियोग के किसी भी उप-शीर्ष को आवंटित धनराशि से है क्योंकि यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुन:विनियोग या एक अतिरिक्त या पूरक अनुदान की मंजूरी के बाद आता है।
22.	अनुपूरक एवं अतिरिक्त अनुदान या विनियोजन	इसका अर्थ है कि उस वर्ष के लिए पहले विनियोग अधिनियम में शामिल राशि से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए एक वित्तीय वर्ष के दौरान विनियोग अधिनियम में शामिल एक प्रावधान।
23.	नए व्यय के लिए अनुसूची	का अर्थ है आगामी वर्ष के लिए बजट में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित नए व्यय की वस्तुओं का विवरण।

परिशिष्ट-4.1
शब्दावली

क्र. सं.	शब्द	व्याख्या
1.	राज्य के क्रियान्वयन अभिकरण	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण में गैर-सरकारी संगठन सहित कोई भी संगठन/संस्था जो राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हैं जैसे सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन समिति तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन आदि।
2.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सकल राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की कुल आय या चालू कीमतों पर श्रम और उत्पादन के सभी अन्य कारकों को प्रयुक्त करते हुए उत्पादित माल या सेवाओं के बाजार मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है।
3.	उत्प्लावकता अनुपात	उत्प्लावकता अनुपात आधारभूत चर में किए गए परिवर्तन के संदर्भ में राजकोषीय चर की तन्यता अथवा प्रभावशीलता के स्तर को इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.6 की राजस्व उत्प्लावकता अन्तर्निहित करती है कि यदि स रा घ उ में एक *प्रतिशत* तक की वृद्धि होती है, तो राजस्व प्राप्तियाँ 0.6 प्रतिशतता बिन्दु तक वृद्धिगत होने का प्रयास करती हैं।
4.	आन्तरिक ऋण	इसमें मुख्यतः बाजार ऋण और राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत निधि (रा ल ब) को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।
5.	कोर पब्लिक एवं मेरिट गुड्स	कोर पब्लिक गुड्स ऐसी वस्तुएँ है जिनका इस आशय से सभी नागरिक लाभ लेते हैं कि ऐसी वस्तु का किसी व्यक्ति के उपभोग से उसी वस्तु को दूसरे व्यक्ति के उपभोग में कोई कमी नहीं आती है, उदाहरणार्थ कानून एवं व्यवस्था को लागू किया जाना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव, प्रदूषण-मुक्त वायु एवं अन्य पर्यावरणीय वस्तुएँ तथा सड़कें इत्यादि। मेरिट गुड्स ऐसी वस्तुएँ हैं जिनको सार्वजनिक क्षेत्र मुफ्त अथवा उपदानित दरों पर उपलब्ध कराता है क्योंकि एक व्यक्ति अथवा समाज को उन्हें सरकार को भुगतान करने की क्षमता और इच्छा के बजाय आवश्यकता की किसी धारणा के आधार पर प्राप्त करना चाहिए और इसलिए वह उनके उपभोग को प्रोत्साहित करने की इच्छा रखता है। ऐसी वस्तुओं के उदाहरणों में गरीबों को पोषण में सहायक मुफ्त अथवा उपदानित दरों पर खाद्य सामग्री का प्रावधान, जीवन स्तर में सुधार करने एवं रूग्णता को कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना, सर्वजन को आधारभूत शिक्षा, पेयजल तथा स्वच्छता आदि प्रदान करना सम्मिलित है।
6.	विकासपरक व्यय	व्यय के आँकड़ों का विश्लेषण, विकासपरक और अविकासपरक व्यय में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व लेखे, पूँजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से सम्बन्धित सभी व्यय को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं में श्रेणीबद्ध किया जाता है। मोटे तौर पर, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ विकासपरक व्यय को संस्थापित करती है जबकि सामान्य सेवाओं पर हुए व्यय को गैर विकासपरक व्यय के रूप में माना जाता है।

क्र. सं.	शब्द	व्याख्या
7.	ऋण वहन क्षमता	ऋण वहन क्षमता को किसी समयावधि के सतत ऋण-जी डी पी अनुपात को बनाए रखने के राज्य के सामर्थ्य के रूप में परिभाषित किया गया है और इसे ऋण के शोधन की क्षमता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसलिए ऋण वहन क्षमता चालू या वचनबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल चालू परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और ऐसे ऋणों के प्रतिफल के साथ अतिरिक्त ऋणों की लागत के संतुलन को बनाए रखने की क्षमता को भी संदर्भित करता है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे की वृद्धि का ऋण चुकाने की क्षमता की वृद्धि के साथ मिलान होना चाहिए।
8.	ऋण स्थिरीकरण	स्थायित्व के लिए एक आवश्यक शर्त यह बताती है कि यदि अर्थव्यवस्था वृद्धि की दर लोक ऋणों की लागत या ब्याज दर से अधिक होती है तो ऋण-जी डी पी अनुपात भी स्थिर रहना चाहिए बशर्ते कि प्रारंभिक अवशेष या तो शून्य है या धनात्मक या लगभग नकारात्मक है। दर विस्तार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर-ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण दर विस्तार) ऋण वहन क्षमता की शर्तें बताती है कि यदि मात्रा विस्तार के साथ-साथ प्राथमिक घाटा शून्य है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर रहेगा या ऋण अन्ततः स्थिर होगा। दूसरी तरफ यदि प्राथमिक घाटे के साथ-साथ मात्रा विस्तार ऋणात्मक हो जाता है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात उच्च हो जाएगा और धनात्मक होने की दशा में ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात गिरेगा।
9.	ऋणेत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता संसाधन) (अन्तराल	बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को आच्छादित करने के लिए राज्य की बढ़ती हुई ऋणेत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता। ऋण वहन क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से सुविधाजनक बनाया जा सकता है, यदि बढ़ती हुई ऋणेत्तर प्राप्तियाँ बढ़ते हुए ब्याज भार और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकते।
10.	उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण विमोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के रूप में परिभाषित अनुपात है तथा यह सीमा इंगित करता है कि जहाँ तक ऋण प्राप्तियों का उपयोग ऋण विमोचन के लिए किया गया। ऋण निधियों की निवल उपलब्धता को दर्शाते हुए।
11.	ऋणेत्तर प्राप्तियाँ	बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों व बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को आवृत करने हेतु राज्य की बढ़ती हुई ऋणेत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता। यदि बढ़ती हुई ऋणेत्तर प्राप्तियाँ बढ़ते हुए ब्याज भार व बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकें तो ऋण वहन क्षमता महत्वपूर्ण रूप से सुगम हो सकेगी।
12.	निवल ऋण की उपलब्धता	लोक ऋण पुनर्भुगतान, ऋण एवं अग्रिम का संवितरण तथा लोक ऋण पर ब्याज अदायगी के सापेक्ष लोक ऋण प्राप्तियां तथा ऋण एवं अग्रिम प्राप्तियों का आधिक्य।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag/uttarakhand/hi